महिला सशक्तिकरण के विविध आयाम

महिला सशक्तिकरण के विविध आयाम

डॉ. अखिलेश शुक्ल
भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा प्रतिष्ठित
''पं. गोविन्द वल्लभ पन्त एवार्ड'' तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा
'भारतेन्दु हरिश्चन्द्र एवार्ड' से सम्मानित
समाजशास्त्र एवं समाजकार्य विभाग
शासकीय ठाकुर रणमत सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
(उत्कृष्टता केन्द्र) रीवा (म.प्र.)

सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज
रीवा (म.प्र.)
www.researchjournal.in

ISBN-978-81-87364-79-5

रिसर्च जरनल ऑफ सोशल एण्ड लाइफ साइन्सेस
Peer-Reviewed Research Journal (ISSN 0973-3914)
UGC Journal (Old) No. 40942 का वार्षिक विशेषांक

© सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज, रीवा

प्रथम संस्करण : 2019

₹ 600.00

प्रकाशक
गायत्री पब्लिकेशन्स
विन्ध्य विहार कालोनी
लिटिल वैम्बिनोज स्कूल कैम्पस
पड़रा, रीवा (म.प्र.) - 486001
फोन : 7974781746
Email- gayatripublicationsrewa@rediffmail.com
www.researchjournal.in

लेजर कम्पोजिंग-
अरविन्द कम्प्यूटर्स, रीवा (म0प्र0)

इस पुस्तक को यथा संभव अद्यतन प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। फिर भी यदि इसमें कोई कभी अथवा त्रुटि रह गई हो तो उससे कारित क्षति अथवा संताप के लिए सम्पादक, लेखक, प्रकाशक एवं मुद्रक का कोई दायित्व नहीं होगा। विद्वत पाठक गण के सुझाव सादर आमंत्रित हैं।

आमुख

विकास कार्य में नारी शक्ति की बहुत भूमिका होती है। नारी शक्ति के बिना विकास की बात अधूरी हो जाती है। सरकार ने पंचायती राज में 50 प्रतिशत आरक्षण देकर नारी सशक्तिकरण में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। चारों दिशाओं से नारी सशक्तिकरण की आवाज बुलंद हो रही है। सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन के प्रयास जारी हैं। महिलाओं के सर्वांगीण विकास में आर्थिक स्वावलंबन पर भी जोर दिया जा रहा है।

किसी राष्ट्र/समाज के सामाजिक–आर्थिक विकास की संकल्पना महिला विकास के बिना सम्भव नहीं है। महिला सशक्तिकरण महिला विकास की तार्किक परिणिति है। भारतीय संविधान के विभिन्न उपबन्धों, पंचायती राज प्रणाली व नगरी निकाय, जेन्डर बजटिंग संकल्पना, विभिन्न सरकारी आयोजनाओं, राष्ट्रीय महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग, सरकारी एवं गैर सरकारी प्रयासों के परिणाम स्वरूप महिला सशक्तिकरण में उत्साहजनक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। यद्यपि अब भी कुछ अन्य क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। नगरीय भारत के उदीयमान जातीय–प्रतिमानों के संदर्भ में महिला सशक्तिकरण की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। महिला सशक्तिकरण के परिणाम स्वरूप यद्यपि चेतना में वृद्धि आयी है, किन्तु जाति–व्यवस्था (जातीय बंधन) शिथिल हुए हैं। समाज में अर्न्तजातीय विवाहों एवं अर्न्तधार्मिक विवाहों का प्रचलन बढ़ा है। आज शिक्षा व प्रशासन के क्षेत्र में दलित महिलाएं आगे आयी हैं तथा राजनैतिक क्षेत्रों में बढ़–चढ़कर भूमिका का निष्पादन सफलता पूर्वक कर रही हैं। दलित महिला आज विभिन्न औद्योगिक संस्थानों के उच्च पद पर आसीन होती दिख रही हैं। आज दलित महिलाएं देश के सामाजिक–आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। आज भारत में वैदिक काल की कुछ अच्छाईयाँ विद्यमान है तो मध्यकाल में उत्पन्न हुई कुछ सामाजिक बुराइयाँ भी अस्तित्व में हैं। स्वतंत्रता के पश्चात् 26 जनवरी 1950 से भारत का अपना संविधान लागू हुआ। संविधान में नारी को पुरुषों के समान अधिकार और अवसर प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। तत्पश्चात् विगत वर्षों में अनेक विधियाँ विनिर्मित की गई ताकि महिलाओं के साथ हो रहे भेद–भाव को समाप्त किया जा सके। किन्तु जब तक भारत के लोग लड़कों के समान लड़कियों की शिक्षा–दीक्षा में ध्यान नहीं देंगे तब तक भारतीय नारी को दैहिक एवं भौतिक तापों से मुक्त नहीं किया सकेगा। सरकार, विधितंत्र ऐसे भेद–भाव को समाप्त करने के लिए कृत संकल्प

है किन्तु अशिक्षा, अंधविश्वास, रूढ़ियाँ और परम्पराएं व्यक्ति को बालक और बालिका के बीच भेद-भाव को दूर करने में बाधक है। यह तभी संभव है जब समाज में शिक्षा का स्तर और दर में वृद्धि हो। शिक्षा और जागरूकता से ही इन व्याधियों से निजात पाया जा सकता है। यह एक संभावना है, किन्तु समाचार पत्र, मीडिया के सभी साधन, मनोरंजन के चैनल्स एवं महानगरीय सभ्यता पश्चिमोन्मुख होने के कारण भारतीय नारी का जो स्वरूप प्रस्तुत कर रहे हैं वह यथार्थ नहीं है। महिलाओं की मानसिकता परिवर्तन ही प्रमुख निदान है। इसी तरह आवश्यकता इस बात की है कि समाज में कन्या भ्रूण हत्या बंद हो। पर यह तभी संभव हो जब गर्भवती माँ, पिता, उसके परिवार के लोग, चिकित्सक और ऐसे सभी चिकित्सकीय केन्द्र मिलकर इसका विरोध करें। कन्या भ्रूण हत्या निरोध ा के लिए कानून एवं ऐसे कृत्य के लिए दण्ड की व्यवस्था है लेकिन लोगों को इसकी जानकारी नहीं है और यदि है, तो उनकी मानसिकता इसके विरोध की नहीं है। परिणाम यह है कि बालिकाओं का अनुपात कम होता जा रहा है। इसलिए इस भयानक स्थिति में परिवर्तन जागरूकता के माध्यम से ही हो सकता है। इसके लिए हमें समाज से दहेज रूपी दानव का अंत करना पड़ेगा। शिक्षा इस कार्य में बेहद सहायक होगी। नशाखोरी भी महिला उत्पीड़न का एक भयानक कारक है। अनेक शोध पत्रों में इन तथ्यों का विश्लेषण किया गया है। महिला सशक्तीकरण के संदर्भ में भी बहुत कुछ लिखा गया है। पर वास्तव में भारत के प्रत्येक राजनीतिक दल संसद में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण की बात स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों में अवश्य ही महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है जिसके सकारात्मक परिणाम हमारे सामने आने लगे हैं।

इस पुस्तक के संपादन कार्य के लिए हम सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज, रीवा के आभारी हैं। हम आशा करते हैं कि यह संदर्भ पुस्तक समाज के लिए उपयोगी सिद्ध होगी।

रीवा **डॉ. शुक्ल अखिलेश**

अनुक्रमणिका

1.	उदीयमान जातीय–प्रतिमानों में दलित महिला सशक्तिकरण की भूमिका **डॉ. अखिलेश शुक्ल**	11
2.	नारी सशक्तिकरण के विविध आयाम **डॉ. निशा गुप्ता**	16
3.	महिला सशक्तिकरण एवं विभिन्न योजनाऐं **डॉ. अमिता सिंघल** **डॉ. दिनेश कुमार सिंघल**	26
4.	नारी बनाम समकालीन नारी **अभिलाषा कुमारी**	32
5.	महिला सशक्तिकरण–एक भ्रम या हकीकत **डॉ. श्रीमती प्रीती पाण्डेय** **रामसिया चर्मकार**	45
6.	भारत में महिला मानवाधिकारों का संरक्षण, सिद्धांत एवं व्यवहार **दुर्गा खत्री**	64
7.	भारत में महिला सशक्तिकरण की स्थिति **डॉ. मधुलिका श्रीवास्तव** **उमेश सिंह**	69
8.	महिला सशक्तिकरण एवं विभिन्न योजनाऐं **डॉ. अमिता सिंघल** **डॉ. दिनेश कुमार सिंघल**	77

9. भारत में महिला सशक्तिकरण 83
डॉ. संध्या शुक्ला, वंदना शर्मा

10. महिला कल्याण योजनाएं और महिला सशक्तिकरण 90
डॉ. शाहेदा सिद्दीकी
महेन्द्र कुमार पटेल

11. समकालीन हिंदी कविता में स्त्री विमर्श 95
निशा मिश्रा
रानी अग्रवाल

12. कार्यरत महिलाओं की भूमिका में बहुलता 101
डॉ. रेखा सेन
प्रो. प्रियंका तिवारी

13. भारत में महिला बेरोजगारी की समस्या एवं सरकारी प्रयास 107
डॉ. वर्षा राहुल

14. महिला सशक्तिकरण एवं शिक्षा 116
डॉ. शाहेदा सिद्दकी
श्रीमती शारदा सोनी

15. राजपूत कालीन उत्तरी भारत में नारी की वैवाहिक स्थिति का ऐतिहासिक विश्लेषण 120
डॉ. जगमोहन सारस्वत

16. महिला सशक्तीकरणः भारत सरकार की योजनाएं 124
डॉ. आरती सिंह

17. महिला सशक्तिकरण में पंचायती राज की भूमिका 128
डॉ. पुष्पा

18. महिला सशक्तिकरण का आर्थिक एवं सामाजिक पक्ष 133
डॉ. (श्रीमती) शाहेदा सिद्दीकी
दीपिका गुप्ता

19. 21 वीं सदी में बालिकाओं का भविष्य 137
वंदना कुमारी

20. महिला सशक्तिकरण ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य 147
वर्तमान दशा तथा भावी दिशाएं
डॉ. सरोजबाला श्याग विश्नोई

21. घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2005 का 155
समाजशास्त्रीय विश्लेषण
डॉ. (श्रीमती) शाहेदा सिद्दीकी
मोनिका श्रीवास्तव

22. महिलाओं मे बढ़ रहा डिप्रेशन–चिंतनीय विषय 159
श्रीमती ज्योति बाला चौबे
डॉ. श्रीमती रुपम अजीत यादव

23. बस्तर जिले में आदिवासी महिला उत्पीड़न का अध्ययन 164
सियालाल नाग

24. पंचायती राज में महिलाओं की भूमिका 171
डॉ. निशा सिंह

25. इक्कीसवीं शताब्दी भारतीय नारी के लिए वरदान 179
डॉ. चेतना दुबे

26. राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण नीति 183
डॉ. संध्या शुक्ला, रश्मि पाण्डेय

27. महिला सशक्तिकरण एवं ग्रामीण महिलाएँ 188
डॉ. (श्रीमती) पूजा तिवारी

28. महिला लेखन : स्त्री अस्मिता का साहित्य 191
डॉ. अंबा शुक्ला

29. महिला सशक्तिकरण का अर्थ व उद्देश्य 198
डॉ. श्रीमती जे. श्याम

उदीयमान जातीय-प्रतिमानों में दलित महिला सशक्तिकरण की भूमिका

* डॉ. अखिलेश शुक्ल

किसी राष्ट्र/समाज के सामाजिक-आर्थिक विकास की संकल्पना महिला विकास के बिना सम्भव नहीं है। दलित महिला सशक्तिकरण महिला विकास की तार्किक परिणिति है। भारतीय संविधान के विभिन्न उपबन्धों, पंचायती राज प्रणाली व नगरी निकाय, जेन्डर बजटिंग संकल्पना, विभिन्न सरकारी आयोजनाओं, राष्ट्रीय महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग, सरकारी एवं गैर सरकारी प्रयासों के परिणाम स्वरूप दलित महिला सशक्तिकरण में उत्साहजनक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। यद्यपि अब भी कुछ अन्य क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। नगरीय भारत के उदीयमान जातीय-प्रतिमानों के संदर्भ में दलित महिला सशक्तिकरण की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। महिला सशक्तिकरण के परिणाम स्वरूप यद्यपि जातीय चेतना में वृद्धि आयी है, किन्तु जाति-व्यवस्था (जातीय बंधन) शिथिल हुए हैं। समाज में अर्न्तजातीय विवाहों एवं अर्न्तधार्मिक विवाहों का प्रचलन बढ़ा है। आज शिक्षा व प्रशासन के क्षेत्र में दलित महिलाएं आगे आयी हैं तथा राजनैतिक क्षेत्रों में बढ़-चढ़कर भूमिका का निष्पादन सफलता पूर्वक कर रही हैं। दलित महिला आज विभिन्न औद्योगिक संस्थानों के उच्च पद पर आसीन होती दिख रही हैं। आज दलित महिलाएं देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। दलित महिला सशक्तिकरण के परिणाम स्वरूप ही नगरीय भारत में उदीयमान जातीय-प्रतिमानों के रूप में - उच्च जाति के लड़के-लड़कियों निम्न जातियों से वैवाहिक सम्बन्धों की अनदेखी कर रहे हैं तथा उनको किसी भी प्रकार का सामाजिक प्रतिरोध नहीं दिख रहा है। मंदिर के धार्मिक कार्यों में दलित महिलाएं भी देखने को मिल रही हैं। दलित महिला सशक्तिकरण के परिणामस्वरूप जातीय पंचायतों के प्रभाव में कमी आयी है। आज दलित महिला आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक इत्यादि क्षेत्रों में काफी आगे आकर देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती दिख रही

---

* प्राध्यापक, समाजशास्त्र विभाग, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा

हैं।''

किसी देश के समग्र विकास के लिए महिला और पुरूष दोनों का समान गति एवं निर्वाध रूप से उन्नति के पद पर अग्रसर होना आवश्यक है। महिलाएं समाज के अभिन्न अंग हैं। अतः सामाजिक-आर्थिक विकास की संकल्पना बिना महिला सहभागिता के अधूरी रह जाती है। किसी समाज या राष्ट्र के विकास में महिलाओं का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उल्लेखनीय योगदान होता है। सभ्यता की आत्मा को समझना तथा उसकी उपलब्धियों व श्रेष्ठता का मूल्यांकन का सर्वोत्तम आधार स्त्रियों की स्थिति का अध्ययन करना है। महिलाएं समाज के अभिन्न अंग हैं। अतः सामाजिक-आर्थिक, विकास की संकल्पना महिला विकास के बिना संभव नहीं है। महिलाओं के विकास को प्राथमिकता देते हुए पं0 जवाहर लाल नेहरू का मानना था कि ''यदि आपको विकास करना है तो महिलाओं का उत्थान करना होगा। महिलाओं का विकास होने पर समाज का विकास स्वतः हो जायेगा।एक स्वस्थ व सभ्य राष्ट्र का निर्माण तभी सम्भव है, जब उस राष्ट्र की महिलाएं स्वस्थ, संस्कारित, शिक्षित व मानसिक रूप से सुदृढ़ हों।''

महिला सशक्तिकरण का आशय- महिलाओं को सक्षम व सामर्थ्यवान बनाने से है। दलित महिला सशक्तिकरण को आर्थिक, राजनैतिक व सामाजिक असमानताओं से उत्पन्न समस्याओं एवं रिक्तियों से निपटने के प्रभावी उपाय के रूप में देखा जा सकता है। महिला सशक्तिकरण महिला विकास की तार्किक परिणति है। महिला विकास के कारण महिलाओं के स्वतंत्र व्यक्तित्व का विकास हुआ। वर्ष 2001 में राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति की घोषणा की गई। जिसका उद्देश्य सामाजिक-आर्थिक नीतियों से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, उनके अधिकारों की रक्षा करना, निर्णय प्रक्रिया तक उनकी पहुंच को सुनिश्चित करना तथा महिलाओं के अनुकूल संस्थागत समर्थन प्रणाली को समर्थ बनाना था। इसी उद्देश्य हेतु जेन्डर बजटिंग की संकल्पना पर बल दिया गया जो सरकार के विभिन्न मंत्रालयों व विभागों द्वारा आवंटित राशि को इस प्रकार से व्यय सुनिश्चित करना था जिससे 1/3 अनुपात में उनके लाभों को महिलाओं के लिए सुनिश्चित किया जा सकें। महिला आरक्षण महिला सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। संविधान का अनुच्छेद 15(3) यह उपबंध करता है कि राज्य अगर चाहे तो महिलाओं एवं बच्चों के विकास के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। इसी के आलोक में 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थानों और नगरीय पालिकाओं को वैधानिक स्वरूप प्रदान किया गया तथा महिला को 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया। महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार इस दिशा में निरन्तर कदम आगे बढ़ारर रही है। 08 मार्च, 2010 को

राष्ट्रपति द्वारा महिला सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय मिशन का शुभारम्भ किया गया, जो महिला सशक्तिकरण हेतु संस्थागत रूपरेखा तैयार करने में सहायक साबित हो रहा है। रोजगार के गारण्टी अभियान के रूप में 'मनरेगा' के तहत भी महिलाओं का ध्यान रखते हुए 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया। सरकार की सबला तथा इन्दिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि एक कल्याणकारी राष्ट्र के रूप में समाज के सभी वर्गों विशेषकर पिछड़े व निर्धनों का चहुमुखी विकास करना राष्ट्र का उत्तरादायित्व है। सबको न्याय, समानता तथा समान अवसरों का अधिकार दिया जाय।

भारत का संविधान दलित महिला सशक्तिकरण हेतु शैक्षणिक व आर्थिक उत्थान करने तथा दलितों की सामाजिक-धार्मिक निर्योग्यताओं को दूर करने हेतु आवश्यक सुरक्षा व संरक्षण प्रदान करता है जो कि निम्नवत् है :-

* दलितों के शैक्षिक व आर्थिक हितों को प्रोत्साहन और सभी प्रकार के शोषण व सामाजिक अन्यायों से उनका संरक्षण हो।
* अस्पृश्यता उन्मूलन तथा इसके किसी भी रूप में प्रचलन पर रोक।
* हिन्दुओं के सार्वजनिक-धार्मिक स्थलों को कानूनी रूप से सभी जातियों व वर्गों के हिन्दुओं के लिए खोलना।
* दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, मनोरंजन स्थलों, कुओं, तालाबों, घाटों, सड़कों, सरकार धन से पूरी तरह या आंशिक रूप से संरक्षित किसी भी स्थान या सार्वजनिक स्थल के उपभोग सम्बन्धी सभी अयोग्यताओं, उत्तरादायित्व, रूकावटों और शर्तों को समाप्त करना।
* दलितों के संरक्षण हेतु आम नागरिकों के भारत के किसी भी स्थान पर आने-जाने, रहने-बसने तथा सम्पत्ति खरीदने बेचने सम्बन्धी अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने की कानूनी व्यवस्था।
* सरकार द्वारा संचालित अथवा सरकारी खजाने से संचालित शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश सम्बन्धी प्रतिबंधों को समाप्त करना।
* लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं में दलित जातियों एवं जनजातियों के लिए विशेष प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करना।
* राज्य के सरकारी नौकरियों में दलितों व जनजातियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने तथा इस सम्बन्ध में उनके दावों पर विचार करने का अधिकार प्रदान करना।
* दलितों तथा जनजातिय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण हेतु विशेष व्यवस्था।
* उनके कल्याण और हितों की रक्षा करने के लिए राज्यों में जनजातीय

सलाहकर परिषदों तथा अलग विभागों की स्थापना और केन्द्र में विशेष अधिकारी की नियुक्ति।

* 65वें संविधान संशोधन अधिनियम 1990 के अनु0 338 के अन्तर्गत नियुक्त किये जाने वाले विशेष अधिकारी के स्थान पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना।
* मनुष्य के व्यापार तथा उनके जबरन मजदूरी कराने पर प्रतिबन्ध लगाना।

इन तमाम संवैधानिक संरक्षणों और मान्यताओं के बावजूद आज भी दलित महिलाओं पर अन्याय व अत्याचार बदस्तूर जारी है। दलित महिलाओं का शोषण उनके वैधानिक उपबन्धों के बावजूद अभी भी थमा नहीं है, बल्कि इनकी संख्या में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही हैं। कहीं उसे गाली-गलौच देकर अपमानित व प्रताड़ित किया जाता है, तो कहीं अदृश्य कारणों से सवर्ण स्त्री-पुरूष द्वारा बाल काट, नंगा कर, मुंह काला कर, गांव-मोहल्लों के गली-चौराहे पर धुमाया जाता रहा है। दलित महिला बाहर ही नहीं अपितु घर के अन्दर दारू के नशे में धुत पति के लात-घूंसं खाती हुई, शारीरिक व मानसिक संत्रास को झेलती नजर आती हैं। समय-समय पर ऐसी घटनाओं आमतौर पर होती हैं, जब महिलाओं के कन्या भ्रूणों को नष्ट कर दिया जाता है। दरअसल दलित महिला शोषण के तह में उसको विरासत में मिली धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक परिस्थितियाँ जिम्मेदार हैं। यदि दलित महिला सशक्तिकरण को अधिक मजबूत बनाना है तो उनके प्रगति के लिए कतिपय सुझाव अपेक्षित हैं :-

* नये स्कूल-कालेजों की स्थापना दलित बस्तियों में हो।
* आवासीय कन्या विद्यालयों वहां होना चाहिए, जहाँ महिला शिक्षक ही हो।
* प्राथमिक शिक्षा, मिडिल शिक्षा व माध्यमिक शिक्षा पर बल दिया जाय।
* शिक्षा को व्यवसाय से जोड़ा जाए।
* अगर आवासीय विद्यालय सम्भव न हो तो स्कूल यूनिफार्म, फीस, खान-पान इत्यादि की व्यवस्था मुफ्त हो।
* लड़की को छोटे भाई-बहनों को पालने की जिम्मेदारी से मुक्त रखते हुये स्कूलों में ही क्रेच आदि की व्यवस्था हो।
* 10वीं पास करते ही दलित महिला को रोजगार की गारण्टी दिया जाय अथवा व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु उसे प्राथमिकता के साथ-साथ कोटा भी निर्धारित हो।
* कुल महिला आरक्षण में दलित महिला का आरक्षण अलग से निर्धारित किया जाय।
* स्वास्थ व बीमा की व्यवस्था हो।

* वयस्क दलित महिला को विशेष प्रशिक्षण के साथ-साथ उसकी आमदनी को बढ़ाने हेतु काम-धन्धों की व्यवस्था तथा वजीफा की व्यवस्था हो।

यद्यपि सरकारी एवं गैर-सरकारी प्रयासों के परिणाम स्वरूप आज दलित महिला सशक्तिकरण की चेतना में काफी वृद्धि देखने को मिल रही है। मानवाधिकार आयोग व राष्ट्रीय महिला आयोग भी दलित महिला सशक्तिकरण की दिशा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज शैक्षणिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में इनकी सहभागिता में वृद्धि देखने को मिल रही है, जिसके परिणामस्वरूप नगरीय भारत में कतिपय नये जातीय-प्रतिमानों का उदय होता दिख रहा है, जैसे- शिक्षा व प्रशासन के क्षेत्र में दलित महिला का आगे आना, राजनैतिक चुनावों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेना, अर्न्तजातीय व अर्न्तधार्मिक विवाहों को करना, व्यवसायिक संगठनों में उच्च पदों पर आसीन होना। फिर भी आज हमारा समाज दलित महिलाओं को सामाजिक संघर्ष की चेतावनी दे रहा है। एक आंकड़े के अनुसार गर्भस्थ से मृत्यु तक महिलाओं को 30 विशेष प्रकार के संघर्ष का सामना करना पड़ता है। ये सभी हैं- भ्रूण-हत्या, शिशु-हत्या, कुपोषण, बाल-विवाह, लड़कियों का लैगिंक शोषण, उपचार, उदासीनता, शिक्षा के असमान अवसर, बलपूर्वक विवाह, बलात्कार, वेश्यावृत्ति, अल्पावधि गर्भधारण, वधु-हत्या एवं वृद्धों की उपेक्षा। इन समस्त संघषों का प्रभाव दलित महिला की सामाजिक स्थिति पर दिखता है। इस दिशा में अभी और प्रयास की आवश्यकता है, जिससे दलित महिला सशक्तिकरण में और अधिक मजबूती आ जाए तथा एक समतामूलक समाज की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो सके।

==========

संदर्भ ग्रंथ सूची-

1. महाजन, डी0बी0 : भारतीय समाजः मुद्दे एवं समस्याएं।
2. अग्रवाल, जी0के0 : सामाजिक समस्याएं।
3. अम्बेडकर, वी0आर0 : हू इज शूद्रा।
4. किंग, डब्ल्यू0यू0जी0 : 'द चमार्स' रिलीजन लाइफ आफ इण्डिया।
5. धन्डा, पूनम : स्टैटस आफ वूमेन इन इण्डिया।
6. शुक्ला, माधवी : स्त्रियों में मानवाधिकार।
7. श्रीवास्तव, ए0आर0एन0 : इण्डियन सोशल प्राबलम्स।
8. सिंह, वीना : मानवाधिकारः भारत में महिलाएं, बच्चे एवं अलग प्रकार से असक्षम लोग।
9. पाण्डेय, ए0के0: ग्रामीण भारत में परिवर्तित जातीय-प्रतिमान।
10. योजना- अप्रैल 2011.
11. कुरूक्षेत्र- मार्च 2015.

नारी सशक्तिकरण के विविध आयाम

* डॉ. निशा गुप्ता

गुणों की खान, शक्ति पुंज, कर्मठ, ममतामयी नारी आज किसी भी प्रकार से पुरूषों से पीछे नहीं है। एक माता, पत्नी, बहिन के साथ-साथ विभिन्न उच्च पदों पर भी नारी ने उड़ान भरी है तथा पूर्णरूप से सफल भी है। प्रारम्भ से लेकर वर्तमान विकास क्रम पर यदि दृष्टि डालें तो नारी सशक्तिकरण में बड़ी तेजी से गति हुई है। यदि नारी को आगे आना है तो उसे अपना रास्ता खुद बनाना हो अपने अधिकारों को स्वयं ही जानना होगा।

'नर कृत शास्त्रो के सब बन्धन
है क्यूं नारी को ही लेकर
अपने लिए सभी सुविधाएँ
पहले ही कर बैठे नर'

नारी सृष्टि की जननी है, यह सार्वभौम सत्य है। लेकिन विडम्बना यह है कि आज भी समाज में नारी और पुरूष के बीच विभेद व्याप्त है। ईश्वर ने जिस नारी को धैर्य, तेज, गम्भीरता, शीतलता, ममत्व इत्यादि गुणों से अलंकृत करके भेजा है। आज वह कही-कही अबला बनकर रह गयी है। हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि वह मातृत्व की गरिमा से सुशोभित है। धार्मिक अनुष्ठान उसकी अनुपस्थिति में पूरा करना सम्भव नहीं है। इसका उदाहरण हम रामायण में भी देख सकते है। सीता हरण के बाद जब श्री रामचन्द्र जी ने यज्ञ किया तो सीता की मूर्ति बनाकर यज्ञ पूरा किया।

गृह की व्यवस्थापिका होने के कारण उसे "गृह लक्ष्मी" नाम से सम्बोधित किया गया। "वास्तव में घर को घर नहीं कहा जाता है, गृहणी को ही घर कहा जाता है। जिस घर में गृहणी नहीं है वह घर जंगल के समान है।" जवाहर लाल नेहरू ने कहा है- "भारत की महिलाओं पर मुझे गर्व है। मुझे उनके सौन्दर्य, आभा, आकर्षण, लज्जा, शालीनता, बुद्धिमत्ता और त्याग की भावना पर नाज है। मै सोचता हूँ कि यदि भारत की भावना का सही मायने में कोई प्रतिनिधित्व कर

---

* एसोसिएट प्रोफेसर, जे0के0पी0 पी0जी0 कॉलेज, मुजफरनगर।

सकता है तो वे भारत की महिलाएँ ही हो सकती है, पुरूष नहीं।"

इस कथन पर दृष्टिपात किया जाये तो स्पष्ट है कि महिलाओं की भूमिका हमारे समाज के लिए महत्वपूर्ण है। परन्तु दुखद है कि समाज में महिला और पुरूष में इतना बडा विभेद पैदा कर दिया है कि स्त्रियाँ अपने अधिकार को पाने में असहाय सी नजर आती है, वह चाहे घर की चार दीवारी में बन्द महिला हो अथवा कामकाजी। पुरूष स्वयं को सशक्त बनाने के लिए अपने अस्तित्व को महिलाओं से ऊँचा दर्जा देने के लिए महिलाओं के अधिकार एवं उनकी स्वतन्त्रता छीनने में पीछे नहीं है। यदि हम अपने समाज को विकसित एवं उन्नतिशील देखना चाहते है तो हमें नारी के मूल्यों को समझना होगा तथा इसे क्रियान्वित भी करना होगा क्योंकि नारी गुणों की खान है। बुद्धि एवं सूझबूझ उसमें कूट-कूट कर भरी होती है।

महिलाएँ समाज में पुरूष वर्ग से क्यों पिछड़ रही है इस पर हमें गम्भीरता से विचार करना होगा। यदि गौर किया जाये तो इसके लिए कहीं हद तक समाज ही जिम्मेदार है। संयुक्त परिवारों में पुरूष परिवार का मुखिया माना जाता है। सम्पत्ति पर भी प्रथम अधिकार उसी का होता है। यदि किसी स्त्री के पुत्र पैदा होता है तो बडे ही गर्व की बात समझी जाती है। वर्षो से सामाजिक कष्टों को सहन कर रही महिला अपने कन्या भ्रूण तक को अपनी इच्छा से सुरक्षित नहीं रख सकती है। इसके लिए भी पुरूष की सहमति में भागीदारी होती है। इन सबके लिए जहाँ महिलाएँ पुरूष को जिम्मेदार ठहराती है कहीं हद तक खुद भी जिम्मेदार है। एक तो उनका अशिक्षित होना उनके मार्ग में बाधक सिद्ध हो रहा है, दूसरा सामाजिक कुरूतियों के लिए भी महिलाएँ ही जिम्मेदार है। बहु से दहेज मांगने के लिए स्वयं सास के रूप में महिला ही उसके पति को आगे करती है तथा नारी पर अत्याचार करवाती है। अर्थोपार्जन के लिए यदि महिला बाहर कोई कार्य करती है तो उस पर भी पुरूष का ही अधिकार होता है। अपनी इच्छा से उसमें से खर्च करने का भी कोई अधिकार नहीं होता। शहरों की महिलाएँ तो फिर भी शहरों में शिक्षा, समाज सुधार के आन्दोलनों के कारण काफी हद तक जागरूक है लेकिन ग्रामीण अंचल की महिलाओं में अभी भी चेतना बाकी है।

महिलाओं को यदि स्वयं के अधिकारों के लिए लड़ना है तो उसे स्वयं के अस्तित्व को पहचानना होगा एवं आगे आना होगा। आर्थिक दृष्टि से तो नारी अभी भी पुरूष पर आश्रित है। उसे रोजगार के साधन खोजकर स्वयं पैरो पर खड़े होना होगा। सरकार की तरफ से भी अनेको स्वरोजगार योजना चलाई जा रही है। 1993 में महिलाओं के उत्थान के लिए "महिला कोष" की स्थापना भी की गई है। यह संस्था जरूरतमंद महिलाओं को स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से रोजगार

परियोजना चलाने के लिए कर्ज देती है, ताकि महिलाएँ भी जीविकोपार्जन का कोई साधन खोज सकें। सामाजिक दृष्टि से भी उसे आगे आना होगा। समाज में अपना अस्तित्व कायम रखने के लिए पुरूषो से किसी प्रकार पीछे नहीं रहना है। महिलाओं को राजनैतिक क्षेत्र में भी आगे बढ़ना आवश्यक है। इससे महिलाओं को अपने अधिकार एवं कर्तव्यों की जानकारी होगी। इससे नेतृत्व की भावना जागृत होती है। किसी भी देश की उन्नति नारियों पर भी निर्भर करती है।

"नैपोलियन बोनापोर्ट ने कहा था - तुम मुझे एक योग्य माता दे तो मै तुम्हें एक योग्य राष्ट्र दूंगा।"

आज के इस बदलते परिवेश में नारी के सन्दर्भ में विचार करने से पहले हमें पूर्व प्राचीन एवं मध्यकालीन नारी समाज पर दृष्टिपात करना आवश्यक है। वैदिक कालीन नारी की स्थिति उच्च थी। "वैदिक युग में विद्याभ्यास आरम्भ करने के निमित्त अनिवार्य माना जाने वाला उपनयन संस्कार कन्याओं का भी किया जाता था तथा वेद पठन-पाठन की भी स्वतन्त्रता थी। छात्राएँ दो भागों में विभाजित की गयी थी - ब्रह्म वादिनी तथा सहयोग वादिनी। ब्रह्मवादिनी छात्राएँ अधिकांशतः तत्व ज्ञान में ही रहती थी जबकि सघोघा 15-16 वर्ष की आयु तक अभ्यासरत रहती थी। मैत्रयी, आत्रेयी, गार्गी आदि नाम विदूषी नारियों की कीर्ति गाथा विश्वभर में प्रसिद्ध है। स्त्री शिक्षकों को उपाध्याया तथा गुरूपत्नि को उपाध्यायिनी कहा जाता था।

मध्यकाल में कन्याओं की उच्च शिक्षा धनी परिवारों तक ही सीमित थी। मध्यकालीन भारत में नारी की स्थिति दिनों-दिन खराब होती गयी। इसका प्रमुख कारण बाह्य आक्रमण एवं समाज का आर्थिक दृष्टि से कमजोर होना था। मुगलकाल में प्रशासनिक रूप से रजिया सुल्तान का नाम प्रसिद्ध हुआ, लेकिन समाज ने उन्हें जो तिरस्कार एवं यातनाएँ दी वे समाज में नारी के प्रति तुच्छ दृष्टिकोण को ही उजागर करती है। यह वहीं समय था जब राजस्थान में लड़कियों को जन्म लेते ही मार दिया जाता था। माँ अपनी ममता का गला घोटकर आँसू भी पी जाती थी। आज के समाज में भी नारियों की गिरती स्थिति के कारण कन्या भ्रूण हत्या का सिलसिला जारी है। इसे रोकने के लिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा।

आज की नारी प्रशासनिक कार्यो से लेकर राजनीतिक क्षेत्र तक अपना कदम बढ़ाये हुए है। चिकित्सा, खेल, इंजीनियरिंग, वैज्ञानिक क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र आदि सभी में अपना स्थान बनाए हुए है। नारी प्रत्येक क्षेत्र में अपना पूरा सहयोग प्रदान करती है।

नारी
अभी तुमको आगे बढ़ना है
अभी तुमको और सम्भलना है।
बाबा की तुम तो आहें हो
पापा की तुम ही राहें हो
भैया की तुम ही बाहें हो
तुम्हे सबको लेकर चलना है
अभी तुमकों और सम्भलना है।

देश के विकास क्रम पर यदि दृष्टिगत किया जाये तो हम पाते है कि जिस क्षेत्र में कभी पुरूषों का ही वर्चस्व होता था वहाँ पर नारी ने भी हिस्सा लेकर अपनी कार्य क्षमता का परिचय दिया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, संगीत एवं अन्य विभिन्न व्यवसायों में अपनी कार्य क्षमता को सिद्ध करने वाली महिलाएँ आज भी राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ने में उदासीन है। इसके निम्न कारण सामने आये है। इसका एक कारण मनोवैज्ञानिक भी हो सकता है। शैशव काल से ही महिला हेतु असुरक्षा की भावना को पैदा कर दिया जाता है। वह भाई एवं पिता की बैसाखियों को पकड़ कर ही घर की चार दीवारी से बाहर कदम रखती है। भविष्य में उसे अपने लक्ष्य निर्धारित करने में भी परिवार पर आश्रित होना पड़ता है। जनप्रतिनिधि बनने के लिए तो साहस एवं स्वतन्त्र निर्णय लेने की क्षमता आवश्यक है परन्तु महिलाओं में इस तरह की क्षमता पुरूषो की अपेक्षा कम ही होती है। क्षमता होती भी है तो भी वह पुरूष पर ही आश्रित होती है उसे स्वयं निर्णय लेने का अधिकार नहीं होता है।

सामाजिक कारण–

महिलाओं के आगे बढ़ने में कभी समाज की बाधक सिद्ध होता है वैसे तो नारी की स्वतन्त्रता एवं समानता की बातें बहुत जोर-शोर से होती है, लेकिन जब कभी किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने का वह प्रयास करती है तो उसे पीछे धकेल दिया जाता है। अधिकांशतर पुरूष एवं महिलाएँ, महिलाओं की परम्परावादी घरेलू छवि की ही अधिक पक्षधर होती है।

आर्थिक कारण–

आर्थिक दृष्टि से महिलाओं को पुरूष पर निर्भर रहना पड़ता है यहाँ तक कि कामकाजी महिलाएँ भी स्वेच्छा से खर्च करने में स्वतंत्र नहीं होती है। महिलाओं का सार्वजनिक जीवन भी अधिक व्यापक नहीं होता। विपुल धनराशि के बिना चुनाव को भी जीतना असम्भव है। सामान्यत: विधायकों को चुनाव में जीतने के लिए तीन प्रकार के व्यय करने पड़ते है

1. उम्मीदवार द्वारा स्वयं किया गया व्यय।
2. समर्थको द्वारा व्यय किया गया धन।
3. राजनैतिक दलों द्वारा व्यय किया गया धन।

अधिकतर महिलाएँ तीनों ही प्रकार के धन जुटाने में असमर्थ रहती है इसलिए निर्वाचन में विजयी होना कठिन हो जाता है। विधानसभा में महिलाएँ यदि है या तो राजवंश से सम्बन्धित है या धनी परिवार की महिलाएँ है। आम नारियों को विधानसभा में प्रवेश पाना कठिन है।

राजनैतिक कारण–

यदि राजनैतिक क्षेत्र में आगे बढ़े तो भी पुरूषो का वर्चस्व महिलाओं से अधिक है। राजनैतिक दल महिलाओं को अपना उम्मीदवार नहीं बनाते। शीर्ष दों पर प्रायः पुरूष ही होते है। निर्दलीय महिला प्रत्याशी की संख्या निरन्तर बढ़ोत्तरी पर है। राजनैतिक प्रत्याशी दलों में महिला प्रत्याशियों की संख्या कम ही है। राजनीति के क्षेत्र में निरन्तर बढ़ते अपराध चरित्र हनन, भ्रष्टाचार आदि के कारण सभ्रान्त परिवार की महिलाएँ इस ओर कदम बढ़ाने का साहस नहीं जुटा पाती है।

शैक्षणिक कारण–

राजनीति में आगे आने के लिए किसी भी क्षेत्र में यदि महिलाओं को आगे कदम रखना है तो शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ना होगा। अधिकांश महिलाओं को संविधान द्वारा दिये गये अधिकारों की कोई जानकारी नहीं है। इसी अज्ञानता के कारण महिलाएँ पराधीन है। अपने ऊपर किये जाने वाले अत्याचारों से वे समझौता कर लेती है। जो महिलाएँ शैक्षणिक क्षेत्र में आगे कदम बढ़ा रही है, कामकाजी हैं, वे बढ़ते अत्याचार एवं हिंसा के कारण किसी भी सामाजिक कार्य में आगे आने से डरती है। राजनीति के क्षेत्र को भी दूषित मानती है।

स्त्री शिक्षा को निःशुल्क किये जाने से नारी शिक्षा में बढ़ोत्तरी हुई है। देश में कामकाजी महिलाओं का प्रतिशत बढ़ रहा है। नारी में आत्मबल शिक्षा के कारण ही जागृत होता है। इसी आत्मबल के सहारे वह राजनीति के क्षेत्र में भी आगे कदम रख रही है।

पहले राजनीति में प्रवेश करने वाली महिलाएँ राजवंश की होती थी लेकिन आज मध्यम वर्गीय पढ़ी-लिखी आम स्त्रियाँ भी राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। उनका इस क्षेत्र में उठाया गया कदम नारी में स्वावलंबन एवं जागृति पैदा करता है।

इतिहास गवाह है कि 19वीं शताब्दी में बंगाल में राजा राममोहन राय, ईश्वरचन्द विद्यासागर, दयानन्द सरस्वती के नेतृत्व में महिला उत्पीड़न के खिलाफ सशक्त आन्दोलन चलाये गये ताकि महिलाओं की स्थिति में सुधार लाया जा सकें,

जिसके फलस्वरूप 1830 में सतीप्रथा निषेध अधिनियम और 1856 में विधवा विवाह अधिनियम पारित किया गया। 1877 में कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा प्रथम बार लड़कियों को मैट्रिक की परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की गयी। 1917 में एनी बेसेंट की अध्यक्षता में विमेन इण्डिया एसोसिएशन की स्थापना हुई जिसमें नारी शिक्षा एवं राजनीति में उनका प्रवेश आदि मुद्दो पर विचार किया गया। 1925 में सरोजनी नायडू के नेतृत्व में नेशनल काउंसिल ऑफ विमेन बनी, जिसको इन्टरनेशनल काउंस्लिंग ऑफ विमेन से जोड़ा गया। 1927 में अखिल भारतीय महिला परिषद बना जिसमें स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया गया तथा बाल विवाह, बहुविवाह आदि मुद्दों को रखा गया। 1930 में गॉधी जी के आग्रह पर नमक सत्याग्रह में हजारों महिलाओं ने भाग लिया, इसमें करीब 17 हजार औरतों को गिरफ्तार भी किया गया। 1941 में देश की करीब पॉच हजार औरतो ने पर्दाप्रथा के विरूद्ध आयोजित आन्दोलन में भाग लिया। 1942 में भारत छोड़ो आन्दोलन में गॉधी जी ने अपना सहयोग प्रदान किया। पुरूषो के साथ कदम से कदम मिलाकर वे इस आन्दोलन में कूद पड़ी। देशभक्ति के भावों को आत्मसात किये इन महिलाओं ने विदेशी कपड़ो की बिक्री के खिलाफ प्रदर्शन किये एवं अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए जेल भी गई। ऐसी असंख्या विरांगणायें है, जिनका नाम हमारे देश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। 1950 में संविधान बना जिसमें महिलाओं को पुरूषों के बराबर शिक्षा, नौकरी, सम्पत्ति एवं वोट के अधिकार प्रदान किये गये। 1956 में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन हुआ जिसके अन्तर्गत माता-पिता की अर्जित सम्पत्ति पर बेटियों को भी बेटो के बराबर हक प्रदान किया गया। 1961 में दहेज निषेध अधिनियम पास हुआ। 1983 में बलात्कार विरोधी अधिनियम तथा 1986 में औरतो का अमर्यादित निषेध कानून पारित किया गया। 1974 में महिलाओं की स्थिति की जॉच के लिए एक कमैटी का गठन किया गया, जिसका शीर्षक था ''समानता की ओर''। यह योजना भारत की महिलाओं के उत्थान में बडी ही लाभदायक सिद्ध हुई। छठी पंचवर्षीय योजना जो 1980-85 में चलाई गयी उसने भी महिला विकास में एक नया अध्याय जोड़ा। 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोजन का गठन हुआ। 1993 में महिलाओं के उत्थान हेतु तीन योजनाएँ बनाई गयी 1- पंचायत में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण, 2- महिला समृद्धि योजना एवं 3- राष्ट्रीय महिला कोष।

सातवें दशक में नक्सलवादी किसान आन्दोलन चला जिसमें महिला श्रमिकों की कम मजदूरी एवं उनके शोषण के खिलाफ आवाज उठाई गई। इस आन्दोलन में कई महिलाओं ने अपनी जान की बाजी लगा दी। 1975-1984 में

पूरे दशक को अर्न्तराष्ट्रीय महिला दशक के रूप में घोषित किया गया तथा महिला एवं बाल विकास की योजना भी चलाई गई। पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत शहरी व ग्रामीण महिलाओं की शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और परिवार नियोजन आदि पर विशेष जोर दिया गया। 1971 में दिल्ली की 30 महिला संस्थाओं ने मिलकर दहेज के लिए होने वाली हत्याओं के खिलाफ जंग छेड़ी जिसके परिणामस्वरूप दहेज निषेध अधिनियम में संशोधन के साथ-साथ अपराध कानून में धारा 498ए को जोड़ा गया, जिसमें यदि शादी के सात साल तक ससुराल वाले बहु को दहेज के विरोध में सताते है तो शिकायत किये जाने पर ससुराल वालों को तीन साल की सजा दी जायेगी एवं जुर्माना भी भरना होगा।

नारी की स्थिति सुधारने के लिए कानूनों का सहारा लिया गया तथा अनेको नियम बनाये गये।

1. सती प्रथा निषेध अधिनियम
2. बाल विवाह निषेध अधिनियम
3. हिन्दू विधवा पुर्नविवाह अधिनियम
4. हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम
5. दहेज निरोधक अधिनियम
6. महिलाओं एवं कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम
7. हिन्दू विवाह तथा विवाह विच्छेद अधिनियम

जैसे ही भारत आजाद हुआ एवं भारतीय संविधान बना, संविधान के अनुच्छेद 14 के अन्तर्गत महिलाओं को पुरूषों के बराबर ही अधिकार दिये गये वह चाहे आर्थिक क्षेत्र हो अथवा राजनैतिक एवं सामाजिक। अनुच्छेद 15 के द्वारा अवसर की समानता प्रदान की गयी।

अनुच्छेद 39 के द्वारा राज्य अपनी नीतियों के द्वारा महिला एवं पुरूष दोनो के लिए रोजगार के समान अवसर निश्चित करेगा एवं समान कार्य के समान वेतन भी निर्धारित होगा। अनुच्छेद 51 अपमानजनक प्रथाओं को त्यागने पर विवश करता है जो महिलाओं में हीन भावना पैदा करते है।

महिलाओं के अधिकार की रक्षा के लिए राज्य द्वारा विशेष अधिनियम एवं अध्यादेश की व्यवस्था की गई जैसे -

हिन्दू विवाह अधिनियम-

इसमें शादी के समय लडकी की उम्र 18 वर्ष तथा लडके की उम्र 21 वर्ष निधारित की गयी। यह भी निर्धारित किया गया कि पति-पत्नी की दूसरी शादी तब तक सम्भव नहीं होगी जब तक पहली शादी तलाक द्वारा विघटित नहीं की जायेगी।

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम –

इसमें महिलाओं को पिता की सम्पत्ति में पुरूषो के समान हक प्रदान किया गया है, लेकिन पूर्वजों की सम्पत्ति में बेटी को हक नहीं दिया गया है।

दहेज निषेध अधिनियम –

इसके अन्तर्गत दहेज लेने को अपराध घोषित किया गया है। इस प्रकार के अपराध के लिए 5 वर्ष के कारावास एवं 15,000 रूपये जुर्माना निश्चित किया गया है। यदि शादी के बाद सात साल के अन्तर्गत किसी महिला की मृत्यु हो जाती है और उसकी शिकायत दर्ज करायी जाती है तो ससुराल पक्ष को तीन वर्ष की जेल होगी एवं जमानत की भी छूट नहीं है।

सतीप्रथा निषेध अधिनियम –

यदि किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती है एवं उसे सती होने के लिए उकसाया जाता है तथा पति की चिता में जलने के लिए मजबूर किया जाता है तो वह नियम कठोर दण्ड की व्यवस्था करता है।

गोद लेना और निर्वाह भत्ता अधिनियम –

गोद लेना अधिनियम नियम की धारा 7 द्वारा एक हिन्दु पुरूष या महिला, पुत्र एवं पुत्री दोनो में से किसी को भी गोद ले सकती है। निर्वाह भत्ता अधिनियम के अन्तर्गत यदि पुरूष अपनी पत्नी का परित्याग कर देता है या उसके साथ क्रूरता एवं दुष्टतापूर्ण व्यवहार करता है या दूसरी शादी कर लेता है तो उसे पहली पत्नी को निर्वाह भत्ता देना पड़ेगा, जो पति की आमदनी का तीन में से एक हिस्सा होगा।

समान मजदूरी अधिनियम –

समान मजदूरी अधिनियम में भी पुरूष एवं महिला दोनो को समान कार्य समान वेतन की व्यवस्था की गयी है।

वेदी एवं सीजर कर्मचारी अधिनियम –

धारा 11(1) के अन्तर्गत प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्र में जहॉ 50 से 30 महिला कर्मचारी कार्य कर रही है वहॉ पर छह वर्ष तक के बच्चो के लिए कमरों की सुविधा प्रदान करने का भी नियम है।

दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम –

इस नियम के अन्तर्गत वयस्क पुरूष एवं महिलाओं से सुबह 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही कार्य लिया जा सकता है। जहॉ रात्रि में 10 बजे के बाद कार्य होता है वहॉ पर महिलाओं से कार्य कराना वर्जित है।

महिलाओं का अश्लील प्रदर्शन निषेध अधिनियम –

इस कानून के द्वारा महिलाओं के शरीर की नुमाईश लगाने वालो के

खिलाफ कानून बनाये गये है। कोई भी व्यक्ति ऐसे विज्ञापनों को प्रकाशित नहीं कर सकता है जो औरतों के अपमानजनक एवं अभद्र शारीरिक प्रदर्शन को दर्शाता हो। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जुर्माना एवं जेल की सजा का प्रावधान है।

मुस्लिम महिलाओं के तलाक से सुरक्षा अधिनियम –

इस नियम के अनुसार ऐसी मुस्लिम महिलाओं को जो तलाकशुदा है, उन्हें निम्न हक प्रदान किये गये है -

1. इदत्त की अवधि तक का निर्वाह भत्ता।
2. देन मेहर की रकम।
3. लड़की की शादी में जितना धन दिया गया हो।
4. बच्चो के खाने का दो वर्ष तक का खर्चा।

बलात्कार विरोधी अधिनियम –

इस अधिनियम में जेल की सत्ता का प्रावधान है इसमें अधिकतम सजा उम्र कैद भी हो सकती है। सामान्य मुकदमें में सात वर्ष की सजा की व्यवस्था की गयी है।

घरेलू हिंसा विरोधी अधिनियम –

इस अधिनियम के अन्तर्गत यदि किसी भी व्यक्ति को मानसिक रूप से परेशान किया जाता है या स्वास्थ्य, आर्थिक, भावनात्मक किसी भी रूप में नुकसान पहुँचाया जाता है तो ऐसी हिंसा के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी जा सकती है।

भ्रूण हत्या निषेध कानून –

किसी गर्भ में पल रहे शिशु का लिंग पता कराकर गर्भपात कराना कानूनी अपराध है। भ्रूण की जॉच करने वाले चिकित्सक को भी पॉच वर्ष तक की जेल की सजा एवं 50 हजार रूपये जुर्माना का प्रावधान है।

सूचना अधिकार अधिनियम –

यह अधिनियम पूरे देश में लागू हो गया है। अब आम आदमी को भी सूचना पाने का अधिकार है। सूचनाधिकार आर0टी0आई0 अधिनियम व्यक्ति को सरकार से उन सूचनाओं की जानकारी का आधार प्रदान करता है जो समाज में भ्रष्टाचार फैलाती है। किसी भी क्षेत्र में चल रहे गलत कार्यो के लिए हम सूचना पाने के अधिकारी हैं। इस तरफ महिलाओं को भी जागरूक रहना चाहिए।

इन सभी क्षेत्र में जागरूक होने के लिए महिलाओं को सर्वप्रथम स्वास्थ्य एवं शिक्षा के प्रति जागरूक होना है। कुपोषण एवं स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही के कारण औरतों की मृत्यु दर पुरूषो की अपेक्षा ज्यादा है। शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाये तो आज भी महिलाएँ, पुरूषों की अपेक्षा पीछे हैं।

हमारे देश में 75.85 प्रतिशत पुरूष साक्षर है, जबकि महिलाओं में साक्षरता केवल 54.16 प्रतिशत ही है।

शिक्षा नारी उत्थान का एक सशक्त माध्यम हैं। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक विकास के लिए महिलाओं को साक्षर होना अति आवश्यक है। अशिक्षित महिला को जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में असुविधा होती है। सरकार द्वारा आज महिलाओं को साक्षर बनाने के लिए नई-नई सुविधाएँ दी जा रही है। केवल उसके प्रति जागरूक होने की जरूरत है। नारी को साक्षर करने का अर्थ राष्ट्र को साक्षर करना है।

"औरतों की स्थिति में सुधार लाये बिना विश्व का कल्याण सम्भव नहीं है। एक पंख से चिड़िया उड़ान नहीं भर सकती है।" स्वामी विवेकानन्द।

अतीत के गौरव को वापिस लाने के लिए खोये हुए मानवीय मूल्यों को पुर्नजीवित करने के लिए परिवार, समाज एवं राष्ट्र को समर्थ बनाने के लिए नारी के स्तर में सुधार लाना आवश्यक है। इसके नाम के सामने से अबला शब्द हटाकर सबला शब्द जोड़ना होगा।

==========

संदर्भ ग्रंथ सूची-

1. रेणु दीवान, आजादी की महिलाएँ
2. श्रीमती मंजू शर्मा, भारतीय राजनीति में महिलाओं का योगदान
3. नीरा देसाई, भारतीय समाज में नारी
4. राकेश द्विवेदी, महिला सशक्तिकरण चुनौतियॉ एवं रणनीतियाँ
5. Doranne Jacobson Susans Wadley Women in India two perspectives
6. मान चंद खण्डेला, समाज और नारी
7. डा0 ज्ञान प्रकाश गौतम, महिला सशक्तिकरण एवं वैश्वीकरण।

महिला सशक्तिकरण एवं विभिन्न योजनाऐं

* डॉ. अमिता सिंघल
** डॉ. दिनेश कुमार सिंघल

सारांश– पूरे विश्व में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को रोका जाये और औरतों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाये।

केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के सभी मंत्रालय महिला और बाल विकास के केन्द्रीय/राज्य विभागों तथा राष्ट्रीय/राज्य महिला आयोगो से परामर्श के माध्यम से इस नीति को ठोस कार्यवाइयों का रुप देने के लिए समय बध्य कार्ययोजना तैयार करेगें।

बेहतर आयोजना और कार्यक्रम निर्माण एवं संसाधनों के पर्याप्त आवंटन में सहायता प्रदान करने के लिए विशिष्टता प्राप्त एजेंसियों के साथ नेटवर्किंग करके जेंडर विकास सूचकांक (जी.डी.आई.) तैयार किए जायेंगे। इनका गहनता से विश्लेषण तथा अध्ययन किया जाएगा। जेंडर लेखा परीक्षा एवं मूल्यांकन तंत्र विकसित करने का कार्य भी साथ-साथ किया जाएगा।

सरकार महिलाओं के समग्र विकास के लिए काफी लम्बे समय से प्रयास करती आ रही है। इन योजनाओं के कारण महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है एवं इन योजनाओं के सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं।

महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं के अंदर की क्षमता को समझते हुए उन्हें उनके फैसले खुद करने देने का अधिकार (वुमन इम्पॉवरमेन्ट) पूरे विश्व में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को रोका जाये और औरतों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाये।

महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि उनकी वर्षों से

==========

* प्राध्यापक, रसायन, शासकीय कालिदास कन्या स्नात. महाविद्यालय उज्जैन
** प्राध्यापक, वाणिज्य, शासकीय कालिदास कन्या स्नात. महाविद्यालय उज्जैन

दबी हुई आवाज को उठाना, महिला समाज के आर्थिक एवं मानसिक विकास पर ध्यान देना जिससे वे अपनी जिम्मेदारी पुरूषों के कंधे से कंधा मिला कर उठा सके। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, यदि महिला आर्थिक रूप से सशक्त होगी तो अपनी सामाजिक सुरक्षा और अधिकारों के लिए स्वयं खड़ी हो सकती है।

कुछ वर्षों पूर्व विश्व आर्थिक मंच की तरफ से ग्लोबल जेंडर इंडेक्स नामक एक आयोजन किया गया था जिसमें सभी राष्ट्रों की लैंगिक समानता को दर्शाया गया था वहाँ भारत का स्थान 87 वां था।

राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति 2001

जेंडर समानता का सिद्धान्त भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों एवं नीति निर्देशक सिद्धान्तों में प्रतिपादित है। हमारा संविधान महिलाओं को न केवल समानता का दर्जा प्रदान करता है अपितु राज्य की महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव के उपाय करने की शक्ति भी प्रदान करता है।

केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के सभी मंत्रालय महिला और बाल विकास के केन्द्रीय/राज्य विभागों तथा राष्ट्रीय/राज्य महिला आयोगो से परामर्श के माध्यम से इस नीति को ठोस कार्यवाइयों का रुप देने के लिए समय बध्य कार्ययोजना तैयार करेगें । योजना में निम्नलिखित को विशिष्ट रुप से शामिल किया जायेगा-

1. प्राप्त किए जाने वाले मापेय लक्ष्य
2. संसाधनों का पता लगाना एवं वचनबद्धता
3. कार्रवाई संबंधी बिन्दुओं के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी
4. कार्रवाई संबंधी बिन्दुओं तथा नीतियों की दक्ष निगरानी समीक्षा तथा जेंडर प्रभाव मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए संरचनाएं तथा तंत्र।
5. बजट संबंधी प्रक्रिया में जेन्डर परिप्रेक्ष्य की शुरूआत करना।

बेहतर आयोजना और कार्यक्रम निर्माण एवं संसाधनों के पर्याप्त आवंटन में सहायता प्रदान करने के लिए विशिष्टता प्राप्त एजेंसियों के साथ नेटवर्किंग करके जेंडर विकास सूचकांक (जी.डी.आई.) तैयार किए जायेंगे। इनका गहनता से विश्लेषण तथा अध्ययन किया जाएगा। जेंडर लेखा परीक्षा एवं मूल्यांकन तंत्र विकसित करने का कार्य भी साथ-साथ किया जाएगा।

कानून –

1. कानून के कारगर क्रियान्वयन को बढ़ावा दिया जायेगा।
2. यदि आवश्यक होगा तो उपयुक्त परिवर्तन किए जायेंगे।

3. लिंग संबंधी अत्याचारों पर कानूनी उपबंधों का कड़ाई से प्रवर्तन तथा शिकायतों का शीघ्र निवारण होगा।
4. महिला कर्मचारियों के संरक्षण एवं समान पारिश्रमिक अधिनियम एवं न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जैसे कानूनों का कड़ाई से प्रवर्तन हो इसके उपाय किए जाएंगे।
5. महिलाओं के विरूद्ध अपराधों, घटनाओं एवं उनके निवारण, जाँच पता लगाने एवं अभियोजन की नियमित रूप से पुनरीक्षा की जाएगी।
6. पुलिस स्टेशनों में महिला प्रकोष्ठों, महिला पुलिस स्टेशन, परिवार न्यायालयों को प्रोत्साहन, महिला न्यायालयों परामर्श केन्द्रों, कानूनी सहायता केन्द्रों एवं न्याय पंचायतों को सुदृढ़ किया जाएगा एवं विस्तार किया जायेगा।
7. विशेष रूप से तैयार किए गये साक्षरता कार्यक्रमों एंव सूचना के अधिकार कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं के कानूनी अधिकारों, मानवाधिकारों तथा अन्य ईकाईयों के सभी पहलूओं पर सूचना का व्यापक प्रसार-प्रचार किया जायेगा।

भारत सहित दुनिया भर के देशों में कई प्रकार की योजनाओं के द्वारा महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया जा रहा है। ये योजनाएँ कमजोर एवं पीड़ित महिलाओं की आवाज उठाने में मदद कर रही है। कुछ प्रमुख महिला सशक्तिकरण की योजनाएँ निम्न है -

1. **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ**– बालिकाओं के अस्तित्व, संरक्षण और शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस योजना की शुरूआत की गई। महिला देश की आबादी का आधा हिस्सा है। राष्ट्र के विकास के इस महान कार्य में महिलाओं को शिक्षित एवं आर्थिक रूप से समृद्ध करने के लिए है। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, मानव संसाधन एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का संयुक्त उपक्रम है। ऐसी लड़कियां जिनकी पढ़ाई किसी वजह से रूक गई है, उन्हें पढ़ाई के लिए प्रेरित करना है एवं लिंगानुपात के मुद्दे के प्रति लोगों को जागरूक करना है।

2. **सुकन्या समृद्धि योजना**– बेटियों के भविष्य के लिए पैसे जोड़ने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना एक अच्छी स्कीम है। इसमें PPF की तुलना में ज्यादा ब्याज मिलता है। अपनी 10 साल की बेटी के लिए खाता खुलवाने पर 8. 1 प्रतिशत ब्याज मिलेगा उसके 21 साल का होने पर खाता मेच्योर हो जाता है।

3. **महिला ई–हाट**– महिला उद्यमी ई-हाट द्वारा पूरे देश में अपने उत्पादों को बेच सकती है, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सकती है।

4. **उज्ज्वला योजना**– इस योजना के माध्यम से गरीबी की रेखा के

नीचे रह रही महिलाओं को एल.पी.जी. कनेक्शन उपलब्ध करवाये जाते हैं। महिलाओं के स्वास्थ्य की रक्षा के साथ वायु प्रदूषण एवं वनों की कटाई भी कम होगी।

5. **महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम**– महिलाओं को रोजगार दक्षता एवं कौशल प्रदान करने के लिये प्रशिक्षण एवं दक्षता प्रदान करना। इसके लिये कृषि, बागवानी, खाद्य प्रसंस्करण, हथकरघा, सिलाई, कढ़ाई, जरी, हस्तशिल्प, कम्प्यूटर, आई.टी. एवं कार्यस्थल के लिए सॉट स्किल्स जैसे रत्न एवं आभूषण, यात्रा और पर्यटन एवं आतिथ्य जैसे कार्यों के लिये प्रशिक्षित करना।

6. **स्वाधार गृह**– यह योजना जरूरतमंद महिलाओं को आश्रय, भोजन, कपड़े एवं देखभाल प्रदान करती है।

(क) **वन स्टॉप सेन्टर स्कीम**– हिंसा की शिकार महिलाओं को शरण देने के लिए पुलिस डेस्क, कानूनी, चिकित्सा, परामर्श सेवाएँ देने का काम किया जाता है। इस योजना के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नम्बर 181 है।

(ख) **वर्किंग वूमन होस्टल**– काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षित आवास, उनके बच्चों की देखभाल प्रदान करना जहाँ जरूरत की सभी चीजें आसपास हों व रोजगार के अवसर मौजूद हों।

(ग) **नारी शक्ति पुरस्कार**– सन् 1999 में महिलाओं और उनकी संस्थाओं द्वारा नारियों के लिए किये गये सेवा कार्य को मान्यता प्रदान करने नारी शक्ति पुरस्कार की स्थापना की।

7. **महिला शक्ति केन्द्र**– नवम्बर 2017 में केन्द्र सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिये महिला शक्ति केन्द्र नाम की योजना शुरू की जिसके तहत 640 जिलों में ये केन्द्र खोले जायेंगे 2019 तक 440 केन्द्र बनाने का लक्ष्य था लेकिन अभी तक 24 केन्द्र ही बने हैं। इनकी फंडिंग केन्द्र एवं राज्य के बीच 60:40 के अनुपात में होगी। उत्तर-पूर्व के राज्यों एवं विशेष श्रेणी के राज्यों के लिये यह अनुपात 90:10 होगा। केन्द्र शासित प्रदेशों के लिये 100 प्रतिशत वित्त पोषित होगा। गौरतलब है कि महिला शक्ति केन्द्र की स्थापना के लिए 115 सबसे पिछड़े जिलों पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। उनमें से 50 जिले 2017-18 में एवं शेष 65 जिले 2018-19 में इस योजना के तहत शामिल किये जायेंगे।

भारत सरकार ने साल 2017-18 के दौरान 36 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के बीच 61.40 करोड़ रूपये और 2018-19 में अब तक 52.67 करोड़ रूपये जारी किये हैं।

देश में 5.5 करोड़ एवं म.प्र. में 30 लाख महिलाओं को उज्ज्वला योजना

का लाभ मिला हैं। बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने वालों को मौत की सजा देने वाली पहली राज्य सरकार म.प्र. सरकार है। म.प्र. में वन विभाग को छोड़कर सभी विभागों में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण लागू है।

राजीव गाँधी सबला योजना– इस योजना के तहत भारत के 200 जिलों से चयनित 4-18 आयू वर्ग की किशोरियों की देखभाल समेकित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत की जा रही है। इसमें लाभार्थियों को 11-15 एवं 15-18 साल के दो समूहों में वर्गीकृत किया गया है। प्रथम समूह की लड़कियों को आयरन की गोलियाँ सहित दवाईयां दी जाती है।

इंदिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना–

इस योजना का मुख्य उद्देश्य 19 साल या अधिक उम्र की गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को दो बच्चों के जन्म के समय वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना–

यह उन सभी क्षेत्रों में क्रियान्वित की जाती है, जहाँ ग्रामीण महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय स्तर से कम है। केन्द्र व राज्य सरकारें 75 प्रतिशत और 25 प्रतिशत खर्च का योगदान करती है। इस योजना से 75 प्रतिशत SC, ST, OBC तथा अल्पसंख्यक समुदाय की बालिकाओं एवं 25 प्रतिशत बी.पी.एल.परिवारों की लड़कियों का दाखिला करवाना हैं।

उपर्युक्त योजनाओं के माध्यम से सरकार महिलाओं के समग्र विकास के लिए काफी लम्बे समय से प्रयास करती आ रही है। इन योजनाओं के कारण महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है एवं इन योजनाओं के सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं।

==========

संदर्भ ग्रंथ सूची–

1. उद्यमिता के मूलाधार, डॉ. पी.सी. जैन एवं डॉ. एन.एल. शर्मा, रमेश बुक डिपो, जयपुर पृ. क्र. 24.1-24.4
2. प्रतियोगिता दर्पण,जून 2011 पृ.क्र.2026-2028
3. मेरी सहेली, फरवरी 2012 पृ.क्र. 81-87.
4. India, Registrar General and Census Commissioner 2001 population totals 2001, New Delhi. P. 143
5. .India, Ministry of statistics and programme implementation, central statistical. Organization (2007¼, New Delhi. p43.
6. .India, Ministry of Labor, Directorate General Employment and Training (2008¼ Emplyment Review 2004-2006. New Delhi, p 65

7. ग्यारहवी पंचवर्षीय योजना (2007-12), योजना आयोग खण्ड-2 पृष्ठ 229.
8. Statistics on women in India 2010, NIPCCD New Delhi, 20, 190, 209, 210, 712
9. मध्यप्रदेश संदेश, भोपाल
10. महिला एंव बाल विभाग, भोपाल
11. http//wcd. nic. in, schemes-listing
12. http//sarkariyojana.com
13. http//hi.m.wikipedia.org
14. दैनिक जागरण 31 दिसम्बर 2016
15. राष्ट्रीय महिला सशिक्तकरण नीति, मंत्रालय महिला एंव बाल विकास विभाग, भारत

नारी बनाम समकालीन नारी

* अभिलाषा कुमारी

नर और नारी प्रकृति के दो मूर्त स्वरूप हैं। नर के लिए अनंत काल से नारी प्रेरणा और शक्ति का स्रोत रही है। नारी से ही शक्ति प्राप्त कर नर शक्तिमान और सामर्थ्यवान कहलाता है। 'अक्षय शक्ति का स्रोत नारी ही कहलाती है। इसलिए जीवन के उद्‌याचल से लेकर अस्ताचल तक नारी पुरुषों की भार्या और आराध्या बनी रहती है। भारतीय संस्कृति में नारी की अपार महिमा है। स्वयं अर्द्धनारीश्वर महादेव ने अपनी अर्द्धांगिनी को मस्तक पर स्थान देकर नारी को सम्मानित किया है। यह वही नारी है जो केवल मनुष्यों को ही जन्म नहीं देती, बल्कि दिव्य आत्माओं को भी जन्म दी हैं। इसलिए वह पूज्या है, मान्या है और आराध्या भी है। श्रद्धा की प्रतिमूर्ति है, ममता और विश्वास की अधियष्ठात्रि है। इसलिए उसे स्वर्ग से भी अधिक वरेण्य माना गया है- जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी।

भारतीय साहित्य में नारी के गौरवमय इतिहास की गाथाएँ संग्रहित है। हमारा पौराणिक साहित्य नारी के दिव्यत्व को रूपायित करता है- 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः।' धर्म-प्रधान भारतवर्ष में वेद पुराण, स्मृति, इतिहास दर्शन ने नारी को अर्द्धांगिनी माना है। भारतीयों की यह धारणा थी कि नारी के बिना पुरुष अधूरा है। उसके बिना कोई भी मंगलप्रद कार्य पूर्ण नहीं होता है। नारी को गृहलक्ष्मी मानने वाले भारतीयों का विश्वास था, कि उस घर को ही घर कहा जाता है जहाँ गृहणी का निवास है।[1]

अगर हम अपने पौराणिक साहित्य में नारी की स्थिति को देखना चाहें तो स्पष्ट पता चलता है कि वैदिक साहित्य में नारी प्रमुखतः 'देवी' के रूप में चित्रित है। वैदिक साहित्य में गृह संचालन से लेकर हवन-कुण्ड तक नारी का विशिष्ट महत्व था। इस समय माता के रूप में वह सार्वधिक प्रतिष्ठित थी। ब्राह्मण ग्रन्थों में भी नारी महिमा से मंडित दिखलाई पड़ती है। यहाँ नारी को पुत्रवती कहकर सम्मानित किया गया है, किन्तु यहीं से नारी के कार्य-क्षेत्र में कटौती की शुरूआत होती है। उसे सभा-सम्मेलनों में जाने से वंचित किया जाने लगा तथा पत्नी के रूप

---

* शोध छात्रा, नेट (हिन्दी) स्नातकोत्त्र हिन्दी विभाग तिलकामाँझी विश्वविद्यालय भागलपुर

में उसे पति की, अनुगता, बतलाकर उसका कद पहले की अपेक्षा छोटा किया गया।[2] उपनिषदों में इस संसार को परब्रह्म की यज्ञशाला बताया गया है। नर इस यज्ञशाला का हवन कुण्ड है और नारी उसकी अग्नि हवन कुण्ड में संचित द्रव्य सामग्री को जैसे अग्नि तत्वों के पास पहुँचा देती है, वैसे ही नारी भी नर के समस्त संचित उपद्रव्यादि का सम्यक अर्थात् उचित विभाजन करती है। इस प्रकार सारी श्रृष्टि नर-नारी के परस्पर अवलम्ब से चलती है। स्त्री-पुरुष दोनों एक ही वृक्ष पर बैठने वाले दो पंछी के समान हैं। दोनों के मेल, सहकारिता, सौहार्द्र से ही विश्व की स्थिति है। इस काल में नारी को शिक्षा-प्राप्ति का अधिकार था। जो स्त्रियाँ वेदों का अध्ययन करती थी। वह 'वेदवती कहलाती थी। धर्मशास्त्र, व्याकरण, तत्वज्ञान का अध्ययन करने वाली 'ब्रह्मवादिनी' कहलाती थी। ऐसे ही स्त्रियों मैत्रेयी (याज्ञवल्वय की पत्नी), गार्गी (याज्ञवल्वय को चुनौती देने वाली), सुलभा, घोषा, लोपमुद्रा आदि के नाम गिनाये जा सकते हैं। उपनिषद् काल में नारी की महत्ता में जो थोड़ा-सा संकुचन शुरू हुआ, वह रामायण काल में आकर बढ़ना शुरू हुआ। रामायण काल में नारी को पति वंश की मार्यादा बनाये रखने वाली माना गया है। रामायणकालीन परिवार में पत्नी गृहस्वामिनी होकर पति की अनुगामिनी होती थी। 'परिवार प्रथा' ने यौन-भावना की विधि, व्यवहार, संस्कार, परम्परा तथा नैतिकता के बंधन लगाकर संयमित और मर्यादित कर दिया था, जिससे काम-भावना का वंश-प्रवर्त्तन अभिलाषा में शिष्ट् सुपांतर हो गया था। इस काल में 'वेदकालीन पुत्र की महत्ता समाप्त हो चुकी थी और कन्या जन्म तक लम्बी तपस्या का फल माना गया। इस काल में स्त्रियाँ वेद-वेदांत का अध्ययन करती थी, इतिहास एवं वाद-विवाद में दक्षता प्राप्त करती थी। सीता, तारा, कैकयी, मंदोदरी आदि अनेक शिक्षिताओं का प्रसंग इस काल में मिलता है। स्त्रियों को संगीत, नृत्य एवं चित्रकला, ललित कला तथा उपयोगी कलाओं की शिक्षा दी जाती थी। स्त्रियों को नैतिक गुणों का ज्ञान कराया जाता था। इसी कारण स्त्रियाँ पुरुषों की अपेक्षा अधिक यशस्विनी चित्रित की गई, जो रावण जैसे कुमार्गी को भी नीति और उपदेश देने में पीछे नहीं रही। रामायणकाल में दहेज-प्रथा, बहुपत्नित्व, सपत्नियों में ईर्ष्या, बहुपतित्व (तारा, रंभा, मंदोदरी), पत्नी-विच्छेद या परित्याग (अहल्या, सीता आदि) अन्तर्जातीय विवाह आदि के उदाहरण मिलते हैं। नारी 'पत्नी' और 'वधु' के रूप में पति की निजी सम्पत्ति समझी जाती थी। अतः यह स्पष्ट होता है कि रामायणकालीन नारी का स्वरूप बड़ा भव्य और उदार है। भारतीय मनीषियों ने यह मत प्रकट किया है कि 'महाभारत दयूत-प्रसंग है तो रामायण की यथार्थ संज्ञा-स्त्री प्रसंग हैं, क्योंकि इसमें नारी का ही गौरव गान है। इस नारी जीवन का अनुवर्तन भक्तिकाल में ही

स्पृहणीय नहीं, आज भी आदर्श हिन्दू स्त्री रामायणकालीन स्त्री संस्कृति का अनुवर्तन करती है। रामायणकालीन नारी की समीक्षा बहुत कुछ भक्तिकालीन नारी की समीक्षा है। बहुत अंशों में दोनों का एक स्वरूप है।'[3] महाभारत काल में एक ओर स्त्रियों को समुचित सम्मान दिया जाता था दूसरी ओर उन्हें 'अमार्यादित, असंगत जलती हुई आग, माया उस्तरे की धार, विष और साँप कहा गया है।'[4] पति का पत्नी पर असीम अधिकार उसे पत्नी का विनियोग करने अथवा जुए में दाव पर लगाने का अधिकार भी बनाता था। पति कैसा भी हो, पत्नी उसकी सेवा एवं उसके प्रति निष्ठावान होकर ही अधिकारिणी हो सकती है, इसी तरह के उदाहरणों से भरपूर है महाभारत काल के सदृश नारी की भिन्न दशा नहीं मिलती। मनु-स्मृतिकार ने कहा है कि जिस कुल की बहू-बेटियाँ क्लेश पाती है वह सब प्रकार से सुखी-सम्पन्न रहा करता है।[5] स्मृतिकारों का निर्देश दिया हुआ है। उसके अनुसार कोई पति अकारण अपनी पत्नी का परित्याग नहीं कर सकता। ऐसा करने पर उसे कठोर प्रायश्चित करना पड़ेगा। एक से अधिक पत्नी रखना निन्दनीय कार्य माना गया है। पत्नी के आर्थिक अधिकार के संबंध में मनु का कथन है कि जो व्यक्ति अपनी पत्नी का भरण-पोषण न कर सके उसे शासन की ओर से अर्थदण्ड दिया जाना चाहिए।[6] पुराणकाल में पतिव्रता नारी के कर्तव्यों की सूची का उल्लेख करते हुए स्कंदपुराण में कहा गया है कि स्त्रियों को पति का नाम नहीं लेना चाहिए। ऐसा करने से पति की आयु में कमी हो जाती है।[7] पदमपुराण के अनुसार वही स्त्री पतिव्रता है, जो 'कार्य दासी, रतौ वेश्या,भोजने जनी, सभा, विशत्सुमंत्रिणी भर्तु सा भार्या पतिव्रता। इसी पुराणकाल में सावित्री, शैवया, गांधारी, सती आदि स्त्रियों की प्रशंसा की गई है। इस काल में कन्या जन्म को भी सौभाग्य सूचक माना गया। बौद्ध साहित्य की अनेक जातक कथाएँ नारी के सतीत्व के आदर्श को प्रतिष्ठित करती है। बौद्ध-काल में कुछ स्त्रियाँ दो विवाह भी कर लेती थी। कभी वे व्याभिचार-रत भी हो जाती थी। इसी कारण जातक कथाओं में उसे हेय माना गया है। बौद्ध-भिक्षुणियों को थेरी कहा जाता था। थेरी अर्थात बृद्धा इन थेरियों की आत्मकथाएँ 'थेरी गाथा' के नाम से प्रसिद्ध है। इन गाथाओं से उनकी सामाजिक स्थिति का परिचय मिलता है। थेरियाँ राजमहिषियों से लेकर वेश्याओं और अस्पृश्याओं के समाज के प्रत्येक वर्ग से आती थी। उनकी उम्र में बहुत अंतर होता था। कुमारिकाएँ वृद्धाएँ और विधवाएँ सभी थेरी बन जाती थी। इसके उपरांत उचित संस्कृत साहित्य में भीम-हिडम्बा, बसंतसेना-चारूदत्त, वासवदत्ता-उदयन, शकुन्तला-दुष्यंत, उमा-महादेव आदि की कथाओं से तत्कालीन नारी विषयक धारणाओं को समझा जा सकता है क्योंकि कथाएँ और किंवदंतियाँ ही स्थितियों को समझने का एकमात्र आधार है। भास, कालिदास, भवभूति, आर्यशुर, आदि

रचनाकारों ने अपनी-अपनी रचनाओं में नारी के प्रिया, पत्नी, कन्या एवं माता के गौरवशाली रूपों का चित्रण किया है। कालिदास कृत 'रघुवंशम्' में नारी प्रिया पत्नी एवं माता के रूप में प्रतिष्ठित है। अभिज्ञान शाकुन्तलम्, में मातृत्व की प्रशस्ति है। नारी का स्थान जगत में सर्वोपरि है। 'कुमार संभवम्' में कन्यारूपिणी नारी को तपस्वनी एवं त्यागमयी नारी के रूप में चित्रित किया गया है। 'मेघदूत' मालाविकाग्निमित्र विक्रमोर्वशीय आदि में नारी का प्रेयसी रूप आकर्षक बन पड़ता है। भवभूति का 'मालती माधव' नारी की प्रणय-भावना से तथा 'उत्तररामचरित, परित्यक्ता नारी की आंतरिक करुणजन्य पीड़ा से परिचित कराते हैं। राजेश्वर श्रीहर्ष, कुमारदास, माघ, क्षेमेन्द्र, हेमचंद्र, सोमप्रभ, वाण आदि ने भी नारी की विभिन्न स्थितियों का निरूपण किया है, जिसमें आदि में भी नारी की विभिन्न स्थितियों का निरूपण किया है, जिसमें सती एवं अ-सती दोनों प्रकार की नारियों के स्वरूपों की अभिव्यक्ति मिलती है। अपभ्रंशकाल में स्त्रियों की दशा अच्छी नहीं रही, क्योंकि यह सामंतकाल था और सामंती युग में स्त्रियों के अधिकार नहीं के बराबर थे। अपभ्रंश काल के 'सामंत जीवन में जनता को अपनी सुन्दर लड़कियों को वैध या अवैध रूप से राजनिवास में भेजने के लिए भी तैयार रहना पड़ता था। कितनी ही जगह तो नव-विवाहिता की प्रथम रात भी सामंत के लिए सुरक्षित थी, चाहे वह मात्र स्पर्श करके ही छुट्टी दे दे।[8] अपभ्रंश कालीन कवि स्वयंभू ने तत्कालीन नारी का सम्पूर्ण चित्र प्रस्तुत किया है। अपभ्रंश काल के जैन कवियों के समय तक राधा-कृष्ण की लीलाओं का जनता में प्रचार हो चुका था और इन कवियों ने राधा-कृष्ण पर श्रृंगारपरक रचनाएँ की हैं क्रमशः कृष्ण कथा का यह आवरण श्रृंगार से हटता गया और वह लौकिक नायक-नायिकाओं के आश्रय पर परिस्फुटित होने लगा। अपभ्रंश काल के कवियों ने नारी सौन्दर्य, जो सामंती ढंग का है, भिन्न-भिन्न देशों की नारियों के रहन-सहन और स्वभाव 'नखसिख' नायिका के आभूषण, साज-सज्जा, भोग में योग या योग से निर्वाण, प्रेम का स्वरूप, मिलन, हाव-भाव, विवाह, गोपी-कृष्ण प्रेम, विरह-वर्णन तथा प्रकृति द्वारा विरह, मिलन के भावों का उद्दीपन सुखी घर और उस सुख में नारी का योग आदि के सुन्दर चित्रण किए हैं सदाचरण पर जोर देते हुए वेश्या तथा दासी-प्रेम की निन्दा की है तथा नारियों के सामाजिक अधिकार की स्थापना की है। माता का वात्सल्य भी अंकित है।[9]

सिद्ध नाथ कालीन साहित्य में नारी को योग-साधना के साधनही आग्रह है। वामाचार में (सहजयानी एवं वज्रयानी) सिद्धों ने तथा नाथपंथियों ने नारी को योग्य बनाकार, विभिन्न सोपानों द्वारा मोक्ष का साधन जरूर बनाया, किन्तु ये स्त्री को लेकर कामांध अधिक हुए। फलतः आगे चलकर इनका पतन शीघ्र हो गया। गुरू

गोरखनाथ ने इसे विलास साधना का परिष्कार करते हुए अपने योग को इन भावनाओं से दूषित होने से बचाया। उन्होंने काम-वासना का सर्वथा परित्याग कर ब्रह्मचर्य एवं शील सदाचार पर ही बल दिया है। जहाँ तक हिन्दी साहित्य में नारी के स्वरूप के अंकन की बात है, तो यहाँ नारी की बहुत उच्च स्थिति का स्वरूप नहीं मिलता। सम्पूर्ण वीर-गाथा साहित्य में नारी के लिए ही युद्ध हुआ है। यहाँ वीरांगना, सती के साथ-साथ माता, पत्नी, भगिनी आदि रूपों का अंकन हुआ है। लड़ाई के कुल कारणों में नारी का एतिक सौंदर्य दिखलाया गया है। दूसरे शब्दों में नारी भोग की वस्तु ही है। शायद इसलिए रासो के केन्द्र में रखकर पुरुषों ने अपनी वीरता, कुशलता का परिचय देने का प्रयास किया है। डॉ0 हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 'आदिकाल' नामक इतिहास-ग्रंथ में इसकी खुलकर चर्चा की है। आदिकाल और भक्तिकाल की संधिरेखा पर खड़े विद्यापति की पदावली में नारी के कामुक बिम्ब के अंकन के साथ-साथ बेमेल विवाह की भी चर्चा मिलती है। समाज में कई कारणों से वेमेल शादी पहले भी होती थी और आज भी हो रही है। विद्यापति ने नारी की इस व्यथा को पदावली में वाणी दी है-पिया मोर बालक हम तरूनी है या कि कहब हेसखी, रातुक रंग, पीठी तर सुतलो मुरख के संग।[10]

भक्तिकाल जिसे हिन्दी काल का 'स्वर्ण युग' कहा जाता है, में भी नारी की अधोगति का अंकन हुआ है। संत कवियों ने इसे माया रूपनी महाठगनी बतलाकर उसे साधना-मार्ग का बाधक कहा है। उसके चंचल स्वभाव को उसके रमणी रूप को संतों ने देखकर स्त्री जाति का समग्र मूल्यांकन कर दिया गया है। कवि शिरोमणी तुलसीदास ने नारी के विविध रूपों का विभिन्न स्तरों पर उदाहरण दिया है। कहीं तो उनकी सहानुभूति उनके साथ है और कहीं-कहीं उनका उपेक्षा भाव नारी को मिला है। माता प्रसाद गुप्त ने नारी के प्रति उनकी भावना अनुदार बतलाया है।[11] पदमावत में जायसी ने यद्यपि पारिवारिक परिवेश में ही नारी का अंकन किया है। किन्तु सुर ने नारी को प्रेमिका के रूप में प्रदर्शित कर स्वकीया और परकीया का भी अंकन किया है। इस प्रकार भक्तिकाल में नारी के प्रति उसकी अवस्था के प्रति भक्त कवियों का ध्यान व दृष्टिकोण बहुत हद तक परम्परागत रही है। एकाध-स्थलों पर तुलसी जैसे मर्मग कवियों को नारी की पराधीनता, अशिक्षा, मूर्खता आदि पर पसीजते देखा जा सकता है।[12] हिन्दी साहित्य का विषद् रीतिकाल, जिसे अभिशप्त काल कहा गया है, में नारी के संबंध में विषद् विश्लेषण मिलता है। रीतिकाल के काव्यों में विलास एवं श्रृंगार की अबाध काव्य धारा प्रवाहित होने के कारण उनमें थिरकती नारियों का ही चंचल रूप चित्रित हुआ है और यही कारण है कि इस काल को (श्रृंगार-काल को संक्षा से भी विभूशित किया गया है।) बिहारी घानानंद देव, भूषण, मतिराम, केशव,

बोधा, आलम, ठाकुर आदि कवियों ने विभिन्न स्तरों पर नारी के रूप-सौंदर्य की ही सहज अभिव्यक्ति की है। उसके बाह्य सौन्दर्य की छटा से तो पुरुष-वर्ग चमत्कृत हुआ किन्तु उसके अन्तर्जगत के पारिवारिक तथा समाज प्रतिष्ठित मंगल-विधायक रूप का विश्लेषण करने का कोई प्रयास नहीं किया। नारी का मांसल सौदर्य ही उनके काव्य के घेरे में अभिव्यक्ति पाता रहा। उसके साथ उसका स्वकीया और परकीया रूप ही उभर सका। जननी एवं भगिनी आदि की प्रसंग उन कवियों की वाणी में नहीं के बराबर मिलता है। इन कवियों ने नारी के रसिक एवं प्रिया स्वरूप को ही अपनाया है। डॉ0 नगेन्द्र जी ने इसलिए रीतिकाव्य को 'शुद्ध सामन्तीमय वातावरण की सृष्टि' कहा है। तथा कवियों का नारी के प्रति अपनाए गए दृष्टिकोण को भी सामन्तीय बतलाते हुए नारी को समाधि की चेतन इकाई कहा है।[13] वस्तुतः रीतिकाल में नारी की स्थिति चिंतनीय रही है। वह मानुशी होकर भी केवल भोग्या है, उसकी कोई स्वतंत्र-सत्ता नहीं है, रीतिकालीन कवि 'देव' की वाणी इस संदर्भ में उल्लेखनीय है- 'काम अधकारी जगत, लखै न रूप कुरूप। हाथ लिए डोलत किरै, कामिनी छरी अनुप। कौन गनै पुर, बन, नगर, कामिनी एकै रीति देखते हरै विवके को। चित्र हरै करि प्रति। देव की पंक्तियों से यह स्पष्ट होता है कि उस समय नारी के प्रति कितना-सा आदर-भाव था। परिस्थितियाँ बदलते ही कुछ से कुछ हो जाती है। सामाजिक, अस्तित्व उसका नहीं के बराबर कहा गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि शुरू में नारी का जो स्वरूप था। उसकी जो महत्ता थी, उसका जो अस्तित्व था। धीरे-धीरे उसमें परिवर्तन आ गया है। उसके कद को काटा-छाँटा गया, उसके महत्व को विलोपित किया गया तथा उसके अस्तित्व को नकारते हुए उसे अवला बना दिया गया। वह इतिहास की पहेली और आखिरी उपनिवेश बन गई।[14] सुकुमार कवि पंत ने नारी की इस दारूण स्थिति का अंकन करते हुए बड़ी सटीक अभिव्यंजनों की हैं-'क्षुधा-कामवश गतयुग ने पशु-बल से कर जन शासित जीवन के उपकारण-सदृश नारी भी कर ली अधिकृत। इसलिए आधुनिक काल में नारी की दशा पर, दुर्दशा पर पहली बार संभ्रान्त पुरुषों की नजर पड़ी और एक सुधारवादी चेतना, ने जन्म लिया। आधुनिक काल जो, मोटा-मोटी ब्रिटिशकाल के समक्ष है, में स्त्री की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। सती-प्रथा, पर्दा-प्रथा, देवदासी-प्रथा, आधुनिक भारत को विरासत में मिली थी। मंदिरों में देवदासी रखने की प्रथा जैसे आज भी दक्षिण भारत में देखने को मिलती है।[15] ब्रिटिशकालीन भारत में देखने को मिलती है कि सुधारवादी आन्दोलनों के कारण स्त्रियों के जीवन में कुछ बदलाव आया तथा वे पर्दा-प्रथा और सती-प्रथा जैसी बुराइयों से मुक्त हुई, तथापि गाँवों में अभी भी स्त्रियों की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। आज भी सामंती मानसिकता वाले

पारिवारों में स्त्रियों के साथ सास-ससुर और यहाँ तक कि उसका पति भी दलितों की तरह व्यवहार करता है तथा उन्हें विकास तथा ज्ञान की प्रक्रिया से वंचित रखने का भरसक प्रयास करता है। यह भी एक अजीब बिडबना है कि भारतीय खासकर हिन्दू समाज में महिलाएँ अपने परिवार की वरिष्ठ महिलाएँ जो आमतौर पर 'सास' होती है, अपने पुत्र या पुरुष समुदाय को इस बात के लिए प्रेरित करती है कि वे अपनी स्त्री को में रखें तथा इसके लिए कभी-कभी उसे शारीरिक यातना भी दिया करे। ऐसा वे इसलिए करते हैं जिससे कि परिवार की स्त्रियों पर उनका रोब-दाब तथा स्वतंत्र शासन कायम रहे। उन स्त्रियों की स्थिति उस समय और खराब हो जाती है, जब वे प्रजनन की प्रक्रिया में लड़का के बदले लड़की जनती है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश, बिहार मध्यप्रदेश आदि जगहों में उनके साथ ऐसी घटनाएँ घटी थी (आज भी यदा-कदा घटती रहती है) जिसमें लड़की को जन्म देते थी, मदार का दूध पिलाकर नमक चटाकर नवजात शिशु को मार दिया जाता था और जच्चा की खाट के पास ही गड्ढ़ा खोदकर जैसे-तैसे शिशुका शव तोप दिया जाता था।[16] इस प्रकार सास और पति द्वारा प्रताड़ित हो जाती थी कि धीरे-धीरे अपने ही परिवार तथा समाज के हाशिये पर चली जाती थी। आधुनिक समाज में भी लगभग यही हो रहा हैं, परिवार द्वारा अपेक्षा के बाद उन्हें ऐसा महसूस होने लगता है कि इस जिन्दगी से उबकर वे कभी-कभी आत्महत्या तक कर लेती है। दूधनाथ सिंह की कहानी माई शोकगीत, शिवमूर्ति की 'तिरिया चरितर', चित्रा मुदगल की 'लकड़बग्धा, आदि कहानियाँ पुरुष-प्रधान और सामंती समाज में महिलाओं की इसी त्रासदीपूर्ण स्थिति को गहरी मानवीय संवेदना के साथ उभारती है। दलित वर्ग की स्त्रियों की स्थिति तो और भी दयनीय है। दलित होने के नाम पर तो उनका शोषण करता है। स्त्री होने के नाम पर सामंती समाज उनका शोषण होता ही है। स्त्री होने के नाम पर सामंती समाज उनका हर तरह से शोषण करता है। यहाँ तक की उनका शरीर और जब उनके सामने इन स्त्रियों के सम्मान और अस्तित्व का प्रश्न आता हो तथा उन्हें सामंती दोनों समाज द्वारा ठुकराए जाने के बाद घुट-घुट के जीने के लिए विवश हो जाती है। इन दलित स्त्रियाँ की त्रासदी का एक बड़ा कारण धर्म भी है। हिन्दू धर्म में सबसे निचले स्तर पर होने के कारण भी इस तरह के दबाव और दण्ड सहने के लिए बाध्य होती है। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं होती है कि 'धर्म-दण्ड' का भुगतान कर अपने को इस शोषणपूर्ण व्यवस्था से मुक्त कर लें इस प्रकार ये स्त्रियाँ तीन स्तरों पर शोषित होने के लिए बाध्य होती है- पहला, धार्मिक, दूसरा जातिगत और तीसरा आर्थिक। दरअसल भारतीय समाज में प्रारंभ से ही स्त्रियों की स्थिति सोचनीय रही है। स्त्री होने के कारण बचपन से लेकर शादी के बाद उन पर कठोर नजर रखी जाती है,

जिससे कि वे व्यभिचारिणी न हो जाए।[17] इस कठोरता के कारणों की जाँच करते हुए समाजशास्त्रियों ने लिखा है कि स्त्री के व्यभिचारिणी होने पर परिवार में किसी अपरिचित की संतान आने का भय रहता है।[18] यह भय परिवार के सदस्यों के बीच इसलिए आतंक पैदा करता है कि अपरिचित व्यक्ति की संतान वास्तविक उत्तराधिकारी को उनके उत्तराधिकार से वंचित कर सकता है।[19] यह अजीव विडम्बना है कि पुरुष पर इस प्रकार का कोई कठोर बंधन लागू नहीं होता है। वह कुछ भी कर सकता है। यहाँ तक कि पर-स्त्री के साथ शारीरिक संबंध भी रख सकता है, चाहे, वह स्त्री निम्न-जाति या किसी भी समुदाय की क्यों न हो। इतना ही नहीं स्त्रियों का अपने स्तर को सामाजिक पुरुष के सम्मुख सम्पूर्ण करना तो दूर, बल्कि इस विषय में सोचना भी उनके लिए पाप माना जाता है। तथा भेद खुलने पर संबंध उसे पतिता कह कर प्रताड़ना देते हैं। यहाँ तक की उसे घर से निकाल देते है। यही स्त्रियाँ अपने परिवार से और समाज में त्यागे जाने के बाद गलत संगत में पड़कर जीवनयापन के लिए वेश्यावृत्ति करने पर मजबूर हो जाती है। क्योंकि आमतौर पर देखा गया है कि वेश्यावृत्ति में फसी अधिकांश स्त्रियाँ परिवार तथा पति द्वारा त्यागे जाने के बाद ही मजबूर और विवश होकर इस पेशे में आती है। इनमें से अधिकांश ये स्त्रियाँ होती है, जो परिवार और पति से उपेक्षित होने के बाद अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए पहले तो कोई सहारा ढूँढती है और फिर परिवार और पड़ोस के किसी सदस्य के माध्यम से पर-पुरुष से उनका सम्पर्क होता है। इसके बाद उस व्यक्ति से बातचीत कर अपने मन में उठ रहें उद्वेगों को प्रकट करके वह उसके समर्थन की आशा करती है। इसके बाद दोनों की बीच धीरे-ध ीरे प्रेम होता है, भेद खुलने पर उनका गुप्त प्रेम पतित (कलंकित) हो जाता है। तथा स्त्री 'पतिता' घोषित कर दी जाती है। इसके बाद अतंतः परिवार उस स्त्री को प्रताड़ना देने के बाद परिवार से निकाल दी जाती है। परिवार से निकाले जाने के बाद कुछ दिनों तक वह अपने प्रेम के साथ या उसके सहारे रहती है। लेकिन बाद में आर्थिक अथवा सामाजिक कारणों से उस पुरुष का समर्थन न पाकर वह किसी और सहारे की तलाश करने लगती है। इस प्रक्रिया में एक स्थिति ऐसी आती है। जब वह न चाहते हुए भी अपने प्रेमी की सहमति या आर्थिक अभाव दूर करने के लिए किसी दूसरे पुरुष का आश्रय लेती है। इसके बाद फिर तीसरे, चौथे, और अंततः वह धीरे-धीरे अपने आपको एक ऐसी स्थिति में ले जाती है, जिससे छुटकारा पाना उसके के लिए मुश्किल होता है।[20] वह शरीर बेचकर अपना जीवन यापन करने के लिए विवश हो जाती है, इस प्रकार वह स्त्री जो कभी किसी परिवार में महत्वपूर्ण सदस्या थी, विपरीत में सामाजिक परिस्थितियों में, अपने ही समाज की मुख्यधारा सदस्य भी विपरीत सामाजिक के अंदर धीरे-धीरे हाशिये पर

चली जाती है। एकान्त क्षणों में वह अपने-आपको अजनबी महसूस करती है। तथा हमेशा उसे इस बात का डर रहता है, कि वह बड़े संकट में कभी भी फँस सकती हैं। वह लगातार इस गंदगी से निकलने की कोशिश करती है, पर जितनी बार कोशिश करती है, उतनी बार ही असफल होती है, तथा अपने प्रेमी, पुरुष या दलाल द्वारा प्रताड़ित होकर रह जाती है। जगदम्बा प्रसाद दीक्षित की कहानी 'गंदनी' और जिन्दगी' की कुल के साथ भी यही होता है। वह चाहकर भी अपनी वेश्यावृति की गंदी जिन्दगी से मुक्त नहीं, हो, पाती है। इस स्वतंत्रता में उसके लिए सबसे बड़ी बाधा, उसका तथाकथित प्रेमी-पति उपस्थित करता है, जो रोज-रोज दारू पीने के लिए उससे पैसों की मांग करता है।[21]

दरअसल सामाजिक व्यवस्था में वेश्याओं की स्थिति बलि के बकरे के समान होती है। पुरुष उसके साथ व्यापार करता है और फिर उसे बहिष्कृत कर देता है, चाहे वेश्या वैध रूप से पुलिस की देखरेख में रहे अथवा अवैध रूप से छिपकर अपना कार्य करें। उसे हमेशा अछूत की तरह, देखा जाता है।[22] सीमोनंदा द्वारा उनके साथ किए जो बारबार ने फ्रांस के सभ्य समाज द्वारा उनके साथ किए गए जो बरताव की चर्चा करते हुए लिखा है कि फासिस्ट नवयुवक वेश्याओं को सर्दी की रातों में नदी में फेक कर आनंद का अनुभव करते थे, फ्रांस में छात्र-लड़कियों को लेकर समय बिताने के लिए बाहर निकले थे और रात्रि में उन्हें वहाँ गंदी अवस्था में रोड पर छोड़ देते थे।[23] इतने क्रूर अमानवीय व्यवहार के बाद ही स्त्री वेश्यावृत्ति करने के लिए मजबूर होती है। क्योंकि वे बेकारी और गरीबी की जिन्दगी जीना नहीं चाहती है। वे अपने जीविकोपार्जन का अन्य साधन भी ढूँढ सकती है। लेकिन वे सामाजिक-व्यवस्था के दोष के कारण ही यह व्यवहार अपनाने के लिए मजबूर होती हे। वस्तुतः हमारी सामाजिक-व्यवस्था ही ऐसी है, कि स्त्री जीवन की हर मोड़ पर पुरुष का सहयोग प्राप्त करने को विवश है। बिना पुरुष के उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है।

सन् 1960 के बाद राजनीतिक के क्षेत्र में नारी ने अपना सक्रिय कदम रखना शुरू कर दिया था। जीवन के हर क्षेत्र में द्रुत गति से नारी आगे बढ़ने लगी। अब वह मानुषी-विदुषी होकर पुरुषों के साथ ताल मिलाकर चलने लगी। पाश्चात्य प्रभाव वश उसके चिन्तन में उसके रहन-सहन के स्तर में भी परिवर्तन आने लगा। इस परिवर्तन को साठोत्तरी कहानीकारों ने अपनी कहानियों में भिन्न-भिन्न रूपों में पेश किया है।

पुरुष स्त्री के व्यक्तित्व पर हावी हो जाना चाहता और स्त्री कठपुतली की हद तक समर्पित होना नहीं चाहती चाहे विवाह पारंपरिक हो य प्रेम-विवाह हो। ममता कालिया की कहानी 'पीली लड़की' में इन्हीं बातों पर प्रकाश डाला गया है।

पौरूषी-संस्कृति ने ऐसी मूल्य-व्यवस्था का निर्माण किया जिसमें सारे निर्णय पुरुष ही लेते हैं। चाहे स्त्री कितनी भी पढ़ी-लिखी हो। आज की शिक्षित स्त्री पुरुष-सत्ता की चुनौती दे रही है। परिवार की चौखट बनाए रखकर अपने न्यायसंगत स्थान को प्राप्त कर लेने की छटपटाहट उसमें है।

इसलिए वह अपने पति को इच्छानुकूल निर्णय लेने के लिए बाध्य करती है। इसके बावजूद पति यदि अपनी पत्नी की अस्मिता को नकारता है, तो वह अलग हो जाती है। अब अलग होकर स्वतंत्र रूप में अकेली जीवन जीने में उसे कोई हिचकिचाहट नहीं है। पूर्णिमा केडिया की 'उन्मुक्ति' कहानी की कविता सोचती है। 'आजादी केवल तिरंगे के एक रंग को मिली है, दूसरा रंग नारी अभी भी बदरंग है वह कब आजाद होगा? कब?[24] सुमित अय्यर की 'एक जैसी छत कहानी की प्रिया को पति से लताड़ खाकर भी उसी से चिपके रहना पसंद नहीं है।

साठोत्तरी महिला लेखिकाएँ निश्चित रूप से नारी को नारी (मानवी) के रूप में प्रस्तुत कर रही है। नारी को इसी रूप में चित्रित करना आज की स्त्री-लेखन का सरोकार है। मृदुला गर्ग ने लिखा है- 'इस ओर तर्क की पहली शर्त यह है कि औरत पर थोपी गयी नैतिक कलई को खुरच कर भीतर के इंसान को पहचाना जाए।'[25] आगे वह लिखती है- 'यहाँ-वहाँ छुपने को मजबूर ये बहुमुखी प्रकृति और जटिल औरतें (इन्सान) अब अपने-अपने बुर्के घुंघट उठाकर सामने आ रही है, यह खुशी की बात है। जो कहानी नैतिकता का ढोल पीटे बगैर बेबाकी से ऐसी औरत का चित्रण करे और पाठक को अपने भीतर झाँककर, दुबारा अपना विश्लेषण करने पर मजबूर करे वह निश्चित रूप से चेतना-सम्पन्न कहानी कहलायेगी। अतः यह कहा जा सकता है कि आज महिला-लेखन के यही प्रमुख सरोकार और चिंताएँ है कि स्त्री को मूल रूप से पहचाना जाए। नयी पीढ़ी की महिला लेखिकाओं में तथा उसके साहित्य में चित्रित नारियों में तनिक भी लाचारी बेचारापन और अपनी प्रति करूणा बटोरने के अतिरिक्त प्रयास नहीं है वह कितनी तेजस और दबंग है से इसे मैत्रेयी पुष्पा, जया जादवानी है, क्षमा शर्मा, ऋतु शुक्ला, लवलीन, अलका सरावगी, सुषमा, मुनींद्र, निर्मला, भुराड़िया जैसी नई पीढ़ियों की कहानीकारों के कहानी-साहित्य को पढ़कर ही जाना जा सकता है। यह भी घ्यातव्य है कि कृष्णा सोबती, उषा प्रियंवदा, मन्नू भंडारी, मृणाल पांडे से लेकर बीच की पीढ़ी से होते हुए आज की नई पीढ़ी के कहानीकारों तक आते-आते हिन्दी कहानी की नारी का परिवर्तित हुआ है। आज महिला-लेखन दोयम दर्जे का नहीं है। साक्ष्यस्वरूप मन्नू भंडारी, उषा प्रियंवदा, मेहरून्निसा परवेज, अचला शर्मा, कृष्णा सोबती, सुधा अरोड़ा, दीप्ति खंडेलवाल, सुकीर्ति गुप्त, मधु मालती, अनीता, औलक, नीलिमा सिंह, गीता पटनायक, निरूपमा सेवती, मनिका मोहिनी,

राशि प्रभा शास्त्री, मृदुला गर्ग, कुसुम बंसल, सुषमा वेदी, चित्रा मुदगल, उर्मिला शिरीष, नासिराशर्मा, जया जादवानी, सरला अग्रवाल आदि की कहानियाँ देखी जा सकती है। इन कहानी लेखिकाओं ने न केवल अपने वर्गीय स्वरूप को उजागर किया है, बल्कि लेखिकाओं ने सिद्ध कर दिया है कि महिलाओं में भी प्रतिभा है, लिखने का मुद्दा है। हिन्दी कहानी इन महिलाओं-लेखिकाओं से उपकृत हुई है। इन लेखिकाओं को ही देखकर शायद यह गीत सार्थक होती है।

औरत । ओ औरत। अपनी बेड़ियाँ
तू छोड़
उठ अपना हक वसूल और हो जा
तू आजाद
ऐ माँ, बीवी, बेटी तेरे हाथों में
शक्ति अपार
आनेवाले दिन को दे आजादी, मजबूती,
कुर्बानी।

वस्तुतः नारी-लेखन भले आज मुद्दा बन जाए, लेकिन हिन्दी कहानी की इन लेखिकाओं में अपनी जातिगत पौराणिक प्रतिभा को विभिन्न झंझावतों के बावजूद मिटने नहीं दिया है। यही कारण है कि आज नारी जीवन के हर क्षेत्र में कामयाबी का परचम लहरा रही है।

आज की नारी ने जीवन के हर क्षेत्र को अपनी योग्यता से छू लिया है। हाल ही में 'शुक्रवार' पत्रिका में 'अदालत में औरत' शीर्षक लेख में इस बात की चर्चा की गयी है कि 21 हाईकोर्ट और एक सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत 30 महिलाओं ने जज की कुर्सी संभाल रखी है। यह इस बात का संकेत है कि आज महिला केवल सुनती नहीं, सुनाती भी है। सुजाता, मनोहर, फातिमा बीवी जैसी महिलाएँ ऊँचे क्षितिज को छूने के लिए आज की नारी को प्रोत्साहित कर रही है।

इसी तरह प्रशासनिक सेवा में महिलाएँ पीछे नहीं रही है। किरण बेदी ने जो मार्ग खोला वह आज प्रशस्त होता जा रहा है। अगर हम पहली भारतीय महिला के रूप में विभिन्न क्षेत्रों की उपलब्धि को देखना चाहें तो यह खाका मिलता है।

राष्ट्रपति के रूप में-श्रीमती प्रतिभा पाटिल, प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गाँधी, आईपीएस-किरण बेदी, माउंट एवरेस्ट विजय-बछेन्द्री पाल, अंतरिक्ष यात्रा-कल्पना चावला, ओलंपिक पदक-कर्णम मलेश्वरी, केन्द्रीय मंत्री राजकुमारी अमृत कौर, हाइकोर्ट चीफ जस्टिस-लीला सेठ, मुख्यमंत्री-सुचेता कृपलानी, राज्यपाल- सरोजिनी नायडु, सुप्रीम कोर्ट जज-फातिमा बीबी।

आज की परिस्थिति महिलाओं के लिए वह नहीं रही जो पहले थी। खेलकूद

की दुनिया हो या पर्वतारोहण, शिक्षा का क्षेत्र हो या युद्ध भूमि सर्वत्र महिलाओं ने अपनी काबिलियत प्रकट कर दी है। बछेन्द्रीपाल ने इसीलिए नारी जगत को अपना आशीर्वचन देते हुए कहा है कि 'मैं अपने कार्यक्रम में लड़कियों की तरफ विशेष ध्यान देती हूँ, क्योंकि मैं महसूस करती हूँ कि भारत में हम उनकी उपेक्षा करते हैं और उन्हें बाहरी कामों के लिए निरूत्साहित करते हैं। जोखिम से प्यार करना और खतरों से खेलना जीवन में लड़कियों के लिए भी उतना ही जरूरी है, जितना लड़कों के लिए क्योंकि इससे उनमें साहस, निर्भीकता और पहल की शक्ति आती है।'[26]

इस प्रकार हम देखते हैं कि आज महिलाओं ने स्वयं अपने अस्तित्व को काफी ऊँचाई तक पहुँचा रखा है। इसलिए आज नारी के संबंध में ज्योति चौधरी की ये पंक्तियाँ बिल्कुल सटीक है-

'कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है'
सबको हिम्मत देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है।

कोमल और कमजोर नहीं, समझकर जिसका सबने देखा है। वह कमजोर नहीं शक्तिशाली सभी गुणों की अवतारी है।

अंत में आज की नारी-सुमित्रा शर्मा के शब्दों में आशीर्वचन देना चाहती हूँ-

सृष्टा की अनमोल कृति तू
सृष्टि सहायक, सृष्टि कारक
शक्ति सूर्य-सी जीवनदायक
धैर्य धरा सम धारण कर
अणु-अंकुर सबकी संरक्षक
अकथनीय, निस्सीम त्याग
में न्यस्त तुम्हारा स्वत्व
आजीवन पर सुख में जीती
विमलित कर अपना अस्तित्व।

==========

संदर्भ ग्रंथ सूची-

1. डॉ0 रमानवले : मृदुला गर्ग के कथा साहित्य में नारी, जून 2011, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली,पृ.सं.-16.
2. गजानन शर्मा : प्राचीन भारतीय साहित्य में नारी, सितम्बर 2004, रचना प्रकाशन, इलाहाबाद,पृ.सं.-52.
3. वही : पृ.सं.-114.
4. वही : पृ.सं.-122.
5. डॉ0 सूतदेव हंस : उपन्यासकार चतुरसेन के नारी पात्र,प्रकाशन वर्ष-5 अगस्त

2012 पृ.सं.-10.
6. वही : पृ.सं.-10.
7. गजानन शर्मा : प्राचीन भारतीय साहित्य में नारी,प्रकाशन वर्ष-1972, इलाहाबाद, पृ.सं.-135.
8. राहुल सांकृत्यायन : हिन्दी काव्यधारा : भूमिका,प्रकाशनवर्ष-1952 पृ.सं.-18.
9. गजानन शर्मा : प्राचीन भारतीय साहित्य में नारी,प्रकाशन वर्ष-1972, इलाहाबाद, पृ.सं.-164-167.
10. डॉ0गोविन्द विगुणायत : कबीर ग्रन्थावली,प्रकाशन मई 2014, गुजरात, पृ.सं. -211-26.
11. डॉ0 माता प्रसाद गुप्त : तुलसीदास, पृ.सं.-307.
12. तुलसी दास : रामचरितमानस : बालकाण्ड, पृ.सं.-120.
13. डॉ0 नगेन्द्र : रीतिकाल की भूमिका, पृ.सं.-17.
14. डॉ0 लाल बहादुर शर्मा : नारी संवाद, रपट आधा आकाश संभाले महिलायें (महिला आन्दोलन विशेषांक) पृ.सं.-60.
15. ए0 आर0 देसाई : भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि, पृ.सं.-220.
16. अमृतलाल नागर : शतरंज के मोहरे, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, दिल्ली, पृ.सं. -205.
17. एस0 सी0 दुबे : भारतीय समाज,25 जूलाई 2016, 'इंडियन विलेज' मध्यप्रदेश पृ.सं.-107.
18. अनुप्रभा खेतान : स्त्री : उपेक्षिता सीमोन द बोउवार, बिहार, दिल्ली, वर्ष-1990, पृ.सं.-246.
19. वहीं : पृ.सं.-246.
20. वहीं : पृ.सं.-249-50.
21. जगदम्बा प्रसाद दीक्षित : शुरूआत तथा अन्य कहानियाँ, संभावना प्रकाशन, हापुड़, पृ.सं.-124.
22. अनुप्रभा खेतान : स्त्री, उपेक्षिता, सीनोम द बोहवारबिहार, दिल्ली, प्रकाशन वर्ष-1990, पृ.सं.-148.
23. वही : पृ.सं.-251.
24. पुष्पपाल सिंह : प्रतिनिधि कहानियाँ,वर्ष-मई 2016, सन्मार्ग प्रकाशन, दिल्ली, पृ. सं.-11.
25. वहीं : पृ.सं.-11.
26. डॉ0 मधु सन्धु : महिला उपन्यासकार, प्रकाशन वर्ष- मई 2016, सन्मार्ग प्रकाशन, दिल्ली,पृ.सं.-15.

महिला सशक्तिकरण–एक भ्रम या हकीकत

* डॉ. श्रीमती प्रीती पाण्डेय
** रामसिया चर्मकार

प्राचीनकाल से ही भारत में महिलाओं को कमजोर वर्ग के रूप में समझा जाता रहा है। वह घर और समाज दोनों में शोषित, अपमानित और भेदभाव से पीड़ित होती है। यह भेदभाव किसी न किसी रूप में दुनिया में हर जगह प्रचलित है, लेकिन भारतीय समाज में तो बहुत अधिक है। भारतीय पुरूष महिलाओं को अपने सहूलियतों के आधार पर इनका विकास होने देते है ताकि वह अपने स्तर तक इनकी पहुंच बनाकर उनका उपयोग किया जा सके। आधुनिक समय में महिलाओं के विकास के लिये जितने आयामों को खोला गया है उतने ही इनके साथ दुर्व्यवहार भी बढ़ा है। जन्म से लेकर मृत्यु तक महिलाओं के साथ भेदभाव होता है चाहे वह घर, परिवार, समाज या फिर राष्ट्र ही क्यों न हो भेदभाव बरकरार है। 22 वीं सदी की ओर बढ़ता भारत और इसके नागरिक, नागरिकों की स्वतंत्र मानसिकता का विकास फिर भी नहीं हो रहा है। आज भी वह स्त्री को स्वतंत्र रूप से देखना उसको नागवार लगता है। महिला सशक्तिकरण के नाम पर जितना प्रचार-प्रसार किया जा रहा है, उतना ही इन पर हो रहे दुर्व्यवहार को छुपाया जा रहा है। बलात्कार के मामले में चाहे 4 वर्ष की हो या 80 वर्ष की हो औरत जाति होना ही अपराध बन गया है। स्त्रियों पर बलात्कार का संस्थागत सांगठनिक स्वरूप सामने आ रहा है, कठुआ, उन्नावे और देवरिया में सामने आये युवतियों के यौन शोषण मामलों में शासन, प्रशासन, नेता समाजसेवी और धर्म का गठजोड़ उजागर हुआ है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि क्षेत्रों के साथ-साथ आनर कीलिंग व घरेलू हिंसा के अलावा दहेज उत्पीड़न, धार्मिक उत्पीड़न के चलते नारियों का जीवन अव्यवहारिक बना दिया गया है। भले ही संविधान स्त्री और पुरूष की समानता और उन्हें बराबर अधिकार देने की बात करता हो लेकिन सत्तर साल बाद भी यथार्थ यह है कि स्त्री की पहचान उसके पिता, पुत्र व पति के रूप में होती है। वह देवी की तरह कही तो जाती है और दूसरी तरफ आज के प्रबुद्ध

* प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान, शासकीय टी.आर.एस. कॉलेज, रीवा (म.प्र.)
** शोधार्थी, राजनीति विज्ञान, अवधेश प्रताप सिंह वि.वि., रीवा (म.प्र.)

समाज में भी स्त्रियों के साथ अपहरण और रेप हो रहे हैं।

मुख्य शब्द- कन्या भ्रूण हत्या, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति, महिला उत्पीड़न, सुप्रीम कोर्ट, पितृसत्तात्मक, दहेज, लिंग अनुपात, धार्मिक उत्पीड़न, बलात्कार, मानसिकता।

शोध प्रविधि– इस रिसर्च पेपर में महिला सशक्तीकरण से संबंधित उन बिन्दुओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना है जो एक भ्रम या हकीकत के बीच के पहलुओं का सूक्ष्मता के साथ उसका परिणाम निकल सकें। इस शोध पत्र में मुख्य रूप से द्वितीय स्रोतों, समाचार-पत्र, मासिक पत्रिका किताब व इंटरनेट का उपयोग किया जायेगा।

उद्देश्य– इस रिसर्च पेपर में अध्ययन के उद्देश्य निम्न हैः-

1. महिला सशक्तिकरण में भ्रम और हकीकत की धारणा का स्पष्टीकरण करना।
2. महिला सशक्तिकरण में अवरोध उत्पन्न करने वाली विचारधारा का अध्ययन करना।
3. महिला सशक्तिकरण भ्रम या हकीकत में विरोधाभासी बिन्दुओं का अध्ययन करना।

परिकल्पना– शीर्षक ''महिला सशक्तिकरण-एक भ्रम या हकीकत'' में परिकल्पनायें निम्नलिखित हैंः-

1. यह शोध यथार्थ में महिलाओं को सशक्त बनाने में कारगर साबित हो सकता है।
2. महिलाओं के यथार्थ, बुद्धि व विश्वास के निर्माण में सहायक सिद्ध होगा।
3. पुरूषों की सोच व विभिन्न व्यवस्थायें जो महिलाओं के रास्ते में अवरोध उत्पन्न करती है, में तर्कात्मक आधार प्रदान करेगा।

कन्या भ्रूण हत्या–

कन्या भ्रूण हत्या जन्म से पहले लड़कियों को मार डालने की एक प्रतिक्रिया है, जो भारतीय पुरूषों के द्वारा किया जाता है। भ्रूण हत्या का मुख्य कारण सामाजिक मान्यताएँ, परम्परागत मान्यताएँ और लड़कियों को उपभोक्ता और लड़को को उत्पादन जैसी हमारी अविकसित सोच का परिणाम है। भारतीय पुरूष एक ऐसा पाखंडी पुरूष है, जो अपने ही शरीर के अंश को मार डालने में वह अपने आप में गर्व महसूस करता है। उसको यह लगता है कि वह आने वाले समय में किसी स्त्री के सहयोग के बिना ही वह अपने आपसे बच्चे पैदा कर सकता है जिस प्रकार से केचुआ बच्चा पैदा करता है। शायद इसलिये वह लड़कियों को अपने जरूरतों के हिसाब से पैदा होने देता है, न कि प्रकृति के आधार पर। कन्या

भ्रूण हत्या एक मानसिक बीमारी है जो ज्यादातर शिक्षित और सम्पन्न घरानों व माध्यम वर्ग में पायी जाती है। केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2001 से 2005 के अन्तराल में करीब 6,32,000 कन्या भ्रूण हत्यायें हुई है। इस लिहाज से देखें तो इन चार सालों में रोजाना 1800 से 1900 कन्याओं को जन्म लेने से पहले ही दफन कर दिया गया। 9 अक्टूबर 2012 को भारत सरकार के आंकड़ों पर आधारित ''दि हिन्दू'' समाचार पत्र की खबर में बताया गया है कि ''कन्या भ्रूण हत्या के कारण भारत 3 मिलियन लड़कियों को खो चुका है।'' 2014 में सबसे अधिक कन्या भ्रूण हत्या के मामले मध्यप्रदेश (15) में दर्ज हुये हैं।

भारत सरकार द्वारा समय-समय पर इसके विरूद्ध कड़े कानून के निर्माण के साथ ही ऐसी कई योजनाएँ भी बनायी है जिससे की कन्या भ्रूण हत्या में कमी आये, पर यह गफलत साबित हो रहा है। सरकारी महकमा और निजी क्षेत्र के साठ-गाठ से लिंग परीक्षण आज भी बदस्तूर जारी है। प्रसव पूर्व जांच क्लीनिक अधिनियम 1994 को सख्ती से लागू करने की जरूरत है। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिये केन्द्र व राज्य सरकारों को निजी क्लीनिक का औचक निरीक्षण व उन पर नजर रखने की जरूरत है। भ्रूण हत्या या परीक्षण करने वालों के क्लीनिक सील किये जाने सहित जुर्माने का भी प्रावधान करना चाहिए। ''बेटी बचाओं अभियान'' के बावजूद देश में कन्या भ्रूण हत्या के अनेकों मामले सामने आते रहते हैं। महाराष्ट्र में जिला सांगलो के एक गांव महसाल में एक नाले के अंदर से 19 भ्रूण बरामद हुये। इस मामले का खुलासा तब हुआ, जब एक 26 वर्षीय महिला की गर्भपात के दौरान मौत हो गई। यह महिला पहले से ही दो बेटियों की मां थी। पति ने सांगली के एक अस्पताल में भ्रूण की जांच करवायी। फिर बेटी होने का पता चलने पर पति ने एबार्शन कराने का फैसला लिया जिसमें महिला की मौत हो गई। यह तो एक राज्य की एक-एक जिले की घटना है। पूरे समूचे देश में न जाने हर रोज कितनी लड़कियों को जन्म के पूर्व ही खत्म कर दिया जाता है।

लिंगानुपात–

''लिंगानुपात का मतलब प्रति एक हजार पुरूषों पर महिलाओं की संख्या अनुपात का अर्थ अगर लिंगानुपात भारत का 943 है, तो इसका मतलब यह हुआ कि 1000 पुरूष पर सिर्फ 943 महिलायें हैं। ''भारत का लिंगानुपात 940'' रहा है। कन्या भ्रूण हत्या लिंगानुपात की समस्या को जन्म देती है। गर्भावस्था के दौरान पुत्र की चाह रखने वाले पुरूष, परिवार, समाज के चलते लिंगानुपात एक भयावह समस्या बन गई है। ''पितृसत्तात्मक समाज में पुत्र मोह के कारण बलिकाओं की

हत्या करने के मामलों में तेजी से इजाफा हुआ है। कुछ माता पिता गर्भ में पहले वाली बेटियों को मार देते हैं। जरा सोचिये कि क्या वह इंसान नहीं है। मानव जाति पर दुनिया का सबसे बड़ा खतरा है महिलाओं की कमी, क्योंकि उसके बिना मानव जाति ओ नहीं बढ़ सकती है। मानव जनसंख्या के सही संतुलन बनाये रखने के लिये महिलाओं की संख्या अहम हो।

''हम एक लिंगभेदी मानसिकता वाले समाज हैं जहां लड़कों और लड़कियों में फर्क किया जाता है। यहां लड़की होकर पैदा होना आसान नही है और पैदा होने के बाद एक औरत के रूप में जिंदा रहना भी उतना ही चुनौतीपूर्ण है। यहां बेटी पैदा होने पर अच्छे खासे-पढ़े लिखे लोगों की खुशी काफूर हो जाती है।'' ''भारत की ज्यादातर परंपरा में लड़कियों को बोझ माना जाता हैं। बेटी के जन्म होते ही ज्यादातर रूढ़िवादी परिवारों में दुख समझा जाता है क्योंकि उन्हें लड़की की पढ़ाई की नहीं बल्कि उसके विवाह की चिंता सताने लगती है।'' इस सोच के अलावा भी कई कुरीतियां है जो लिंगानुपात में बढ़ोत्तरी के मुख्य कारण होती है। भारतीय समाज ऐसे ही कुरीतियों के आगे नतमस्तक है। भारतीय समाज के लिंगानुपात को ''वर्ष 1961 से लेकर 2011 तक की जनगणना पर नजर डालें तो यह बात साफ तौर पर उभर कर सामने आती है कि 0-6 वर्ष आयु समूह के बाल लिंगानुपात में 1961 से लगातार गिरावट हुई है। पिछले 50 सालों में बाल लिंगानुपात में 63 प्वाइन्ट की गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन पिछले दशक के दौरान इसमें सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गयी है। वर्ष 2001 की जनगणना में जहां 6 वर्ष तक की उम्र के बच्चों में प्रति एक हजार बालक पर बालिकाओं की संख्या 914 (पिछले दशक से 1.40 प्रतिशत कम) हो गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अब तक की हुई सभी जनगणनाओं में यह अनुपात न्यूनतम है।''

''भारत में हर राज्य की अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक पहचान है जो कि अन्य राज्य से अलग है। इसी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विभिन्नता के कारण हम देखते हैं कि एक ही देश में बाल लिंगानुपात की स्थिति अलग-अलग है। राज्यों की बात करे तो देश के सबसे निम्नतम बाल लिंगानुपात वाले तीन राज्य हरियाणा (830), पंजाब (846), जम्मू कश्मीर (859) हैं।'' ''जबकि सबसे ज्यादा बाल लिंगानुपात वाले तीन राज्य मिजोरम (971), मेघालय (970), अण्डमान निकोबार (966) है। देश में सबसे कम बाल लिंगानुपात हरियाणा के झझर में 774 है। जम्मू कश्मीर में 2001 की तुलना में 2011 से सबसे ज्यादा गिरावट 8.71 प्रतिशत देखी गई है। वही दादर नगर हवेली तथा लक्ष्यद्वीप में 2001 की तुलना में 2011 में यह गिरावट क्रमश: 5.62 तथा 5.32 है जो कि एक दशक में बाल लिंगानुपात में गंभीर गिरावट के मामले में देश में दूसरे तथा तीसरे

स्थान पर है।''

''एक अमेरिकन मैंगजीन के सर्वे के अनुसार, भारत में 2040 के बाद लड़कों के लिये शादी करना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि उस समय तक भारत जैसे बड़े देशों में लड़कियों की संख्या काफी कम हो चुकी होगी। 2013 में लिंगानुपात 1000:914 स्त्रियां रह गयी है। यदि यह सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो 2035 तक लगभग 3.5 लाख युवाओं को शादी के लिये लड़कियां नहीं मिलेगी। भारत की आधी आबादी आधी से भी कम रह जायेगी।''

'ऑनर कीलिंग–

''आंनर कीलिंग'' एक अंग्रेजी शब्द है जिसका हिन्दी में अर्थ ''सम्मान हत्या'' या ''सम्मान हेतु हत्या'' ऑनर कीलिंग ''परिवार, वंश या समुदाय के किसी सदस्य की (आम तौर पर एक महिला) के उसी परिवार, वंश या समुदाय का एक या एक से अधिक सदस्य (अधिकतर पुरूष) द्वारा की जाती है और हत्यारे इस विश्वास के साथ इस हत्या को अंजाम देते हैं कि मारने वाले सदस्य के कृत्यों के कारण उस परिवार, वंश या समुदाय का अपमान हुआ है। जाति, धर्म और स्टेट की आड़ में देश भर में न जाने कितने प्रेमी युगल ऑनर कीलिंग की भेंट चढ़ जाते है। एक तरफ जहां हम सभ्यता के विकास के चरम पर होने का दावा करते हैं वही दूसरी और ऑनर कीलिंग जैसे सामाजिक अपराध को खत्म नहीं कर पाते। ऑनर कीलिंग महिलाओं के प्रति समाज की मानसिक दिवालियापन को दर्शाता है जो अपनी छोटी सोच को एक कीमती जिदंगी से बेहतर बताने की कोशिश में एक जिदंगी को ही नष्ट कर देता है। ''नेशनल क्राइम रिकाड्र्स ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक 2014 की तुलना में 2015 में ऑनर कीलिंग के मामलों में 796 फीसदी का इजाफा दर्ज किया गया। देश में हुई कुल 251 ऑनर कीलिंग की घटनाओं में उत्तरप्रदेश 168 मामलों के साथ पहले स्थान पर रहा, जबकि केरल में सिर्फ 5 मामले ही प्रकाश में आये।

''एनसीआरबी के नये आंकड़े बहुत से लोगों को जिनमें सामाजिक कार्यकर्ता भी शमिल हैं।'' एनसीआरबी ने जो आंकड़े पेश किये है उसके अनुसार ''देश भर में ऑनर कीलिंग की घटनाओं में सात गुना वृद्धि दर्ज की गई हैं। यूपी में सबसे अधिक केस दर्ज किये गये, आंकड़ों के बाद अब्बल प्रदेश बनकर उभरा है। उसके बाद लिस्ट में गुजरात और फिर मध्यप्रदेश का नाम है।

देश भर में ऑनर कीलिंग की घटना में 68 फीसदी घटनाएं सिर्फ यूपी में ही होती है। ''हरियाणा में तीन साल में 290 हत्याएं, जिसमें ज्यादातर नाबालिक लड़के-लड़कियों की है जो ऑनर कीलिंग के नाम पर की गई है जो कि 65 फीसदी नाबालिकों की है। हरियाणा ने ऑनर कीलिंग की स्थिति भयावह है।

हरियाणा को दस जिलों में ही 73 फीसदी की स्थिति भयावह है। हरियाणा के दस जिलों में ही 73 फीसदी ऑनर कीलिंग की गई। ऑनर कीलिंग में आरोपी अपने ही पिता, माता, भाई 74 प्रतिशत, जबकि चाचा, मामा, समाज के लोगों की इनवाल्वमेन्ट 23 प्रतिशत व 3 प्रतिशत कान्ट्रेक्ट किलर के द्वारा कर दी जाती है। ऑनर कीलिंग में सबसे ज्यादा लड़कियों 52 प्रतिशत, लड़की-लड़का 38 प्रतिशत और 10 प्रतिशत लड़के की।'' यह झूठी शान दक्षिण भारत को भी अपने घेरे में ले लिया है। ''जुलाई 2013 से तमिलनाडु में 81 हत्याएं ऑनर कीलिंग के तहत की गई और इन पीड़ितों में से 80 फीसदी महिलाएं हैं। तेलंगाना में ऑनर कीलिंग के मामले में ससुराल वालों द्वारा ओंगिर में मारे गये पेडापल्ली के नरेश और मधुकर की हत्याओं तक ही सीमित नहीं हैं।'' ''पिछले दो वर्षा में तेलंगाना और आंध्रप्रदेश राज्यों में सम्मान के लिये 17 हत्याएं की गई। ज्यादातर हत्याएं अंर्तजातीय विवाह या अंतरजातीय संबंध था। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़े बोलते हैं कि 2014 से 2015 तक भारात में ऑनर कीलिंग के मामलों में लगभग 796 फीसदी की वृद्धि हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इसे बर्बर बताया था और इसकी जघन्यता की और इशारा करते हुये अपने फैसले में कहा था, ऐसी हत्याओं में कुछ भी सम्मानजनक नहीं है और वास्तव में यह क्रूर, सामंती विचारधारा वाले व्यक्तियों द्वारा किये गये हत्या के बर्बर कृत्यों के अलावा कुछ नहीं है, जो सख्त सजा के पात्र हैं।

ऑनर कीलिंग में युवा होकर युवतियों को अभिभावक खासकर पिता और भाई की तानाशाही सहनी पड़ती है। यदि वे अपने मन की सुनकर किसी के साथ जुड़ना चाहती है तो कभी धार्मिक पवित्रता तो कभी जातियां स्टेट्स के नाम पर घर वाले उनके प्रति हिंसक हो उठते हैं। समान नागरिकता के लाख दावों के बावजूद महिलाओं को एक इंसान मानने के बजाय महज घर की इज्जत का नाम देकर उससे इस तरह का सुलूक किया जाता है। यह कितनी शर्मनाक बात है कि हम सभ्यता के विकास के चरम पर तो है मगर जाति, धर्म और स्टेट्स के नाम पर ऐसी हरकतें कर अपनी जंगली और वहसी मानसिकता का परिचय देते रहते हैं।

पितृसत्तात्मक–

भारतीय सामाजिक व्यवस्था में पितृसत्ता भी एक व्यवस्था के साथ एक बुराई भी है जिसमें पुरूषों की प्राथमिक सत्ता होती है। राजनैतिक नेतृत्व, नैतिक अधिकार, सामाजिक सम्मान, सम्पत्ति के नियंत्रण की भूमिका में प्रबल होते हैं। परिवार के क्षेत्र में पिता या अन्य पुरूष महिलाओं और बच्चों के ऊपर अधिकार जमाते हैं। इस व्यवस्था में स्त्री तथा पुरूष को समाज द्वारा दिये गये कार्यो के अनुसार चलना पड़ता है। धर्म, समाज व रूढ़िवादी परम्पराएं पितृसत्ता को अधिक

ताकतवर बनाती हैं। सदियों से महिलाएं पितृसत्ता के कारण उत्पीड़ित हो रही है।

गर्डा लर्नर के अनुसार- पितृसत्ता परिवार में महिलाओं और बच्चों पर पुरूषों के वर्चस्व की अभिव्यक्ति-संस्थागतकरण और सामान्य रूप से महिलाओं पर पुरूषों के सामाजिक वर्चस्व का विस्तार है।

इस व्यवस्था की खास बात इसकी विचारधारा है जिसके तहत यह विचार प्रभावी रहता है कि पुरूष स्त्रियों से अधिक श्रेष्ठ हैं और महिलाओं पर पुरूषों का नियंत्रण है या होना चाहिए। इस व्यवस्था में महिलाओं को पुरूषों की सम्पत्ति के तौर पर देखा जाता है।

पितृसत्ता का मतलब-

पितृसत्ता अंग्रेजी शब्द पैट्रियार्थी का हिन्दी अनुवाद है। अंग्रेजी में यह शब्द दो यूनानी शब्दों पैटर और आर्के को मिलाकर बना है। पैटर का मतलब है-पिता और आर्के का मतलब है-शासन यानी कि पिता का शासन।

इस तरह पितृसत्तात्मक ढांचा में पुरूषों की तानाशाही बरकरार रहती है। स्त्रियों को अभी भी अपनी जिदंगी से जुड़े अहम मृद्दों जैसे जीवनसाथी का चुनाव आदि पर खुद फैसला लेने का अधिकार नहीं है। हमेशा से यह फैसला घर के पुरूष सदस्यों का होता है। शहरी क्षेत्रों में तो थोड़ा कम किन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में पितृसत्ता का दबदबा अच्छा-खासा नजर आता है। अशिक्षित परिवारों में पुरूष अपनी श्रेष्ठता, शक्ति एवं पुरूषत्व को स्थापित करने एवं साबित करने के लिये महिलाओं पर जोर जबरदस्ती करता है। मेरा घर शहरी क्षेत्र के अंतर्गत आता है और मेरे घर में भी पितृसत्तात्मक व्यवस्था ही है। भारतीय सामाजिक व्यवस्था का 95 प्रतिशत संचालन पितृसत्तात्मक व्यवस्था के द्वारा ही क्रियान्वित होता है।

स्त्री के स्वतंत्र अस्तित्व को धर्म और धर्म की व्याख्या करने वाले ब्राम्हण स्वीकार नहीं करते। लड़की को पहले पिता, फिर पति और फिर बाद में बेटों के संरक्षण में रहना चाहिए। लेखिका उमा चक्रवर्ती अपने लेख Conceptualizing Brahmunsical patriarchy in India में ऊँची जातियों में मौजूद तमाम मान्यताओं और परम्पराओं के जरिए महिलाओं और उनकी सेक्सुअलिटी पर काबू करने की प्रथा को ब्राम्हणवादी पितृसत्ता बताती है। भारतीय समाज को पितृसत्ता की व्यवस्था के तहत ब्राम्हणवादी पितृसत्तात्मक समाज कहा जाता है क्योंकि यहां का समाज जाति व्यवस्था पर आधारित है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था की यह खासियत रही है कि यह समाज के हर सदस्य को एक बराबर न मानकर ऊँचा या नीचा मानता है। इस तरह पितृसत्तात्मक व्यवस्था लोकतांत्रिक मूल्यों के हमेशा विपरीत रही है। इसमें जाति, लिंग, वर्ण, वर्ग, धर्म जैसे भेद से संविधान एक व्यक्ति, एक मत को सिद्धांत को अपनाकर मानवीय गरिमा को सबसे ऊपर माना गया है।

सुनील शर्मा, जो कि पीएच.डी. पालीसर साइंस, आई.आई.टी., दिल्ली से है, एक सवाल के जबाव में लिखते हैं कि पितृसत्ता वह व्यवस्था है। जिसमें आदमी अपनी ताकत और धार्मिक एवं सामाजिक नियमों के सहारे महिलाओं पर अपने दबदबे को बनाये रखता है। साम-दाम-दंड-भेद का सहारा लेकर पुरूष वर्ग ने न सिर्फ अपना अधिपत्य बनाये रखा वरन महिलाओं को उनके मौलिक अधिकारों से भी वंचित कर दिया। इस काम में धार्मिक नियम भी उसके बहुत काम आये, पुरूष वर्ग ने नियमों को एक निश्चित दिशा में मोड़ दिया और ''धर्मपरायण महिलायें ईश्वर इच्छा मानकर उन नियमों को आंख मूंद कर पालन करती रही'' जो उनके पक्ष में भी नहीं है।

दहेज, यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा-

दहेज भारतीय आधुनिक समाज का सबसे प्रिय कलंक है। दहेज न लेने की समझाइश देने वाला समाज जब खुद की बारी आती है तो वह इस पंक्ति में सबसे आगे नजर आता है। ऐसे बहुत ही कम मामले होते हैं जहां दहेज की मांग नहीं की जाती या मिलने वाले समान को वापस कर दिया जाता है।

दहेज का अर्थ-

जो सम्पत्ति, विवाह के समय वधु को परिवार की तरफ से वर को दी जाती है। कन्या के पिता के द्वारा वर पक्ष को दी गई चीजें, रूपये, उपहार या विविध प्रकार के वस्तुएं दहेज कहलाती है।

दहेज की यह समस्या आज की नहीं बल्कि सदियों से चली आ रही है जो अब भयावह रूप ले चुकी है। प्रायः पिता अपनी पुत्री को जीवन में कोई असुविधा न हो, सुख सम्पन्न जीवन जी सकें इसलिये विवाह के समय वह उसे जीवन उपयोगी चीजें वस्तुएं देता है लेकिन यह विचार वर पक्ष में लालच की जाती है और वह इसका फायदा उठाते हुये अधिक से अधिक धन सम्पत्ति की मांग करते हैं जो दहेज बन जाता है।

दहेज क्या है?

''दहेज वह सम्पत्ति है जो वर विवाह के समय अपनी पत्नी या उसके परिवार से प्राप्त करता है।'' मैकस रेडिन।

''दहेज वह सम्पत्ति है जो स्त्री विवाह के समय अपने साथ लाती है अथवा उसे दी जाती है।'' - इन साइक्लोपीडिया।

''वैश्विक बदलाव के बावजूद आज भी नारी मानसिक, शारीरिक प्रताड़ना सहने के लिये विवश है।'' क्योंकि पुरूष अपनी-अपनी अड़ियल मानसिक सामंती सोच बदलने के पक्षधर नहीं है। दहेज को लेकर नारी को जिंदा जला देना या हत्या कर देना आज के युग कील सबसे बड़ी त्रासदी है। आये दिन समाचार पत्रो,

पत्रिकाओं, दूरदर्शन आदि में पति द्वारा पत्नी पर अत्याचार और मार पीट की घटनाएं पढ़ने, देखने को मिलती है। दहेज के कारण कितने परिवार कर्ज के नीचे कुचले जाते हैं? इसका लेखा-जोखा निकाले तो यह समस्या हमारे देश को दूषित कर रही है। दहेज की इस जलती हुई ''समस्या ने लाखों परिवारों की सुख शांति को छीन लिया है।'' ''दहेज अपराध में हर साल 5000 महिलायें भारत में दहेज के मामले में मारी जाती हैं। देश में हर एक घन्टे में एक महिला दहेज संबंधी कारणों से मौत का शिकार होती है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते है कि विभिन्न राज्यों से वर्ष 2012 में दहेज हत्या के 8233 मामले सामने आये। आंकड़ों का औसत बताता है कि प्रत्येक घन्टे में एक महिला दहेज की बलि चढ़ रही है।''

समूचे विश्व में भारत का बाल विवाह में दूसरा स्थान है। सम्पूर्ण भारत में विश्व के 40 प्रतिशत बाल विवाह होते है और समूचे भारत में 49 प्रतिशत लड़कियों का विवाह 18 वर्ष की आयु से पूर्व ही हो जाता है। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय क्षेत्रों से अधिक बाल विवाह होते है। आंकड़ों के अनुसार बिहार में सबसे अधिक 68 प्रतिशत बाल विवाह की घटनाएं होती है जबकि हिमांचल प्रदेश में सबसे कम 9 प्रतिशत बाल विवाह होते है। बाल विवाह के केवल दुष्परिणाम ही होते हैं। जिनमें सबसे घातक शिशु व माता की मृत्यु दर में वृद्धि शारीरिक और मानसिक विकासपूर्ण नहीं हो पाता है। हमारे देश में महिलायें विभिन्न चुनौतियों व समस्याओं से घिरी हुई है। आज भी देश की आधी से ज्यादा महिलाएं बालिका वधु है।

''नाबालिक पत्नी से यौन संबंध को बलात्कार की श्रेणी में लाकर सुप्रीम कोर्ट ने किशोरियों की सामाजिक स्थिति को तो मजबूत किया ही है, परंपरा व आर्थिक हालात का हवाला देकर बाल विवाह जैसी कुप्रथा को बाये रखने वाले के भी पर कतरने की कोशिश की है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 375 के अनुसार अगर पन्द्रह से अठारह साल की लड़की के साथ कोई पुरूष उसकी सहमति या असहमति से यौन संबंध स्थापित करता है तो वह कानूनन बलात्कार माना जायेगा।'' इन्हें शिक्षा से वंचित, अधिकारों का हनन, जातीय दुर्व्यवहार भी भावना'', महिलाओं का उत्पीड़न ओर शोषण, उनके साथ मरपीट एवं गाली-गलौज करना, उन्हें जला देना उनकी हत्या कर देना आदि घटनाएं महिलाओं के प्रति बढ़ते हिंसात्मक व्यवहार के प्रमुख उदाहरण है।'' महिला यौन उत्पीड़न से संबंधित आज की ही एक घटना है जो कि मुम्बई में घटित हुई है। ''मुम्बई में कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कार्पोरेशन (केडीएमसी) में 48 वर्षीय रमेशचंद्र राजपूत केडीएमसी के टैक्स डिपाटमेंट में क्लर्क के पद पर कार्यरत है। रमेशचन्द्र राजपूत ने एक महिला

का प्रॉपर्टी टैक्स कम करने के लिये सेक्स की मांग की और साथ ही महिला को सेक्स के बदले टैक्स में छूट के साथ-साथ और समय देने का आफर दिया।'' महिलाओं का हर जगह यौन शोषण (उत्पीड़न) रूकने का सिलसिला नहीं थम रहा है। लिंग आधारित विषमता, पारिवारिक शिक्षा में भेदभाव, घरों में लड़कियों से अधिक कार्य लेना, इन्हें विभिन्न पाबंदियों में बांधना और ये सब पुरूष प्रधान द्वारा किया जाता है। कुछ मामलों में तो महिलाएं भी महिलाओं के विरूद्ध बढ़-चढ़कर भाग लेती है। महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा की घटनाएं सबसे ज्यादा होती है।

शासन-प्रशासन भी अपनी आमदनी बढ़ाने के लिये शराब की दुकानों को बस्ती मुहल्लों के बीच खोलते हैं ताकि इनकी आर्थिक वृद्धि हो सकें। किन्तु प्रदेश सरकार के इस व्यवहार से अधिकांशतः महिलायें पारिवारिक हिंसा का शिकार बनती जा रही है। ''शराब दुकान के आसपास रहने वाली करीब 50 फीसदी महिलायें मानसिक रूप से परेशान रहती हैं।''

बलात्कार–

बलात्कार स्त्री के प्रति किया जाने वाला एक ऐसा क्रूर व्यवहार है जो उनके बजूद के बुनियादी स्तंभ को ही खत्म कर देता है। ''मर्दो के इस समाज में औरतों औरत है। चाहे वह छोटी सी बच्ची हो, जवान हो या प्रौढ़ अथवा वृद्धा। युवतियों और महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं।'' और साथ ही इनके आगे ब्लैकमेल करने व प्रताड़ित करने के लिए वीडियों भी बनाये जा रहे हैं। यदि वह लड़की ब्लैकमेलर से समझौता नहीं करती है तो वह उस संबंधित लड़की का वीडियों इंटरनेट या सोशल साइट्स पर अपलोड कर व्यापक पैमाने पर उसे बदनाम करते है। ''झारखंड में 2016 में कुल 1109 दुष्कर्म के केस दर्ज हुए। जिनमें से 16 पीड़िताएं 12 वर्ष से कम उम्र की रही है व 208 पीड़िताएं 18 वर्ष से कम उम्र की 99.7 प्रतिशत बलात्कार हुये।'' इनके साथ जबरदस्ती करने वाले पुरूषों का तो समाज कुछ करता नहीं है उल्टा पीड़ितों को ही कुसूरवार बना देता है जैसे सारी गलती इन्हीं की है। ''66 प्रतिशत बलात्कार से पीड़ितों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। वह पानी भी भरती है तो हैण्डपम्प धोकर इस्तेमाल करते है लोग क्योंकि उसके साथ 5 लड़कों ने दुष्कर्म किया था।'' अपने-अपने स्तर पर सरकार चुप समाज खामोश। समाज और कानून की नजरों में असली अपराधी रेप करने वाला नहीं होता है, बल्कि असली अपराध तो दुष्कर्म का केस दर्ज होने के बाद होता है। यानि रेप पीड़िता असली अपराधी हो जाती है जब वह थाने जाकर उसके साथ हुये बलात्कार का रिपोर्ट दर्ज करवाती है।

ऐतिहासिक ग्रंथ ही महिलाओं को उत्पीड़ित करने से भरे पड़े हैं। लक्ष्मण ने सूर्पनखा की नाक काटी, राम ने अपनी गर्भवती पत्नी को त्याग दिया और फिर

उसकी अग्नि परीक्षा तक ली। होलिका को जिन्दा जला दिया गया। पांचाली जिसके पांच पति थे, उन्होंने पांचाली को जुँआ में रख उसे हार गया। ''मध्यप्रदेश के कटनी जिले में 10 साल की लड़की का रेप बाद में मार दिया गया जिसकी बाडी एक अनउपयोगी बायोगैस टैंक में मिली।'' ये जो एक अपराधी नस्ल पैदा हुई है वह हमारी लचर व्यवस्था के कारण हुई है। क्योंकि उसी सड़ी-गली मानसिकता के बैठे लोग उनका सपोर्ट करते है। ''आभा जगत ट्रस्ट की अध्यक्ष शिवा पाण्डे कहती हैं, गरीब बच्चियों के बलात्कार के बहुत सारे ऐसे मामले दबा दिये जाते हैं इनकी कही कोई सुनवाई नहीं होती है। ऐसे में कसूरवार को सजा नहीं होती है। पुलिस भी तभी काम करती है, जब उस पर दबाव होता है।''

सभी देखते सुनते है कि पुलिस के द्वारा पीड़ित लड़की की रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है यहां तक कि उसे थाने से ही भगा दिया जाता है। थाने नहीं सुनते सब टालने की कोशिश करते है। कोर्ट सालों साल लगा देते है। तो अपराधी को पता हैं कि कई सालों तक तो अपराध ही सिद्ध नहीं हो सकता। ''राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरों के आंकड़ों के अनुसार प्रति बीस मिनट में किसी न किसी महिला के साथ दुष्कर्म होता है। वीरेन्द्र देव दीक्षित से लेकर राम रहीम, आशाराम, रामपाल, इच्छाधारी बाबा ओर अब दाती महाराज तक की यौन उत्पीड़न मामलों में लिप्तता सामने आ चुकी है।'' गोल्डन बाबा ने कहा कि ''देश के सभी मंदिरों और मठों में चलता है सेक्स का धंधा सारे महंत कुकर्म करते है।

''चेन्नई के अपानवरम इलाके के एक अपार्टमेंट में रहने वाले एक परिवार के एक 12 साल की लड़की के साथ 22 लोगों ने लगातार 7 महीनों तक रेप करते है। रेप करने वाले अपार्टमेंट में तैनात सिक्योरिटी गार्ड, लिफ्ट आपरेटर, प्लंबर यहां तक कि रोज पानी सप्लाई करने वाले तक भी शामिल है।'' ''मुजफ्फरपुर और देवरिया में यौन शोषण मामलों में सत्ता और एनजीओ का गठजोड़ सामने आने से यह साफ है कि स्त्री का यौन शोषण कोई व्यक्ति अकेला नहीं, शासन, प्रशासन, समाजसेवी, परिवारजन और धर्मगुरू मिलकर ''सामूहिक बलात्कार'' करते है। यह सांगठनिक यौन शोषण हैं। यह इसलिये है क्योंकि इसे धर्म की मान्यता प्राप्त है। इसलिये तो जब बलात्कार की वारदात सामने आती है तो सरकार और धर्मगुरू मौन रहते हैं और नेता या दूसरे लोग जो कुछ बोलते है तो वे वहीं धर्मसम्मत बाते कहते हैं जो स्त्री के लिये धार्मिक किताबों में लिखी हैं यानी धर्म स्त्रियों के यौन शोषण को संरक्षण देता आया है। ''निर्भया के बाद कानून में हुए बदलाव के बावजूद आंकड़े बताते हैं कि दर्ज होने वाले बलात्कार मामलों में कमी नहीं आई है। निर्भया से भी भयानक बलात्कार इस देश में हुये हैं। राष्ट्रीय अपराध रिर्काड्स ब्यूरो के अनुसार 2016 में देश भर में महिलाओं के

कुल 38947 मामले सामने आये यानी हर रोज औसतन 107 महिलायें रेप की शिकार हुई जबकि 2014 में यह औसत 90 के करीब था।''

नाबालिकों के साथ बलात्कार के मामले

वर्ष	मामले
2012	8541
2013	12363
2014	13766
2015	10854
2016	19765

देशभर में बलात्कार के दर्ज मामले

वर्ष	मामले
2005	18359
2010	22172
2011	24206
2012	24923
2013	33707
2014	36735
2015	34651
2016	38947

बलात्कारियों को मिलने वाली सजा का गिरता ग्राफ

वर्ष	फीसदी
1973	43.3%
1983	37.7%
2009	26.9%
2013	27.1%
2016	29.6%

ग्राफ के आंकड़ों की डरावनी तस्वीर यह है कि यौन शोषण का शिकार होने वालों में नाबालिक लड़कियों का प्रतिशत तेजी से बढ़ा है। इनमें पोस्को कानून के तहत दर्ज होने वाले मामलों की संख्या 3.598 से बढ़कर 8,904 तक पहुंची है। अपराधियों को सजा दिलाने में भी कमी हुई है। उत्तरप्रदेश में एक साल में महिलाओं पर होने वाले अपराधों में 24 फीसदी बढ़ोत्तरी हुई है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी एक रिपोर्ट कहती है कि 2001 से 2016 तक राज्य के ट्राइबल रैजिडेंशियल स्कूलों में 1,463 बालिकाओं की मौत हुई जिसमें ज्यादा यौन शोषण

माना गया है। मध्यप्रदेश यौन शोषण मामलों में अब्बल है। मंदसौर में बच्ची के साथ हुई जघन्यता के बाद सतना, सागर, जबलपुर, भोपाल और इंदौर में 2 हफ्ते के अंदर 5 जघन्य गैंगरैप और हत्या की दिल दहला देने वाली वारदातें हुई है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड्स ब्यूरो के अनुसार 2017 में राज्य में 5310 महिलाओं के साथ बलात्कार के मामले दर्ज हुये थे। ''भारतीय संविधान द्वारा महिलाओं के समानता हेतु कानून है। किन्तु विडम्बना यह है कि अधिकांश महिलाऐं एक्ट एवं कानून से अनभिज्ञ हैं। गृह मंत्रालय के पंजीयन ब्यूरों के अनुसार स्त्रियां हर 47 मिनट में एक बलात्कार 44 मिनट में अपहरण, 40 मिनट में छेड़छाड़ का शिकार होती हैं।''

''मी टू'' एक ऐसी मारक मुहिम है, जिसके जरिये औरतें और लड़कियां वर्कप्लेस पर अपने साथ हुये यौन शोषण का सोशल मीडिया पर खुलासा कर रही है। इसमें उनके द्वारा बताया जा रहा है कि कमैसे उनको मुर्दो से असुरक्षा महसूस हुं या उन्हें बेईज्जत होना पड़ा या फिर शारीरिक या मानसिक तोर पर प्रताड़ित होना पड़ा।'' भारत में ''मी टू'' अभियान सोशल मीडिया पर चल रहा है एक तरह का आंदोलन है। इस अभियान के जरिये महिलाएं अपने आप पर हुए यौन उत्पीड़न की घटनाएं बता रही हैं। यह अभियान एक तरह की लड़ाई है जिसमें महिलाएं अपने ऊपर हुये अत्याचारों के खिलाफ एक जुट होकर लड़ रही है। भारत में इसकी शुरूआत बालीबुड अभिनेत्री तनुश्री दत्ता ने की। उन्होंने अभिनेता नाना पाटेकर पर 25 अक्टूबर को आरोप लगाये। भारत में ''मी टू'' अभियान शुरू होने के बाद कई बड़े वालीबुड हस्तियों के नाम सामने आये हैं। नाना पाटेकर के बाद जिन पर आरोप लगाये गये हैं, उनमें विकास बहल, चेतन भगत, रजत कपूर, कैलाश खैर, जुल्फी सईद, आलोकनाथ, सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य, तमिल राइटर वैरामुथु और मोदी सरकार में मंत्री एमजे अकबर, सुहेल सेठ शामिल है। पुरूष तो आजाद पर नारी को कभी आजाद नहीं होने दिया।

धार्मिक उत्पीड़न–

अजय बंसल ने 'दि इवोल्यूशन ऑफ गाड्स'' किताब का हिन्दी भाषा में अनुवाद किया जिसका शीर्षक ''मनुष्यों ने देवताओं को बनाया, क्यों, कब और कैसे'' है। अजय बंसल ने इस पुस्तक में बताया हैं कि मनुष्य ने जिन शक्तियों को काबू नहीं कर सका तो वह उन्ही के कारण उसकी पूजा अर्चना करने लगा। जैसे सूर्य और वर्षा का होना। इन्हीं डर का उपयोग कर कुछ मनुष्यों ने धार्मिक कर्मकांड को विकसित करने लगे। डर और उस डर से समय को ''ओझाओं ने नये-नये देवताओं को खोजा था।'' डर ने ही मनुष्य को दिमाग में ईश्वर को पैदा किया। इसलिये मनुष्य द्वारा मनुष्यों पर किये जा रहे हिंसक घटनाओं के बावजूद

उसकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं होती हैं।

भारतीय महिलाओं के साथ धार्मिक उत्पीड़न भी बहुत ज्यादा किया जा रहा है। हो सकता है कि महिलाओं को इस उत्पीड़न की जानकारी हो किन्तु उन्हें इसका एहसास न होता हो। यह महिलाओं के द्वारा सम्पन्न किये जाने वाले धार्मिक क्रियाकलापों के द्वारा जाना जा सकता है। धार्मिक उत्पीड़न महिलाओं को प्रसिद्ध और बड़े मंदिरों में प्रवेश करने से रोकता है। धर्म महिलाओं के प्राकृतिक गुण को अशुद्ध मानता है जिसके चलते मनुष्य सभ्यता का संचार हो रहा है उसे अशुद्ध कहकर स्त्री सहित प्रकृति का भी उपहास करता है। स्त्री को हीन भावना में ढकेलने का काम कर रहा है जो कि स्त्री होने की स्वतंत्रता का हनन करने के साथ ही उसे अपमानित भी करता है। केरल के प्रसिद्ध सबरी माला मंदिर में 10 साल से लेकर 50 साल तक की महिलाओं के प्रवेश करने पर सदियों से पाबंदी थी। मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के लिये याचिका में इसे चुनौती दी गई। बीते वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने सबरी माला मंदिर में हर उम्र की महिलाओं के प्रवेश को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं के प्रवेश की इजाजत दे दी थी। कई महिलायें भगवान अयप्पा के दर्शन के लिये सबरी माला पहुँची लेकिन विरोध प्रदर्शन के चलते महिलाओं को वाापस होना पड़ा। लेकिन सुबह तड़के करीब 3:45 बजे साल की दो महिलाओं ने सबरीमाला में प्रवेश किया और दर्शन पूजा की। महिलाओं के प्रवेश के बाद मंदिर को शुद्धीकरण की प्रक्रिया के लिये बंद कर दिया। सबरीमाला मंदिर में दर्शन के लिये पहुंची सामाजिक कार्यकर्ता तृप्ति देसाई और 6 अन्य महिलाओं को हिन्दूवादी प्रदर्शनकारियों के भारी विरोध के बीच वापस लौटना पड़ा था। कई महिनों से तृप्ति देसाई अपनी भू माता बिग्रेड के साथ कई धार्मिक स्थलों में महिलाओं को बराबरी का स्थान दिया गया है। लेकिन धर्म के ठेकेदारों ने अपनी ठेकेदारी चलाने के चक्कर में महिलाओं पर कई तरह की पाबन्दियां लगाई हुई है। इन पाबन्दियों को उचित ठहराने के लिये उन्होंने कई तरह के बहाने गढ़ रखे हैं, उनका विरोध बहुत जरूरी है। धर्म महिलाओं की सबसे बड़ी कमजोरी है और महिलाओं के उत्थान के लिये जरूरी है कि उन्हें धर्म की बेड़ियों से आजाद करवाया जाये ताकि इनके साथ होने वाले धार्मिक भेदभाव को समाप्त किया जा सकें नहीं तो ये महिलायें चुपचाप उस भेदभाव को सिर झुका कर स्वीकार करती रहेगी।'' भारतीय महिलायें भी अजीब है दुनिया के विकसित देशों की महिलायें विज्ञान की ओर बढ़ कर अपना सम्पूर्ण विकास कर रही है और दूसरी तरफ भारतीय महिलाएं धर्म और भगवान के पीछे भाग रही हैं जहां उन्हें सिर्फ और सिर्फ तिरस्कार ही मिल रहा है। ज्ञान, विज्ञान और विकास का कोई अता पता ही नहीं है। सामाजिक कार्यकर्ता तृप्ति देसाई का भी कहना है कि

महिलाओं को उनमें प्रवेश करने की जंग लड़ने की अपेक्षा उनका बहिष्कार करना ज्यादा बेहतर होगा। भारत देश धर्मांध हैं उनका संबंध गरीबी, आर्थिक विषमता, लैंगिक भेदभाव, शिशु मृत्युदर, नरसंहार के सूचकांकों का सीधा संबंध पाया गया है। ऐसे देश में महिलाओं की स्थिति क्या है, समझा जा सकता है।

''धर्म के रखवाले आज भी इन तबकों को धर्म के अमानवीय कायदों के शिंकजे में कस कर रखना चाहते हैं। आज भी समाज में पुरानी मानसिकता कायम है। धर्म स्त्रियों के खिलाफ अपना दबदबा बनाये रखने के लिये पूरी ताकत के साथ जुटा हुआ है। धार्मिक वातावरण में लगातार घटती घटनाओं से स्पष्ट है कि धर्म के धंधेबाज धर्म के नियम कायदों के नाम पर भ्रम बनाये रखना चाहते हैं। धर्म का यह अमानवीय पक्ष है जो समानता का दुश्मन तो है ही, मानवता का संहारक भी है।''

सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों की तरह राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति नगण्य है। ''भारतीय राजनीति में इतने वर्षो बाद भी महिला की भागीदारी बहुत कम बनी हुई है। कई दशकों बाद भी महिला को अभी तक लोकसभा व विधानसभा में 33 प्रतिशत आरक्षण देने के बिल को रखने के दौरान सदन में किस तरह के व्यवहार व दुर्व्यवहार की घटनायें सामने आती है। कभी तो बिल सदन में रखने के साथ फाड़ दिया जाता है, तो कभी पास नहीं करने के नये-नये तरीके समझायें जाते है। देश के प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा व कांग्रेस ने पार्टी के संगठन में इनके लिये 33 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव तो रखा है पर ये स्वयं इसका ईमानदारी से पालन नहीं करते।'' ऐसे ही हालात पंचायतों में हैं। पंचायतों में महिलाओं के लिये पचास प्रतिशत आरक्षण किन्तु वही बात जब बारी आती है तो हंगामा शुरू कर दिया जाता है। महिलाओं के सशक्तिकरण की बड़ी-बड़ी बातें जरूर की जाती हैं किन्तु राजनैतिक सशक्तिकरण की जहां कि आवश्यकता है उसके लिये ये भी जारी है कि महिलाओं का भी विधानसभा व लोकसभा में पर्याप्त महत्व मिलना चाहिए जो कि महिलाओं को नेतृत्व उतना सशक्त नहीं है। मध्यप्रदेश के विंध्य क्षेत्र में भी महिलाओं की स्थिति कमतर है। ''महिलाओं का उपयोग पार्टियां जहां अपने लिये वोट बैंक के लिये तो करती है किन्तु लोकसभा व विधानसभा के चुनावों में टिकट देने के लिये उतना महत्व नहीं दिया जाता। इसलिये भाजपा महिला नेत्रियों का भी इस पार्टी से मोह भंग होता जा रहा है।'' ''देश के प्रथम आम चुनाव 1952 से लेकर अभी तक सिर्फ 14 महिलाओं को ही मुख्यमंत्री बनने का गौरव हासिल हुआ है।'' इनमें से अधिकांश ने तो अपना पूर्ण कार्यकाल भी नहीं कर सकी है।

लोकसभा में महिलाओं की उपस्थिति-

भारत में लोकसभा का प्रथम आम चुनाव 1952 में हुए। संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार लोकसभा में कुल सदस्य संख्या 552 से अधिक नहीं होगी। वर्तमान में लोकसभा सदस्य संख्या 545 हैं जिसमें दो आंग्ल भारतीय मनोनीत होते हैं। लोकसभा में प्रथम आम निर्वाचन से लेकर आज तक के निर्वाचनों में महिला सांसदों के निर्वाचन की स्थिति-

वर्ष	कुल सदस्य संख्या	महिला संख्या प्रतिशत	प्रतिशत
1952	499	22	4.4
1957	500	27	5.4
1962	503	3	6.8
1967	523	31	5.9
1971	521	22	4.2
1977	544	19	3.3
1980	544	38	5.2
1984	544	44	8.1

www.journalistsdharamveer.blog.spot.com

वर्ष	कुल सदस्य संख्या	महिला संख्या प्रतिशत	प्रतिशत
1989	517	27	5.2
1991	544	39	7.2
1996	543	39	7.2
1998	543	43	7.9
1999	545	49	5.65
2004	539	44	5.16
2009	545	60	11.0
2014	543	61	11.3

www.journalistsdharamveer.blog.spot.com

उपरोक्त आंकड़ों के आधार पर यह समझा जा सकता है कि लोकसभा में महिलाओं की उपस्थिति कभी 11 फीसदी से ऊपर नहीं गई। 16 वीं लोकसभा में सिर्फ एक महिला सांसद की वृद्धि हुई।

महिलाओं के राजनीति में आगे नहीं बढ़ने देने के अनेक कारण हैं-राजनीतिक दल महिलाओं को राजनीति में आगे बढ़ाने की बात तो करते है लेकिन इनकी इच्छाशक्ति नहीं है। साथ ही वे पुरूष प्रधान समाज की भूमिका को कम होने देना नहीं चाहता हैं। कई राजनीतिक दलों के नेता सोचते हैं कि महिलाओं को टिकट देने से यदि वे निर्वाचित होगी तो पुरूष का राजनीति से सफाया हो जायेगा।

राजनीति से पुरूषों का सफाया न हो जाए इस डर से राजनीति करने वाले पुरूष नहीं चाहते है कि राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़े। इसलिये वे राजनीतिक पार्टियां जिनके सर्वे सर्वा पुरूष है उन राजनीतिक पार्टियों में महिलाओं की स्थिति निराशाजनक है।

निष्कर्ष–

भारत के विविध व्यवस्थाएं खोखली व्यवस्थाएं हैं जो सभी को डम्प रखना चाहती है। भारतीय संविधान ने महिलाओं को अनेकों अधिकार प्रदान किये हैं। संविधान प्रदत्त अधिकार होने के बावजूद महिलाओं की ऐसी दशा है जैसे उन्हें किसी प्रकार का कोई अधिकार ही न दिया गया हो ऐसी व्यवस्था बना दी गई है जैसे महिला मानवीय श्रेणी में आती ही न हो। संविधान प्रदत्त अधिकारों के बावजूद इनकी ये हालत हैं तो इसके पूर्व इनकी ऐसी दशा थी कि अछुत महिलाओं को उनका स्तन तक ठकने का अधिकार नहीं था। संविधान लागू होने के बाद से इनके हालातों में न से बेहतर बदलाव किये गये हैं ताकि शासक वर्ग को अच्छा माना जा सकें पर हालात को नहीं। ऐसा नहीं है कि महिलाओं के विभिन्न बिन्दुओं को लेकर नकारात्मकता भरी हुई है, बल्कि मैं उन पहलुओं को देखना सुनना और समझना चाहता हूँ जिन पहलुओं को बताया ही नहीं जाता है। थोड़ा से अच्छा करते है और इसी थोड़े को बहुत बड़ा बता कर दिखाया जाता है जो कि यथास्थिति से परे होती है।

भारत का वर्चस्ववादी पुरूष अपने विकास हेतु जितने आयामों का विस्तार करता है उन सभी क्षेत्रों में महिलाओं का उतना ही प्रवेश और विकास होने देता है जितना वह स्त्री का उपयोग कर सकें। आज भी नारियों को सिर्फ उपभोग की नजर से देखा जाता है। पुरूष मानसिकता में बहुत खास बदलाव न होने के कारण आज भी जिसे आधुनिक युग करते है इनके साथ उत्पीड़न जारी है।

==========

संदर्भ ग्रंथ सूची–

पुस्तक -

1. भारत में महिला अधिकार-डॉ. विप्लव, प्रथम संस्कारण-2012, पृ.संख्या 19, प्रकाशक राहुल पब्लिकेशन हाउस, 348/6, भरतरामरोड दरियागंज, नई दिल्ली
2. राजोरिया शोभा-महिला और कानून,प्रथम संस्कारण-2011, पृ.सं.231 प्रकाशक- Bluestars 49, 4th floor, moon plaza, Nehru Street, central spine, Indore (M.P.)
3. प्रियदर्शिनी विजयश्री-देवदासी या धार्मिक वेश्या? एक पुनर्विचार, प्रथम संस्कार-2010 (अनुवादक-विजय कुमार झा), पृ.सं. 25, प्रकाशक-वाणी प्रकाशन, 4695, 21-एं, दयिागंज, नयी दिल्ली.

4. अजय बसंल-मनुष्य ने देवताओं को बनाया, क्यों, कब और कैसे-संस्करण-2012 पृ.सं. 65, प्रकाशक-डायमंड पॉकेट बुक्स (प्रो.) लि. X-30, ओखला इण्डस्ट्रियल एरिया, फेज-II, नई दिल्ली.

पत्रिका -

1. ओपिनियन पोस्ट-16-31 जुलाई 2018, पृ. 17, 23, 25, 19
2. सरिता-जनवरी (द्वितीय) 2019-पृ.43, 44, 46
3. सरिता-अगस्त (द्वितीय) 2018-पृ.48, 52, 48-49, 50, 52.
4. सरल सलिल-अगस् त (प्रथम) 2017-पृ.-21
5. सरिता-मार्च (प्रथम) 2019-पृ.21
6. सरल सलिल-नवम्बर (द्वितीय) 2018-पृ.08

समाचार पत्र-

1. स्टार समाचार, 17-11-2018, पृ. 01
2. विंध्य भारत - 30-10-2018-पृ.03
3. पत्रिका (भोपाल) 1 मार्च 2019
4. स्टार समाचार-2 नवम्बर 2018-पृ.06
5. गुड मॉर्निंग-8 नवम्बर 2017, पृ. 03
6. यश भारत (रीवा), 02 मार्च 2019, पृ. 01
7. पत्रिका, 27.06.2018
8. प्रजातंत्र (इन्दौर) 7 मार्च 2019
9. स्टार समाचार-06.07.2015, पृ. 07

रिसर्च जनरल-

1. Research Journal of Arts, Management and Social Science vol XIII-I, Sept. 2015, P. 271, Journal of Centre for Research Studies, Rewa P-272.
2. Research Journal of Social and Life Sciences, P-29, Vol. XXV-III Sept. 2018, Josurnal of Centre for Research Studies, Rewa, हिन्दी संस्करण, वर्ष 13 प्रकाशक-गायत्री पब्लिकेशन, रीवा.
3. Sodha Pravaha, A Multidisciplinary Reference Research Journal, Voll. VIII, January 2018, P.37, Academic Staff Banaras Hindu University, Varanasi, U.P.
4. Shodprerak, A mutlidisciplinary Quanterly International Rejered Research Josurnal, P-223, vol.-VIII, Issue-1
5. Research Journal of Arts, management & social sciences (halfyearly) Vol. XVII-1, Year-9, Hindi P-09, 53 Sept. 2017, Journal of centre for Research studies, Rewa (M.P.)

1. https://hi.m.wikipedia.org/wiki/कन्या भ्रूण हत्या
2. https://hinduitihash.blogspot.com/2018/10/essay-on-female-focticide-in-hindi. html?m=1
3. https://www.indiaspendhindi.com/covor-story.

4. https://m.dw.com/hi/a-378-22117
5. https://www.kulhaiya.com/india/ling-anupaat.
6. https://m.navbharattimes.indiatimes.com/-/articleshow/-2006-981346.cms.
7. https://gorakhpurnewsline.com/7478-2/
8. https://www.theinspireindia.com/bhaarat-mein-ling-bhedabhaav-kee-maanasikata/
9. https://m.dailyhunt.in/news/India/hindi/the+dailygraph-epaper-tdaigr/.... galden+baba-newsid-105210815P=a&55=wsp.
10. https://m.dailyhund.in/news/africa/hindi/rajexpress/metoo+saaie+janta+hai+kya+hai+mi +u+abhiyan+aur+kabhui+iski+ shuruaat-newsid-99079089
11. https:// hi.m.wikipedia.org/wiki/
12. https:// www.navbharattimes.indiatimes.com
13. https:// outlook hindi.com-honourkilling in south India.
14. https://m.dailhunt.in/news/india/hindi/haribhoomi-epaper-hari/sabarimala +mandir + vivad+ kya+hai+jane+soneabarimala+mandir+ka+rahasy=newsid-105319806?
15. https://readevblog.navbharattimes.indiatimes.com/shinning.india/97
16. https://hi.m.wikipedia.org/wiki
17. https://m-hindi.webdunia.com/Independence-day-2008
18. https://fjournalistdharmveer.blogspot.com/2012/05/blog-spot.html?m=1
19. https://www.bbc.com/hindi/india/2014/05/140518_progile_16th_Loksabha_India_v
20. https://hi.unionpedia.org.
21. https://feminisminindia.com/2017/05/17/palriarchy-explaine-r-hindi/vkf[kj ;s fir`lRrk D;k gS\ vkbZ;s tkusA
22. https://hi.m.wikipedia.org/wiki/fir`lRrk
23. https://hi.auora.com/fir`lRrk dSls fodflr gqbZ\ nwljksa lekt esa ;g
24. https://www.ndtv.com/india-news/10year-old-girl-raped-in-madhyapradesh-body -found-in-a-tank-2001961?amp=1&akamai-rum=0ff.

भारत में महिला मानवाधिकारों का संरक्षण, सिद्धांत एवं व्यवहार

* दुर्गा खत्री

विश्व में प्राचीनकाल से ही किसी ने किसी रूप में मानवाधिकारों की अवधारणा का अस्तित्व रहा है। प्राचीन यूनान में प्लेटो एवं अरस्तु का न्याय सिद्धान्त सामने आया! प्राचीन भारत में महाभारत के शांति पर्व में राजा के आचरण के बारे में कहा गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रजा के कल्याण में राजा का कल्याण बताया गया है। मानव अधिकारों के संबंध में भारतीय परम्परा को देखे तो यह स्पष्ट होता है कि हमारे यहां मानवाधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए सभी प्रकार की व्यवस्थायें की गई है। वसुधैव कुटुम्बकम का सार्वभौमिक सिद्धान्त हमारी संस्कृति का मूलमंत्र रहा है। जिसमें न केवल अपने देश बल्कि सम्पूर्ण विश्व के प्राणियों को एक ही परिवार का सदस्य माना गया है।मानव अधिकार वह अधिकार है, जो प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के नाते प्राप्त होते हैं बिना किसी राष्ट्रीयता, जाति, लिंग, सम्प्रदाय, व्यवसाय, धर्म आदि के भेदभाव के प्राप्त होते हैं। मानवाधिकार से तात्पर्य व्यक्ति के जीवन, स्वतन्त्रता, समानता एवं गरिमा से सम्बन्धित अधिकारों से हैं, जो उसे उस देश के संविधान से प्राप्त होते हैं।

हमारे देश का संविधान भी नागरिकों के लिये मौलिक अधिकारों की व्यवस्था करता है। संविधान के भाग (3) में अनुच्छेद 12 से 35 तक नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के अधिकार प्रदान किये गये हैं। संविधान में अधिकारों के संरक्षण की भी व्यवस्था की गई है।

भारतीय संसद ने मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 पारित किया, जिसके तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई।

शोध प्रविधि–

प्रस्तुत शोध पत्र विश्लेषणात्मक, वर्णनात्मक तथा तथ्यात्मक प्रकृति का

---

* प्रवक्ता, राजनीति विज्ञान राजकीय कन्या महाविद्यालय, अजमेर

है। शोध पत्र तैयार करने के लिये मुख्य रूप से द्वितीय प्रविधि स्त्रोतों का प्रयोग कियागया है। प्रस्तुत विषय के संयोजन, तथ्य संकलन व समायोजन में तार्किक बौद्धिकता से प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

भूमिका–

मानव अधिकार वह अधिकार है जो व्यक्ति की गरिमा एवं सम्मान से जुड़े होते हैं। मानव अधिकार ही समाज में ऐसा वातावरण उत्पन्न करते हैं जिसमें सभी व्यक्ति समानता व गरिमा के साथ अपना जीवन यापन कर सके।

ऐतिहासिक रूप से मानवाधिकारों के लिए संघर्ष 15 जून 1215 से होता है। जब ब्रिटेन के सीमेड नामक स्थान पर तत्कालीन सम्राट जॉन को उसके सामान्तों द्वारा मानवधिकारों को मान्यता देने वाले घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया गया। इतिहास में इसे मैग्नाकार्टा के नाम से जाना जाताहै। 1689 का अधिकार पत्र मानवाधिकारों के क्षेत्र में मील का पत्थर सिद्ध हुआ। 1776 में अमरीका स्वतंत्रता संघर्ष मानवाधिकारों का संघर्ष है, जिसमें कहा गया कि ''सभी मनुष्य जन्म से समान है।''

फ्रांस में 1789 की क्रांति में स्वतंत्रता समानता और भातृत्व के नारे ने मानवाधिकारों को दिशा प्रदान की। 1791 में अमेरिका के संविधान में प्रथम दस संशोधनों द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की घोषणा की गई। जिसका प्रभाव विश्व के अन्य देशों के संविधानों पर पड़ा। भारत का स्वतंत्रता संग्राम मानवाधिकारों के संघर्ष की गौरवमय कहानी है। गांधी जी का मानना था कि सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक स्वतंत्रता के बिना आथिक स्वतंत्रता अधूरी है। वर्ष 1931 में कराची कांग्रेस अधिवेशन में अधिकारों की मांग की गई।

मानवाधिकारों के विकास में महत्वपूर्ण घटना संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकारों की सावैभौमिक घोषणा है।

संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा 10 दिसम्बर 1948 को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई। जिसमें कहा गया कि ''संयुक्त राष्ट्रसंघ मानव जाति के सम्मान उसकी गरिमा, उसके मूल अधिकार, स्वतंत्रता, और स्त्री पुरूष के समान अधिकारों को स्वीकार करता है।''

हमारे देश का संविधान भी नागरिकों के लिये मौलिक अधिकारों की व्यवस्था करता है। संविधान के भाग (3) में अनुच्छेद 12 से 35 तक नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के अधिकार प्रदान किये गये हैं। संविधान में अधिकारों के संरक्षण की भी व्यवस्था की गई है।

भारतीय संसद ने मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में पारित किया, जिसके तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की

स्थापना की गई।

तथ्य विश्लेषण–

भारत में महिला मानव–अधिकारों की स्थिति–

महिलाओं के अधिकारों की प्राप्ति के लिए भारत में भी लम्बे संघर्ष की कहानी है। सदियों से भारत में पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, सती प्रथा अधिकार विहीनतता, रूढ़िवादिता समाज का अंग रहा था। परन्तु उन्नीसवीं शताब्दी में पश्चिमी शिक्षा के आगमन के परिणामस्वरूप महिला अधिकारों की मांग जोर पकड़ने लगी तथा महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा दिया जाने लगा। भारत में 1915 से 1927 के बीच कई महिला संगठनों की स्थापना हुई तथा स्वतंत्रता के बाद सरकार द्वारा महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए कई संवैधानिक व कानूनी कदम उठाए गये।

महिला अधिकारों हेतु संवैधानिक प्रावधान–

स्वतंत्रता के बाद महिलाओं को सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक रूप से विकास के समान अवसर प्रदान करने के लिये संविधान में कुछ विशेष प्रावधान किये गये है संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों और उनमें किये गये महिला अधिकारों हेतु प्रावधान इस प्रकार है -

अनुच्छेद	महिलाओं के लिए उपयोगी प्रावधान
अनु. 12	राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा चाहे वह स्त्री हो या पुरुष।
अनु. 15 (3)	महिलाओं एवं बच्चों को कुछ विशेष सुविधायें प्रदान की गई।
अनु. 16	सरकारी सेवाओं में बिना किसी भेदभाव के समान अवसर
अनु. 19	समान रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
अनु. 23-24	नारी क्रय-विक्रय व बेगार प्रथा पर रोक
अनु. 39 (घ)	स्त्री-पुरूष दोनों को समान कार्य के लिये समान वेतन
अनु. 42	महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता
अनु. 51 (क) (ड़)	प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह .... ऐसी प्रथाओं का त्याग करेगा जो स्त्रियों के सम्मान के विरूद्ध हो।
अनु. 243 (न) (घ)	पंचायतीराज एवं नगरीय संस्थाओं में 73वें व 74वें संशोधन के माध्यम से महिलाओं हेतु आरक्षण की व्यवस्था।

महिलाओं के मानवाधिकारों की रक्षा के लिये भारतीय संसद द्वारा निम्नलिखित अधिनियम पारित किये गये-

1. हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 - इसके द्वारा महिलाओं को पैतृक सम्पति में अधिकार दिया गया।
2. अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 वेश्यागृह चलाने या परिसर को वेश्यागृह के रूप में प्रयुक्त करने पर दण्ड की व्यवस्था।
3. बाल विवाह निषेध अधिनियम, 1976- संविधान द्वारा निर्धारित कम उम्र

की बालिकाओं के विवाह पर प्रतिबंध।

4. दहेज निषेध अधिनियम 1986, विवाह में दहेज के लेन देने पर प्रतिबंध।
5. सती प्रथा निषेध अधिनियम 1987-महिलाओं को पति की मृत्यु के बाद सती होने पर प्रतिबंध।
6. 73वाँ व 74 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1992 - महिलाओं को त्रिस्तरीय पंचायती राज नगर पालिकाओं में एक तिहाई आरक्षण।
7. प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994- गर्भावस्था में बालिका भ्रूण की पहचान करने पर रोक लगाने की व्यवस्था।
8. घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु अधिनियम, 2005- पति या उसके साथ रहने वाले किसी भी पुरूष या उसके संबंधियों की हिंसा या प्रताड़ना से पत्नी या साथ रह रही किसी भी महिला को सुरक्षा प्रदान करना।
9. महिलाओं के लिये ससंद में 33 प्रतिशत आरक्षण का बिल 8 मार्च 2010 को राज्य सभा में पारित हो चुका है, लोकसभा में लंबित है।

राष्ट्रीय महिला आयोग–

महिलाओं के मानवाधिकारों की रक्षा हेतु 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। आयोग में एक अध्यक्ष व पांच सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के अलावा कई राज्यों में भी महिला आयोग का गठन किया गया है। इसके अलावा सरकार द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण नीति-2001 बनाई गई है, जो महिलाओं के विकास का मार्ग प्रशस्त करती है।

महिला अधिकारों हेतु वैश्विक पहल–

विश्व स्तर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था जैसे-जैसे सुदृढ़ हुई महिलाओं को सशक्त करने की मुहिम भी तेज हुई। महिलाओं को न्याय, समानता, स्वतंत्रता, समान अवसर, पारिवारिक सम्पति में हिस्सेदारी, खान-पान रहन-सहन, शिक्षा आदि मामलों में महिलाओं को न केवल पुरूषों के बराबर लाने का प्रयास किया गया बल्कि उनके सम्मान एवं निष्ठा की रक्षा के लिये भी विशेष प्रावधान विश्व के विभिन्न देशों में किये गये।

महिला अधिकारों के लिये वैश्विक पहल के कुछ ऐतिहासिक मुख्य बिन्दु-

* आधुनिक नारीवादी आन्दोलन की संस्थापक मेरी वुल्स्टन थी, जिसकी महिला अधिकारों पर पुस्तक विन्डीकेशन, ऑफ दी राइट्स ऑफ वीमन'' 1792 ब्रिटेन में प्रकाशित हुई।
* न्यूयार्क शहर में लोउर ईस्ट इलाके में शोषण एवं अत्याचार से त्रस्त महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए 8 मार्च 1857 को बगावत की। इसी समय से प्रतिवर्ष 8 मार्च में महिला दिवस मनाया जाता है।

* 1897 में विश्व में सर्वप्रथम न्यूजीलैण्ड में महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ।
* 1953 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों को स्वीकार किया गया।
* महिलाओं के विरूद्ध सभी प्रकार के भेदभाव की समाप्ति पर प्रसंविदा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 18 सितम्बर 1979 को स्वीकृत की गई जो 1981 में लागू हुई।

निष्कर्ष–

लेकिन वर्तमान समय में महिलाओं को सभी तरह के अधिकार दिये जाने के बावजूद भी महिलाओं पर शोषण व अत्याचार जारी है। आज महिलायें अपने ही घर में सुरक्षित नहीं है और अपनो के द्वारा शोषण व अत्याचार की शिकार है। आज 21वीं सदी महिलाओं की सदी है, लेकिन यह तभी सच होगा जब महिलाओं को राजनीतिक सामाजिक व आर्थिक विकास के अवसर प्राप्त होंगे और उन्हें उनके अधिकार मिलेंगे। यह तभी सम्भव होगा जब वह शिक्षित एवं जागरूक होगी।

==========

संदर्भ ग्रंथ सूची–

1. डा. पूरण मलः मानवाधिकार, सामाजिक न्याय और भारत का संविधान।
2. मौर्य, भारत में महिला मानवाधिकार।
3. डॉ. मीनाक्षी सिंह, महिला अधिकार एवं महिला श्रम।
4. त्रिपाठी मधुसुदन, संविधान और महिला अधिकार।
5. प्र.द. मई 2016, अप्रैल 2016

भारत में महिला सशक्तिकरण की स्थिति

* डॉ. मधुलिका श्रीवास्तव
** उमेश सिंह

साधारण शब्दों में महिलाओं के सशक्तिकरण का मतलब है कि महिलाओं को अपनी जिंदगी का फैसला करने की स्वतंत्रता देना या उनमें ऐसी क्षमताएं पैदा करना ताकि वे समाज में अपना सही स्थान स्थापित कर सकें।

'महिला' अपने आप में एक परिपूर्ण शब्द जो अपने भीतर बहुत कुछ छिपाये हुए है वो मां है वो बहन है वो बीबी है और क्या-क्या है ये बताने की जरूरत नहीं, समाज में मजबूती से अपना योगदान देती महिलायें सब कुछ बगैर कहे ही बयां कर जाती हैं... अपने आस पास के परिवेश को देखें घरेलू महिलाओं के साथ-साथ पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर काम करतीं कामकाजी महिलायें ये समाज की कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जिससे ना सिर्फ जिंदगी और उससे जुड़ी तमाम खुशियों में इजाफा होता रहता है।

'महिला सशक्तिकरण' या Women Empowerment अक्सर ये शब्द 'अन्तराष्ट्रीय महिला दिवस' जो 8 मार्च को मनाया जाता है उस वक्त इसका जिक्र बड़ी ही प्रमुखता के साथ होने लगता है और कहा जाता है कि देश की तरक्की करनी है तो महिलाओं को सशक्त बनाना होगा। महिलायें कितनी सक्षम हैं ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है महिलाओं ने खुद ही अपनी हिम्मत और श्रम से हर समाज और हर दौर में इसे साबित किया है।

साधारण शब्दों में महिलाओं के सशक्तिकरण का मतलब है कि महिलाओं को अपनी जिंदगी का फैसला करने की स्वतंत्रता देना या उनमें ऐसी क्षमताएं पैदा करना ताकि वे समाज में अपना सही स्थान स्थापित कर सकें। भारत का संविधान दुनिया में सबसे अच्छा समानता प्रदान करने वाले दस्तावेजों में से एक है। यह विशेष रूप से लिंग समानता को सुरक्षित करने के प्रावधान प्रदान करता है।

आज महिलाएं अपने कैरियर को लेकर गंभीर हैं, हांलाकि, मानसिक,

==========

* प्राध्यापक, समाजशास्त्र विभाग, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा।
** शोध छात्र, समाजशास्त्र, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

शारीरिक और यौन उत्पीड़न, स्त्री द्वेष और लिंग असमानता इनमें से ज्यादातर के लिए जीवन का हिस्सा बन गई हैं।

देश के कानून में महिलाओं को दिए गए हैं ये अधिकार–

* **समान वेतन का अधिकार**– समान पारिश्रमिक अधिनियम के अनुसार, अगर बात वेतन या मजदूरी की हो तो लिंग के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जा सकता।

* **वर्किंग प्लेस में उत्पीड़न के खिलाफ कानून**– यौन उत्पीड़न अधिनियम के तहत आपको वर्किंग प्लेस पर हुए यौन उत्पीड़न के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का पूरा हक है। केंद्र सरकार ने भी महिला कर्मचारियों के लिए नए नियम लागू किए हैं, जिसके तहत वर्किंग प्लेस पर यौन शोषण की शिकायत दर्ज होने पर महिलाओं को जांच लंबित रहने तक 90 दिन की पेड लीव दी जाएगी।

* **मातृत्व संबंधी लाभ के लिए अधिकार**– मातृत्व लाभ कामकाजी महिलाओं के लिए सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि ये उनका अधिकार है। मातृत्व लाभ अधिनियम,1961 के तहत मैटरनिटी बेनिफिट्स हर कामकाजी महिलाओं का अधिकार है। मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट के तहत एक प्रेग्नेंट महिला 26 सप्ताह तक मैटरनिटी लीव ले सकती है. इस दौरान महिला के सैलरी में कोई कटौती नहीं की जाती है।

* **कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार**– भारत के हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो एक महिला को उसके मूल अधिकार- 'जीने के अधिकार' का अनुभव करने दें। गर्भाधान और प्रसव से पूर्व पहचान करने की तकनीक (लिंग चयन पर रोक) अधिनियम (PCPNDT) कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार देता है।

* **संपत्ति पर अधिकार**– हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत नए नियमों के आधार पर पुश्तैनी संपत्ति पर महिला और पुरुष दोनों का बराबर हक है।

* **पिता की संपत्ति पर अधिकार**– भारत का कानून किसी महिला को अपने पिता की पुश्तैनी संपति में पूरा अधिकार देता है। अगर पिता ने खुद जमा की संपति की कोई वसीयत नहीं की है, तब उनकी मौत के बाद संपत्ति में लड़की को भी उसके भाइयों और मां जितना ही हिस्सा मिलेगा यहां तक कि शादी के बाद भी यह अधिकार बरकरार रहेगा।

* **नाम न छापने का अधिकार**– यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाओं को नाम न छापने देने का अधिकार है, अपनी गोपनीयता की रक्षा करने के लिए

यौन उत्पीड़न की शिकार हुई महिला अकेले अपना बयान किसी महिला पुलिस अधिकारी की मौजूदगी में या फिर जिलाधिकारी के सामने दर्ज करा सकती है।

* **पति की संपत्ति से जुड़े हक**– शादी के बाद पति की संपत्ति में तो महिला का मालिकाना हक नहीं होता, लेकिन वैवाहिक विवादों की स्थिति में पति की हैसियत के हिसाब से महिला को गुजारा भत्ता मिलना चाहिए,पति की मौत के बाद या तो उसकी वसीयत के मुताबिक या फिर वसीयत न होने की स्थिति में भी पत्नी को संपत्ति में हिस्सा मिलता है। शर्त यह है कि पति केवल अपनी खुद की अर्जित की हुई संपत्ति की ही वसीयत कर सकता है, पुश्तैनी जायदाद की नहीं।

* **घरेलू हिंसा के खिलाफ अधिकार**– ये अधिनियम मुख्य रूप से पति, पुरुष लिव इन पार्टनर या रिश्तेदारों द्वारा एक पत्नी, एक महिला लिव इन पार्टनर या फिर घर में रह रही किसी भी महिला जैसे मां या बहन पर की गई घरेलू हिंसा से सुरक्षा करने के लिए बनाया गया है, आप या आपकी ओर से कोई भी शिकायत दर्ज करा सकता है।

* **रात में गिरफ्तार न होने का अधिकार**– आपराधिक प्रक्रिया संहिता, सेक्शन 46 के तहत एक महिला को सूरज डूबने के बाद और सूरज उगने से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। किसी खास मामले में एक प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही यह संभव है। बिना वारंट के गिरफ्तार की जा रही महिला को तुरंत गिरफ्तारी का कारण बताना जारी होता है। उसे जमानत से जुड़े उसके अधिकारों के बारे में भी जानकारी दी जानी चाहिए, साथ ही गिरफ्तार महिला के नजदीकी रिश्तेदारों को तुरंत सूचित करना पुलिस की ही जिम्मेदारी है।

* **पति–पत्नी में न बने तो**– अगर पति-पत्नी साथ न रहना चाहें, तो पत्नी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने और बच्चों के लिए गुजारा भत्ता मांग सकती है, अगर नौबत तलाक तक पहुंच जाए, तब हिंदू मैरिज ऐक्ट की धारा 24 के तहत मुआवजा राशि तय होती है, जो कि पति के वेतन और उसकी अर्जित संपत्ति के आधार पर तय की जाती है।

* **गरिमा और शालीनता के लिए अधिकार**– किसी मामले में अगर आरोपी एक महिला है तो, उसपर की जाने वाली कोई भी चिकित्सा जांच प्रक्रिया किसी महिला द्वारा या किसी दूसरी महिला की उपस्थिति में ही की जानी चाहिए।

* **मुफ्त कानूनी मदद के लिए अधिकार**– बलात्कार की शिकार हुई किसी भी महिला को मुफ्त कानूनी मदद पाने का पूरा अधिकार है। रेप की शिकार हुई किसी भी महिला को मुफ्त कानूनी मदद पाने का पूरा अधिकार है। पुलिस थानाध्यक्ष के लिए ये जारी है कि वो विधिक सेवा प्राधिकरण को

वकील की व्यवस्था करने के लिए सूचित करे।

हम खुद को मॉर्डन कहते हैं, लेकिन सच यह है कि मॉर्डनाइजेशन सिर्फ हमारे पहनावे में आया है लेकिन विचारों से हमारा समाज आज भी पिछड़ा हुआ है, नई पीढ़ी की महिलाएं तो स्वयं को पुरुषों से बेहतर साबित करने का एक भी मौका गंवाना नहीं चाहती लेकिन गांव और शहर की इस दूरी को मिटाना जररी है।

हालांकि ऐसा कहना बेमानी होगा कि भारत में ऐसा नहीं हो रहा है यहां महिलाओं को उपर्युक्त कानून बनाकर काफी शक्तियां दी गई है लेकिन ग्राउंड लेबल पर अभी भी बहुत ज्यादा काम करने की गुंजाइश है, इसके बावजूद महिलायें अपनी जिम्मेदारियां बखूबी और बेहद सुंदरता से और खास बात बगैर किसी अपेक्षा के निभाये जा रही हैं...

क्या है महिला आरक्षण–

भारतीय संविधान दुनियां के उन मुख्य संविधानों में से है जो महिला पुरुष समानता की बात करता है। भारतीय संविधान में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त है। लेकिन विडंबना इस बात की है, कि आज भी महिलाओं को अपने अधिकारों को प्राप्त करने और अपने सम्मान के लिए लड़ना पड रहा है।

महिलाओं को पुरुषों के समक्ष लाने और अपना उचित अधिकार दिलाने के लिए भारत की कांग्रेस सरकार ने साल 2008 में एक बिल पेश किया जिसके अनुसार संसद की 33% सीटों पर महिलाओं के आरक्षण की बात कही गई। कांग्रेस सरकार ने राज्यसभा में इस बिल को पास करवा दिया लेकिन पूर्ण रूप से बहुमत नहीं मिलने के कारण कांग्रेस सरकार इस बिल को लोकसभा में पास नहीं करवा पाई।

महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता–

भारत जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, जिसके साहित्य और संस्कृति की दुनिया भर में कसमें खाई जाती थी, जहाँ नारी को देवी के रूप में पूजा जाता था। आज वही भारत अपने ही देश में महिलाओं के अधिकारों को पाने के लिए संघर्ष कर रहा है। आखिर क्यों हमें महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) की आवश्यकता है...

देश का विकास–

जी हाँ, आपने यह कहावत तो सुनी होगी की किसी भी देश का भविष्य उस देश के युवाओं के हाथ में होता है और लड़कियां और महिलाऐं भी युवा वर्ग में ही आती है, तो फिर क्यों भारत में आज भी महिलाऐं और लड़कियां घर के

चूल्हे चौके तक सिमित है। क्यों आज भी महिलाओं को अपने निर्णय खुद लेने और घर के बाहर की दुनियां देखने का अधिकार तक प्राप्त नहीं है।

रूढ़िवादी सोच में परिवर्तन–

भारत में साहित्य और संस्कृति को मानने और अपनाने पर काफी जोर दिया जाता है लेकिन साहित्य और संस्कृति को मानने में एक सबसे गलत बात यह है कि हम सालों पुरानी हमारी दकियानूसी सोच को नहीं बदल पते जिसके कारण हम आज भी पिछड़े हुए हैं। अगर महिलाओं को पढ़ने और आगे बढ़ने का उचित अवसर दिया जाए तो वे दुनिया बदलने की ताकत रखती है।

शिक्षा का स्तर–

यह बात तो साफ है की आज भी भारत की लगभग एक चोथाई आबादी गाँओं में निवास करती है जहाँ बहतर शीशा की सुविधा नहीं होने के कारण आज भी भारत पूर्ण रूप से शिक्षित देश नहीं बन पाया है। अगर महिलाओं को पढ़ने के उचित अवसर मिलें तो वह अपने परिवार को भी शिक्षित कर अपना व् अपने गाँव का स्तर सुधार सकती है।

गरीबी–

महिला सशक्तिकरण का सबसे प्रमुख कारण है गरीबी जैसी गंभीर बीमारी को दूर करना। आप यकीन करें या ना करें भारत में आज भी कई ऐसे इलाके हैं जहाँ परिवार दो वक्त की रोटी तक नहीं जूटा पाता। कई बच्चे भोजन के अभाव में भुखमरी का शिकार हो जाते हैं। अगर महिलाओं को शिक्षा व आगे बढ़ने के उचित अवसर मिले तो वे अपना व् अपने परिवार का खर्चा उठा सकती है।

महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ खास कानून–

* अनैतिक यातायात (रोकथाम) अधिनियम, 1956
* दहेज निषेध अधिनियम, 1961
* मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961
* गर्भावस्था अधिनियम, 1971
* समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976
* सती आयोग (रोकथाम) अधिनियम, 1987
* प्री-कॉन्सेशेशन एंड प्री-नेटाल डायग्नॉस्टिक टेक्निक्स (विनियमन और निवारण) अधिनियम, 1994
* बाल विवाह अधिनियम, 2006
* कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न (रोकथाम और संरक्षण) अधिनियम, 2013

भारत सरकार द्वारा महिलाओं के लिए चलाई गई योजनाएं–

* बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना
* लाड़ली लक्ष्मी योजना
* महिला छात्रावास योजना
* आंगनवाड़ी योजना
* इंदिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना
* राष्ट्रीय महिला कोष

भारत की विख्यात महिला– उनकी स्थिति में लगातार परिवर्तन को देश में महिलाओं द्वारा हासिल उपलब्धियों के माध्यम से उजागर किया जा सकता है-

* 1879: जॉन इलियट ड्रिंकवाटर बिथयून ने 1849 में बिथयून स्कूल स्थापित किया, जो 1879 में बिथयून कॉलेज बनने के साथ भारत का पहला महिला कॉलेज बन गया।
* 1883: चंद्रमुखी बसु और कादम्बिनी गांगुली ब्रिटिश साम्राज्य और भारत में स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाली पहली महिलायें बनीं।
* 1886: कादम्बिनी गांगुली और आनंदी गोपाल जोशी पश्चिमी दवाओं में प्रशिक्षित होने वाली भारत की पहली महिलायें बनीं।
* 1905: कार चलाने वाली पहली भारतीय महिला सुजान आर डी टाटा थीं।
* 1916: पहला महिला विश्वविद्यालय, एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय की स्थापना समाज सुधारक धोंडो केशव कर्वे द्वारा केवल पांच छात्रों के साथ 2 जून 1916 को की गई।
* 1917: एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष महिला बनीं।
* 1919: पंडिता रामाबाई, अपनी प्रतिष्ठित समाज सेवा के कारण ब्रिटिश राज द्वारा केसर-ए-हिंद सम्मान प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला बनीं।
* 1925: सरोजिनी नायडू भारतीय मूल की पहली महिला थीं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी।
* 1927: अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना की गई।
* 1944: आसिमा चटर्जी ऐसी पहली भारतीय महिला थीं जिन्हे किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया।
* 1947: 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के बाद, सरोजिनी नायडू संयुक्त प्रदेशों की राज्यपाल बनीं और इस तरह वे भारत की पहली महिला

राज्यपाल बनीं।

* 1951: डेक्कन एयरवेज की प्रेम माथुर प्रथम भारतीय महिला व्यावसायिक पायलट बनी।
* 1953: विजय लक्ष्मी पंडित यूनाइटेड नेशंस जनरल एसेम्बली की पहली महिला (और पहली भारतीय) अध्यक्ष बनीं।
* 1959: अन्ना चान्डी, किसी उच्च न्यायालय (केरल उच्च न्यायालय) की पहली भारतीय महिला जज बनीं।
* 1963: सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनीं, किसी भी भारतीय राज्य में यह पद सँभालने वाली वे पहली महिला थीं।
* 1966: कैप्टेन दुर्गा बनर्जी सरकारी एयरलाइन्स, भारतीय एयरलाइंस, की पहली भारतीय महिला पायलट बनीं।
* 1966: कमलादेवी चट्टोपाध्याय ने समुदाय नेतृत्व के लिए रेमन मैगसेसे पुरस्कार प्राप्त किया।
* 1966: इंदिरा गाँधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनीं।
* 1970: कमलजीत संधू एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला थीं।
* 1972: किरण बेदी भारतीय पुलिस सेवा (इंडियन पुलिस सर्विस) में भर्ती होने वाली पहली महिला थीं।
* 1979: मदर टेरेसा ने नोबेल शान्ति पुरस्कार प्राप्त किया और यह सम्मान प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला नागरिक बनीं।
* 1984: 23 मई को, बचेन्द्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनीं।
* 1989: न्यायमूर्ति एम. फातिमा बीवी भारत के उच्चतम न्यायालय की पहली महिला जज बनीं।
* 1997: कल्पना चावला, भारत में जन्मी ऐसी प्रथम महिला थीं जो अंतरिक्ष में गयीं।
* 1992: प्रिया झिंगन भारतीय थलसेना में भर्ती होने वाली पहली महिला कैडेट थीं (6 मार्च 1993 को उन्हें कमीशन किया गया)
* 2007: प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम भारतीय महिला राष्ट्रपति बनीं।
* 2009: मीरा कुमार भारतीय संसद के निचले सदन, लोक सभा की पहली महिला अध्यक्ष बनीं।
* 2016: पी वी सिंधु ने रियो ओलंपिक में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा।

==========

संदर्भ ग्रंथ सूची–

1. दोशी एस.एल. एवं जैन पी.सी.- 2002 भारतीय समाज संरचना और परिवर्तन, नेशनल पब्लिसिंग हाउस जयपुर।
2. डॉ. विमलचन्द्र पाण्डेय- भारतवर्ष का सामाजिक इतिहास पृ. 100।
3. डॉ. एम.एस. लावानियॉ- भारतीय महिलाओं का समाजशास्त्र रिसर्च पब्लिकेशन जयपुर।
4. राजकुमार डा. नारी के बदले आयाम, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस 2005
5. भारतीय संविधान, अनु. 14,15,16,19,21,23,39
6. गुप्ता कमलेश कुमार, महिला सशक्तिकरण, बुक एनक्लेव, जयपुर
7. सह करण बहादुर, महिला अधिकार व सशक्तिकरण, कुरूक्षेत्र, मार्च 2006
8. सुरेश लाल श्रीवास्तव, राष्ट्रीय महिला आयोग, कुरूक्षेत्र, मार्च 2007
9. गौतम हरेन्द्र राज, महिला अधिकार संरक्षण, कुरूक्षेत्र मार्च 2006

महिला सशक्तिकरण एवं विभिन्न योजनाऐं

* डॉ. अमिता सिंघल
** डॉ. दिनेश कुमार सिंघल

पूरे विश्व में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को रोका जाये और औरतों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाये।

केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के सभी मंत्रालय महिला और बाल विकास के केन्द्रीय/राज्य विभागों तथा राष्ट्रीय/राज्य महिला आयोगो से परामर्श के माध्यम से इस नीति को ठोस कार्यवाइयों का रुप देने के लिए समय बध्य कार्ययोजना तैयार करेगें।

बेहतर आयोजना और कार्यक्रम निर्माण एवं संसाधनों के पर्याप्त आवंटन में सहायता प्रदान करने के लिए विशिष्टता प्राप्त एजेंसियों के साथ नेटवर्किंग करके जेंडर विकास सूचकांक (जी.डी.आई.) तैयार किए जायेंगे। इनका गहनता से विश्लेषण तथा अध्ययन किया जाएगा। जेंडर लेखा परीक्षा एवं मूल्यांकन तंत्र विकसित करने का कार्य भी साथ-साथ किया जाएगा।

सरकार महिलाओं के समग्र विकास के लिए काफी लम्बे समय से प्रयास करती आ रही है। इन योजनाओं के कारण महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है एवं इन योजनाओं के सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं।

महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं के अंदर की क्षमता को समझते हुए उन्हें उनके फैसले खुद करने देने का अधिकार (वुमन इम्पॉवरमेन्ट) पूरे विश्व में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को रोका जाये और औरतों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाये।

महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि उनकी वर्षों से

==========

* प्राध्यापक, रसायन, शासकीय कालिदास कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय उज्जैन
** प्राध्यापक, वाणिज्य, शासकीय कालिदास कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय उज्जैन

दबी हुई आवाज को उठाना, महिला समाज के आर्थिक एवं मानसिक विकास पर ध्यान देना जिससे वे अपनी जिम्मेदारी पुरूषों के कंधे से कंधा मिला कर उठा सके। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, यदि महिला आर्थिक रूप से सशक्त होगी तो अपनी सामाजिक सुरक्षा और अधिकारों के लिए स्वयं खड़ी हो सकती है।

कुछ वर्षों पूर्व विश्व आर्थिक मंच की तरफ से ग्लोबल जेंडर इंडेक्स नामक एक आयोजन किया गया था जिसमें सभी राष्ट्रों की लैंगिक समानता को दर्शाया गया था वहाँ भारत का स्थान 87 वां था।

राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति 2001

जेंडर समानता का सिद्धान्त भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों एवं नीति निर्देशक सिद्धान्तों में प्रतिपादित है। हमारा संविधान महिलाओं को न केवल समानता का दर्जा प्रदान करता है अपितु राज्य की महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव के उपाय करने की शक्ति भी प्रदान करता है।

केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के सभी मंत्रालय महिला और बाल विकास के केन्द्रीय/राज्य विभागों तथा राष्ट्रीय/राज्य महिला आयोगो से परामर्श के माध्यम से इस नीति को ठोस कार्यवाइयों का रुप देने के लिए समय बध्य कार्ययोजना तैयार करेगें । योजना में निम्नलिखित को विशिष्ट रुप से शामिल किया जायेगा-

1. प्राप्त किए जाने वाले मापेय लक्ष्य
2. संसाधनों का पता लगाना एवं वचनबद्धता
3. कार्रवाई संबंधी बिन्दुओं के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी
4. कार्रवाई संबंधी बिन्दुओं तथा नीतियों की दक्ष निगरानी समीक्षा तथा जेंडर प्रभाव मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए संरचनाएं तथा तंत्र।
5. बजट संबंधी प्रक्रिया में जेन्डर परिप्रेक्ष्य की शुरूआत करना।

बेहतर आयोजना और कार्यक्रम निर्माण एवं संसाधनों के पर्याप्त आवंटन में सहायता प्रदान करने के लिए विशिष्टता प्राप्त एजेंसियों के साथ नेटवर्किंग करके जेंडर विकास सूचकांक (जी.डी.आई.) तैयार किए जायेंगे। इनका गहनता से विश्लेषण तथा अध्ययन किया जाएगा। जेंडर लेखा परीक्षा एवं मूल्यांकन तंत्र विकसित करने का कार्य भी साथ-साथ किया जाएगा।

कानून –

1. कानून के कारगर क्रियान्वयन को बढ़ावा दिया जायेगा।
2. यदि आवश्यक होगा तो उपयुक्त परिवर्तन किए जायेंगे।

3. लिंग संबंधी अत्याचारों पर कानूनी उपबंधों का कड़ाई से प्रवर्तन तथा शिकायतों का शीघ्र निवारण होगा।
4. महिला कर्मचारियों के संरक्षण एवं समान पारिश्रमिक अधिनियम एवं न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जैसे कानूनों का कड़ाई से प्रवर्तन हो इसके उपाय किए जाएंगे।
5. महिलाओं के विरूद्ध अपराधों, घटनाओं एवं उनके निवारण, जाँच पता लगाने एवं अभियोजन की नियमित रूप से पुनरीक्षा की जाएगी।
6. पुलिस स्टेशनों में महिला प्रकोष्ठों, महिला पुलिस स्टेशन, परिवार न्यायालयों को प्रोत्साहन, महिला न्यायालयों परामर्श केन्द्रों, कानूनी सहायता केन्द्रों एवं न्याय पंचायतों को सुदृढ़ किया जाएगा एवं विस्तार किया जायेगा।
7. विशेष रूप से तैयार किए गये साक्षरता कार्यक्रमों एंव सूचना के अधिकार कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं के कानूनी अधिकारों, मानवाधिकारों तथा अन्य ईकाईयों के सभी पहलूओं पर सूचना का व्यापक प्रसार-प्रचार किया जायेगा।

भारत सहित दुनिया भर के देशों में कई प्रकार की योजनाओं के द्वारा महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया जा रहा है। ये योजनाएँ कमजोर एवं पीड़ित महिलाओं की आवाज उठाने में मदद कर रही है। कुछ प्रमुख महिला सशक्तिकरण की योजनाएँ निम्न है -

1. **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ**– बालिकाओं के अस्तित्व, संरक्षण और शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस योजना की शुरूआत की गई। महिला देश की आबादी का आधा हिस्सा है। राष्ट्र के विकास के इस महान कार्य में महिलाओं को शिक्षित एवं आर्थिक रूप से समृद्ध करने के लिए है। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, मानव संसाधन एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का संयुक्त उपक्रम है। ऐसी लड़कियां जिनकी पढ़ाई किसी वजह से रूक गई है, उन्हें पढ़ाई के लिए प्रेरित करना है एवं लिंगानुपात के मुद्दे के प्रति लोगों को जागरूक करना है।

2. **सुकन्या समृद्धि योजना**– बेटियों के भविष्य के लिए पैसे जोड़ने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना एक अच्छी स्कीम है। इसमें PPF की तुलना में ज्यादा ब्याज मिलता है। अपनी 10 साल की बेटी के लिए खाता खुलवाने पर 8.1 प्रतिशत ब्याज मिलेगा उसके 21 साल का होने पर खाता मेच्योर हो जाता है।

3. **महिला ई–हाट**– महिला उद्यमी ई-हाट द्वारा पूरे देश में अपने उत्पादों को बेच सकती है, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सकती है।

4. **उज्ज्वला योजना**– इस योजना के माध्यम से गरीबी की रेखा के

नीचे रह रही महिलाओं को एल.पी.जी. कनेक्शन उपलब्ध करवाये जाते हैं। महिलाओं के स्वास्थ्य की रक्षा के साथ वायु प्रदुषण एवं वनों की कटाई भी कम होगी।

5. **महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम**– महिलाओं को रोजगार दक्षता एवं कौशल प्रदान करने के लिये प्रशिक्षण एवं दक्षता प्रदान करना। इसके लिये कृषि, बागवानी, खाद्य प्रसंस्करण, हथकरघा, सिलाई, कढ़ाई, जरी, हस्तशिल्प, कम्प्यूटर, आई.टी. एवं कार्यस्थल के लिए सॉट स्किल्स जैसे रत्न एवं आभूषण, यात्रा और पर्यटन एवं आतिथ्य जैसे कार्यों के लिये प्रशिक्षित करना।

6. **स्वाधार गृह**– यह योजना जरूरतमंद महिलाओं को आश्रय, भोजन, कपड़े एवं देखभाल प्रदान करती है।

(क) **वन स्टॉप सेन्टर स्कीम**– हिंसा की शिकार महिलाओं को शरण देने के लिए पुलिस डेस्क, कानूनी, चिकित्सा, परामर्श सेवाएँ देने का काम किया जाता है। इस योजना के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नम्बर 181 है।

(ख) **वर्किंग वूमन होस्टल**– काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षित आवास, उनके बच्चों की देखभाल प्रदान करना जहाँ जरूरत की सभी चीजें आसपास हों व रोजगार के अवसर मौजूद हों।

(ग) **नारी शक्ति पुरस्कार**– सन् 1999 में महिलाओं और उनकी संस्थाओं द्वारा नारियों के लिए किये गये सेवा कार्य को मान्यता प्रदान करने नारी शक्ति पुरस्कार की स्थापना की।

7. **महिला शक्ति केन्द्र**– नवम्बर 2017 में केन्द्र सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिये महिला शक्ति केन्द्र नाम की योजना शुरू की जिसके तहत 640 जिलों में ये केन्द्र खोले जायेंगे 2019 तक 440 केन्द्र बनाने का लक्ष्य था लेकिन अभी तक 24 केन्द्र ही बने हैं। इनकी फंडिंग केन्द्र एवं राज्य के बीच 60:40 के अनुपात में होगी। उत्तर-पूर्व के राज्यों एवं विशेष श्रेणी के राज्यों के लिये यह अनुपात 90:10 होगा। केन्द्र शासित प्रदेशों के लिये 100 प्रतिशत वित्त पोषित होगा। गौरतलब है कि महिला शक्ति केन्द्र की स्थापना के लिए 115 सबसे पिछड़े जिलों पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। उनमें से 50 जिले 2017-18 में एवं शेष 65 जिले 2018-19 में इस योजना के तहत शामिल किये जायेंगे।

भारत सरकार ने साल 2017-18 के दौरान 36 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के बीच 61.40 करोड़ रूपये और 2018-19 में अब तक 52.67 करोड़ रूपये जारी किये हैं।

देश में 5.5 करोड़ एवं म.प्र. में 30 लाख महिलाओं को उज्ज्वला योजना

का लाभ मिला हैं। बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने वालों को मौत की सजा देने वाली पहली राज्य सरकार म.प्र. सरकार है। म.प्र. में वन विभाग को छोड़कर सभी विभागों में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण लागू है।

राजीव गाँधी सबला योजना– इस योजना के तहत भारत के 200 जिलों से चयनित 4-18 आयु वर्ग की किशोरियों की देखभाल समेकित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत की जा रही है। इसमें लाभार्थियों को 11-15 एवं 15-18 साल के दो समूहों में वर्गीकृत किया गया है। प्रथम समूह की लड़कियों को आयरन की गोलियाँ सहित दवाईयां दी जाती है।

इंदिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना–

इस योजना का मुख्य उद्देश्य 19 साल या अधिक उम्र की गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को दो बच्चों के जन्म के समय वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना–

यह उन सभी क्षेत्रों में क्रियान्वित की जाती है, जहाँ ग्रामीण महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय स्तर से कम है। केन्द्र व राज्य सरकारें 75 प्रतिशत और 25 प्रतिशत खर्च का योगदान करती है। इस योजना से 75 प्रतिशत SC, ST, OBC तथा अल्पसंख्यक समुदाय की बालिकाओं एवं 25 प्रतिशत बी.पी.एल.परिवारों की लड़कियों का दाखिला करवाना हैं।

उपर्युक्त योजनाओं के माध्यम से सरकार महिलाओं के समग्र विकास के लिए काफी लम्बे समय से प्रयास करती आ रही है। इन योजनाओं के कारण महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है एवं इन योजनाओं के सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं।

==========

संदर्भ ग्रंथ सूची–

1. उद्यमिता के मूलाधार, डॉ. पी.सी. जैन एवं डॉ. एन.एल. शर्मा, रमेश बुक डिपो, जयपुर पृ. क्र. 24.1-24.4
2. प्रतियोगिता दर्पण,जून 2011 पृ.क्र.2026-2028
3. मेरी सहेली, फरवरी 2012 पृ.क्र. 81-87.
4. India, Registrar General and Census Commissioner 2001 population totals 2001, New Delhi. P. 143
5. .India, Ministry of statistics and programme implementation, central statistical. Organization (2007¼, New Delhi. p43.
6. .India, Ministry of Labor, Directorate General Employment and Training (2008¼ Emplyment Review 2004-2006. New Delhi, p 65

7. ग्यारहवी पंचवर्षीय योजना (2007-12), योजना आयोग खण्ड-2 पृष्ठ 229.
8. Statistics on women in India 2010, NIPCCD New Delhi, 20, 190, 209, 210, 712
9. मध्यप्रदेश संदेश, भोपाल
10. महिला एंव बाल विभाग, भोपाल
11. http//wcd. nic. in, schemes-listing
12. http//sarkariyojana.com
13. http//hi.m.wikipedia.org
14. दैनिक जागरण 31 दिसम्बर 2016
15. राष्ट्रीय महिला सशिक्तकरण नीति, मंत्रालय महिला एंव बाल विकास विभाग, भारत

भारत में महिला सशक्तिकरण

* डॉ. संध्या शुक्ला
** वंदना शर्मा

समाज राष्ट्र के निर्माण में महिलाओं की भूमिका को लेकर चिन्तन में एक विश्वव्यापी बदलाव आया है और महिला विकास व उसके सशक्तिकरण को लेकर एक अनुकूल तातावरण बनता जा रहा है। महिलायें भी इस चिन्तन की सार्थकता सिद्ध करने के लिये जीवन के हर क्षेत्र में पुरूषों के कंधे से कंधा मिलाकर अपनी अर्न्तनिहित खात्मा का प्रमाण दे रही है। चाहे वह खलिहानों में हाथ बंटाने का कार्य हो या लड़ाकू विमानो की पायलेट बन सीमा रक्षा करने का दायित्व हो या माँ या पत्नी बन गृहस्थी को संवारने का क्षेत्र हो। महिलाओं को पुरूषों के बराबर अधिकार देने की मांग हर देश में की जाने लगी है।

उद्देश्य– महिला सशक्तिकरण का मतलब महिलाओं की क्षमता से है जिससे उनमें ये योग्यता आ जाती है, जिससे वे अपने जीवन से जुड़े सभी निर्णय ले सकती हैं, हम 8 मार्च को पूरे विश्व में अन्तराष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। सही मायनें में इस महिला दिन का उद्देश्य क्या है। हमें ये समझना होगा देश की तरक्की करनी है तो महिलाओं को सशक्त बनाना होगा।

महिला सशक्तिकरण के निम्नलिखित उद्देश्य-

1. महिलाओं को सूक्ष्म (अल्प) ऋण सुविधाएं प्रदान करना।
2. आई एम ओज तथा महिला लाभार्थियों की क्षमता का निर्माण।
3. महिलाओं के विकास के लिए वित्तीय और सामाजिक विकास सेवा पैकेज के प्रावधान के लिए वित्तीय और सामाजिक आर्थिक परिवर्तन और विकास के साधन के रूप में ऋण प्रदान करने अथवा इसका प्रोत्साहन करने के लिए गतिविधियां चलाना या उनको प्रोत्साहित करना।
4. महिलाओं को ऋण प्रदान करने से संबंधित सुविधाओं में सुधार के लिए

==========

* विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा
** शोद्यार्थी, एम.ए.ए. फिल (राजनीति विज्ञान), शा.ठाकुर. रणमत सिंह महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)

सहायता योजनाओं को प्रोत्साहित करना और सहायता करना। 1.उनके विद्यमान रोजगार को बनाए रखने के लिए। 2. अतिरिक्त रोजगार के सृजन के लिए। 3. सम्पत्ति बनाने के लिए। 4. उपभोग, सामाजिक और आकस्मिक जरूरतों को पूरा करने के लिए।

5. आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने वाले ऋण संसाधनों के प्रभावी उपयोग के लिए महिला समूहों वाले संगठनों में भागीदारी प्रवित्तियों का प्रदर्शन एवं पुनरावृत्ति (रेप्लिकेट) करना।
6. ऋण एवं अन्य सामाजिक सेवाओं के साथ गरीब महिलाओं तक पहुंचने के लिये अभिनव प्रविधियों का प्रयोग करते हुए स्वैच्छिक और औपचारिक क्षेत्र में परीक्षणों को प्रोत्साहित करना और सहायता करना।
7. महिलाओं में उद्यमिता क्षमता के विस्तार को प्रोत्साहित करना और सहायता करना।
8. विद्यमान सरकारी वितरण तंत्र को संवेदनशील बनाना और परम्परागत संस्थानों के साथ एक मजबूत और व्यवहार ग्राहक के रूप में गरीब महिलाओं के परिदृश्य (विजिबिलिटी) को बढ़ाना।
9. सफल ऋण विस्तार और प्रबंधन तंत्रों की पुनरावृत्ति और वितरण को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर ऋण और इसके प्रबंध तथा सफलता के अनुभवों को फैलोशिप और छात्रवृत्ति के प्राविधानों साहित अनुसंधान, अध्ययन प्रलेखन और विश्लेषण को प्रोत्साहित करना।

विश्लेषण–

जीवन के सभी क्षेत्रों में आज महिलाए पुरूषों के साथ कंधें से कंधा मिलाकर कार्य कर रही है। और महिला सशक्तिकरण एक बहुचर्चित मुद्दा बन चुका है । घर के अंदर या बाहर सभी जगहों पर महिलाएं अपना एक स्वतंत्र दृष्टिकोण रखती हैं और वे अपनी शिक्षा, व्यवसाय या जीवन शैली से संबंधित सभी निर्णय स्वयं लेते हुए अपना नियंत्रण कायम करने में कामयाब हो रही हैं। कामकाजी महिलाओं की संख्या में लगातार वृद्धि होने की वजह से महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त हुई है और इस वजह से उन्हें अपने जीवन का नेतृत्व खुद करने एवं अपनी पहचान बनाने का आत्मविश्वास भी प्राप्त हुआ है। वे सफलतापूर्वक विविध व्यवसायों को अपना कर यह साबित करने का प्रयास कर रही है कि वे किसी भी महिलाएं अपने व्यवसाय के साथ-साथ अच्छी तरह से अपने घर एवं परिवार के लिए प्रतिबद्धता के बीच संतुलन कायम रखने पर भी ध्यान देती है वे उल्लेखनीय स्वाभाव के साथ आसानी से माँ, बेटी, बहन, पत्नी, एवं सक्रिय पेशेवर जैसी कई भूमिकाएं एक साथ निभाने में कामयाब हो रही हैं। काम करने

के समान अवसरों के साथ वे टीम वर्क की भावना के साथ तय समय सीमा के भीतर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने-अपने व्यवसायों में पुरूष समकक्षों को हर संभव सहयोग दे रही हैं।

महिला सशक्तिकरण सिर्फ शहरी कामकाजी महिलाओं तक ही सीमित नही है बल्कि दूर दराज के कस्बों एवं गांवों में भी महिलाएं अपनी आवाज बुलंद कर रही है। वे पढ़ी-लिखी हो या न हो, अब किसी भी मायने में अपने पुरूष समकक्षों से पीछे नही रहना चाहती। अपनी सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठिभूमि की परवाह किए बिना वे अपने सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हैं और साथ ही अपनी उपस्थिति भी महसूस करा रहीं हैं। हालांकि यह भी सच है कि ज्यादातर महिलाओं को अब समाज में बड़े भेदभाव का सामना नही करना पड़ता लेकिन दुर्भाग्यवश अभी भी उनमें से कई को विभिन्न प्रकार के भावनात्मक, शारीरिक, मानसिक, और यौन उत्पीणनों से दो चार होना पड़ता है और वे अक्सर बलात्कार, शोषण और अन्य प्रकार के शारीरिक और बौद्धिक हिंसा का शिकार हो जाती हैं।

सही मायनों में महिला सशक्तिकरण तभी हो सकता है जब समाज में महिलाओं के प्रति सोच में परिवर्तन लाया जा सके और उनके साथ उचित सम्मान, गरिमा, निष्पक्षता और समानता का व्यवहार किया जाए। देश के ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी सामंती और मध्ययुगीन दृष्टिकोण का वर्चस्व है और वहां महिलाओं को उनकी शिक्षा, विवाह, ड्रेस कोड, व्यवसाय एवं सामाजिक संबंधों इत्यादि में समानता का दर्जा नही दिया जाता है। उम्मीद करना चाहिए कि जल्दी ही महिलाओं के सशक्तिकरण का प्रयास हमारे विशाल देश के प्रगतिशील एवं पिछड़े क्षेत्रों में भी किया जाएगा।

महिला सशक्तिकरण का प्रभाव-

महिला का स्थान प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण रहा है महिला को ही सृष्टि रचना का मूल आधार कहा गया है। महिला समाज का एक महत्वपूर्ण और आवश्यक अंग है क्योंकि विश्व की आधी जनसंख्या तकरीबन इन्ही की है। महिलाएं आज भी पूरी तरह सशक्त नही हुई हैं, इसका सबसे बड़ा कारण आए दिन होने वाली तमाम घटनाएं हैं, जिसमें वे तरह-तरह की हिंसा का शिकार हो रही हैं। बाहर एवं घर परिवार में हो रही हिंसा को मिटाए बिना समाज में महिला सशक्तिकरण का स्वप्न पूरा नही हो सकता है।

1. महिला सशक्तिकरण के लिए वर्तमान में सबसे बड़ी आवश्यकता उनको अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति सजग होने की है। यदि महिलायें अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति सजग और आत्मनिर्भर है तो उसका आत्मसम्मान

अवश्य ऊँचा होगा और वे देश कि विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है।

2. शिक्षा महिला सशक्तिकरण में मुख्य भूमिका निभा सकती है शिक्षा मनुष्य के आचार विचार व्यवहार सभी में परिवर्तन कर देती हैं। इसके बाद शिक्षा 1962 में हंसा मेहता समिति का गठन किया। कोठारी आयोग (1964-66) ने स्त्री पुरूषों के लिए भिन्न-भिन्न पाठ्यक्रमों का सुझाव दिया। साथ ही कोठारी आयोग ने प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा हेतु आधारभूत पाठ्यचर्चा प्रस्तुत की इसका प्रभाव यह हुआ कि भिन्न-भिन्न प्रांतों में स्त्री-शिक्षा को भिन्न-भिन्न रूप में संगठित किया गया।

3. 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई। शिक्षा में कोई भेद नही किया जाएगा नारी को पुरूषों के समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा इसके अलावा स्त्रियों को विज्ञान, तकनीकी और मैनेजमेंन्ट की शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

4. 2 अक्टूबर 1946 को शिक्षा आयोग के उद्घघाटन भाषण में श्री एम.सी. छागला (तत्कालीन केन्द्रीय शिक्षा मंत्री) ने भी संकेत किया था- ''एक शिक्षित नारी का प्रभाव चमत्कारी होता है और उसका प्रभाव समाज पर प्रभावकारी होता है। अतः महिला शिक्षा बहुत ही आवश्यक है।''

5. चूंकि आज की नारी का कार्यक्षेत्र परिवार तक ही सीमित नही रह गया है। उसे अपने कार्यस्थल पर भी अनेक रूपों में अपना दायित्व भली-भांति निर्वहन करना पड़ता है। इस प्रकार एक ही नारी को एक दिन में कई प्रकार की भूमिका निभानी पड़ती है। अतः स्पष्ट है कि नारी शक्तिरूपा है, जगत जननी है। नारी के सम्बन्ध में यहां तक कहा गया है, कि उसमें पृथ्वी के समान क्षमा, सूर्य के समान तेज, समुद्र के समान गम्भीरता, चन्द्रमा के समान शीतलता एवं पर्वत के समान उच्चता के दर्शन होते है। अस्तु कहा जा सकता है कि युग चाहे जो भी हो संसार की तरक्की नारी के विकास पर ही आधारित है।

शोध परिकल्पना– महिला सशक्तिकरण से संबंधित निम्नलिखित परिकल्पानाओं का निर्माण शोधार्थी ने किया है-

1. तत्कालीन समाज में बाल विवाह, सती प्रथा, दहेज प्रथा जैसे विभिन्न प्रकार की सामाजिक बुराइयां प्रचलित थी जिसने महिलाओं की स्थिति को अत्यन्त ही दयनीय बना रखा था। विभिन्न समाज सुधारकों तथा नेताओं ने उनकी इस स्थिति को सुधारने का प्रयास किया और सफलता भी पाई। महिलाओं के उत्थान तथा सशक्तिकरण के लिए अपने विचारों तथा कार्यों से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

2. महिला सशक्तिकरण के लिए मूल सिद्धांत हैं कि महिलाओं को सामाजिक और राजनीतिक अधिकार, वित्तीय सुरक्षा, न्यायिक शक्ति और वे सारे अधिकार जो पुरूषों को प्राप्त हैं वह मिलना चाहिए। मतलब ये कि महिलाओं को भी पुरूषों के समान अधिकारों का आनन्द मिलना चाहिए।

3. अगर साफ शब्दों में कहें लिंग आधारित कोई पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। हांलाकि परंपरागत मानदंड और ये प्रथा तेजी से बदल रहें है, फिर भी महिलाओं को ये जानना चाहिए कि उनके मूल और सामाजिक अधिकार क्या हैं।

4. सशक्त महिलाओं का मतलब है कि महिलाओं को अपने व्यक्तिगत लाभों के साथ ही साथ समाज के लिए अपने स्वयं के निर्णय ले सकने में सक्षम हो। महिला सशक्तिकरण का मतलब ये कि अब ये महिलाओं के साथ पितृसत्ता का स्थान ले रही हैं।

5. सरकार ने महिला सशक्तिकरण को लेकर कई मजबूत कदम उठाए हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ से लेकर सरकार महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम चला रही है। अपने अधिकार व कर्तव्य को जानने के लिए महिलाओं को शिक्षित होना होगा। शिक्षा के बिना नारी सशक्तिकरण की परिकल्पना संभव नही है।

पूर्व में किये गये शोध कार्यों का सर्वेक्षण–

1. अशोक प्रताप सिंह (2015) ''उच्च शिक्षा संस्थानों में अध्ययनरत छात्राओं की महिला सशक्तिकरण के प्रति अभिवृत्ति का उनके वैयक्तिक एवं परिवारिक पृष्ठभूमि के सन्दर्भ में अध्ययन'' (कुमाऊँ विश्वविद्यालय की शिक्षाशास्त्र में पी-एच.डी उपाधि हेतु प्रस्तुत)

2. कु. दीप्ती राठौर (2016) ''74 वें संविधान संशोधन के पश्चात महिला सशक्तिकरण में नगरीय निकायों की भूमिका'' (जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर म.प्र. के अन्तर्गत राजनीति विज्ञान विषय में पी-एच.डी. उपाधि हेतु प्रस्तुत)

3. शुक्ला डा0 मंजू (2011) लेखिका के अनुसार महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु उनका साक्षर होना आवश्यक है जिसका लाभ पूरे परिवार को मिलता है। परिवार ही बच्चों की प्रथम पाठशाला है। इसे प्रचारित-प्रसारित किया जाना चाहिये। सशक्तिकरण स्वयं के प्रयासों से प्राप्त होता है। जिसके लिए महिलाओं में चेतना जागृति आवश्यक है। कार्ल (1995) के अनुसार सशक्तिकरण की प्रक्रिया व्यक्तिगत व सामूहिक दोनों है क्योंकि व्यक्तियों में समूह के माध्यम से ही जागृति आती है और उनमें स्वयं को संगठित कर क्षमताओं का विकास होता है।

4. मिश्रा डा0 आर.के. (2011) इस अध्ययन में महिला उत्पीड़न अपनी चरम सीमा पर है। बलात्कार, छेड़छाड़, दहेज प्रताड़ना, अपहरण आदि घटनायें आज

भी घटित हो रही है। प्राचीन युग से वर्तमान युग में उत्पीड़न की मात्रा बढ़ती जा रही है लेकिन यह उत्पीड़न समाप्त नही हूआ। यह घोर विडम्बना ही है कि इक्कीसबीं सदी के लोकतंत्र में नाबालिग या बालिग अकेली महिला की अस्मत सुरक्षित नही है। इस ओर सरकार व समाज को कारगर कदम उठाने चाहिए। इसके लिए महिला बाल विकास विभाग ने उचित योजनाएं बनायी है जिससे उन्हे उत्पीड़न हिंसा जैसी बुराईयों से निकाला जा सके।

शोध प्रविधि–

प्रस्तुत अध्ययन में मुख्यत: द्वितीयक समंको का प्रयोग किया गया है। द्वितीयक समंको के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग से प्राप्त वार्षिक प्रतिवेदन, जनगणना प्रकाशन, सांख्यिकीय प्रकाशनों, स्वास्थ्य गत समंको, रोजगार समंको, सांख्यिकीय पुस्तिकाओं के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों को द्वितीयक समंको के रूप में उपयोग कर उनके सारणीयण, विश्लेषण के आधार पर प्रतिशत, विकास दर, प्रवृतिमान जैसे सांख्यिकी विधियों का उपयोग कर तथ्यों का सार्थक प्रस्तुतीकरण के लिए के लिए ग्राफ, चार्ट व रेखाचित्रों का उपयोग कर निष्कर्षों को सार्थक ढंग से प्रस्तुत कर विषय वस्तु की प्रस्तुति दी गयी है।

निष्कर्ष–

दुनिया भर में समकालीन समाजों में सामाजिक एवं आर्थिक विकास के मोर्चों पर परिवर्तन की प्रमुख प्रक्रियाएं चल रही है। हालांकि इन प्रक्रियाओं को संतुलित तरीके से लागू नही किया जा सका है और इस वजह से पूरी दूनिया में लैंगिक असामनता बढ़ रही है और इस वजह से महिलाएं सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। इस स्थिति ने महिला सशक्तिकरण की गति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है इसलिए हमें एक पूरी तरह से बदले हुए समाज की आवश्यकता है जिसमें महिलाओं के विकास के समान अवसर प्रदान किए जा सकें ताकि वे पुरूष समकक्षों के साथ व्यापक रूप से समाज के विकास के लिए जरूरी सभी कारकों के समान रूप से अपना योगदान दे सकें।

==========

संदर्भ ग्रंथ सूची–

1. सिंह गौरव महिला सशक्तिकरण हेतु सरकारी प्रयास एवं संवैधानिक व्यवस्थायें, आन्वीक्षिकि (शोधपत्रिका) 2013,पृ.64
2. अंसारी एम.ए. महिला और मानवाधिकार, जयपुर 2007, पृ. 224
3. शर्मा रमा, मिश्रा एम. के महिला विकास 2012 अर्जुन पब्लिकेशन हाउस नई दिल्ली।
4. देशबंधु बिलासपुर 8 मार्च 2013
5. पाण्डे मनोज कुमार, नारी साम्राज, विश्व भारती प्रकाशन 2008, पृ.120

6. टी, राधाकृष्णा, मध्यप्रदेश महिला नीति भोपाल,1997 पृ.11,14,
7. श्रीवास्तव रागिनी, आधुनिक समाज एवं महिलाएं इन्दौर, 2011 पृ 21
8. आचार्य सम्राट श्री देवेन्द्रमुनी जी , भारतीय वाडमय में नारी, नई दिल्ली, 2006 पृ 24
9. जे सी अग्रवाल (1 जनवरी 2009) भारत में नारी शिक्षा प्रभात प्रकाशन, आई. एस.बी.एन.97-81-85828-77-0

महिला कल्याण योजनाएं और महिला सशक्तिकरण

* डॉ. शाहेदा सिद्दीकी
**महेन्द्र कुमार पटेल

आज की नारी का जीवन एवं समाज के प्रत्येक क्षेत्र में कुछ करिश्मा कर दिखाने की चाहत रखती है, उसमें आगे बढ़ने की ललक है। इस तथ्य को ध्यान में रखकर सरकारों द्वारा महिलाओं के कल्याण एवं सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं समय-समय पर चलाई जा रही है, जैसे- स्वयंसिद्धा, जननी सुरक्षा योजना, कामकाजी महिला आवास योजना, विधवा पेंशन योजना, लाड़ो-अभियान, बेटी-पढ़ाओ- बेटी बचाओ, ललिमा अभियान, ममता अभियान आदि। इन सभी को समन्वित प्रयास एवं परिश्रम रहा है कि आज प्रमुख संवैधानिक पदो से लेकर आन्तरिक तक महिलाओं ने अपना परचम लहराया है। यह सच है कि, जीवन के हर क्षेत्र महिलाओं के बिना अधूरा है। यह कहना उचित होगा कि -

'तुम हो तो यह घर लगता है,
वरना इसमें डर लगता है।''

अध्ययन का उद्देश्य– महिलाएं हमारे समाज की आबादी का आधा भाग है। अर्थात आधी आबादी की स्थिति का अध्ययन हमारा प्रमुख लक्ष्य हो, जिसके माध्यम से हम-

1. स्त्रियो की साक्षरता की स्थिति का पता लगाना।
2. स्वास्थ्य की स्थिति का पता लगाना।
3. जागरूकता का स्तर ज्ञात करना।
4. समाज के विकास में रूकी सहभागिता का स्तर ज्ञात करना।
5. सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों का पता लगाना।
6. सरकारी प्रयासों के परिवारो का विश्लेषण करना।
7. स्त्रियों के प्रति समाज का नजरिया पता लगाना।
8. महिलाओं के प्रति संवेदनशील का स्तर कितना है, यह ज्ञात करना।

==========

* एसोसिएट प्रोफेसर, समाजशास्त्र, शासकीय टी.आर. एस.उत्कृष्टता महाविद्यालय एवं शोध केन्द्र, रीवा (म.प्र.)
** शोधार्थी, अवधेश प्रताप सिंह, विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

9. महिलाओं की सामाजिक स्थिति का पता लगाना।
10. योजनाओं के निर्भर एवं क्रियान्वयन में जन सहभागिता का स्तर आदि पता लगाना।

प्रयास –

भारतीय समाज में स्त्रियों को सम्मानपूवर्क स्थिति प्राप्त रही है, स्त्री का शक्ति स्वरूप माना जाता रहा है, लेकिन कालांतर में पुरूष महिलाओं के अधिकारों को छीनता गया एवं महिलाओं की स्थिति में गिरावट आती चली गई। 19 वीं शताब्दी में महिलाओं की स्थिति में निरंतर सुधार के प्रयास किए गए। उसके बाद से महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ। 19 वीं सदी में पुरूषों के समान नारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन, चिकित्सा सुविधाएं, गर्भपात के अधिकार आदि दिए गए।

भारत के संविधान में अनुच्छेद 14 में समानता के अधिकार, अनुच्छेद 16 में नियोजन का अधिकार, साथ ही कई कल्याणकारी कार्यक्रम जैसे :-

1. **स्वयंसिद्धा**– भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रायोजित और 2000-01 में प्रारंभ महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और कानूनी सशक्तिकरण की समन्वित योजना है। इसके अंतर्गत महिलाओं के स्वयंसहायता समूहों को छोटी बचतों हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। प्रमुख उद्देश्य महिलाओं का वित्तीय समावेशन है। योजना शत प्रतिशत केंद्र द्वारा प्रायोजित है। 2001 से अब तक 70 हजार से अधिक महिला समूहों के बैंक खाते खोले गये। यह योजना 31 मार्च 2008 को समाप्त कर दी गयी है।
2. **जननी सुरक्षा योजना**– भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित योजना है जिसका प्रारंभ 2005 में किया गया। इसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली महिलाओं को संस्थागत प्रसूति कराने के लिए एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। प्रसव अस्पताल में अथवा प्रशिक्षित दाई द्वारा किया जाना चाहिए। शत प्रतिशत केंद्र प्रायोजित इस योजना का उद्देश्य गरीब गर्भवती महिलाओं को प्रसव की संस्थागत सुविधा प्रदान करना है।
3. **आंगनवाड़ी**– छोटे बच्चों की पोषणए स्वास्थय और शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए एकीकृत बाल विकास सेवाएँ के कार्यक्रम के रूप में ग्राम स्तर पर सरकार द्वारा समर्थित एक केंद्र है। आंगनवाड़ी 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों, किशोर युवतियों, गर्भवती महिलाओं तथा शिशुओं की देखरेख करने वाली माताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है।
4. **गाँव की बेटी योजना**– मध्यप्रदेश सरकार की और से प्रतिभावान

छात्राओं को उच्च शिक्षा की और प्रेरित करने की और एक कदम है। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार प्रतिभावान बालिकाओं को छात्रवृति के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान करती हैं। इस योजना का एक नाम मध्यप्रदेश प्रतिभा किरण योजना भी है।

5. **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना**– महिला एवं बाल विकास मंत्रालय स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण मंत्रालय एवं मानव संसाधन विकास की एक संयुक्त पहल के रूप में समन्वित और अभिसरित प्रयासों के अंतर्गत बालिकाओं को संरक्षण और सशक्त करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को की गई है

6. **उज्ज्वला योजना**– का मुख्य उद्देश्य पूरे भारत में स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना है जो कि मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन वितरित करके पूरा किया जा सकता है। योजना के लागू करने का एक उद्देशय यह भी है कि इससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा और महिलाओं के स्वास्थ्य कि भी सुरक्षा कि जा सकती है।

7. **स्वागत लक्ष्मी योजना**– मध्यप्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा की दिशा में एक और कदम उठाते हुए इस योजना का प्रारंभ किया।

8. **मुख्यमंत्री कन्यादान योजना**– इस योजना का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण करना, गरीब, जरूरतमंद, निराश्रित / निर्धन परिवारों की विवाह योग्य कना / विधवा / परित्याक्ता के विवाह के लिये आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है।

9. लालिका अभियान
10. विधवा पेंशन योजना
11. ममता अभियान
12. मनरेगा में महिलाओं की सहभागिता
13. स्वयं सहायता समूह।

उपरोक्त के समग्र प्रयास में आज महिलायें जल, स्थल, नभ में अपना झण्डा लहरा रही है तथा देश एवं समाज के विकास में अपनी महत्ती भूमिका निभाने को तत्पर है।

निष्कर्ष–

समानता एवं स्वतंत्रता जैसी सुन्दर शब्दावली गढ़ने वाली संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी 15% ही है एवं दुनिया के अधिकतर देशों के विधान मण्डलों में केवल 10% ही महिला संदाय है, साथ ही भारत में प्रति हजार पुरूषों में 943 महिलाएं ही बची हुए है।

ऐसे में कह सकते है कि महिलाओं के कल्याण हेतु उठाए गए कदम प्रभावी नही हो पा रहे है। प्रशासन एवं पुलिस महिलाओं को न्याय दिलाने मे सक्षम नहीं हो पा रही है, ऐसे में सरकार, प्रशासन, राजनेता, नागरिक, समाज, जनसहभागिता के आधार से हमे महिला सशक्तिकरण के साथ- साथ महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता बनाने के प्रयास करना होगा, जिससे हमारी मॉ, बहन, बेटियॉ एवं भविष्य सुरक्षित हो, एवं समानता आधारित ऐसे समाज का निर्माण हो सके, जहां नर एवं नारी समान अधिकार प्राप्त करते हो।

सुझाव-

महिलाओं के कल्याण एवं सशक्तिकरण के लिये कल्याणकारी योजनाओं के निर्माण एवं उनके बेहतर क्रियान्वयन के दौरान हमें निम्न एतिहात बरतने चाहिए, जैसे-

1. क्षेत्र की वास्तविकता पर आधारित नीतियों का निर्माण हो।
2. कपोल कथाओं पर आधारित लक्ष्ण निर्धारित न हो।
3. नीति निर्माण करने में सुझावों पर गहराई से विचार हो।
4. क्रियान्वयन पर ज्यादा ध्यान दिया जाए।
5. संसाधनों की समुचित व्यवस्था की जाए।
6. कार्यक्रमों के निर्माण एवं क्रियान्वयन में स्थानीय स्वशासन की भूमिका को रेखांकित किया जाए।
7. राजनीतिक - प्रशासनिक एवं अपराधियों के गठजोड़ के नकारात्मक प्रभाव को कम किया जाए।
8. महिला कल्याण कार्यक्रमों एवं उद्योगो में महिला सदस्यों की संख्या अधिकतम हो।
9. महिला कल्याण कार्यक्रमों का समुचित प्रचार प्रसार उचित माध्यम से हो।
10. सोशल मीडिया का समुचित तरीके से उपयोग हो।

==========

संदर्भ ग्रंथ सूची-

1. शर्मा पी.डी. (2017) महिला सशक्तिकरण और नारीवाद, रावत पब्लिकेशन, जयपुर, पृ. 15,16,17
2. डॉ0 गुरजर सीता (2015) महिला सशक्तिकरण, रावत पब्लिकेशन, जयपुर पृष्ठ कं. 80, 81, 82
3. रामानन्द (2015) रानी लक्ष्मीबाई और भारतीय नारी, पिलग्रिम्स पब्लिशर्स पृष्ठ कं. 50, 51, 52,53
4. कुमार आशुतोष (2010) नारी सशक्तिकरण प्रतिलिपि पब्लिशर्स पृष्ठ कं. 111, 112

5. एम. लक्ष्मीकांत, लोक प्रशासन, टाटा एम.सी. ग्रामहील पृष्ठ कं. 120, 122
6. कुरूक्षेत्र (मासिक पत्रिका) दिसंबर 2016, बालिका सशक्तिकरण हेतु योजनाओं का आंकलन। पृष्ठ कं. 115, 116

समकालीन हिंदी कविता में स्त्री विमर्श

* निशा मिश्रा
** रानी अग्रवाल

समकालीनता से तात्पर्य अपने समय में वर्तमान राजनीतिक सामाजिक तथा जीवन के विविध पक्षों से जुड़े रहना है और साहित्य मे आकर समकालीनता केवल वर्तमान प्रसंग के जुड़ने की बात नहीं करती अपितु उसे महसूस करके पूरी गंभीरता के साथ अभिव्यक्त करने का आग्रह भी करती है। वर्तमान से संबंध होने के कारण समकालीन कविता न तो अतीत के प्रति मोह ग्रस्त और न ही भविष्य का कपोल कल्पित आख्यान प्रस्तुत करती है इसके विपरीत घटित हो रही घटनाओ के गत्यात्मक परिदृश्य उनका अन्तर्विरोधों से सीधा और सटीक साक्षात्कार कराती है। डॉ0 विश्वम्भरनाथ उपाध्याय के मतानुसार "समकालीन सृष्टि रस-सृष्टि नहीं, विष-सृष्टि है।" रचनाकार अपने परिवेशों प्रजापतियों और संपूर्ण संबंध अवस्थाओ से क्षुब्ध है। बिगड़ी हुई हालत को देखते-देखते और कोई मार्ग न मिलने पर लेखक के मानस मे क्रोध लावा की तरह उछलता है समकालीन कविता मे परम्परा का विद्रोह और उससे पृथक मार्ग निर्मित कर चलने की प्रवृत्ति दिखाई देती है जिसके फलस्वरूप समकालीन साहित्य में विभिन्न विमर्शों का प्रार्दुभाव हुआ है। विमर्श से तात्पर्य जीवत बहस से है किसी भी समस्या या स्थिति को एक कोण से न देखकर भिन्न मानसिकताओ दृष्टियों संस्कारो और वैचारिक प्रतिबद्धताओ का समाहार करते हुए विभिन्न दृष्टिकोणों से देखना या उसे समग्रता में समझने की कोशिश करना। इन्ही विमर्शों के मध्य एक विमर्श दुनिया का आधी आबादी अर्थात स्त्री-विमर्श है जो समकालीन कविता को बेबाक प्रश्रय पाकर मुखर हो उठा है। प्रो0 रोहिणी अग्रवाल के अनुसार स्त्री विमर्श का अर्थ स्त्री को केन्द्र में रखकर समाज संस्कृति परम्परा एवं इतिहास का पुनरीक्षण करते हुए स्त्री की स्थिति पर मानवीय दृष्टि से विचार करने की अनवरत प्रक्रिया है। स्त्री को पराश्रित बनाने का ढ़ाँचा सर्वप्रथम हमारे धर्म-ग्रंथ करते हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार ''रक्ष्यते

==========

* शोध छात्रा, जुहारी देवी गर्ल्स पी.जी. कॉलेज, कानपुर
** शोध निर्देशिका, जुहारी देवी गर्ल्स पी.जी. कॉलेज, कानपुर

कन्या पिता, पितां पतिः पुलास्तु वार्धके'' अर्थात् स्त्री की बचपन में पिता रक्षा करेगा, युवाअवस्था में पति और वृद्धावस्था में पुत्र। ऐसे लगभग सभी धार्मिक और दार्शनिक विचारों की परिधि में स्त्री को पुरूष की तुलना में एक अपूर्ण और सापेक्ष जीवन के रूप में देखा गया है। अतः स्त्री मुक्ति का प्रमुख संघर्ष अपनी सापेक्षता को लेकर है। डॉ0 सूर्य नारायण रणसुभे के अनुसार- ''नारी मुक्ति का अर्थ ही है नारी की वस्तु रूप से मुक्ति''

यदि हिन्दी कविता को देखा जाये तो स्त्री सभी युगों में उपस्थित रही है। अंतर केवल यह है कि पहले वह निरूपित थी परन्तु अब वह अभिव्यक्त है। पूर्व में गार्गी के रूप में उसकी बुद्धिमत्ता को ठुकरा कर भक्तिकाल में मुक्ति मर्यादा, संयम, प्रेम तथा उदात्ता जैसे महान विचारों के प्रणेताओं ने रत्नावली के ही मर्यादित प्रेम के तिरस्कृत किया। और इस प्रकार समाज द्वारा अपने सद्गुणों के कारणउपेक्षित नारी को मृतप्रायः पार्कर रीतिकाल में स्त्री की मांसलता तथा शारीरिक सौंदर्य का बखान कर उसका कामिनी रूप स्थापित किया जो कि पुरूष - प्रधान समाज को स्वीकृत हुआ। स्त्री से बुद्धि और मर्यादा के घाट पर पराजय न मानने वाला पुरूष - प्रधान समाज, अब स्त्री के बंकिम नयनों पर अपना सर्वेस्व न्यौछावर करने को तैयार था। आधुनिक काल में छायावादी काव्य आंदोलन के साथ स्त्री के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव दिखाई देता है। प्रगतिशील आंदोलन ने स्त्री का भी एक परिपक्व जन - मानस के रूप में पहचान की। समकालीन कविता इस परंपरागत परिपाटी को तोड़ती हुए समाज के ऐसे स्वरूप को सामने लाती है जैसा वह है। वैविध्यपूर्ण स्त्री समाज की विविध छवि समकालीन कविता में उपस्थित है।

समकालीन स्त्री-विमर्श को लेकर लेखन कार्य में प्रगतिशील कवयित्री अनामिका है जिन्होनें वर्तमान स्त्री जीवन की त्रासदी, उनकी शोषिता स्थित उनकी सामाजिक-आर्थिक पराधीनता, स्त्री-पुरूषों संबंधों में वर्चस्वादिता के संघर्ष, परंपरागत मान्यताओं से संघर्ष-रत स्त्री को गढ़ा है। जो अब अपने अस्तित्व और अस्मिता की तलाश में है और बड़ी ही बेबाकी से समाज द्वारा स्त्रियों के प्रति अपनायी जाने वाली आक्रामकता पर अपनी अभिव्यक्ति को अपनी जागरूकता का प्रमुख कारण बताती है। उनकी कविता में चित्रित स्त्री अपने अधिकारों के प्रति सचेत है। अब वह अपने दुःख को ही अपना जीवन समझ लेने के विपरीत उस दुःख के कारण की खोज तथा उसके निवारण में विश्वास रखती है। उनका मानना है कि स्त्री के लिए परिवार एक ऐसे दासत्व का चुनाव है जहाँ वह नियमों, कायदों और रीति-रिवाजों के सुनहले बंधंनों में पिसती रहती है। अपनी भावनात्मकता, निर्बलता के कारण उन संबंधों तथा नियमों को तोड़ पाना भी आसान नहीं। स्त्री

के दु:ख को अभिव्यक्त करती अनामिका की कविता।

'गृहलक्ष्मी' -

जैसी कि मजदूरनी
तोड़ती है पत्थर
मैनें तोड़ा खुद को
टूट-टूटकर।
धूल-धूल, कंकड़ी कंडी हुई
एक चारपाई के पाए के नीचे
मुझको दबाकर
बढ़ाया गया उसका कद।

ऐसे पितृ-सत्तत्मकता समाज को चुनौती देती हुई कविता "अब बहुत हुआ" में कवयित्री का प्रतिमार भरा स्वर कि-

"धीरे-धीरे मेरे कंधे से
उतर रहा है मेरा घर
धीरे-धीरे उतर रही है चमड़ी
मेरे ये कपड़े
मेरे सामने
घुटनों के बल बैठे
कह रहे कि अब बहुत हुआ"

क्योंकि उन्हें समझ में आने लगा है कि यदि वे अपने अस्तित्व की लड़ाई न लड़कर वर्चस्ववादी शक्तियों के अधीन रहेंगी तब तक उनकी स्थिति दयनीय बनी रहेगी। जिन सामाजिक रूढ़ियों, परंपराओं और नैतिकता की दुहाई देकर, उसे धर्म से जोड़ कर किसी स्वतंत्र निर्णय लेने से अक्षम बना दिया था तथा स्वंय स्त्री ने इसको अपनी नियती मान ली थी। किन्तु वास्तविकता और स्वंय पर आरोपित वास्तविकता में भेद करने के पश्चात्, शोषणवादी व्यवस्था के संपूर्ण ताने-बाने से परिचय प्राप्त कर लेने के पश्चात् वे इस व्यवस्था को पूरी तरह से बरल देना चाहती हैं-

एक चीख मेरे भी भीतर दबी है
डसका बस चले अगर तो
मेरी पसलियाँ तोड़ती
निकल आए बाहर।

समकालीन कविता स्त्रियों की मजबूत छवि निर्मित करती है। वे अपने अधिकारों के प्रति सचेत हैं और परंपरा से विद्रोह करती दिखाई देती है-

'रंजना जायसवाल' "मैं औरत हूँ " कविता में लिखती हैं-

"जो मैं जो हूँ-हूँ
जो नहीं हूँ- नहीं हूँ
मुझे अफसोस नहीं
कि मैं सीता-सावित्री के
साँचे में फिट नहीं बैठी
बस इतना काफी है
कि मैं मनुष्य हूँ।"

वर्तमान स्त्री का संपूर्ण संघर्ष मानवीय अस्तित्व और अस्मिता को प्राप्त करने के लिए है। समकालीन स्त्री घर तलाशती दिखाई देती है किंतु एक ऐसा घर जो पितृसत्तात्मक वर्चस्व के बिना हो। इस संदर्भ में निर्मला पुतुल लिखती हैं कि-

"बता सकते हो
सदियों से अपना घर तलाशती
एक बेचैन स्त्री को
उसके घर का पता
अपनी एक ऐसी जमीन
जो सिर्फ उसकी अपनी हो"

इस बिन्दु पर कि क्या स्त्री अपनी स्वत्रंता में संपूर्ण हैं, सक्षम है क्या वह अपने अस्मिता को पहचान पाएगी? इस संदेह के प्रयुत्तर में कात्यायनी लिखती है-

"यह स्त्री सब कुछ जानती है
पिंजड़े के बारे में
जाल के बारे में
यंत्रणा गृहों के बारे में, "
.....रहस्य है इसी स्त्री की उलट बासियों में
इन्हें समझो
इस स्त्री से डरो।

समाज द्वारा थोपी गयी मर्यादा को तोड़कर स्त्रियाँ अब लीक पर चलने पर नकारती हैं। उनके लेखन में पितृसत्तात्मक व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह है-

"हाँ में बागी हूँ
समाज के बनाये चौखट में फिट न हो सकी
चाहा प्रेम के बदले प्रेम
समर्पण के बदले समर्पण

मैं विद्रोही हूँ' (रंजना जायसवाल)

मर्यादा और बंधंन से ऊबी हुई स्त्रियाँ समस्त सभ्यता से परेय स्वंय को खानाबदोश कहने तक में गुरेज नहीं करती- ''सावधान

21 वीं सदी की खाना बदोश औरतें
तलाश रही हैं घर
वे अब किसी की नहीं सुनती
कर दर्ज करा रही हैं सारे प्रतिरोध''

(सुधा उपाध्याय)

इस स्त्री-विमर्श में एक नई कड़ी तब जुड़ जाती है जब स्त्री लिंग भेद के अतिरिक्त अपने ही मध्य वर्ग-भेद की पीड़ा को भी व्यक्त करती है। इस भेद को दलित कवयित्री रजनी तिलक की कवित ''औरत-औरत में अंतर है'' के माध्यम होने में

जुदा- जुदा फर्क नहीं क्या?
एक भंगी तो दूसरी बामणी
एक डोम तो दूसरी ठकुरानी।

समकालीन कविता में स्त्री-विर्मश में स्त्री-जीवन की अभिव्यक्ति अपनी पूरी प्रमाणिकता के साथ हुई है। इससे पूर्व स्त्री-लेखन पर एकांगी होने के आक्षेप पर भी यह अपना प्रभाव दिखा रहा है। अब मात्र उनका जीवन ही उनकी अभिव्यक्त के केंद्र में नहीं अपितु अब वे प्रकृति पर्यावरण, धार्मिक, राजनीतिक संदर्भ भी उनकी अभिव्यक्ति के विषय बन रहे हैं जो किसी भी मायने में पुरूषों की अभिव्यक्ति से कमतर नहीं है। सुधा उपाध्याय दम तोड़ता लोकतंत्र में भारतीय जनतंत्र की खामियों को उजागर करती है-

"अतीत सबसे बड़ा मुंसिफ है
इस सबसे बड़ा लोकतंत्र की
बेचारगी, लोचारगी का
क्योंकि अफसोस का तमगा
जिंदगी को नहीं
मौत की सुपुर्द करे हैं।"

भारतीय राजनीति की व्यवस्था और भ्रष्ट प्रशासन पर निर्मला पुतुल कहती हैं-

''कुर्सी ही तो है जिसके केन्द्र में धूमती है
देश की राजनीति अैर उसमें प्रभाव से
गिरता-उतरता है देशका तापमान ।''

अतः समकालीन कविता में निःसंदेह स्त्री का संघर्ष बहुआयामी है। वे अपने जीवन-जगत से जुडे सभी सवालों से टकरा रही है। और मात्र एक स्त्री होने की यातना से दूर एक सामाजिक एंव जिम्मेदार नागरिक के रूप में देश सुधार एंव विकास में अपना योगदान देने को तत्पर है।

==========

संदर्भ ग्रंथ सूची-

1. सुधा उपाध्याय, इसलिए कहूंगी मैं, राधाकृष्ण प्रकाशन।
2. अनामिका, कवि ने कहा, किताबघर प्रकाशन।
3. रंजना जायसवाल, स्त्री है प्र.ति, बोली प्रकाशन।
4. कात्यायनी, कवि ने कहा, किताबघर प्रकाशन।
5. परमानंद श्रीवास्तव, समकालीन कविता नये प्रस्थान, वाणी प्रकाशन।
6. निर्मला पुतुल, बेघर सपने, आधार प्रकाशन।
7. मनीष झा, समय, संस्कृति और समकालीनकविता प्रकाशन संस्थान।
8. जितेन्द्र श्रीवास्तव, विचारधारा नये विमर्श और समकालीन कविता, किताबघर प्रकाशन।

कार्यरत महिलाओं की भूमिका में बहुलता

* डॉ. रेखा सेन
** प्रो. प्रियंका तिवारी

परिवार या कुटुम्ब समाज का सबसे प्रथम संगठन तथा सार्वभौमिक संस्था है। वह एक ऐसा सामाजिक समुदाय है जिसके सदस्य रक्त सम्बन्ध, प्रेम तथा वात्सल्य भावना में बंधे रहते है व एक दूसरे से घनिष्ठ सम्बन्ध रखते है। समाज का विकास परिवार के परस्पर संबंध और प्रेम पर ही निर्भर रहता है। माता-पिता अपनी संतान के पालन-पोषण के लिये कार्य करते है। खेती के कार्य में तथा घरेलू उद्योग धन्धों में माता-पिता तथा उनके बच्चे एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं तथा एक दूसरे को सहयोग देते है। विवाहित जीवन में पति-पत्नी के अन्तः सम्बन्ध और उनके सामाजिक सम्बन्ध अति प्राचीन काल से चले आ रहे सामाजिक प्रतिमानों और मूल्यों पर निर्धारित है। आशा की जाती है कि आधुनिक युग में भी पति और पत्नी के बीच उन आदर्श सामाजिक प्रतिमानों के अनुरूप अन्तः सम्बन्ध हो। दूसरे शब्दों में वैवाहिक जीवन में पति-पत्नी की भूमिकायें समाज की देन है और मानव सभ्यता उनसे कुछ आदर्शो को बनाये रखने की आशा करती है। एक अच्छे पति और एक अच्छी पत्नी अर्थात एक अच्छे परिवार के लक्षण इन सामाजिक प्रतिमानों द्वारा निर्धारित किये गये है। समाज उनसे इन प्रतिमानों के अनुकूल व्यवहार की आकांक्षा रखता है, किन्तु आज की वर्तमान परिस्थितियां इनसे पूरी तरह मेल नहीं खाती है।

परिवार, पति-पत्नी एवं उनके बच्चों की एक जीवशास्त्रीय और हमारे समाज की एक सामाजिक रूप में बुनियादी इकाई है। दूसरे शब्दों में परिवार समाज का प्राथमिक संगठन तथा सार्वभौमिक संस्था है। वह एक ऐसा सामाजिक समुदाय है, जिसके सदस्य रक्त सम्बन्ध, प्रेम, तथा वात्सल्य भावना में बँधे रहते हैं व एक दूसरे से घनिष्ठ सम्बन्ध रखते हैं। समाज का विकास परिवार के परस्पर

==========

* अतिथि विद्वान, समाजशास्त्र, शासकीय महाविद्यालय बरका, जिला सिंगरौली (म.प्र.)
** स्ववित्तीय शिक्षक, समाजकार्य विभाग, शासकीय ठा. रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा

सम्बन्ध और प्रेम पर निर्भर रहता है। माता-पिता अपनी सन्तान के पालन-पोषण के लिये कार्य करते है। खेती के कार्य में तथा घरेलू उद्योग धन्धों में माता-पिता तथा उनके बच्चे एक इकाई के रूप में कार्य करते है तथा एक दूसरे को सहयोग देते हैं। परिवार, एक छोटा सा संगठन होते हुये भी, ऐसी महत्वपूर्ण संस्था है, जो राजनैतिक, सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रों में मनुष्य को सफलतापूर्वक जीवन व्यतीत करने की शिक्षा देता है।[1] परिवार में कई सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक कार्य होते है, जिनसे परिवार के सदस्यों की बुनियादी आवश्यकतायें पूरी होती है और बालक में स्वाभाविक रूप से उत्तम नागरिक के गुणों का विकास होता है। इस तरह परिवार हमारे विशाल मानव समाज की सर्वाधिक महत्वपूर्ण एक छोटा समूह है।[2] बग्रेस व लॉक ने अपनी पुस्तक ''दि फैमली'' में परिवार को परिभाषित करते हुये कहा है, ''परिवार एक ऐसा समूह है जिसके सदस्यों के सम्बन्ध का आधार विवाह, रक्त सम्बन्ध अथवा दत्तक ग्रहण (गोद लेना) हो और जिसमें पति-पत्नी, माता-पिता, पुत्र-पुत्री, भाई-बहन अपने-अपने कर्तव्यों का पालन करते हुये एक ही घर में रहते हों, जिससे संस्कृति बनती या स्थायी रूप ग्रहण करती है।'' इसी तरह मैकाइवर एवं पेज ने परिवार की परिभाषा देते हुये कहा है, परिवार यौन सम्बन्ध पर आधारित वह समुदाय है, जिसमें बच्चों का जन्म होता है और उनका पालन-पोषण किया जाता है। इसमें कुछ सहायक और परोक्ष सम्बन्धों के व्यक्ति भी रह सकते हैं परन्तु यह एक ऐसी विशिष्ट इकाई है, जिसमें पति-पत्नी और बच्चों का होना एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इस तरह मानव समाज में परिवार अति महत्वपूर्ण इकाई है। यह वृहद समाज की एक उप-व्यवस्था है। बदलती हुई परिस्थतियों में इन परम्परागत व्यवहार के सामाजिक प्रतिमानों का ह्रास हो रहा है, जिससे पारिवारिक विघटन और सामाजिक विघटन की स्थितियां निर्मित हो रही है।[4] अध्ययन पद्धत्ति किसी भी अध्ययन समूह के संबंध में तथ्य या आंकड़े एकत्रित करने की दो पद्धतियां होती हैं- एक तो समूह के सभी सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर तथ्यों को संकलित किया जाए या समूह के सभी सदस्यों के स्थान पर उनमें से कुछ प्रतिनिधि चुनकर उनसे ही तथ्य संकलित किए जाएं। जब समूह के सभी सदस्यों अर्थात् सभी इकाइयों से जानकारी एकत्रित की जाती है तो इस पद्धति को 'संगणना पद्धति' कहते हैं। लेकिन इसके विपरीत जब समूह में से कुछ प्रतिनिधि सदस्यों को चुनकर केवल उन्हीं से जानकारी प्राप्त की जाती है तो इस पद्धति को 'निदर्शन पद्धति' कहते हैं।

निदर्शन पद्धति में अध्ययन समूह अर्थात् समग्र की सम्पूर्ण इकाइयों का अध्ययन नहीं किया जाता वरन् समूह में से कुछ ऐसी इकाइयां चुन ली जाती हैं जिनमें समस्त इकाइयों के भी गुण विद्यमान होते हैं। इन चुनी हुई इकाइयों का

अध्ययन कर निष्कर्ष प्राप्त किया जाता है। इस अध्ययन में निदर्शन की सविचार पद्धत्ति को अपनाया गया है। इस पद्धत्ति में निदर्शन का चुनाव करते समय इस बात पर विशेष बल दिया जाता है कि समग्र में से उन्हीं इकाइयों का चुनाव किया जाए जो समग्र के औसत गुण व विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करती हों। सविचार या उद्देश्यपूर्ण निदर्शन में उद्देश्य को सामने रखकर उसके अनुकूल ही निदर्शन का चुनाव किया जाता है। अनुसंधानकर्त्ता अध्ययन विषय के उद्देश्य को ध्यान में रखकर उस पर प्रकाश डालने वाली तथा उसके अनुकूल इकाइयों को ही निदर्शन के रूप में विचारपूर्वक चुनता है। रीवा नगर में कार्यरत महिलाओं में से 200 का चयन इस पद्धति द्वारा किया गया है। चयन करते समय कार्यरत महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक प्रस्थिति को ध्यान में रखा गया है।

तथ्यों का विश्लेषण– विवाहित जीवन में पति-पत्नी के अन्तः सम्बन्ध और उनके सामाजिक सम्बन्ध अति प्राचीन काल से चले आ रहे सामाजिक प्रतिमानों और मूल्यों पर निर्धारित है। आशा की जाती है कि आधुनिक युग में भी पति और पत्नी के बीच उन आदर्श सामाजिक प्रतिमानों के अनुरूप अन्तः सम्बन्ध हो। दूसरे शब्दों में वैवाहिक जीवन में पति-पत्नी की भूमिकायें समाज की देन है और मानव सभ्यता उनसे कुछ आदर्शों को बनाये रखने की आशा करती है। एक अच्छे पति और एक अच्छी पत्नी अर्थात एक अच्छे परिवार के लक्षण इन सामाजिक प्रतिमानों द्वारा निर्धारित किये गये है। समाज उनसे इन प्रतिमानों के अनुकूल व्यवहार की आकांक्षा रखता है, किन्तु आज की वर्तमान परिस्थितियां इनसे पूरी तरह मेल नहीं खाती है। इससे समाज में अस्त-व्यस्तता की स्थिति उत्पन्न होती है, जो पारिवारिक विघटन का एक प्रमुख कारक बन जाती है। समाज में पारिवारिक अधिकार और दायित्व पूर्व समय से निर्धारित है किन्तु आज के सामाजिक जीवन में पति और पत्नी की प्रस्थिति और भूमिकाओं में अन्तर आ जाने के कारण यह अस्त-व्यस्तता उत्पन्न हुई है। इनमें पत्नी की प्रस्थिति एवं भूमिका के सम्बन्ध में अनेक समभ्रम या उलझने उत्पन्न हो रही है। परिवार में पति अपनी प्रस्थिति को पत्नी की तुलना में प्रमुख मानता है। पत्नी जो आज घर की चहारदीवारी से बाहर निकलकर आर्थिक रूप से पुरूष के समान कार्य करती है, वह परिवार में पति के समकक्ष अपनी प्रस्थिति बनाना चाहती है। किन्तु उसे परिवार के अन्य अनेक कार्य करने पड़ते है तथा मां की भूमिका का निर्वाह भी करना पड़ता है। महिलाओं द्वारा अर्थाजन, अधिक शिक्षा और घर से बाहर के कार्यो में बिताया जाने वाला अधिाक समय बच्चों की देख-रेख को प्रभावित करता है। पहले पत्नी-पति की जीवन संगिनी, परामर्शदात्री, बच्चों की मार्गदर्शिका होती थी किन्तु अब उसकी भूमिका में वृद्धि हो गयी है। अपनी परम्परागत भूमिका के साथ-साथ अब वह घर के बाहर

व्यापार, व्यवसाय, नौकरी करती है। उच्च शिक्षा प्राप्त करती है और बच्चों के अध्ययन कार्य में भी सहायता करती है। इस तरह आधुनिक शिक्षित मध्यमवर्गीय शहरी क्षेत्रों की पत्नियों को कई कठिन प्रस्थितियों से गुजरना पड़ रहा है। कार्यरत महिलाओं के दाम्पत्य जीवन के प्रारम्भ के साथ ही परिवारों में खिंचाव की स्थिति आरम्भ हो जाती है। पति श्रेष्ठ है तथा पत्नी उसके अधीन यह भावना आरम्भ होती है। जिसने इस भावना के आगे सम्पूर्ण समर्पण कर दिया वह परिवार में खप जाती है अन्यथा तनाव प्रारम्भ होते है। विवाह के पूर्व व्यवसाय में लगी महिलाएँ अथवा विवाह के पश्चात व्यवसाय में आने की इच्छुक कार्यरत महिलाओं के लिये यह आवश्यक हो जाता है कि ये कार्य क्षेत्र में आने के लिये अपने पति एवं परिवार की स्वीकृति प्राप्त करें।

परिवार में यह बात महत्वपूर्ण है कि एक ओर तो पति-पत्नी के अच्छे संबंध हों और दूसरी ओर माता-पिता और बच्चों के प्रति। इस बात का कोई बुरा नहीं मानता है कि उसकी पत्नी किस कार्यालय में काम करती है क्योंकि वह कुछ धन कमाकर लाती है, जो इन दोनों किनारों को मिलता है। परन्तु इसके साथ ही कार्यरत महिलाएं यह चाहतीं हैं कि दायित्वों के निवर्हन में उसके और उसके बच्चों के लिये उनका पति सहयोग करे। कार्यरत महिलाएँ कार्यालयों में कार्य करने के पश्चात इतनी थक जाती है कि वे घर, पति और बच्चों के लिये कुछ भी करने में अपने-आपको अशक्त ही पाती हैं। यही नहीं वे अपने पति और बच्चों को अनेक प्रकार के उपदेश आदि दे डालती हैं, जिनका अन्त प्रायः झगड़े और पारिवारिक अशांति के रूप में होता है। इस अध्ययन में कार्यरत महिलाओं के पारिवारिक जीवन के कुछ पक्षों को लेकर पति-पत्नी सम्बन्धों पर प्रकाश डालने वाले कुछ तथ्य सामने आये है, जिन्हें नीचें प्रस्तुत किया जा रहा है।

1. कार्यरत महिलाओं के पति-पत्नी सम्बन्धों के लगभग सभी आयामों में मत भिन्नता पाई गई है।
2. संयुक्त परिवार के विषय पर 60 प्रतिशत सामंजस्य और 40 प्रतिशत असामंजस्य की स्थिति पाई गयी है।
3. रक्त सम्बन्धियों जैसे पति के भाई-बहन या पत्नी के भाई बहन की सहायता के सम्बन्ध में 30 प्रतिशत सामंजस्य और 70 प्रतिशत असामंजस्य की स्थिति है।
4. गर्भधारण के सम्बन्ध में 80 प्रतिशत सामंजस्य और 20 प्रतिशत असामंजस्य की स्थिति पाई गई है।
5. आर्थिक क्षेत्र तथा मनोरंजन के साधन के सम्बन्ध में 60 प्रतिशत सामंजस्य और 40 प्रतिशत असामंजस्य की स्थिति पाई गयी है।

6. पुरूष या महिला सहकर्मियों के साथ मित्रता के प्रश्न पर 70 प्रतिशत सामंजस्य और 30 प्रतिशत असामंजस्य की स्थिति सामने आई है।
7. बच्चों के लालन-पालन तथा शिक्षा के प्रश्न पर 80 प्रतिशत सामंजस्य तथा 20 प्रतिशत असामंजस्य की स्थिति पाई गयी है। आज सभी शिक्षित परिवार अपने बच्चों का लालन-पालन उनके सर्वांगीण विकास के लिये करना चाहते है। असामंजस्य की स्थिति बच्चों को बोर्डिंग/हास्टल भेजने आदि विषयों में पाई गयी है।
8. पारिवारिक निर्णयों में 50 प्रतिशत सामंजस्य और 50 प्रतिशत असामंजस्य की स्थिति पाई गयी है। आज भी परिवार में पुरूष के निर्णय को प्राथमिकता दी जाती है। कार्यरत महिलाओं के परिवारों में कार्यरत महिला का अभिमत लिया जाता है लेकिन परम्परागत स्थिति अभी परिलक्षित होती है।

भूमिकाओं की बहुलता– स्त्रियों के समक्ष आज भूमिकाओं की बहुलता की स्थिति है। उनमें कुछ एक दूसरे की अन्तः विरोधी है। इसलिये स्त्रियां उनमें से किसी एक को चुनने और उसके अनुसार पारिवारिक जीवन को चलाने में असमर्थ हो रही है। उदाहरण के लिये एक स्त्री जो अपने स्वयं के व्यवसाय की देख-रेख हेतु घर से बाहर निकलती है अथवा किसी शासकीय या अशासकीय संस्थान में कार्य करती है, उसे इस आधुनिक भूमिका के साथ-साथ अपनी परम्परागत पारिवारिक भूमिकाओं - घर का कार्य करना, बच्चों की देख-रेख करना, उनकी शिक्षा-दीक्षा में सहयोग करना और अपने पति के साथ पूर्व जैसे व्यवहार को बनाये रखना पड़ता है। इस तरह आज भी यह आशा की जाती है कि मध्यम वर्गीय स्त्रियां एक अच्छी पत्नी, माँ, गृहणी और आजीविका उपार्जित करने वाले स्त्री की भूमिका का निर्वाह करे। उच्च वर्गीय परिवारों में स्त्री से इन कार्यो के अलावा पति की इच्छा रहती है कि वह उसकी साथी, सलाहकार और प्रेमिका की भूमिका का निर्वाह करे। उच्च मध्यम वर्गीय परिवारों में पत्नी से उक्त दोनों प्रकार की मिश्रित भूमिका की आकांक्षा की जाती है। इन परिस्थितियों में भूमिकाओं की बहुलता के कारण स्त्रियाँ परिवार के सभी सदस्यों के साथ सहयोजन करने में या सामंजस्य बनाये रखने में कठिनाई महसूस कर रही है। यह कठिनाइयां पारिवारिक असामंजस्य को उत्पन्न करती है, जो आगे चलकर पारिवारिक अशान्ति की स्थिति निर्मित करती है।

कार्यरत महिलाओं की भूमिका में बहुलता–

निम्न आय वर्ग की 80 प्रतिशत कार्यरत महिलायें परम्परागत भूमिका के साथ सामंजस्य स्थापित कर लेती है जबकि 20 प्रतिशत सामंजस्य स्थापित न कर

पाने के कारण पारिवारिक तनाव का संकट झेलती है। आधुनिक भूमिका के संदर्भ में इस वर्ग की 60 प्रतिशत महिलायें सामंजस्य स्थापित करने में सफल पायी गयी है जबकि 40 प्रतिशत असामंजस्य की स्थिति को झेलती है। मध्यम आय वर्ग की कार्यरत महिलाओं में परम्परागत भूमिका में 60 प्रतिशत सामंजस्य की स्थिति में तथा 40 प्रतिशत असामंजस्य की स्थिति में पाई गयी है। आधुनिक भूमिका के संदर्भ में इस वर्ग की 50 प्रतिशत महिलायें सामंजस्य कर लेती है जबकि 50 प्रतिशत असामंजस्य की स्थिति में रहती है। उच्च आय वर्ग की 80 प्रतिशत महिलायें परम्परागत भूमिका के साथ आधुनिक भूमिका के निर्वहन में कठिनाई महसूस करती है जबकि 20 प्रतिशत सामंजस्य स्थापित कर लेती है। वर्तमान परिवेश में इस वर्ग की 75 प्रतिशत महिलायें आधुनिक भूमिका में सामंजस्य तथ 25 प्रतिशत असामंजस्य की स्थिति में पाई गयी है। परिवार में यह असामंजस्य की स्थिति कार्यरत महिलाओं के कार्य को भी प्रभावित करती है।

==========

संदर्भ ग्रंथ सूची–

1. Dr. S. Akhilesh, Juvenile Delinquency in Rewa, Classical Publishing Comp. New Delhi, 2000, page 95.
2. Talcott Parsons and Robert F. Bales, Family, Socialization and Interaction Process, The Free Press, Glemloe III, 1955, page 19.
3. डॉ. एस. अखिलेश, रीवा नगर में बाल अपराध, लघु शोध प्रबन्ध, रीवा, 1990, पृष्ठ 95.
4. Elliott and Merrill, Social Disorganization, page 348-349.

भारत में महिला बेरोजगारी की समस्या एवं सरकारी प्रयास

* डॉ. वर्षा राहुल

भारत देश ने आर्थिक जगत में अपनी उपस्थिति को बखूबी प्रस्तुत किया हैं किन्तु बढ़ती हुई जनसंख्या वृद्धि नें अपनी उपस्थिति को भी दर्ज कराते हुये बेरोजगारी की समस्या से लगाकार रूबरू कराया है। जिस प्रकार व्यक्तियों का आर्थिक स्तर बढ़ रहा है उसी प्रकार से रोजगार के अवसर में तेजी से गिरावट आ रही है। भारत देश एक विशाल देश है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में द्वितीय स्थान है। जनांकिकीय जागरूपता में कमी होने के कारण यहां की जनसंख्या विशाल रूप लिये हुये है। देश के लिये यह आसान नहीं है कि वह इतनी बढ़ी जनसंख्या के लिये रोजगार प्रदान कर सकें।

भारत देश की एक-तिहाई जनसंख्या को मूलभूत सुविधाएं प्राप्त नहीं हो पाती है तथा वे भूखे पेट सोने के लिये मजबूर होते हैं। इन परिस्थितियों के चलते वे देश में निम्न कृत्य जैसे चोरी, डकैती तथा अन्य जघन्य अपराध करते हैं जिस कारण देश की छवि व मानवीय भावनाओं को भी क्षति पहुंचती है।

बेरोजगारी एक समस्या ही नहीं एक अभिशाप भी है जिसके कारण देश की आर्थिक वृद्धि बाधित होती है। समाज में अपराध एवं हिंसा में वृद्धि होती है और सबसे गलत बात तो यह है कि बेरोजगार व्यक्ति को अपने अस्तित्व के लिये संघर्षरत रहना पड़ता है और अपने घर ही नहीं बाहर के लोगों द्वारा भी मानसिक रूप से प्रताड़ित होना पड़ता है। बेरोजगारी की समस्या का समाधान केवल सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन ही नहीं हो सकता, क्योंकि सच्चाई यही है कि सार्वजनिक ही नहीं निजी क्षेत्र के उद्यमों की सहायता से भी हर व्यक्ति को रोजगार देना किसी भी देश की सरकार के लिये सम्भव नहीं। बेरोजगारी की समस्या का समाधान तब ही सम्भव है जब व्यावहारिक एवं व्यावसायिक रोजगारोन्मुखी शिक्षा पर ध्यान केन्द्रित कर लोगों को स्वरोजगार अर्थात् निजी उद्यम एवं व्यवसाय प्रारम्भ करने के लिये प्रेरित किया जाये।

==========

* असिस्टेन्ट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, डी.वी. कॉलेज, उरई

आईएलओ के अनुसार वर्ष 2018 में भारत में बेरोजगारों की संख्या 1.86 करोड़ रहने का अनुमान है, साथ ही इस संख्या के अगले साल, यानी 2019 में 1.89 करोड़ तक बढ़ जाने का भी अनुमान लगाया गया है। आँकड़ों के अनुसार, भारत दुनिया के सबसे ज्यादा बेरोजगारों का देश बन गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, इस समय देश की 11 फीसदी आबादी बेरोजगार है। यह वे लोग हैं जो काम करने लायक हैं, लेकिन उनके पास रोजगार नहीं है, इस प्रतिशत को अगर संख्या में देखें तो पता चलता है कि देश के लगभग 12 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। इसके अलावा बीते साढ़े तीन साल में बेरोजगारी की दर में जबरदस्त इजाफा हुआ। जिस युवा शक्ति के दम पर हम विश्व भर में सर्वश्रेष्ठ बनते हैं उस देश की युवा शक्ति एक अदद नौकरी के लिये दर-दर भटकने को मजबूर हैं लेकिन कड़ी सच्चाई यह है कि प्रतिदिन बढ़ती बेरोजगारी के कारण सबसे अधिक आत्महत्याओं का कलंक भी हमारे देश के माथे पर लगा हुआ है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के ताजा आंकड़ों के मुताबिक प्रतिदिन 26 युवा खुद को अवसाद में ढ़ाल रहे हैं या फिर आत्महत्या कर रहे हैं और इस संताप की स्थिति का जन्म छात्र बेरोजगारी की गम्भीर समस्या के कारण हुआ है।

बेरोजगारी से आशय-

यह एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति वर्तमान मजदूरी दर पर काम करने को तैयार हो किन्तु उसे कोई कार्य नहीं मिलता। अर्थात् ऐसा जन समूह या व्यक्ति जो मानसिक एवं शारीरिक दृष्टि से कार्य करने के योग्य एवं इच्छुक है किन्तु जिन्हें प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य नही मिलता। उन्हें बेकार या बेरोजगार की श्रेणी में रखा जाता है।

रोजगार को दो प्रवृत्तियों से देखा जा सकता है- एक नौकरीपरक व दूसरा व्यवसाय अथवा स्वरोजगारपरक। उक्त दोनों परिस्थितियों से पृथक व्यक्तियों को बेरोजगार कहा जाता है।

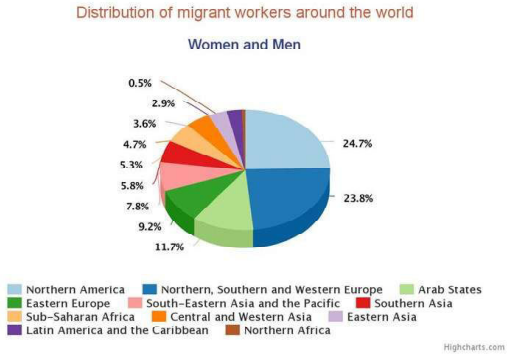

महिला बेरोजगारी की समस्या–

रोजगार और बेरोजगारी का अनुमान सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा किये गये श्रमिक बल सर्वेक्षण से लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त श्रम और रोजगार मंत्रालय का श्रम, ब्यूरो, रोजगार और बेरोजगारी का वार्षिक सर्वेक्षण करता है। एनएसएसओ द्वारा हाल में किये गये श्रम बल सर्वेक्षण के परिणामों के अनुसार 2009-10 तथा 2011-12 के दोरान अनुमानित महिला कर्मी जनसंख्या अनुपात क्रमशः 26.6: और 23.7: था। वर्ष 2012-13, 2013-14 और 2015-16 में श्रम ब्यूरो द्वारा किये गये वार्षिक रोजगार बेरोजगारी के अन्तिम तीन दौर के सर्वेक्षण के अनुसार 15 वर्ष और उससे ऊपर के आयु की महिलाओं के लिये श्रमिक जनसंख्या अनुपात क्रमशः 25.0%, 29.6% और 25.8% रहा।

सरकार ने महिला रोजगार बढ़ाने सहित रोजगार में वृद्धि करने के बारे में अनेक कदम उठाये हैं। इनमें निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करना, निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं में तेजी लाना, सूक्ष्म लघु और मझौले उद्यम मंत्रालय द्वारा चलाये जा रहे प्रधानमंत्री के रोजगार सृजन कार्यक्रम जैसी योजनाओं, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा चलाई जा रही महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना (एमजीएनआरईजीएस) तथा पंडित दीनदयाल ग्रामीण गौशाला योजना (डीडीयू-जीकेवाई) और आवास तथा शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन) आदि शामिल हैं।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के अन्तर्गत ऋण लेने वाली महिलाओं को 0.25% की विशेष छूट दी जाती है। मुद्रा योजना के तहत 75 ऋण (31 मार्च, 2018) तक 12.27 करोड़ स्वीकृत ऋण में से 9.02 करोड़ ऋण महिला उद्यमियों को दिये गये हैं।

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने महिला श्रमिक भागीदारी दर बढ़ाने के लिये

अनेक कदम उठाकर इस विषय को प्रोत्साहित करने का कार्य किया है। इन कदमों में मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 शामिल है। इसमें भुगतान मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करने का प्रावधान रखा गय है और 50 से अधिक कर्मचारियों के प्रावधानों में अनिवार्य क्रस सुविधा का प्रावधान उत्पन्न किया है। पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ रात्रि पाली में महिला कर्मियों को काम की अनुमति देने के लिये फैक्ट्री अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत राज्यों को परामर्श देने का विषय है। समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 में समान कार्य के लिये और समान स्वभाव कार्य के लिये भेदभाव किये बिना पुरूष और महिला श्रमिक दोनों के लिये समान पारिश्रमिक के भुगतान का प्रावधान है। न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के अन्तर्गत सरकार द्वारा तय किये गये वेतन पुरूष और महिला कर्मियों के लिये समान रूप से लागू है और इसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता है।

केन्द्रीय श्रम मंत्रालय के आँकड़ों के अनुसार हर रोज 550 नौकरियां कम हुई हैं और स्वरोजगार के मौके घटे है। इन सारी कवायदों के बीच जो आंकड़े सामने आये हैं। उनसे पता चलता है कि रोजगार के मुद्दे पर देश के हालात बहुत खराब है। हाल ही में आई अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि साल 2019 आते-आते देश के तीन चौथाई कर्मचारियों और प्रोफेशनल पर नौकरी का खतरा मंड़राने लगेगा या फिर उन्हें उनकी काबिलियत के मुताबिक काम नहीं मिलेगा।

रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में भारत में जो करीब 53.4 करोड़ काम करने वाले लोग हैं। उनमें से करीब 39.8 करोड़ लोगों को उनकी योग्यता के हिसाब से न तो काम मिलेगा, न नौकरी। इसके अलावा इन पर नौकरी जाने का खतरा भी मंडरा रहा है। वैसे तो 2017-19 के बीच बेरोजगारी की दर 3.5 फीसदी के आसपास रहने का अनुमान है। लेकिन 15 से 24 साल के आयु वर्ग में यह प्रतिशत बहुत ज्यादा है। आँकड़ों के मुताबिक 2017 में 15 से 24 आयु वर्ग वाले युवाओं का बेरोजगारी प्रतिशत 10.5 फीसदी था, जो 2019 आते-आते 10.7 फीसदी पर पहुंच सकता है, महिलाओं के मोर्चे पर जो हालत और खराब है। रिपोर्ट कहती है कि बीते चार साल में महिलाओं की बेरोजगारी दर 8.7 तक पहुंच गयी है। भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास के दौरान महिलाओं के लिये पर्याप्त संख्या में रोजगार सृजन नहीं हो रहे हैं। सबसे चौकाने वाली बात है कि बीते सालों में कामकाजी महिलाओं की संख्या में तेजी से गिरावट आई है। इस समय ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की सिर्फ 27.4 प्रतिशत महिलाओं (कामकाजी उम्र की) के पास रोजगार है, जबकि एक दशक पहले यह आंकड़ा 43 प्रतिशत था।

भारत के मुकाबले महिलाओं के रोजगार की स्थिति सिर्फ पाकिस्तान (25 प्रतिशत) और अरब देशों (23 प्रतिशत) में खराब है। वहीं दूसरी तरफ नेपाल में 80 प्रतिशत महिलाओं के पास रोजगार है। चीन में 64, बांग्लादेश में 57.4 और अमेरिका में 56.3 प्रतिश्त महिलाओं के पास रोजगार है।

भारत में इस स्थिति के पीछे कई कारण हो सकते हैं जैसे कहा जा सकता है कि यहां महिलाएं नौकरी की तुलना में पढ़ाई को ज्यादा तवज्जो देती है। हालांकि आँकड़े बताते हैं कि हर शैक्षिक स्तर पर महिलाओं में बेरोजगारी ज्यादा है। हमारे यहाँ प्रचलित जाति व्यवस्था को भी इसकी वजह नहीं बताया जा सकता क्योंकि दलितों से लेकर ऊँची जाति की महिलाओं तक में बेरोजगारी की समस्या कमोवेश एक जैसी ही है। इसी तरह वैवाहिक स्थिति भी इसके पीछे नहीं हो सकती क्योंकि अविवाहित और विवाहित, दोनों श्रेणियों में बेरोजगार महिलाओं की संख्या बराबर है।

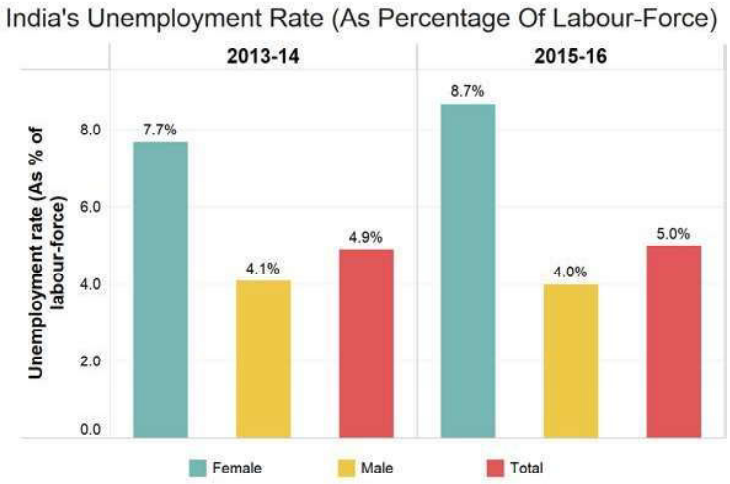

इसकी एक वजह शारीरिक श्रम या महिलाओं के कामकाज को लेकर हमारे समाज में फैला दुराग्रह जरूर हो सकता है। परिवारों में जैसे ही आमदनी बढ़ती है आमतौर पर महिलाओं का घर के बाहर जाकर काम करना बन्द हो जाता है। वैसे भी 2006 से 2014 के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी की दर में बढ़ोत्तरी हुई है। वहीं कामकाजी स्थलों पर बढ़ती असुरक्षा ने महिलाओं से उन रोजगारों को छीनने का काम किया है। जहां देर रात तक काम होता है।

हालांकि विश्व बैंक की इस रिपोर्ट में महिलाओं की बेरोजगारी का आँकड़ा ज्यादा दिखने का एक कारण और हो सकता है। कई महिलाएं उन क्षेत्रों में काम करती हैं जिनके आँकड़े इस रिपोर्ट में शामिल होना मुश्किल है। जैसे

सिलाई-कढ़ाई का काम, पेपर बैग या अचार बनाने का काम। ये अनौपचारिक काम वैसे ही हैं जैसे हमारे यहां महिलाएं दूसरे घरेलू काम करती हैं या बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल करती हैं।

इस सबके बावजूद अगर महिलाओं के रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं तो इसकी मूल वजह यही है कि कुल रोजगार की वृद्धि दर में गिरावट आ रही है। 2001 से 2011 के बीच यह सालाना दो प्रतिशत थी लेकिन अब एक प्रतिशत पर आ गयी है। यानी कम से कम नौकरियां सृजित हो रही हैं और जाहिर है कि इन पर पहले पुरूष कब्जा जमा रहे हैं। दिल्ली के कुल 57 लाख कामकाजी लोगों में महिलाएं सिर्फ 5 लाख 40 हजार हैं। इनमें 37.19 प्रतिशत महिलाएं कोई अपना काम कर रही हैं। जबकि 57.59 फीसदी किसी न किसी नौकरी में है। उनकी तुलना में पुरूषों का रूझान स्वरोजगार की तरफ ज्यादा, नौकरी की तरफ कम है। इस सदी की शुरूआत में जब कॉल सेण्टरों का दौर शुरू हुआ था और सॉटवेयर इण्डस्ट्री, मीडिया, एंटरटेनमेंट, रिटेल बिजनेस वगैरह में महिलाओं को पुरूषों के बराबर काम मिलने लगा था। तब एक उम्मीद बनी थी कि जल्द ही पूरे भारतीय समाज में न सही, पर यहां के शहरी समाज में लड़कियों की आर्थिक-सामाजिक स्थिति लड़कों के बराबर हो जायेगी। आँकड़े बता रहे हैं कि समय बीतने के साथ यह उम्मीद कमजोर पड़ी है।

महिला रोजगार के प्रति सरकारी प्रयास-

अर्न्तराष्ट्रीय महिला दिवस सिर्फ एक हफ्ते दर है। भारत सहित दुनिया भर के देशों में महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया जा रहा है। कई प्रकार की योजनाओं द्वारा भारत सरकार महिलाओं के प्रति सजग हो रही है। ये योजनायें कमजोर और पीढ़ित महिलाओं को आवाज उठाने में मदद कर रही है। देश की सरकार के द्वारा महिलाओं की बेरोजगारी को रोकने व उन्हें समाज में सम्मान से जीने, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिये निम्नलिखित योजनाओं का सृजन किया गया है-

1. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ-

यह एक सामाजिक अभियान है जिसका लक्ष्य है कि महिला भेदभाव के उन्मूलन और युवा भारतीय लड़कियों के लिये कल्याण सेवाओं पर जागरूकता बढ़ाना। 22 जनवरी 2015 को शुरू, यह महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संयुक्त उपक्रम है।

2. वन स्टॉप सेंटर स्कीम-

यह योजना 1 अप्रैल 2015 को 'निर्भया' फण्ड के साथ लागू की गयी

थी। यह योजना भारत के विभिन्न शहरों के अलग-अलग क्षेत्रों में चलाई जा रही है जिसके अन्तर्गत यह योजना उन महिलाओं को शरण देती है जो किसी प्रकार की हिंसा का शिकार होती है। इसके तहत पुलिस डेस्क, कानूनी, चिकित्सा और परामर्श सेवाएं देने का काम किया जाता है। इस योजना के लिये टोल फ्री हेल्पलाइन नम्बर 181 है।

3. **वैभव लक्ष्मी योजना**–

हमारे देश में कई गृहणियां स्वयं का व्यवसाय शुरू करना चाहती है लेकिन उन्हें निवेश सम्बन्धित दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। महिलाओं को व्यवसाय के क्षेत्र में सहायता करने के लिये सरकार ने लेन-देन की कई योजनाएं चलाई हैं। जिनमें से वैभव लक्ष्मी योजना भी एक मुख्य योजना है। इस योजना के अन्तर्गत बैंक ऑफ बड़ौदा महिलाओं की सहायता करता है। बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा महिलाओं के व्यवसाय के लिये उनकी व्यवयाय की पूरी योजना देख संतुष्ट होकर दिया जाता है।

4. **वर्किंग वुमन हॉस्टल**–

इस योजना का उद्देश्य है काम करने वाली महिलाओं के लिये सुरक्षित आवास आसानी से उपलब्ध कराना। जहां पर उनके बच्चों की देखभाल की सुविधा और जरूरत की हर चीज आसपास उपलब्ध हो। यह योजना शहरी, सेमी, अरबन और ग्रामीण सभी जगह पर उपलब्ध है। जहां पर महिलाओं के लिये रोजगार के अवसर मौजूद हैं।

5. **महिलाओं के लिये प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम**–

योजना का उद्देश्य उन स्किल्स को प्रदान करना है जो महिलाओं को रोजगार की सुविधा प्रदान करते हैं और दक्षता और कौशल प्रदान करते हे। साथ ही जो महिलाओं को स्व-रोजगार/उद्यमी बनने में सक्षम बनाती है। क्षेत्रों में कृषि, बागवानी, खाद्य प्रसंस्करण, हथकरघा, सिलाई, कढ़ाई, जरी आदि हस्तशिल्प, कम्प्यूटर और आईटी कार्यस्थल के लिये सॉफ्ट स्किल और कौशल जैसे कथित अंग्रेजी रत्न और आभूषण, यात्रा और पर्यटन, आतिथ्य जैसे कार्यों के लिये सेवाएं प्रदान करती है।

6. **नारी शक्ति पुरस्कार**–

नारी शक्ति पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार हैं। इस स्कीम की स्थापना 1999 में की गयी। केन्द्र सरकार ने भारत में महिला सशक्तिकरण के लिये महिलाओं और संस्थानों द्वारा किये गये सेवा कार्य को मान्यता प्रदान करने हेतु नारी शक्ति पुरस्कार की स्थापना की। यह पुरस्कार महिलाओं और संस्थाओं द्वारा महिलाओं, विशेष रूप से कमजोर और पीढ़ित महिलाओं के लिये जो अच्छा काम

करते हैं या ऐसी महिलाएं अपने हालात से बाहर आकर कुछ अलग करती है उन्हें नकद पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है।

7. **स्वाधार गृह–**

कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के पुनर्वास के लिये 2002 में महिला और बाल विकास मंत्रालय ने स्वधार योजना शुरू की थी। यह योजना अपेक्षाकृत महिलाओं/लड़कियों की जरूरत के मुताबिक आश्रय, भोजन, कपड़े और देखभाल प्रदान करती है। लाभार्थियों में उनके परिवारों और रिश्तेदारों, जेल से रिहा महिला कैदियों और बिना पारिवारिक सहायता, प्राकृतिक आपदाओं से बचे महिलाओं, आतंकवादी/अतिवादी हिंसा आदि महिलाओं की पीड़ित विधवाएं शामिल हैं। कार्यान्वयन एजेन्सियां मुख्य रूप से एनजीओ हैं।

8. **महिला शक्ति केन्द्र योजना–**

यह योजना महिलाओं के संरक्षण और सशक्तिकरण के लिये उंब्रेला स्कीम मिशन के तहत महिला एवं बाल विकास द्वारा 2017 में संचालित की गयी थी। इस योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से सशक्त बनाने और उनकी क्षमता का अनुभव कराने का काम किया जाता है। यह योजना राष्ट्र स्तर, राज्य स्तर और जिला स्तर पर काम करती है।

9. **महिला ई–हाट–**

इस योजना का मुख्य फोकस घर पर रहने वाली महिलाओं पर है। उन्हीं ही ध्यान में रखकर ये योजना शुरू की गयी है। इसके लिये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने एक मंच तैयार किया है जिसके माध्यम से महिलाएं अपने हुनर के जरिए कमाई भी कर सकती हैं। मंत्रालय ने इस योजना का नाम महिला 'ई-हाट' दिया है।

10. **उज्ज्वला योजना–**

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली 2 करोड़ से अधिक महिलाओं को गैर सिलेण्डर वितरित किये गये। सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत अगले तीन सालों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली 5 करोड़ से अधिक महिलाओं को नये एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिये 8000 करोड़ रूपये का मंजूरी दी है।

11. **मुद्रा स्कीम–**

महिलाओं के हित में यह मुद्रा स्कीम काफी फायदेमंद है। इस योजना का लाभ किसी भी बैंक से लिया जा सकता है। सरकार ने यह योजना आर्गनाइज्ड सेक्टर में कारोबार करने वाली महिलाओं को देखते हुये बनाया है। जिसमें महिलाओं को 50 हजार रूपये से 10 लाख रूपये का लोन मुहैया आसानी से बिना

गारंटी के मिल जाता है।

निष्कर्ष–

सर्वप्रथम, ये सोचना कि महिलाओं के कार्य करने से पुरूषों में बेरोजगारी की प्रवृत्ति में वृद्धि हुई है, वाली सोच को परिवर्तित करना होगा। जहाँ पुरूषों ने हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को ही प्रबल माना वहीं पर महिलाओं के साथ अन्याय किया। समाज को आगे बढाने में जितना योगदान एक पुरूष का होता है उतना ही एक स्त्री का भी होता है। उसे भी आगे बढ़ने व महत्वाकांक्षी होने का उतना ही हक है। जितना कि एक पुरूष को है।

अतः यदि समाज में परिवर्तन व देश को उन्नत करना है तो महिलाओं के अस्तित्व को भी स्वीकार करना होगा। केवल सरकारी प्रयास से ही किसी महिला को उसका हक नहीं मिल सकता जबतक समाज सहज रूप से उसको स्वीकार नहीं करता। आज के समय में बेरोजगार होने या रोजगार न मिलने का जितना दुख व कष्ट एक पुरूष को होता है उतना ही कष्ट व दुख एक महिला को भी होता है। पुरूष के बेरोजगार होने का कारण महिलायें नहीं बल्कि रोजगार का सृजन न होना है। दक्षता में कमीका होना तथा जनसंख्या वृद्धि का होना है। सरकारी हो या निजी क्षेत्र रोजगार उसको मिलेगा जो दक्ष होगा। फिर चाहे वो पुरूष हो या स्त्री किन्तु जिस देश की स्त्रियां रोजगार प्रतिशतता में वृद्धि लिये होती है उस देश को आर्थिक, सामाजिक क्षेत्र में उन्नत व विकसित श्रेणी में रखा जाता है तथा वहां का वातावरण स्वच्छ एवं मानसिकता स्वस्थ्य होती है।

==========

संदर्भ ग्रंथ सूची–

1. योजना
2. कुरूक्षेत्र
3. दैनिक समाचार पत्र
4. भारतीय अर्थव्यवस्था- मिश्र एवं पुरी
5. भारतीय अर्थव्यवस्था- रन्द्रदत्त एवं के0पी0 सुन्दरम्
6. आर्थिक समीक्षा- विभिन्न अंक।

महिला सशक्तिकरण एवं शिक्षा

* डॉ. शाहेदा सिद्दकी
** श्रीमती शारदा सोनी

महिला सशक्तिकरण शब्द से प्रथम प्रतीत यह होता है कि क्या महिला अशक्त है ? उसे विभिन्न योजनाओं और कानूनों के सहयोग से मजबूत बनाना है। ऐसे में कौन-कौन सी योजनाओं और कानूनों के सहयोग से उसकी स्थिति को उच्च एवं मजबूत बनाया जा सकता है विचारणीय है। उसमें एक महत्वपूर्ण साधन है-शिक्षा।

जीवन, समाज, राज्य, राष्ट्र एवं अंर्तराष्ट्रीय जगत के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाएं खुलकर बिना रोक-टोक के भाग ले रही है, एवं अपनी जिम्मेदारियों को बड़ी कुशलता से निबाह रही है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान शिक्षा का ही है, फिर भी संपूर्ण महिला जगत की कितनी महिलाएं अपना यह भागीदारी दे पा रही है, आज चिन्तन का विषय है। भारतीय समाज में ही हम यह झांक कर देखे, तो पता चलता है कि महिलाओं का बहुत कम हिस्सा, जो लगभग 20 से 25 प्रतिशत महिलाएं ही इन विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान दे पा रही है। बाकी सभी महिलाएं जिनमें खासतौर पर ग्रामीण महिलाओं का योगदान नगण्य ही है और इन महिलाओं की अपनी महत्वकांक्षाएं भी है। जिन्हें वो पूरा करना चाहती है। भारतीय समाज की 20 से 25 प्रतिशत महिलाओं की स्थिति जिस प्रकार से उच्च और मजबूत हुई है। उसी प्रकार संपूर्ण भारतीय समाज की 100 प्रतिशत महिलाओं की स्थिति को उच्च एवं मजबूत बनाना ही महिला सशक्तिकरण है।

महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में शिक्षा का योगदान– महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में शिक्षा के योगदान को निम्नलिखित आधारों पर आंका जा सकता है -

1. **अधिकार चेतना**– भारतीय संविधान में पुरूषों के समान ही महिलाओं को मौलिक अधिकार दिया गया है, किन्तु केवल अधिकार देने मात्र से ही भारतीय

==========

* प्राध्यापक, समाजशास्त्र, टी.आर.एस.शा.स्व.महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
** शोधार्थी, समाजशास्त्र, टी.आर.एस.शा.स्व.महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

महिलाओं की स्थिति ऊंची नहीं हो जाती है। अधिकार चेतना की अत्यंत आवश्यकता है, चेतनहीनता या अज्ञानता उनकी प्रस्थिति की भावना को कम करती है। अधिकार चेतना में प्रमुख बाधा है- अशिक्षा। शिक्षा जिसमें प्राथमिक से लेकर उच्च एवं तकनीकी शिक्षा तक भारतीय महिलाओं में अधिकार चेतना जागृत करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। महिलाएं अब अपने अधिकारों को समझ पा रही है। तथा उनके उपभोग के लिए अपना कदम आगे बढ़ा रही है।

2. **महिलाओं में आत्म विश्वास**– महिलाओं के आधुनिक समाज में पिछड़े होने का एक प्रमुख कारण उनमें आत्म विश्वास की कमी है। शिक्षा से उनमें आत्म विश्वास की भावना जागृत होती है और उस आत्म विश्वास से वह समाज के प्रत्येक क्षेत्र में पूर्ण दृढ़ता से कदम उठा सकती है। शिक्षित महिला आज समाज के प्रत्येक क्षेत्र में पूरी निष्ठा व लगन के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही है। शिक्षा से उनमें भरपूर आत्म विश्वास जगा है। यदि उसे समय पर यह शिक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं होता, तो आज जो प्राप्त कर रही है, वह संभव ही नहीं होता।

3. **विभिन्न योजनाओं एवं कानूनों की जानकारी प्राप्त कर लाभ लेना**– महिलाओं के लिए आज हमारे देश में अनेकों योजनाएं एवं कानून बने हुए है और उन्हें लागू भी किया जा रहा है किन्तु जो महिलाएं अशिक्षित है या ग्रामीण परिवेष में रह कर जीवनयापन कर रहीं हैं, वे इन योजनाओं और उपबंधों का समुचित लाभ नहीं ले पा रहीं है। यदि उन्हें इनका लाभ देने की कोशिश भी की जाए फिर भी चेतना के अभाव या पुरुष वर्चस्वता के चलते उनका पूर्ण लाभ नहीं ले पाती है। देश में महिलाओं के उत्थान के लिए भ्रूण हत्या निषेध कानून, दहेज प्रथा निषेध कानून, घरेलू हिंसा निरोध अधिनियम, बाल विवाह निषेध आदि बहुत सारे अधिनियम बनाए गए है, लेकिन अशिक्षा या न्यून शिक्षा के कारण गांव की महिला इनका सही लाभ नहीं ले पाती है। इस बात का अंदाजा आप स्थानीय पंचायतों में निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों की स्थिति से बखूबी लगा सकते हैं। ग्रामीण पंचायतों में आज भी सारे फैसले उनके पति या प्रतिनिधि ही तय करते हैं। यह महिला अधिकारों का हनन है। ऐसे में शिक्षा ही एक मात्र माध्यम है, जिनके द्वारा उन्हें इन कानूनों और अधिकारों की जानकारी दी जा सकती है, तभी वह इनका लाभ ले सकती है। लेकिन इन कानूनों की जानकारी मात्र उन्हें प्राथमिक शिक्षा देकर ही पूरी नहीं की जा सकती, इसके लिए उन्हें उच्च शिक्षा से जोड़ना होगा। अतः इन योजनाओं और कानूनों के साथ बेहतर तालमेल कर महिला उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना होगा। उच्च शिक्षा से ही महिलाओं में जागरूकता व सशक्तिकरण आएगी।

महिलाओं में आज भी निरक्षरता अत्यधिक है। देश के 40 करोड़ निरक्षरों में 80 प्रतिशत महिलाएं है, उच्च शिक्षा का दर लगभग 06 से 12 प्रतिशत ही रह गया है। इसके अनेक कारण हो सकते है, परन्तु सबसे बड़ा कारण है-महिलाओं में उच्च शिक्षा के प्रति तीव्र इच्छा का अभाव है।

सरकार के साथ महिला संगठनों को व अन्य सभी समाज सेवी संस्थाओं को महिला उच्च शिक्षा के लिए लगातार प्रेरित करना चाहिए। यह देखना चाहिए कि घर की बालिका विद्यालय जा रही है या नहीं ? यदि नहीं तो क्यों नहीं ? किसी भी परिस्थिति में शिक्षण केन्द्र पर उसे भिजवाने की व्यवस्था करनी चाहिए। जहां मां-बाप रूकावट है उन्हें समझाईस देकर अनुकूल माहौल बनानी चाहिए।

उच्च शिक्षा से महिलाएं विकास के कार्यक्रम से सीधे जुड़ सकती है। लाभकारी आमदानी के प्रशिक्षण ले सकती है। व्यवसाय एवं कृषि में नवीन तरीके सीखकर उत्पादन बढ़ा सकती है। इसलिये महिलाओं को शिक्षा के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भागीदारी करनी चाहिए

4. **महिलाओं में आर्थिक आत्म निर्भरता**– आज जो महिलाएं, राजनीतिक, प्रशासनिक, सैनिक और व्यावसायिक क्षेत्र में सफलता के साथ कार्य कर रही है, इसका प्रमुख कारण है-शिक्षा। शिक्षा से महिलाओं में जागृति आई है और इस जागृति का लाभ लेकर महिलाएं उच्च पदों पर पदस्थ हो रही है। व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर रही है, और आर्थिक दृष्टि से आत्म निर्भर भी हो रही है। यह आर्थिक आत्म निर्भरता उसे शिक्षा से ही हासिल हुई है। इससे प्रेरणा लेकर ग्रामीण महिलाओं को जागरुक करने की जरुरत है।

5. **राजनीतिक जागरूकता**– शिक्षा से ही महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता आई है, साथ ही राजनीतिक क्षेत्रों में अपनी भागीदारी निभा रहीं है-आज लोकसभा, विधानसभा तथा पंचायतों में महिला सक्रिय रूप से भाग ले रही है और जन समस्याओं को सुलझाने में सहयोग दे रही है। यदि महिला शिक्षित नहीं होती, तो अपनी राजनीतिक जिम्मेदारियों को वह अच्छी तरह से निबाह नहीं पाती।

6. **सामाजिक जागरूकता**– शिक्षा से ही महिलाओं में सामाजिक जागरूकता आई, समाज क्या है ? समाज के प्रति समाज में रहने वाले लोगों का दायित्व क्या होता है? शिक्षा के द्वारा महिलाओं ने यह जाना और समझा है। समाज के द्वारा महिलाओं पर लगाए गए तमाम प्रतिबंधों को जड़ से उखाड़ फेकने में उसने बहुत अधिक संघर्ष भी किया है, और यह संघर्ष करने की क्षमता उसे शिक्षा के द्वारा ही प्राप्त हुआ है।

निष्कर्ष– शिक्षा से अब तक महिलाओं की स्थिति में बहुत अधिक लाभकारी परिवर्तन हुए है। आज शिक्षा के कारण महिलाएं शिक्षित होकर राजनीतिक,

सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सैनिक, प्रशासनिक सभी क्षेत्र में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कर रहीं है। शिक्षा से न केवल वह जागरूक हुई है, बल्कि उसमें प्रत्येक परिस्थिति का सामना करने का साहस भी आया है। किन्तु इस तस्वीर का एक दूसरा पहलू यह भी है, कि आज भी भारत के कई गांव ऐसे है, जहां पर उच्च एवं तकनीकी शिक्षा का अभाव है, और यहां की महिलाएं उच्च एवं तकनीकी शिक्षा से कोसो दूर है। जैसे-तैसे वह प्राथमिक शिक्षा तो प्राप्त कर लेती है किन्तु उच्च एवं तकनीकी शिक्षा से वंचित हो जाती है। इससे उनके व्यक्तित्व का जैसा विकास होना चाहिए, वह नहीं हो पाया है।

अंत में हम इतना कहना चाहते हैं कि शिक्षा से महिला सशक्त अवश्य हुई है, किन्तु यह सशक्तिकरण की प्रक्रिया संक्रमण के दौर से गुजर रही है, जिसमें नगरीय एवं शहरी महिलाएं आगे निकल गई है और गांवों और कस्बों की महिलाओं में उतना सशक्तिकरण नहीं आया है और उन्हें पूर्ण रूप से सशक्त होने में अभी और कुछ समय लगेगा।

==========

संदर्भ ग्रंथ सूची-

1. सुदर्शन शेण्डे हरिदास रामजी, महिला अधिकार एवं शिक्षा ग्रंथ विकास जयपुर 2008।
2. पाण्डेय करुणा, जाति एवं महिला सामाजिक प्रस्थिति द्धसामाजिक विमर्श, राजस्थानऋ विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग का शोध पत्र।
3. आशा कौशिक, नारी सशक्तिकरण विमर्श और यथार्थ, पाइंटर पब्लिकेशन जयपुर।
4. तलशेरा हेमलता, पंचोली नलिनी द्धमानव अधिकार, शिक्षाऋ अध्याय 65 महिला अधिकार।

राजपूत कालीन उत्तरी भारत में नारी की वैवाहिक स्थिति का ऐतिहासिक विश्लेषण

* डॉ. जगमोहन सारस्वत

विवाह एक सर्वव्यापी सार्वभौमिक संस्था है जो सभी समाजों में समान रूप से विद्यमान रही है। विवाह प्रथा प्रत्येक काल एवं सतत चलने वाली संस्था है। मनुष्य की योनि और संतान उत्पत्ति इसी संस्था के माध्यम से हर काल में संभव रही है। विवाह को केन्द्रीय संस्था माना गया है।

हिंदू संस्कृति में विवाह का अपना अलग महत्व है, जिसे समाज ने धार्मिक संस्कार के रूप में ग्रहण किया। यह एक धार्मिक बंधन स्वीकार किया गया है। जिसके माध्यम से उन सभी पुरूषार्थो को पूरा करना होता है। जिसमें पति-पत्नी का पूरा सहयोग होता है। इस संस्कार के पश्चात व्यक्ति गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके धर्म, अर्थ, काम का पालन करता है। विवाह मात्र शारीरिक संबंध का प्रयोजन न बनकर संतान उत्पत्ति का धर्मगत आधार बना। वर एवं वधू का वैवाहिक जीवन देवताओं को आहवान करके ही माना गया है।

हिंदू समाज में कोई भी धार्मिक कार्य पत्नी के विना सम्पन्न नही होता है। मनु के अनुसार कन्या सपिण्ड होनी चाहिए इसलिए उसको धर्मपत्नी कहा गया है। विवाह का अर्थ विशिष्ट रूप से वधू को विशिष्टता के साथ पिता के घर से पति के घर ले जाना है। विवाह के लिए संस्कृति साहित्य में अनेक शब्द प्रचलित है जैसे उदवाह, परिणय, उपयम और परिग्रहण।

हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार विवाह के तीन मुख्य प्रयोजन है-

1. धर्म का पालन
2. पुत्र की प्राप्ति
3. रति का सुख

इसके साथ देव ऋण, पितृ ऋण एवं अतिथी त्रृण, भूत ऋण से भी मुक्ति मिलती है।[1]

विवाह कन्या के घर पर ही होता था। योग्य वर में सर्वप्रथम उसकी जाति,

---

* आगरा (उ.प्र.)

गोत्र एवं परिवार को देखा जाता था। उसकी शिक्षा, आय, चरित्र, संपत्ति एवं वर के जन्म स्थान को वरीयता दी जाती थी।

पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रहित में स्त्री पुरूषों के प्रेम संबंधो की जितनी कोटियाँ हो सकती है उसी आधार पर धर्मशास्त्रों में आठ प्रकार के विवाहों का समाज में प्रचलन था।

ब्रह्म, देव, आर्श, प्रजापत्य, असुर, गंदर्भ, राक्षस और पैशाच आठ प्रकार के विवाह प्रचलन में थे।[2] विवाह के भी अपने कुछ नियम थे। इस संबंध में मेधा तिथि भी मनु से सहमत है। रजोदर्शन से तीन वर्ष तक यदि माता पिता कन्या का विवाह नही करते है तो वह अपने समान गुण वाले पति को प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है

अल्वरूनी लिखता है कि हिंदू बहुत छोटी अवस्था में विवाह कर लेते है। (कभी कभी तो जन्म से पूर्व ही तय कर दिये जाते थे।[3] इस युग में बालविवाह की प्रथा जोर पकडती जा रही थी, जिसका कारण भारत पर मुसलमानों का आक्रमण भी था। पिता छोटी आयु में विवाह करके अपने को उसकी रक्षा करने के उत्तर दायित्व से मुक्त समझने लगा था।

विवाह के आठ प्रकारों में पहले तीन ब्राह्मण के लिए उपर्युक्त थे। राक्षस विवाह क्षत्रियों के लिए, तथा असुर विवाह वैश्य और शूद्र के लिए तथा अंतिम पैशाच विवाह किसी के लिए भी उपर्युक्त नहीं समझा जाता था।

1. **ब्रह्म विवाह**– इस विवाह के अंतर्गत बेटी का पिता सचरित्र वर को अपने यहाँ आमंत्रित करके कन्या को वस्त्र एवं आभूषणों से सुसज्जित करके दान करता था। इस प्रकार धर्मविहित (जुड़ा) गृहस्थ जीवन सुख शांति एवं समाज को क्षेम करने वाला होता था। शंकर पार्वती का विवाह इसका प्रत्यक्ष उदाहरण था।

2. **दैव विवाह**– विवाह यज्ञ मे स्त्रोता का स्थान ग्रहण करने वाले पुरोहित को जब पिता अपनी कन्या को वस्त्र आभूषणों से अंलकृत करके दान देता था। वह विवाह देव विवाह कहा जाता था। इंद्र एंव इंद्रणाी का विवाह दैव विवाह का उदाहरण है।

3. **आर्य विवाह**– जब कन्या का पिता धर्म कार्य की सिद्धि के लिए एक बैल और एक गाय अथवा इनकी दो जोडी लेकर विधि विधान से दान करता था। अगस्तय् लोपमुद्रा का विवाह इसका उदाहरण है।

4. **प्रजापति विवाह**– इस प्रकार का विवाह वधू का पिता वर की विधिपूर्वक पूजा करके कन्या का दान करता था। वर वधू को ये निर्देश दिया जाता था कि गृहस्थ जीवन में दोनों मिलकर धर्माचरण करें। हिंदू समाज में यह विवाह पद्धति अधिक प्रचलित हुई जिसमें वर-वधू व उनके परिवार उच्च मर्यादा

का पालन करते हुये संतान उत्पत्ति करें।

5. **असुर विवाह**– इस विवाह में वर कन्या को और उसके रिश्तेदारों को धन देकर उससे विवाह करता था। इस विवाह में पाण्डु एवं माद्री का विवाह असुर विवाह का उदाहरण है।

6. **गन्धर्व विवाह**– जब युवक और युवती प्रेमवश अपने माता पिता की उपेक्षा करके विवाह करते थे तब यह प्रथा गन्धर्व विवाह कहलाती थी। दुश्यंत एवं शकुंतला का विवाह इसी प्रकार का विवाह था।

7. **राक्षस विवाह**– इस विवाह प्रणाली में वर द्वारा बल का प्रयोग करके कन्या का अपहरण तथा उसके साथ विवाह करना राक्षस विवाह कहलाता था।

8. **पैशाच विवाह**– इस प्रकार के विवाह में सोती हुई कन्या का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार कर उसे अपना बनाना है। इस प्रकार के विवाह पिछड़े वर्ग में प्रचलित थे। यह विवाह उच्च वर्ग में मान्य नहीं था।

प्राचीन भारत में विवाह को ऐसा संस्कार समझा जाता था। इसमें किसी भी परिस्थिति में विच्छेद संभव नहीं था। मनु ने कहा है कि 'कन्यादान केवल एक ही बार होता है' मनु ने पति पत्नी का संबंध पूरे जीवन काल तक बताया है। हिंदू विधि के अंतर्गत तलाक की अनुमति नहीं दी गई है। कुछ परिस्थितियों को छोड़कर भारतीय संस्कृति में विवाह के पश्चात पृथक पृथक जीवन धर्मानुरूप न हीं माना गया है। अल्वरूनी का कथन है कि किसी भी ब्राह्मण को 12 वर्ष से बड़ी कन्या से विवाह करने की अनुमति नही थी।

पत्नी त्याग के लिए इन कारणों के होने पर भी गौतम याज्ञवल्क जैसे धर्मशास्त्रकारों ने पत्नी त्याग अनुमति प्रदान नहीं की। प्राचीन विवाह प्रणाली के चलते भी राजपूतकालीन समाज में विभिन्न प्रकार के विवाहों का प्रचलन समाज में था। इनमें सजातीय, अर्न्तजातीय, स्वंयवर, अनुलोम, प्रतिलोम, वाल विवाह, वहु विवाह आदि प्रकार के विवाह प्रचलन में देखने को मिलते है।

राजपूत कालीन समाज में जाति बन्धन इतना कठोर हो चुका था कि प्रतिलोम विवाह समाज में स्वीकार योग्य नही माना जाता था। स्त्रीयों के विवाह की आयु उत्तरोत्तर घटती गयी ये सात वर्ष, आठ वर्ष तथा नौ वर्ष तक पहुॅच गयी। वहु विवाह प्रणाली प्राचीन समाज की ही देन थी। समाज में वहु विवाह प्रथा का समान्य रूप से प्रचलन नही था राज दरवार के उच्च पदाधिकारी ही वहु विवाह करते थे।

जो मानदण्ड पुरूषों के लिए सम्मान प्रदान करने वाले थे वही स्त्री के लिए निन्दनीय थे। समकालीन साहित्य एवं अभिलेखों से भी वहु पत्नी विवाह के उदाहरण प्राप्त होते है।

उच्च वर्ग के हिन्दुओं ने वहु विवाह की पृथा अपना ली थी। पत्नी की मृत्यु के वाद अथवा जीवित होने पर भी पुरूष अनेक विवाह कर सकते थे किन्तु समाज में वहुपति का अधिकार स्त्री को नहीं दिया जाता था। वहुविवाह प्रणाली भारतीय समाज के लिए अभिशाप वन गयी जो समाज में स्त्री की हीन दशा के लिए जिम्मेदार मानी जाती है।[5]

भारतीय नारी की आदर्श छवि विश्व के समक्ष दया प्रेम और ममत्व का साकार स्वरूप प्रस्तुत करती रही है। किन्तु राजपूत कालीन उत्तरी भारत में यह छवि केवल नारी के रूप में केवल सन्तान के पालन पोषण तथा पति की इच्छा के अनुरूप चलने एवं मर्यादा का पालन करने तक ही सीमित दिखाई देती है। वह भारतीय समाज में धीरे-धीरे अपना स्थान एवं मान शनैः शनैः कम होते देखती ही रह गयी और समाज धीरे-धीरे प्रतिबन्धों का जाल नारी जाति पर कसता गया।

==========

फुटनोट-

1. गंगा नाथ झा द्वारा सम्पादित- मनु स्मृति अध्याय 2 ष्लोक 5 1934 कलकत्ता
2. गंगा नाथ झा द्वारा सम्पादित- मनु स्मृति अध्याय 3 ष्लोक 20-21 1934 कलकत्ता
3. श्री नारायण दत्ता द्वारा अनुवादित- तिलक मंजरी पृ 52 गोरखपुर 1936
4. अल्वरूनी- ग्यारहवी सदीं का भारत पृ 137
5. विद्धशाल मंजिक अंक 4 पृ 118

संदर्भ ग्रंथ सूची-

1. गांगुली डी0सी0-हिस्ट्री ऑफ द परिमार डायनेस्टी ढाका 1933
2. ओझा एस0जी0-मध्यकालीन भारतीय संस्कृति इलाहबाद 1951
3. शर्मा डी0 अर्लीचौहान डायनेस्टी 1956 दिल्ली
4. मजूमदार वी0पी0-सोशियो इकोनोमिक हिस्ट्री ऑफ कलकत्ता 1960
5. वैद्य सी0वी0-हिस्ट्री ऑफ मेडिवल हिन्दू इंडिया भाग 3 पूना 1924-1926
6. पाटिल डी0आर-द कल्चर हैरिटेज ऑफ मध्य भारत ग्वालियर 1953
7. पाण्डे राजवली-प्रचानी भारत वाराणसी 1968

महिला सशक्तिकरणः भारत सरकार की योजनाएं

* डॉ. आरती सिंह

किसी भी समाज के विकास का सीधा सम्बंध उस समाज की महिलाओं को विकास से जुड़ा होता है। महिलाओं के विकास के बिना व्यक्ति, परिवार और समाज के विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। महिलाओं के विकास के लिए भारत सरकार ने कुछ योजनाए जैसे- बेटी बचाओं बेटी पढाओं, उज्जवला योजन, सुकन्या समृद्धि योजना और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना और किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना (सबला योजना) सकारात्मक परिणाम सभी के सामने आएं।

उपर्युक्त योजनाओं के माध्यम से इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि सरकार महिलाओं के समग्र विकास के लिए हर तरह के प्रयास काफी लम्बे समय से करती आ रही है और यही कारण है कि समाज में महिलाओं की भूमिकाओं में बहुत तरह के बदलाव भी दिखाई देने लगे हैं। आज शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र होगा, जहां कि महिलाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज न करायी हो।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के संविधान निर्मताओ और राष्ट्रनेताओ ने महिलाओ को पुरुषो के समान स्थान दिलाने के लिए प्रयासरत रहे है, लेकिन इस व्यवस्था में फिर भी महिलाओं की भागीदारी का प्रश्न है, और था। 1990 के अधिनियम के द्वारा महिलाओ के लिए प्रतिनिधित्व की ब्यवस्था की गई, जो लगातार इन ब्यवस्थाओ में अपनी भागेदारी को स्वरुप देती रही। 1 जनवरी 1997 से पूरे प्रदेश में शिक्षा गारंटी योजना शुरु की गई, इस योजना का सफल क्रियान्वयन हो सके इसता जिम्मा पंचायजी राज ब्यवस्था को सौंपा गया जो पुरजोर मेहनत से पूरा किया गया। भारत सरकार ने ग्राम स्तर पर महिलाओं की सशक्तीकरण की दिशा में एक असाधारण कदम उठाते हुए पंचायतो में महिलाओं की आरक्षित संख्या 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी (27 अगस्त 2009) जिससे महिलाओ की सशक्तिकरण की दिशा और भी मजबूत होती दिखाई दे रही है।

==========

* अतिथि विद्वान, राजनीत विज्ञान, शास. ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)

परिचय–

समाज में महिलाओं के वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिए, उन्हें सक्षम बनाने एवं महिला सशक्तिकरण करने के लिए योजनाएं बनाना, ये कार्य महिला सशक्तिकरण कहलाते है। महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य ऐसी सामाजिक प्रक्रिया से है जिसमें महिलाओं के लिए सर्व सम्पन्न तथा विकसित होने हेतु संभावनाओं के द्वार खुले हो, नए विकल्प तैयार हों, भोजन, पानी, घर, शिक्षा, स्वास्थ्य-सुविधाएं, शिशु पालन, प्राकृतिक संसाधन, बैंकिंग सुविधाएं, कानूनी हक तथा प्रतिभाओं के विकास हेतु पर्याप्त रचनात्मक अवसर प्राप्त हों।

माता, बहन, बेटी, पत्नी और मित्र आदि ऐसे रिश्तों के रूप में महिलाएं समाज की सेवा करने वाली सबसे महत्वपूर्ण सदस्य हैं। इन दिनों महिलाओं द्वारा दिया जाने वाला योगदान घर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कई महिलाएं समाज में उच्च स्थान पर भी आसीन होकर कार्य कर रही हैं। क्योंकि आज के समय में महिलाएं खेल, वित्त, शिक्षा, विजनेस आदि जैसे क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्यरत हैं। इसलिए पिछले कुछ सालों में सरकार ने महिलाओं के उत्थान के उद्देश्य से उनके लिए कई योजनाओं की शुरुआत की और उनको बेहतर रूप से अपना विकास करने में उनकी मदद भी की है।

महिला सशक्तिकरण में भी उनकी क्षमता की बात होती है। जहां पर महिलाएं परिवार और समाज के सभी बंधनों से मुक्त होकर अपने फैसलों की निर्माता खुद होती हैं। महिला सशक्तिकरण संसार भर में महिलाओं को सशक्त बनाने की एक मुहिम है। जिससे महिलाएं खुद अपने फैसले ले सकें और अपने परिवार तथा समाज में अच्छी तरह से रह सकती हैं। समाज में महिलाओं के वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिए, उन्हें सक्षम बनाना ही महिला सशक्तिकरण कहलाता है।

भारत सरकार के द्वारा समय-समय पर बदलाव आते रहे हैं, पिछले 30 सालों में बहुत से नीतिगत बदलाव आए हैं। सन् 1970 में जहां पर कल्याण की अवधारणा महत्वपूर्ण थी वहीं 80 के दशक में विकास पर जोर दिया गया था, 1990 के दशक से ही महिला अधिकारिता अर्थात महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया जा रहा है।

भारत सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से देश में महिलाओं के राजनैतिक, आर्थिक तथा सामाजिक विकास में बराबर भागीदारी के अवसर प्रदान करने के प्रमुख उद्देश्य को लेकर राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति 2001 में घोषित की गई थी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने महिला विकास पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया है।

वर्तमान भारत सरकार की प्रमुख योजनाएं-

सफल राष्ट्र का प्रण, हर बेटी को जीवन, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, 22 जनवरी 2015 में शुरू, यह महिला और बाल विकास मंत्रालय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संयुक्त उपक्रम से क्रियांवित की गई है। वन स्टाप सेंटर स्कीम 1 अप्रैल 2015 को निर्भया फंड के साथ लागू की गई थी। इस योजना में उन महिलाओं को सहयोग मिलता है जो किसी भी प्रकार की हिंसा का शिकार होती हैं। इस योजना के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नम्बर 181, 1090, 1091 है। वुमन हास्टल, नारी शक्ति पुरस्कार 1999, स्वधार गृह योजना, महिलाओं के पुनर्वास के लिए 2002 में महिला और बाल विकास मंत्रालय ने स्वधार योजना शुरू की थी। महिला शक्ति केन्द्र योजना, संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए उंब्रेला स्कीम मिशन के तहत महिला एवं बाल विकास द्वारा 2017 में संचालित की गई थी।

महिला हाट योजना का उद्देश्य है जो महिला घरों में रहती है वे भी अपने हुनर के जरिए आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। उज्जवला योजना (पीएमयूवाई) के तहत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली 5 करोड़ से अधिक महिलाओं को नए एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए 8000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना, न रोशनी, अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व क्षमता विकास की योजना 2017 (23/9/2017 से लागू) भारत सरकार की नई मंजिल योजना से पढ़ाई बीच में छोड़ने वालों को मिलेगी मदद, (8 अगस्त 2015)से शुरू भारत सरकार की इन सभी योजनाओं का उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण एवं महिलाओं को समाज में अपना स्थान मजबूत करने का लक्ष्य है जो समय से साथ-साथ मजबूत होता चला जाएगा। प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना साल 2015-16 में नई रोशनी योजना के लिए 14.81 करोड़ रुपए जारी किए गए थे, इस साल योजना में 58.725 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया था। साल 2014-15 में नई रोशनी योजना के लिए 13.78 करोड़ रुपए जारी किए गए और 71075 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया।

परिणाम एवं निष्कर्ष

भारत में महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति अन्य देशों की तुलना में अच्छी नहीं है। यद्यपि यहां महिलाओं ने समय के साथ अपनी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीति में अपनी भागीदारी को बताया है। किन्तु वर्तमान समय में अभी भी महिलाएं पूर्ण रूप से सशक्त नहीं हो पाई हैं। महिलाओं की प्रथम प्राथमिकता उसका परिवार है और महिला परिवार समाज तथा सामाजिक बंधन में इस कदर बंधी होती हैं कि सशक्तिकरण कहीं दब सा जाता है। किन्तु फिर

भी ऐसी महिलाओं की भी कमी नहीं है, जिन्होंने परिवार के साथ-साथ ही अपने दम पर प्रशासन में, राजनीति में, समाज में तथा समाज सेवा में अपना वर्चस्व बनाया न हो। किरण वेदी, इन्दिरा गांधी, सुषमा स्वराज, मदर टरेसा सहित अनेक नाम भरे पड़े हैं। इन पर कोई भी अपनी मर्जी नहीं थोप सकता है। इन अध्ययनों से यह पता चलता है कि महिलाओं के सशक्तिकरण की बहुत योजनाएं कार्यरत हैं। भारत सरकार के द्वारा कहीं न कहीं समय के साथ हर क्षेत्र में हर तबके की महिलाएं अपनी भागीदारी को बढ़ाती चली जा रही हैं और साथ ही युवा महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ी है जो भारत में महिलाओं के बढ़ते शिक्षा के स्तर, जागृति, बढ़ते आत्मविश्वास, आर्थिक स्वाबलम्बन, साथ ही हर क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती स्वीकार्यता और आधुनिकीकरण को दर्शाता है। किन्तु फिर भी महिलाओं की दशा कहीं किन्ही स्थिति तक सशक्तिकरण की स्थिति से अभी असंतोष जनक स्तर को दर्शाती है, जिसमें कि महिलाओं को अपने सशक्तिकरण की व्यवस्था में अपने लिए समानता एवं न्याय की प्राप्ति हेतु संघर्षरत रहना होगा एवं यह आशा करते हैं कि इसे अवश्य ही प्राप्त कर लिया जाएगा।

==========

संदर्भ ग्रंथ सूची-

1. त्रिवेदी राधेश्याम (2000) : मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, नवंम संस्करण सुविधा लॉ हाऊस, रोशनपुरा, भोपाल
2. होशियार सिंह (2002), इलाहाबाद, प्रथम संस्करण।
3. महिपाल (1996), पंचायती राज, सारांश प्रकाशन प्रा.लि. दिल्ली, प्रथम संस्करण
4. डॉ0 बी.एल. फाडिया, भारतीय प्रशासन, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा
5. डॉ0 पुखराज जेन, डॉ. बी0एल0 फड़िया (2005), भारतीय शासन एवं राजनीति साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा
5. हरिशचन्द्र वर्मा, मध्यकालीन भारत, भाग 2 (1540-1761), प्रकाशक- हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय
6. श्री शरण (1990), पंचायती राज ओर लोकतंत्र, हरिराम त्रिवेदी पांडुलिपि प्रकाशन नई दिल्ली प्रथम संस्करण
7. जैन, जे.के. एवं निकुंज (1995) पंचायती राज व्यवस्था एक दृष्टि एक दृष्टिकोण, निकुंज प्रकाशन बड़वानी, मध्यप्रदेश
8. पंचायती राज में महिलाएं : (1994), इनस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइलेंस नई दिल्ली
9. कुकरेजा सुंदरलाल (1998), पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने की आवश्यकता
10. नवीन पत्र पत्रिकाओ से संग्रहित किया गया।

महिला सशक्तिकरण में पंचायती राज की भूमिका

* डॉ. पुष्पा

महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं में आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता व आत्म विश्वास उत्पन्न होना। यदि कोई महिला अपने अधिकारों के संबंध में सजग है, वह आत्म निर्भर भी है तो उसके आत्म सम्मान में अवश्य वृद्धि हुई है। सशक्तिकरण एक लक्ष्य है और संयोजित विकास की आवश्यक दशा भी है। महिलाओं की सामाजिक, राजनैतिक और सार्वजनिक जीवन में प्रतिनिधित्व, दक्षता में अभिवृद्धि कार्यक्षेत्र और अन्यत्र उनके साथ किये जा रहे बुरे व्यवहार की समाप्ति, सामाजिक सुरक्षा की प्राप्ति आदि ऐसे कार्य हैं जिनकी पूर्णता के द्वारा सशक्तिकरण के लक्ष्य को पाया जा सकता है। इनकी प्राप्ति में पंचायती राज की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस सम्बन्ध में छठीं पंचवर्षीय योजना में सोचा गया। लेकिन इस योजना में महिला सशक्तिकरण के बहुत कम कार्य एवं योजना लागू किये गये। इस संदर्भ में 73 वाँ संविधान संशोधन का कदम बहुत ही अहम था। 74 वाँ संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज में महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान किया गया। जिसके द्वारा बड़ी संख्या में महिलाओं को पंचायती-राज में नेतृत्व का अवसर मिल रहा है। जिससे महिलाओं की सशक्तिकरण में वृद्धि हो रही है।

महिला सशक्तिकरण में पंचायत की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। इसकी शुरूआत वर्षो पहले हो गई थी। गाँधीजी ने राष्ट्रीय आन्दोलन में महिलाओं की भागीदारी की वकालत की तो यह अनायास ही नहीं थी। वह जानते थे कि जब तक महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं मिलेगा तब तक उन्हें उनके मूल अधिकार नहीं मिल पायेगा। इसके विकास के पहले पायदान यानि पंचायत में उनकी भूमिका होनी चाहिए। अगर हम इतिहास पर गौर करें तो महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के लिए भारत में सबसे पहले 1931 में महिला पदाधिकार और प्रतिनिधित्व का प्रस्ताव पारित किया गया। छठीं पंचवर्षीय योजना में पहली बार महिलाओं के विकास पर अलग से सोचा गया। देश के इतिहास में 73वाँ संविधान संशोधन ऐतिहासिक कदम रहा। इसके बाद जब 74वाँ संविधन संशोधन हुआ तो

---

* समाजशास्त्र विभाग, पटना विश्वविद्यालय, पटना

पंचायतीराज एवं स्थानीय निकाय में महिलाओं की भागीदारी करीब 10 लाख हुई। आरक्षण की व्यवस्था सिर्फ 33 फीसदी थी लेकिन वे जीतकर करीब 38 फीसदी आई। इस कदम से महात्मा गाँधी के स्वराज की अवधारणा हकीकत में बदलती नजर आने लगी है।

73वें संविधन संशोधन के जरिए हर समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व का अधिकार मिला। सबसे ज्यादा खुशियाँ उन गाँवों में मनाई गई, जहाँ पंचायती राज होने के बाद भी वह सिर्फ कागजों में दफन थी। ऐसे में संविधान संशोधन कारगर हथियार साबित हुआ और पंचायती राज पूरी तरह से स्वतंत्र और लोकतांत्रिक बन सका। आधी आबादी को भी जनप्रतिनिधित्व का अधिकार प्राप्त हुआ, जो संविधान में तो पहले से मिला था, लेकिन पितृसत्ता के सामने संविधान संशोधन में अधिकार होने के बाद भी इस हक से वंचित कर दिया गया था। देश के समग्र विकास में महिलाओं की भागीदारी की बात तो स्वीकार की जाती थी, लेकिन जब उनके हक की बात आती तो पीछे धकेल दिया जाता। जबकि इतिहास गवाह है कि महिलाओं ने हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर तरक्की में सहयोग दिया है। घर-परिवार हो या खेत-खलिहान किसी भी जगह आधी आबादी पीछे नहीं रही है।

केन्द्र की यूपीए सरकार की ओर से लागू किया गया साझा न्यूनतम कार्यक्रम एवं पंचायती राज को आर्थिक व सामाजिक न्याय के दो प्रमुख कार्यो के साथ पूर्ण मंत्राालय का दर्जा दिए जाने से स्थिति और चमकदार हुई। महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण दिए जाने से करीब 15 लाख महिलाओं को ग्राम पंचायतों एवं शहरी निकायों के चुनाव में भागीदारी का अवसर प्राप्त हुआ है। अब देश में करीब 43 फीसदी तक महिला प्रतिनिधि चुनी गई है।

केन्द्र सरकार लगातार पंचायती राज संस्थाओं को जमीनी-स्तर पर मजबूत बनाने के प्रयास पर मजबूत बनाने के प्रयास में लगी है। ग्रामीण व्यापार केन्द्रों की स्थापना ई प्रशासन योजना आदि गाँवों की तस्वीर बदलने लगे है। इससे जहाँ लोगों में जागरूकता आई है वहीं लोकतंत्र और मजबूत हो रहा है। पंचायती राज के सुदृढ़ होने से राजनीति में नई पीढ़ी का उदय भी हुआ है। सरकार की ओर से पंचायती राज को और सुदृढ़ करने के लिए उठाए जा रहे नित नए कदम से लोगों में नया विश्वास जगा है। सबसे नीचली पंचायत ग्राम सभा से लेकर संसद तक महिलाओं की भागीदारी दिनोदिन बढ़ती जा रही है। अब स्थिति यह है कि पंचायत में भागीदारी होने के साथ ही उनकी आत्मनिर्भरता भी बढ़ी है। उनमें जागरूकता आई है और वे छोटे-छोटे स्वयं सहायता समूहों के जरिए स्वरोजगार अपना रही है और विकास में अपना सहयोग दे रही है। इस तरह कहना गलत नहीं होगा कि पंचायत से ही महिलाओं के सशक्तिकरण अभियान को गति मिली। जब पंचायत

में उनकी भागीदारी बढ़ी तभी वे हर दिशा में आगे निकल पाई है। अब तो संसद तक उन्हें आरक्षण दिया जा रहा है।

पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को पहले 33 फीसदी आरक्षण देने से वे राजनीतिक रूप से सशक्त हुई है। अब वे न सिर्फ अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुई है बल्कि समाज के हित में वाजिब फैसले भी ले रही है। वर्ष 2006 में 50 फीसदी आरक्षण देने का कारवां बिहार से चलकर राजस्थान, हिमांचल प्रदेश, उत्तरांचल में भी पहुँच चुका है। ऐसे में केन्द्र की ओर से 27 अगस्त 2009 को सभी राज्यों में 50 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था किए जाने की पहल मील का पत्थर साबित हो रही है। निश्चित रूप से महिला सशक्तिकरण की दिशा में पंचायत से शुरू हुआ कदम अब उच्च सदन तक पहुँच गया है। इस तरह देखा जाए तो पंचायत से ही महिलाओं के सशक्तिकरण की शुरूआत हुई है।

विभिन्न राज्यों में महिलाओं की भागीदारी–

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्राालय के मुताबिक पंचायत स्तर पर महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। वर्ष दो हजार में पूरे देश में महिला सरपंच 7,72,677 थी वही 2004 में उनकी संख्या 8,38,245 तक पहुँच गई। इसी तरह पंचायत समिति में वर्ष 2000 में महिलाओं की संख्या 38,412 से 2004 में 47,955 हो गई। जिला पंचायत में वर्ष 2000 में 4088 से वर्ष 2004 में 4923 तक पहुँच गई। आरक्षित सीटों के अलावा कई स्थानों सामान्य सीट पर भी महिलाएँ कब्जा जमाने में सफल रही। सरकार की ओर से पंचायत में मात्रा 33 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जबकि आंकड़े बताते है कि महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। राज्यवार महिला जनप्रतिनिधियों की स्थिति देखें तो केरल में सर्वाधिक 57.24 फीसदी महिला जनप्रतिनिधि है। इसी तरह आंध्र प्रदेश में 33.04 फीसदी, असम में 50.38 फीसदी, गुजरात में 49.30 फीसदी, कर्नाटक में 43.60 फीसदी, तमिलनाडु में 36.73 फीसदी, उत्तरांचल में 37.85 फीसदी, पश्चिम बंगाल में 35.15 फीसदी महिलाओं की भागीदारी है। इस तरह औसत भागीदारी करीब 40 फीसदी से अधिक है। पंचायत स्थिति रिपोर्ट के अनुसार 2010 में जिन राज्यों में 50 प्रतिशत महिला आरक्षण के प्रावधान (म0प्र0 और छत्तीसगढ़) है वहाँ महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों का अनुपात 52 प्रतिशत है।

तालिका 1

सन् 2000 एवं 2004 के चुनावों में महिलाओं की भागीदारी

	सन् 2000		सन् 2004	
स्तर	**कुल सीटें**	**महिलाएँ**	**कुल सीटें**	**महिलाएँ**
ग्राम पंचायत	2455036 (100)	772677 (31) (47)	2065822 (100)	838245 (40, 57)
पंचायत समिति	130309 (100)	38412 (29, 47)	109324 (100)	47455 42.04
जिला परिषद्	12838 (100)	4088 (31, 84)	11708 (100)	4923 42.04

स्रोत : पंचायती राज मंत्राालय एवं चुनाव आयोग

तालिका-1 : सन् 2000 और 2004 के पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में महिला सदस्यों की संख्या तथा उनके प्रतिशत को दर्शाती है। सन् 2000 के चुनावों में तीनों स्तरों में महिलाओं का प्रतिशत क्रमशः 31.47, 29.47 तथा 31.84 था। वह 2004 के चुनावों में बढ़कर क्रमशः 40.57, 43.40 तथा 42.04 हो गया। इस तालिका से स्पष्ट होता है कि महिला नेतृत्व को अब ज्यादा आसानी से स्वीकार किया जाने लगा है। यह इस बात का भी प्रमाण है कि 73वें संविधन संशोधन अधिनियम में महिलाओं को दिए गए आरक्षण का सकारात्मक प्रभाव पड़ा रहा है।

तालिका 2

कुछ राज्यों की ग्राम पंचायतों में महिला अध्यक्षों का प्रतिशत

क्र.सं.	**राज्य का नाम**	**आरक्षण प्रतिशत**	**महिला पंचों की संख्या**	**वास्तविक प्रतिशत**
1	आंध्र प्रदेश	33	74019	33.04
2	असम	33	8714	50.38
3	छत्तीसगढ़	33	42914	33.75
4	गुजरात	33	42653	49.30
5	केरल	33	5535	57.24
6	कर्नाटक	33	37676	43.63
7	तमिलनाडू	33	28124	36.73
8	उतराखण्ड	33	192993	37.85
9	प0 बंगाल	33	20509	35.15
10	हरियाणा	33	24727	36.60

स्रोत : पंचायती राज मंत्राालय एवं चुनाव आयोग

तालिका-2 में कुछ राज्यों की ग्राम पंचायतों में महिला अध्यक्षों का प्रतिशत दिखाया गया है जिसके देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि दर्शाए गए सभी राज्यों में महिला अध्यक्षों का प्रतिशत 33 से अधिक है। यह प्रतिशत कुछ राज्यों में 50 प्रतिशत से भी अधिक है जिसमें हमें पता चलता है कि महिलाओं ने अपने नेतृत्व का लोहा मनवाया है। क्योंकि 33 प्रतिशत से ज्यादा नेतृत्व इस बात का परिचायक है कि महिलाओं में अब राजनैतिक चेतना जागी है तथा वह अब से समझने लगी है कि वह केवल घर की जिम्मेदारी ही नहीं संभाल सकती बल्कि

बाहर की जिम्मेदारी भी संभाल सकती है। इस तालिका से एक बात और भी स्पष्ट होती है कि अब ग्रामीण क्षेत्रा में भी महिलाओं के प्रति जो परम्परागत धारणा थी वह अब धीरे-धीरे बदल रही है अतः हम कह सकते है कि पंचायती राज ने महिलाओं के नेतृत्व को एक मजबूत तथा सशक्त आधार दिया है।

निष्कर्ष– सशक्तिकरण को एक लक्ष्य के रूप में देखा जाता है और इससे संशोधित विकास की एक आवश्यक दिशा भी तय करता है। महिलाओं की सामाजिक, राजनैतिक और सार्वजनिक जीवन में प्रतिनिधित्व, दक्षता में आये वृद्धि कार्य क्षेत्र और अन्यत्र उनके साथ किये जा रहे बुरे व्यवहार की समाप्ति, सामाजिक सुरक्षा की प्राप्ति आदि ऐसे कार्य है जिन्हें पूरा करना ही सशक्तिकरण का वास्तविक लक्ष्य पाना है। महिला सशक्तिकरण में पंचायती राज की महत्वपूर्ण भूमिका है। 73 वाँ संविधन संशोधन द्वारा महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इससे बड़ी संख्या में महिलाएँ पंचायती राज में भागीदारी कर रही है। उन्हें नेतृत्व का अवसर प्राप्त हो रहा है जिससे उनके सशक्तिकरण की गति में तेज से वृद्धि हुई है।

==========

संदर्भ ग्रंथ सूची–

1. प्रोफेसर (डॉ.) गोपी रमण प्रसाद सिंह (2014) भारतीय एवं संस्थाएँ, अग्रवाल, पब्लिकेशन
2. महादलित आयोग (2009-2010) तृतीय प्रतिवेदन, तीसरी मंजिल, इंदिरा विकास भवन बिहार (पटना)
3. एन.के. दत्त ''ओरिजन एवं ग्रोथ ऑफ कास्ट सिस्टम, पृष्ठ- 20
4. जी.जे. हेल्ड ''एथनालॉजी ऑफ महाभारत, पृष्ठ- 85-95
5. वैदिक इंडेक्स, 42, 22-26
6. हाजरा, ''स्टडीज इन दि पुराणिक ऑन हिन्दु राईटस एंड कस्टम्स, पृष्ठ-208-16
7. जे. लोगि, ''ए रेकार्ड ऑफ बुद्धिस्टिक किंग्डम्स, पृष्ठ- 43
8. रूपादरी, ए. ''इंडियन स्टडीज इन सोशल एण्ड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, एशिया पब्लिशिंग हाऊस बम्बे।
9. जी.आर. मदन ''इंडियन सोशल प्रोब्लेम्स, पृष्ठ-169
10. सिसोदिया, यतिन्द्रा ''पंचायती राज'', पृष्ठ-05
11. श्रीनिवास (1192), एम.एन. : आधुनिक भारत में जातिवाद, मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल।
12. आनन्द सिंह (2010) 'पंचायती राज और महिला सशक्तिकरण' कुरूक्षेत्र जून- पृष्ठ - 11
13. उमर फारूकी (2010) 'महिला सशक्तिकरण में पंचायती राज की भूमिका, कुरूक्षेत्र, पृष्ठ- 33

महिला सशक्तिकरण का आर्थिक एवं सामाजिक पक्ष

* डॉ. (श्रीमती) शाहेदा सिद्दीकी
** दीपिका गुप्ता

किसी राष्ट्र एवं क्षेत्र का विकास उसकी उपलब्ध मानव-शक्ति की कार्यक्षमता, सामर्थ्य, गुणवत्ता व शिक्षा आदि बातों पर निर्भर करता है। महिलाओं का राष्ट्रीय विकास की गतिविधियों में अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान है। परन्तु महिलाओं की भूमिका अभी तक परदे के पीछे छिपी हुई है। इसलिये इसे समुचित रूप से मान्यता नहीं मिल पाई है। महिला सशक्तिकरण का मुद्दा ना कि भारत में अपितु विश्व के सभी देशों में चिन्तनीय मुद्दा है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 08 मार्च 1975 को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरूआत की गई थी। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अनेक विश्व महिला सम्मेलनों का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में वियना में मानवाधिकारों के विश्व सम्मेलन 1993 में महिला अधिकारों को मानवाधिकार के रूप में स्वीकृति मिली। प्रस्तुत शोध-पत्र में महिला सशक्तिकरण के आर्थिक एवं सामाजिक पक्ष का अध्ययन किया गया है, जिससे महिला संगठित होकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकें तभी सशक्त भारत का निर्माण हो सकेगा।

मुख्य शब्द- महिला सशक्तिकरण, संयुक्तराष्ट्र संघ, सामाजिक एवं आर्थिक, मानवाधिकार, सशक्त भारत।

महिला सशक्तिकरण का अर्थ-

महिलाओं को घर, परिवार, समाज व राष्ट्र में अपनी नैसर्गिक क्षमता, स्वतंत्रता व मुक्ति का बोध कराकर इतना सशक्त व सक्षम बनाना कि वे अपने जीवन में व्यक्तिगत व सामाजिक निर्णय लेने की हकदार हो। पुरुषों के बराबर महिलाओं को वैधानिक, राजनीतिक, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में स्वायत्तता व निर्णय लेने का अधिकार प्रदान करना है।[1] सच्चे अर्थ में लोकतंत्र तभी सार्थक हो सकता है जब राष्ट्रीय विकास के सभी

==========

* सह प्राध्यापक, समाजशास्त्र विभाग, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा
** शोध छात्रा (समाजशास्त्र) शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्षेत्रों में महिला व पुरुष संयुक्त रूप से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो। भारत में आज भी महिलाएं खासतौर से ग्रामीण महिलाएं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उत्थान की मुख्यधारा से जुड़ने में रूकावटें महसूस करती हैं। सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य 2015 लिंग भेद की समानता के साथ महिला सशक्तिकरण को समर्पित है। सतत् विकास के लक्ष्य में भी व्यापक रूप से महिलाओं से जुड़े हुए हैं। महिलाओं के लिए गुणवत्तायुक्त, तकनीकी, व्यावसायिक व रोजगारोन्मुखी शिक्षा का विकास करके उन्हें सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना व आत्मनिर्भर बनाना है। साथ ही महिला विकास से जुड़ी समस्याएं जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा, यौन शोषण, घरेलू हिंसा, कार्यस्थलों पर महिलाओं का शोषण जैसी समस्याओं को समाप्त करना है।

भारत की 71.2 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है।[2] महिलाओं की समस्याएं और भी अधिक जटिल हैं। इसके अधोलिखित कारण है, यथा-

1. शिक्षा एवं व्यावसायिक कौशल का अभाव।
2. सुरक्षा का अभाव।
3. निर्णय लेने के अधिकार से वंचित।
4. महिलाएं समान अधिकारों से वंचित।
5. समान कार्य के लिए कम वेतन।
6. महिलाओं को उचित सम्मान प्राप्त न होना।
7. सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित।

सरकार द्वारा महिला उत्थान की दिशा में किए गए प्रयास-

ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु सरकार द्वारा स्किल इंडिया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया व दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना, बालिका सुकन्या समृद्धि योजना, उज्ज्वला योजना आदि जैसी अनेक कल्याणकारी योजनाएं महिलाओं की क्षमताओं को पहचानकर उन्हें ग्रामीण विकास व स्वावलंबन के लिए क्षितिज प्रदान कर रही है।[3]

1985 में केन्द्रीय महिला व विकास मंत्रालय द्वारा सरकारी व गैर-सरकारी संगठनों के प्रयासों में समन्वय स्थापित कर रोजगार, प्रशिक्षण, कल्याण, जागरूकता व चेतना जागृति से सम्बन्धित प्रयास किए जा रहे हैं। आज के वैश्विक परिवेश में सरकार महिलाओं को आर्थिक दृष्टि से मजबूत व स्वावलंबी बनाने पर जोर दे रही है।

भारत में महिलाओं की समस्याओं को हल करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 31 जनवरी, 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम,

1990 के अन्तर्गत किया गया। यह महिलाओं का शीर्षस्थ सांविधिक निकाय है। यह आयोग महिलाओं से संबंधित कानूनों में कुशलता व सुधार लाने की संस्तुतियां सरकार को प्रस्तुत करता है।

महिलाओं से जुड़े सामाजिक मुद्दों के बारे में जागरूकता लाने के लिए ग्रामीण समन्वयकों के एक कैडर का गठन किया गया है। यह एक सामुदायिक स्तर की संस्था है जो जनधन योजना, बीपीएल, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना के फायदों को महिलाओं तक पहुंचाने में सक्रिय है।

विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में महिलाओं की कुल श्रम कार्यबल 2011 में 24.6 प्रतिशत, 2012 में 24.1 प्रतिशत, 2013 में 24.2 प्रतिशत और 2014 में 24.2 प्रतिशत रहा है।[4] महिलाओं की भागीदारी आर्थिक क्षेत्र में बढ़ाने के लिए सरकार लघु उद्योग व स्वरोजगार स्थापना हेतु वित्तीय सहायता की व्यवस्था कर रही है।

आधुनिक संचार के युग में ग्रामीण महिलाएं शिक्षा व रोजगार के क्षेत्र में ऑनलाइन व ई-गर्वेनेंस के द्वारा इंटरनेट के जरिए सरकारी व अर्ध-सरकारी संस्थाओं द्वारा प्रदत्त सहायता, योजनाएं, सूचनाएं, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य तथा व्यापार व विपणन जैसी अनेक जानकारियां ग्राम-स्तर तक पहुंचाई जा रही हैं। महिला विकास से जुड़े आधारभूत मापदंडों को लेकर अब सरकारी योजनाओं में काफी बदलाव आया है।[5]

आज के आर्थिक युग में महिला सशक्तिकरण की अवधारणा से ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं अधिक स्वावलंबी व आत्मनिर्भर हुई हैं। उनमें आत्मविश्वास व मनोबल का संचार हुआ है। वे अपने अधिकारों के प्रति सजग हुई है। शिक्षा के प्रसार व जागरूकता बढ़ने से वे ग्रामीण विकास में योगदान दे रही हैं। न केवल सामान्य वर्ग की महिलाओं बल्कि अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़े वर्ग की महिलाओं में भी आत्मबल एवं निर्णय क्षमता का संचार हुआ है। आज उनके मानस पटल पर भी स्वरोजगार, प्रशिक्षण, उद्यमिता की तस्वीरें बदलने लगी हैं। घर की चारदीवारी में चूल्हा-चौका के अलावा शेष बचे समय का सदुपयोग कर पैसा कमाने की ललक व पढ़ने-लिखने के प्रति जागरूकता ये बता रही है कि बदलाव की यह बयार रूढ़ियों और परम्पराओं की बेड़ियों को तोड़ने के लिए आतुर है।[6]

परन्तु अनेक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक कारणों से भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति अभी भी पुरुषों की तुलना में अपेक्षाकृत निम्न है। वर्ष 2001 में कार्य में महिलाओं की भागीदारी 25.7 प्रतिशत थी। महिलाओं को 27 अगस्त, 2009 को स्थानीय शासन संस्थाओं में 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 50

प्रतिशत आरक्षण के प्रस्ताव को केन्द्र सरकार ने मंजूरी प्रदान करके उनके वर्चस्व को बढ़ाने का प्रयास किया है पर कार्यक्षमता विकसित करने व अधिकारों की जानकारी के लिए समुचित प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है।

समाज में ऐसे वातावरण को विकसित करने की आवश्यकता है जिसमें महिला हिंसा पर रोक लगाई जाए। सरकारी व गैर-सरकारी प्रयासों के चलते घर की चौखट की दहलीज से लेकर अंतरिक्ष तक जाने का रास्ता बनाए जाए। लेकिन सदियों से चली आ रही रूढ़ियों और परम्पराओं को तोड़ने में अभी वक्त लगेगा। महिलाओं को शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में संगठित होकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक कर सभी क्षेत्रों में उनकी भागीदारी के स्तर में वृद्धि करने पर ही महिला सशक्तिकरण होगा और तभी सशक्त भारत का निर्माण हो सकेगा। सम्मान और अधिकार के भाव से वंचित महिलाएं समाज में व्याप्त लैंगिक असमानता के लिए एक बड़ी चुनौती है। समानता को पाने की दिशा में किए जा रहे सरकार में प्रयास आधी आबादी के लिए बेहतर जिंदगी सुनिश्चित करने का प्रयास तभी साबित हो सकते हैं जब समाज की मानसिकता में परिवर्तन लाकर लैंगिक असमानता की खाई को पाटा जा सकेगा।

==========

संदर्भ ग्रंथ सूची-

1. पी.एन. प्रभू, हिन्दू सामाजिक संगठन, पेज-272
2. दैनिक अखबार, दैनिक जागरण, 12 अप्रैल, 2019
3. योजना, दिसम्बर, 2018, पेज-29
4. कुरूक्षेत्र, जनवरी, 2019, पेज-62
5. मासिक पत्रिका बनिता, माह अप्रैल, 2016, पेज-130
6. वही, 3 जनवरी 2017, पेज-73

21 वीं सदी में बालिकाओं का भविष्य

* वंदना कुमारी

प्रस्तावना– भारत में बालिकाओं की स्थिति सदैव एक समान नही रही है। इसमें युगानुरूप परिवर्तन होते रहे हैं। उनकी स्थिति में वैदिक युग से लेकर आधुनिक काल तक अनेक उतार-चढ़ाव आते रहे हैं तथा उनके अधिकारों तदनरूप बदलाव भी होते रहे हैं। वैदिक युग में स्त्रियों की स्थिति सुदृढ़ थी परिवार तथा समाज में उन्हें सम्मान प्राप्त था। उनकों शिक्षा का अधिकार प्राप्त था। सम्पति में उनको बराबरी का हक था। सभा व समितियों में से स्वतंत्रतापूर्वक भाग लेती थी तथापि ऋगवेद में कुछ ऐसी उक्तियां भी हैं जो महिलाओं के विरोध में दिखाई पड़ती है। शिक्षा, धर्म, व्यक्तित्व और सामाजिक विकास में उसका महान योगदान था। संस्थानिक रूप से स्त्रियों की अवनति उत्तर वैदिककाल से शुरू हुई। उन पर अनेक प्रकार के निर्योग्यताओं का आरोपण कर दिया गया। उनके लिए निन्दनीय शब्दों का प्रयोग होने लगा। उनकी स्वतंत्रता और उन्मुक्तता पर अनेक प्रकार के अंकुश लगाये जाने लगे। मध्यकाल में इनकी स्थिति और भी दयनीय हो गयी। पर्दा प्रथा इस सीमा तक बढ़ गई कि स्त्रियो के लिए कठोर एकान्त नियम बना दिए गये। शिक्षण की सुविधा पूर्णरूपेण समाप्त हो गई।

महिलाओं के पुनरोत्थान का काल ब्रिटिश काल से शुरू होता है। ब्रिटिश शासन की अवधि में हमारे समाज की सामाजिक व अर्थिक संरचनाओं में अनेक परिवर्तन किए गए। ब्रिटिश शासन के 200 वर्षों की अवधि में स्त्रियों के जीवन में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष अनेक सुधार आये। औद्योगिकीकरण शिक्षा का विस्तार समाजिक आन्दोलन व महिला संगठनों का उदय व सामाजिक विधानों ने स्त्रियों की दशा में बड़ी सीमा तक सुधार की ठोस शुरूआत की।

स्वतंत्रता के प्राप्त पूर्व तक स्त्रियों की निम्न द्वारा के प्रमुख कारण अशिक्षा निर्भरता धार्मिक निषेध जाति, बन्धन स्त्री नेतृत्व का अभाव तथा पुरूषों का उनके प्रति अनुचित दृष्टिकोण आदि थे। स्त्रियों से माता व गृहणी की भूमिकाओं की और पुरूषों से राजनीतिक व आर्थिक भूमिकाओं की आशा की जाती है।

==========

* सहरसा, बिहार

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से सरकार द्वारा उनकी अर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक स्थिति में सुधार लाने तथा उन्हे विकास की मुख्य धारा में सामाजिक करने हेतु अनेक कल्याणकारी योजनाओं और विकासात्मक कार्यक्रमों का संचालन किया गया है। महिलाओं को विकास की अखिल धारा में प्रवाहित करने शिक्षा के समुचित अवसर उपलब्ध कराकर उन्हें अपने अधिकारों और दायित्वों के प्रति सजग करते हुए उनकी सोच में मूलभूत परिवर्तन लाने आर्थिक गतिविधियों में उनकी अभिरूचि उत्पन्न कर उन्हें आर्थिक-सामाजिक दृष्टि से आत्मनिर्भरता और स्वावलम्बन की और अग्रसित करने जैसे अहम उद्देश्यों की पूर्ति हेतु पिछले कुछ दशकों में विशेष प्रयास किये गए है।

उन्नसवी सदी के मध्यकाल से लेकर इक्कीसवीं सदी तक आते-जाते पुनः महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ और बालिकाओं ने शैक्षिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, प्रशासनिक खेलकूद आदि विविध क्षेत्रों में उपलब्धियों के नए आयाम तय किये। आज महिलाओं आत्मनिर्भर, स्वनिर्मित तथा आत्मविश्वासी है। जिसने पुरूष प्रधान चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में भी अपनी योग्यता प्रदर्शित की है। वह केवल शिक्षिका, नर्स, स्त्री रोग की डाक्टर न बनकर इंजीनियर, पायलट, वैज्ञानिक, तकनीशियन, सेना पत्रकारिता जैसें नए क्षेत्रों को अपना रही है। राजनीति के क्षेत्रों में महिलाओं ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं।

20 वीं सदी के उत्तरार्द्ध और अब 21 वीं सदी के प्रारम्भ में बराबरी व्यवहार वाले जोड़े बनने लगे हैं। नौकरी वाली नारी के साथ पुरूष की मानसिकता में बदलाव आया है। पहले नौकरी वाली औरत के पति को "औरत की कमाई खाने वाला" कह कर चिढ़ाया जाता था। आज यह सोच बदल चुकी है। स्त्री स्वतंत्र में अर्थशास्त्र का योगदान अद्भुत है। स्त्रियां धन कमाने लगीं हैं, तो पुरूष की मानसिकता में भी परिवर्तन आया है। आर्थिक दृष्टि से नारी अर्थचक्र के केन्द्र की ओर बढ़ रही है। विज्ञापन की दुनियां में नारियां बहुत आगे हैं। बहुत कम ही ऐसे विज्ञापन होगें जिनमें नारी न हों लेकिन विज्ञापन में अश्लीलता चिन्तन का विषय है। इससे समाज में विकृतियां भी बढ़ रही हैं। अर्थशास्त्र ने समाजशास्त्र को बौना बना दिया है।

आज की बालिका राजनीति, कारोबार कला, तथा नौकरियों में पहुँचकर नये आयाम गढ़ रही हैं। भूमण्डलीकृत दुनिया में भारत और यहाँ की बालिका ने अपनी एक नितांत सम्मानजनक जगह कायम कर ली है। आंकड़े दर्शाते हैं कि प्रतिवर्ष कुल परीक्षार्थियों में 50 प्रतिशत बालिका डाक्टरी की परीक्षा उत्तीर्ण करती हैं। आजादी के बाद लगभग 12 प्रतिशत पेशेवर बालिकाएँ हैं। फौज, राजनीति, खेल, पायलट तथा उद्यम सभी क्षेत्रों में जहाँ वर्षों पहले तक महिलाओं

के होने की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी वहा सिर्फ लड़कियाँ स्वयं को स्थापित ही नहीं कर पायी है, बल्कि वहाँ सफल भी हो रही हैं।

यदि भारत का विकास करना है तो बालिकाओं का उत्थान करना होगा। बालिकाओं का विकास होने पर समाज का विकास स्वतः हो जायेगा। संवैधानिक अधिकारों में विभिन्न कानूनों के द्वारा बालिकाओं को बालकों के समान मिलने से उनकी स्थिति में परिवर्तन हुआ। महिलाओं को विवाह विच्छेद तथा परिवार की सम्पति में पुरूषों के समान अधिकार दिये गये। दहेज पर कानूनी प्रतिबन्ध तथा उन व्यक्तियों के लिये कठोर दण्ड की व्यवस्था की गयी जो दहेज की मांग को लेकर महिलाओं का उत्पीड़न करते हैं। अब सरकार 'लिव इन' पर विचार कर रही है। संयुक्त परिवारों के विघटन होने से जैसे-जैसे एकाकी परिवार की संख्या बढ़ी, इनमें न केवल महिलाओं को सम्मानित स्थान मिलने लगा बल्कि लड़कियों की शिक्षा को भी एक प्रमुख आवश्यकता के रूप में देखा जाने लगा। वातावरण अधिक समताकारी होने से महिलाओं को अपने व्यक्तित्व का विकास करने के अवसर मिलने लगे।

स्त्री और मुक्ति आज भी नदी के दो किनारे की तरह है जो कभी मिल नही पाती सतही तौर पर देखा जाये तो लगता है कि भारत ही नहीं विश्व पटल पर अपनी पहचान बनाती हुई लड़कियों ने अपनी पुरानी मान्यतायें बदली हैं। आज की बालिकाओं की अस्मिता का प्रश्न मुखर होता जा रहा है। अपने अस्तित्व को बचाये रखने के लिये संघर्ष करती हुई लड़कियों ने लम्बा रास्ता तय कर लिया है। परन्तु आज भी एक बड़ा हिस्सा सदियों में सामाजिक अन्याय का शिकार है। जब-जब स्त्री अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है तब तब जाने कितने रीति-रिवाजों परम्पराओं, पौराणिक आख्यानों की दुहाई देकर उसे गुमनाम जीवन जीने पर विवश कर दिया जाता हैं।

वस्तुतः इक्कीसवीं सदी "बालिका सदी" है। वर्ष 2001 "महिला सशक्तिकरण" वर्ष के रूप में मनाया गया। इसमें महिलाओं की क्षमताओं और कौशल का विकास करके उन्हें अधिक सशक्त बनाने तथा समग्र समाज को महिलाओं की स्थिति और भूमिका के संबंध में जागरूक बनाने के प्रयास किये गए। महिला सशक्तिकरण हेतु वर्ष 2001 में प्रथम बार "राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति" बनाई गई जिससे देश में महिलाओं के लिये विभिन्न क्षेत्रों में उत्थान और समुचित विकास की आधारभूत विशेषताए निर्धारित किया जाना संभव हो सके। इसमें आर्थिक सामाजिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में पुरूषों के साथ समान आधार पर महिलाओं द्वारा समस्त मानवाधिकारों तथा मौलिक स्वतंत्रताओं का सैद्धान्तिक तथा वस्तुतः उपयोग पर तथा इन क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी व निर्णय स्तर

तक समान पहुँच पर बल दिया गया है।

आज देखने में आया है कि बालिकाओं ने स्वयं के अनुभव के आधार पर अपनी मेहनत और आत्मविश्वास के आधार पर अपने लिए नई मंजिले नये रास्तों का निर्माण किया है। क्या मात्र इस आधार पर उस सफलता के पीछे क्षणांश भी किसी पुरूष के हाथ होने की सम्भावना को नकार दिया जायेगा यदि नहीं तो फिर समस्या कहाँ है। मै कौन हूँ? प्रश्न अभी भी उत्तर की आस में क्यों खड़ा है?

वर्तमान समय में भारत सरकार द्वारा बालिकाओं के उत्थान के लिए अनेक कार्यक्रम एवं योजनाओं का संचालन तो किया जा रहा हैं लेकिन इन योजनाओं का क्रियान्वयन निचले स्तर तक उचित ढंग से न पहुँच सकने के कारण बालिकाओं को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है। यह सत्य है कि वर्तमान समय में बालिकाओं की स्थिति में काफी बदलाव आए हैं, लेकिन फिर भी वह अनेक स्थानों पर पुरूष-प्रधान मानसिकता से पीड़ित हो रही है। इस सन्दर्भ में युगनायक एवं राष्ट्रनिर्माता स्वामी विवेकानन्द का यह कथन उल्लेखनीय है। किसी भी राष्ट्र की प्रगति का सर्वोत्तम थर्मामीटर है वहाँ की महिलाओं की स्थिति। हमें नारियों को ऐसी स्थिति में पहुँचा देना चाहिए जहाँ वे अपनी समस्याओं को अपने ढंग से स्वयं सुलझा सकें। हमें नारी शक्ति के उद्धारक नही, वरन उनके सेवक और सहायक बनना चाहिए। भारतीय नारियाँ संसार की अन्य किन्हीं भी नारियों की भाँति अपनी समस्याओं को सुलझाने की क्षमता रखती हैं। आवश्यकता है उन्हें उपयुक्त अवसर देने की। इसी आधार पर भारत के उज्ज्वल भविष्य की संभावनाएँ सन्निहित हैं।

भारत में बालिका शिक्षा–

बालिका को बालक के समान शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने की बात भारत के लिए नई नहीं हैं। प्राचीनकाल में देश में बालक बालिकाओं को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध थे। वैदिककाल में बालक व बालिका दोनों का उपनयन संस्कार कर शिक्षा प्रारम्भ करने की प्रथा थी। ब्रिटिश शासन की स्थापना के बाद भारत में बालिका शिक्षा के लिए वातावरण बनने लगा था।

1854 में ईस्ट इण्डिया कंपनी द्वारा पारित वुड डिस्पेच में महिला शिक्षा को सरकार के उत्तरदायित्व के रूप में स्वीकार किया गया, मगर शिक्षा की उचित व्यवस्था मात्र कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रही। 1882 में भारत में महिला साक्षरता 0.2 प्रतिशत थी जो देश के आजाद होने तक बढ़कर 6 प्रतिशत हो सकी। देश के स्वतंत्र होने के समय तक विद्यालयों में बालिकाओं के नामांकन बहुत ही कम था। देश स्वतंत्र होने के बाद यह आशा जगी कि देश की प्रत्येक बालिका को उसके हम उम्र बालक के समान शिक्षा के अवसर उपलब्ध होगें। भारतीय संविधान में भी बालक व बालिका को समान शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने के प्रावधान

किए गए। संविधान की भावना को मूर्तरूप देने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं में बालिका शिक्षा, महिला स्वास्थ्य आदि के लिए विशेष प्रावधान रखे जाने लगे। महिला की शिक्षा के क्षेत्र में जो बधायें स्वतंत्रता के समय थी उनको बहुत हद तक दूर किया गया है। शिक्षा विस्तार के साथ गांव तक प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध है। शिक्षा में महिला शिक्षकों की संख्या भी निरन्तर बढ़ रही है। उच्च माध्यमिक स्तर तक सभी बालिकाओं को शिक्षा एवं पाठ्य पुस्तकें निशुल्क उपलब्ध हैं। उच्च शिक्षा हेतु आवागमन के लिए भी साधन सुलभ कराएं गए है। बालिका शिक्षा हेतु नि:शुल्क छात्रावास सुविधा उपलब्ध है। बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था की जा रही है। छात्रवृति के रूप में प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। इसका परिणाम भी बालिका नामांकन तथा महिला साक्षरता की दर में वृद्धि के रूप में सामने आने लगा। 1951 में बालिका नामांकन 25 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता की दर 7.3 प्रतिशत थी। 2001 के आने तक नामांकन 90 प्रतिशत तथा साक्षरता दर 50 प्रतिशत तक बढ़ गई है। मगर बीच में ही विद्यालय छोड़ देने वाली बालिकाओं की संख्या बालकों की तुलना में बहुत अधिक है। इस बात को देखने के लिए अलग से सर्वेक्षण कराने की आवश्यकता है। आठवी व दसवीं बोर्ड में प्रविष्ठ होने वाली बालिकाओं की संख्या बालकों की संख्या की आधी से भी कम होती है। यह प्रसन्नता की बात है कि परीक्षा में सफलता की प्रतिशत बालकों की तुलना में बालिकाओं का अधिक रहता है। यह इस बात का गवाह हैं कि बालिकाए शिक्षा के प्रति बालकों से अधिक गम्भीर है। मगर बालिका शिक्षा का जो प्रभाव समाज में दिखाना चाहिए वह देखने को नही मिला। उच्च बालिका शिशु मृत्यु दर तथा धटता महिला लिंग अनुपात यह दर्शा रहा था कि समाज में महिलाओं को समान दर्जा प्राप्त नही हो पाया था।

बालिकाओं का नामांकन तो बढ़ा है, मगर निचले तबके ग्रामीण इलाकों की लड़कियों द्वारा स्कूल छोड़ने की दर अब भी बहुत अधिक है। ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ाई के बीच में स्कूल छोड़ने वाली लड़कियों की संख्या लड़कों की तुलना में दुगनी है। 10 में से 9 लड़किया स्कूली शिक्षा पूरी नहीं कर पाती। ग्रमीण क्षेत्र में 12 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र में 14 प्रतिशत लड़की ही 12 तक की शिक्षा पूरी कर पाती है। लड़कियों के बीच में स्कूल छोड़ जाने का कारण गरीबी के साथ शिक्षा का अरूचिकर होना भी है। रोजगार के दबाव में लड़के व लड़कियों की शिक्षा में भेद भाव का रोचक रूप अंग्रेजी माध्यम व उर्दू के आकड़ें देखने से उजागर होता है।

यौनानुपात की कमी सामाजिक-अर्थशास्त्र कारण से है जो अन्तत: कन्या

शिशु के जीवन संघर्ष को प्रभावित करता है। मगर रोचक तथ्य यह है कि उच्च महिला साक्षरता वाले राज्यों में यौनानुपात में कमी दर्ज की गई जा रही है। दिल्ली जहाँ महिला साक्षरता वाले राज्यों में यौनातुपात में 821 है जबकी पंजाब में साक्षरता दर 63.5 प्रतिशत होने पर भी यौनानुपात 874 पाया गया है।

भारतीय शिक्षा व्यवस्था की प्रमुख समस्या गरीबी बालिका शिक्षा की भी प्रमुख समस्या है। गरीबी के कारण ही अधिकांश मां बाप चाह कर भी अपनी बच्चियों को विद्यालय में नहीं भेज पा रहें हैं। बालिका शिक्षा के लिए सभी सुविधाएं सरकारी विद्यालय तक सीमित है मगर भष्ट्राचार, शिथिल प्रशासन लिचर शिक्षण व्यवस्था, असुरक्षा आदि कारणों से सरकारी विद्यालयों के प्रति लोगों का रूझान तेजी से कम होता जा रहा है। एक अनुसंधान के अनुसार 5000 हजार मासिक कमाने वाला गरीब परिवार भी सरकार प्रोलोभनों का उपेक्षा कर अपने बच्चों को निजी विद्यालय में भेजना पंसद कर रहा है। इस समस्या के समाधान हेतु सरकार को इस पर विचार कर कोई युक्तियुक्त हल निकालना चाहिए।

भारत में महिलाओं का अधिकार-

भारत के आजाद होने के बाद महिलाओं की दशा में काफी सुधार हुआ है। महिलाओं को अब पुरूषों के समान अधिकार मिलने लगे है। महिलाएं अब वे सब काम आजादी से कर सकती है जिन्हें वे पहले करने में अपने आप को असमर्थ महसूस करती थी। आजादी के बाद बने भारत के संविधान में महिलाओं को वे सब लाभ, अधिकार, काम करने की स्वतंत्रता दी गयी है जिसका आनंद पहले सिर्फ पुरूष उठाते थे। वर्षों से अपने साथ होते बुरे सुलूक के बावजूद महिलाएं आज अपने आप को सामाजिक बेड़ियों से मुक्त पाकर और भी ज्यादा आत्मविश्वास से अपने परिवार, समाज तथा देश के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है।

हमारे देश की आधी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व महिलाएं करती है। इसका मतलब देश की उन्नति का आधा दारोमदार महिलाओं पर और आधा पुरूषों के कंधे पर निर्भर करता है। हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते उस समय का जब इसी आधी जनसँख्या को वे मूलभूत अधिकार भी नही थी। परन्तु बदलते वक्त के साथ इस नए जमाने की नारी ने समाज में वो स्थान हासिल किया जिसे देखकर कोई भी आश्चर्यचकित रह जायेगा। आज महिलाएं एक सफल समाज सुधारक, उद्यमी, प्रशासनिक सेवक, राजनयिक आदि है।

महिलाओं की स्थिति में सुधार ने देश के अर्थिक और सामाजिक सुधार के मायने भी बदल कर रख दिए है। दूसरें विकासशील देशों की तुलना में हमारे देश

में महिलाओं की स्थिति काफी बेहतर है। यद्यपि हम यह तो नहीं कह सकते कि महिलाओं के हालात पूरी तरह बदल गए है पर पहले की तुलना में इस क्षेत्र में बहुत तरक्की हुई है। आज के इस प्रतिस्पर्धात्मक युग में महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति पहले से अधिक सचेत है। महिलाएं अब अपनी पेशेवर जिदंगी (सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक) को लेकर बहुत अधिक जागरूक है जिससे वे अपने परिवार तथा रोजमर्रा की दिनचर्या से संबंधित खर्चों का निर्वाह आसानी से कर सके।

महिलाएं अब लोकतंत्र और मतदान संबंधी कार्यो में काफी अच्छा काम कर रही है जिससे देश की प्रशासनिक व्यवस्था सुधर रही है। हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आज नारी बेटी, माँ, बहन, पत्नी के रूप में अलग अलग क्षेत्र जैसे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शिक्षा, विज्ञान तथा और विभागों में अपनी सेवाएं दे रही है। वे अपनी पेशेवर जिंदगी के साथ-साथ पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभा रही है। महिलाओं की दशा सुधारने में इतना सब होने के बाद भी हमें कहीं न कहीं उनके मानसिक तथा शारीरिक उत्पीड़न से जुड़ी खबरें सुनने को मिल जाती है।

भारत सरकार द्वारा महिलाओं को प्रदत अधिकार-

भारत सरकार द्वारा बालिका/महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए अनेक कानून व योजना लागू किया गया है, जो निम्नलिखित है।

1. जुवेनाइल जस्टिस (चिल्ड्रेन केयर एंड प्रोटेक्शन) बिल, 2015:

भारत सरकार ने हाल ही में महिला सुरक्षा से संबंधित कानूनों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। पुराने जुवेनाइल कानून, 2000 को बदलते हुए नए जुवेनाइल जस्टिस (चिल्ड्रेन केयर एंड प्रोटेक्शन) बिल 2015 को लागू किया है। इसे खास-तौर पर निर्भया केस को ध्यान में रख कर बनाया गया है। इस कानून के अंतर्गत कोई भी किशोर जिसकी आयु 16 से 18 साल के बीच है और वह जधन्य अपराध में शामिल है तों उस पर कड़ी कार्यवाही की जा सकेगी।

2. सुकन्या समृद्धि योजना-

बेटी का भविष्य सुरक्षित करने के लिये प्रधानमंत्री के द्वारा 'बेटी बचाओं और बेटी पढ़ओं' के तहत सुकन्या समृद्धि योजना अकांउट लॉन्च हुई। यह योजना बेटियॉ को उनके माता पिता से वित्तीय मदद दिलाने में काम आती है।

3. बाल योजनाएं-

माता-पिता के निधन के मामले में बाल योजना के तहत सरकार उनके बेटी को गारंटीकृत एकमुश्त राशि देगी। बाल योजना का एक बड़ा लाभ यह है कि जब आपकों अपनी बेटी की कॉलेज फीस या उसकी शादी के लिए धन की

आवश्यकता होती है तो आप इसमें से आंशिक राशि वापस ले सकते हैं।

4. **व्यवस्थित निवेश योजनाएं (एसआईपी)**–

इस योजना के तहत लंबे समय तक छोटी मात्रा में निवेश कर बेटी के लिए एक बड़ी राशि को जोड़ सकते हैं। इसमें अप्रत्याशित रूप से प्राप्त होने वाली राशि के एक हिस्से को बेटी के लिए निर्धारित किए धन में निवेश कर सकते हैं।

5. **लोक भविष्य निधि (पीपीएफ)**–

बेटी के भविष्य में निवेश के विस्तारित समय को देखते हुए, पीपीएफ के साथ एक स्वस्थ कोष बनाया जा सकता है।

6. **मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना**–

बिहार सरकार ने इस योजना के तहत बिहार में पैदा होने वाली लड़की के जन्म से लेकर ग्रेजुएशन करने तक उसका खर्चा सरकार वहन करेगी।

7. **सेनेटरी नैपकिन योजना**–

बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों को सेनेटरी नैपकिन के लिये 300 रूपये भत्ता दिये जाते है।

8. **मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना**–

मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना का उद्देश्य राज्य में भिक्षावृत्ति की कुप्रथा का उन्मूलन करना और भिक्षावृत्ति करने वालों का पुनर्वास करना है। इस योजना के अंतर्गत निदेशालय निराश्रितों और विशेषकर वृद्धजनों के पुनर्वास के लिए चिकित्सा और अन्य सुविधाओं के साथ आश्रय गृह स्थपित करता है।

9. **इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना**–

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना की शुरूआत वर्ष 2009-10 से विधवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंग के रूप में की गई थी। नवम्बर, 2011 तक इस योजना से लाभन्वित विधवा महिलाओं की कुल संख्या 3.20 लाख है जबकी भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य 2.41 लाख था।

10. **राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना**–

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (एनएफबीएस) का कार्यान्वयन सरकार द्वारा गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों की सहायता के लिए किया जाता है। इसके अंतर्गत परिवार के मुख्य आय-अर्जनकर्ता की मृत्यु पर परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

11. **कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना**–

कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना को बिहार में वर्ष 2007 में आरंभ किया गया था। इसके अंतर्गत बी.पी.एल. परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु के उपरान्त,

अंत्येष्टि क्रिया के लिए 1500/-रू. की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

12. **लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना**–

लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को मुख्यतः विधवाओं के कल्याण के लिए वर्ष 2007 में आरंभ किया गया है।

इसके अतिरिक्त समाज कल्याण निदेशालय निम्नलिखित योजनाओं और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन भी करता है।

महिला प्रक्षेत्र–

मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना, मंत्री कन्या विवाह योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना, अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना,

बाल विकास प्रक्षेत्र–

समेकित बाल विकास सेवा योजना, पूरक पोषाहार कार्यक्रम, आँगनवाड़ी केन्द्रों में स्कूल पूर्व शिक्षा के बच्चों के लिये पोशक योजना, इंदिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना, कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए राजीव गांधी शिशुशाला योजना।

बाल संरक्षण प्रक्षेत्र–

सेमेकित बाल संरक्षण योजना, बाल गृह, खुला आश्रय, विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान, विशेष गृह, पर्यवेक्षण गृहों का संचालन, परवरिश चाइल्डलाइन, मुसीबत में फंसे बच्चों के लिए 24 घंटे की आपातकालीन फोन-लाइन सेवा।

सामाजिक सुरक्षा प्रक्षेत्र–

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत राष्ट्रीय पेंशन योजना (इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, इंदिरा गांधी विधवा पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय राष्ट्रीय निशक्तता पेंशन) बिहार राज्य पेंशन योजना (राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन, बिहार निशक्तता पेंशन)

मृत्योपरांत देय अनुदान योजनाएं-

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना, कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना।

अन्य योजनाएं– बिहार समेकित सामाजिक सुरक्षा सुद्धढ़ीकरण योजना, बिहार शताब्दी कुष्ठ योजना, बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं योजना

निष्कर्ष–

सरकार द्वार लड़कियों और महिलाओं के संरक्षण, कल्याण और सशक्तीकरण से संबंधित सभी नीतियों, कानूनों और कार्यक्रमों के समन्वय और कार्यान्वयन की जा रही है। जिसके कारण महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सशक्तिकरण हुआ है परन्तु उस रफ्तार से सशक्त नहीं हुआ है जिसकी

उम्मीद की अपेक्षा की जाती है। आज भी महिलाओं को पुरूष के सामान दर्जा नहीं मिला है। महिला कही भी सुरक्षित नहीं है। 21 वी सदी में भी महिलाएं प्रताड़ना, कुपोषण, शोषण और यौन उत्पीड़न जैसी समस्याएं से जूझ रही है। इसकी रोकथाम तभी संभव है समुदाय जागरूक हो तथा राजनितिक इच्छाशक्ति जागृत हो।

भारतीय समाज में सच में महिला सशक्तिकरण लाने के लिये महिलाओं के खिलाफ बुरी प्रथाओं के मुख्य कारणों को समझना और उन्हें हटाना होगा जो कि पितृसत्तात्मक और पुरूष प्रभाव युक्त व्यवस्था है। जरूरत है कि हम महिलाओं के खिलाफ पुरानी सोच को बदले और संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों में भी बदलाव लाये।

==========

संदर्भ ग्रंथ सूची–

1. गुप्ता कमलेश कुमार (महिला सशक्तिकरण) बुक एनक्लेव जयपुर
2. राजकुमार 2005 (नारी के बदले आयाम) अर्जुन पब्लिशिंग हाउस
3. सिंह करण बहादुर (मार्च 2006) (महिला अधिकार व सशक्तिकरण) कुरूक्षेत्र
4. श्रीवास्तव सुरेश लाल (मार्च 2007) (राष्ट्रीय महिला आयोग) कुरूक्षेत्र
5. कुमारी, वंदना (2013) भ्रूण हत्या और बेटियों की कम होती संख्या, कोशी शोध सृजन, अंक-5-6, पृष्ट-21-24
6. कुमारी, वंदना (2014) बालिकाओं का अंधकारमय भविष्य, कोशी शोध सृजन, अंक-8, पृष्ट-26-28
7. कुमारी, डॉ. वंदना (2018) भारत में सकारात्मक परिवर्तन के प्रतिकूल बालिकाओं की सशक्तिकरण की दशा एवं दिशा, प्ररिप्रेक्ष्य, अंक, पृष्ठ-350-353

महिला सशक्तिकरण ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य वर्तमान दशा तथा भावी दिशाएं

* डॉ. सरोजबाला श्याग विश्नोई

अतीत कालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास से ज्ञात होता है कि भारत की पावन धरा में महिलाओं को आदर और श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता रहा है।

सिन्धु घाटी की सभ्यता में महिलाओं की स्थिति–

सिन्धु घाटी की सभ्यता ऋग्वेदिक काल की सभ्यता के शताब्दियों पहले की सभ्यता है। इस सभ्यता की जन्म ईसा से लगभग 5000 वर्ष पूर्व पूर्व हुआ होगा। इस सभ्यता का अनुमान खुदाई से प्राप्त अवशेष के आधार पर लगाया जाता है। देश की प्राचीनतम सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता का मातृ प्रधान होना, नारी के प्राचीन गौरव को प्रकट करता है। 'थामस' ने लिखा है कि '' धर्म में मातृ पूजा का महत्व, महँगे आभूषणों से स्त्री अलंकारिता की अधिकता, पुरूषों का तुलनात्मक कम महत्व आदि से प्राचीन सिंधुघाटी की सभ्यता पुरूषों की तुलना में स्त्रियों को अधिक महत्व देती थी।'' प्रागैतिहासिक काल में मातृ सत्तात्मक परिवारों की स्थापना थी। आर्थिक सामाजिक धार्मिक जीवन में नारी को विशेष अधिकार प्राप्त थे। मोहन जोदड़ो एवं हड़प्पा आदि की खुदाईयों से ज्ञात होता है कि उस काल की मूर्तियों में महिला देवत्व पद पर सुशोभित थी।

वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति–

वैदिक काल में महिलाओं कों स्वतंत्रता तथा समानता प्राप्त थी। महिलाओं को सर्वोच्च ब्रम्हज्ञान (शिक्षा) प्राप्त करने पर कोई प्रतिबंध नही था। विवाह त्यौहार का अन्त पति और पत्नि की संयुक्त पूजा से होता था। जिसमें दीर्घायु और समृद्धि की कामना की जाती थी। पितृ सत्तात्मक परिवार थें, किन्तु स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। वैदिक युग में नारी को सभी पारिवारिक एवं सामाजिक अधिकार प्राप्त थे वैदिकालीन युग में पर्दा प्रथा का चलन नही था। महिला पुरूषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करती थी। स्वतंत्र रूप से आम सभाओं एवं सामाजिक कार्यक्रमों में निर्भीक होकर भाग लेती थी। वेदकालीन युग में वेद

==========

* सहायक प्राध्यापक, शासकीय विवेकानन्द स्नातकोत्तर महाविद्यालय मनेन्द्रगढ़, जिला - कोरिया (छ.ग.)

विद्या ग्रहण करके तथा यज्ञ में भाग लेकर मंत्रोच्चारण करती थी। इस युग में बाल विवाह नहीं होते थे। विधवा विवाह प्रचलित थे, विधवाएं अपने पति की मृत्यु के बाद देवर से विवाह कर सकती थी। विवाह उपरान्त लड़की अपने पति के घर में निवास करती थी। बिना लोक निंदा के अविवाहित लड़की अपने माता-पिता के घर में प्रौढ़ावस्था को प्राप्त करती थी। यादि दम्पत्ति के इकलौती कन्या सन्तान होती तो वह पुत्र की भाँति समझी जाती थी। और उसे विवाह उपरान्त स्वंय पति के साथ अपने माता-पिता के साथ रहने का अधिकार था।

उत्तरवैदिक काल में महिलाओं की स्थिति –

उत्तर वैदिक काल में निश्चित रूप सें समाज में महिलाओं की प्रतिष्ठा थी। यह युग ब्राम्हणों की महान प्रतिष्ठा का युग था। उत्तर वैदिक काल में पुत्र का जन्म अधिक मांगलिक माना जाता था, परन्तु पुत्री का स्थान भी सम्मान जनक था। कन्या को पति वरण का अधिकार था। विधवा की स्थिति दुखद थी परन्तु तिरस्कृत नहीं किया जाता था।

बन्ध्यापन स्त्रियों का महान दोष माना जाता था। लगातार लड़कियों का पैदा होना भी दोष माना जाता था। पुत्र प्राप्ति के लिए पुरूष को दूसरा विवाह करने का अधिकार था। इस काल में कन्या बचपन में पिता, युवावस्था में पति, तथा वृद्धावस्था में पुत्र के अधिकार में रहने लगी। महिला की अपनी कोई इच्छा नही रही, पुरूष के वर्चस्च के अधीन महिला का जीवन यापन होने लगा था। उत्तरवैदिक काल में महिलाओं को शिक्षा, धर्म, राजनीति, और संम्पत्ति में पुरूषों के समान अधिकार प्राप्त थे। उत्तर वैदिक काल में (ईशा से 600 वर्ष पूर्व से 300 वर्ष बाद तक) पत्नी का महत्व पुत्र की माता होने कारण था। पति सेवा ही महिलाओं का सनातन धर्म होता था। बौद्धकाल में महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार हुआ परन्तु महिलाओं का जीवन पति की देखरेख मे ही व्यतित होता था। मध्यकाल (सोलहवीं शताब्दी से अठारहवीं शताब्दी) में महिलाएं मानव न रहकर वस्तुमात्र बन गई। पुरूष के वचर्स्व के अधीन महिलाओं को वस्तु समझा जाने लगा। उनकी स्थिति दुर्दशा ग्रस्त हो गई, इस काल में बाल विवाह पर्दा प्रथा एवं सती प्रथा जैसे रूढ़ीवादी परम्परा का बाहुल्य रहा। बचपन से ही कन्या को पति के साथ सती होने का पाठ पढ़ाया जाने लगा। एक से अधिक पत्नियाँ रखना पुरूषों के लिए सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाने लगा। शताब्दियों से चली आ रही अवांछनीय परम्पराओं को मर्यादा के रूप में मान्यता प्राप्त हुई।

हिन्दु धर्म शास्त्र में महिला की स्थिति–

हिन्दु धर्म शास्त्र में महिला की स्थिति सदैव ही गरिमामयी रही है। महिला को एक स्वतंत्र चेतन सत्ता के रूप में स्मरण किया गया है। ऋग्वेद 8/33/19 में

महिला को ब्रम्हा कहा गया है। '' स्त्री हि ब्राम्हा भूविथ-'' इसका तात्पर्य यह है कि महिला स्वंय विदुषी होते हुए अपनी सन्तान को सुशिक्षित बनाती है। उसे ज्ञान विज्ञान में निपुर्ण होने के कारण ही ब्रम्हा बताया गया है। ऋग्वेद के दशम मण्डल के 159 वें सूक्त का गौरव वर्णित है, शची का कथन है-

अहं के तुरहं मूर्धाऽमुग्रा विवाचिनी।
ममेदनु क्रतुं पतिः सेहानाया उपाचरेत्।।

ऋग्वेद 10/159/2

अर्थात् मै ज्ञान में अग्रगण्य हूँ, मै स्त्रियों में मूर्धन्य हूँ। मैं उच्च कोटि की वक्ता हूँ। मुझ विजयिनी की इच्छानुसार ही मेरा पति आचरण करता है।

अर्थर्ववेद 14/02/15 में स्त्री को सरस्वती का रूप मानते हुए कहा गया है%-

प्रति विष्ठि विराऽसि, विष्णु रिवेह सरस्वती।
सिनीवालि प्रजांयती, भगस्य सुमता वसत्।

अर्थात् हे नारी तुम यहॉ प्रतिष्ठित हो। तुम तेजस्वीनी हो, हे सरस्वती! तुम यहॉ विष्णु के तुल्य प्रतिष्ठित होना। हे शौभाग्यवती नारी तुम सन्तान को जन्म देना और शौभाग्य देवता की कृपादृष्टि में रहना।

महिलाओं की प्रतिष्ठा अपने गुणों और योग्यता के आधार पर ही है अतः यजुवेद में कहा गया है -स्वैर्दक्षेर्द क्षपिसेहसीद, देवानाय सुम्ने वृहतेरणाय।
मनुस्मृति 3/56 में कहा गया है। कि -

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते यत्र देवताः।
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते स्वस्तित्रा पुलाः क्रियः।।

अर्थात् जहॉ महिलाओं को सम्मान होता है। वहॉ देवता निवास करते है। जहॉ इनका सम्मान नही होता है, वहॉ प्रकृति के उन्नति की सारी क्रियाएं निष्फल हो जाते है।
व्यास संहिता में कहा गया है -

यायन्त विन्दते जायां, तावद धोंभवेतपुमान्'। अर्थात् पत्नी के प्राप्त होने के पूर्व तक पुरूष अधूरा है।

मार्कण्डेय पुराण में कहा गया है कि -
विद्या समस्ता स्तव देवि भेदाः।
स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु।।

अर्थात् समस्त महिलाएं और समस्त विद्याएं देवी के रूप में ही है। विभिन्न शास्त्रों में प्रतिपादित महिला की विशिष्टता का आधार उसकी अर्न्तनिहित क्षमता सदगुण एवं शक्ति रूपी सम्पत्ति है। प्राचीन पूर्वजों के अन्तः करण में महिलाओं

के प्रति भरपूर सम्मान और समता की भावना थी।

ब्रिटिश काल में महिलाओं की स्थितिः-

ब्रिटिश काल (अठारवीं शताब्दी के अंतिम वर्षो सें स्वतंत्रता प्राप्ति तक) में सती प्रथा, बाल विवाह पर रोकलगी, स्त्री शिक्षा का प्रचार हुआ। बहुपत्नी विवाह प्रथा पुरानी हो गई, यह प्रथा कुछ खास व्यक्तियों तक ही सीमित हो गई। उच्च परिवार से पर्दा प्रथा समाप्त होने लगी। संयुक्त परिवार प्रथा में परिवर्तन की प्रक्रिया का सूत्रपात्र हुआ। व्यवसायों में वृद्धि के साथ-साथ जाति प्रथा प्रबल होने लगी। इस काल में महिला संगठनों का विकास हुआ। महिला राष्ट्रीय परिषद्, आखिल भारतीय महिला सम्मेलन, विश्वविद्यालयीन महिला संगठन का विकास हुआ। ब्रिटिश काल में महिलाओं के सम्पत्ति के समस्त अधिकार समाप्त हो गए, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं थी। कोई भी निर्णय लेना कुलीनता और स्त्रीत्व के विरूद्ध माना जाने लगा। 19वीं शताब्दी में महिलाओं ने पुरूषों के समान अधिकार के लिए आंदोलन चलाया परिणाम स्वरूप 1924-25 में पश्चिमी देशों ने महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया।

उन्नीसवीं शताब्दी में स्त्रियों की दयनीय स्थिति को लेकर सुधार आंदोलन प्रारंभ हुए। विभिन्न व्यक्तियों और संगठनों ने इस दिशा में सराहनीय कार्य किए। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रम्ह समाज की स्थापना की थी। इनके माध्यम से महिलाओं को सम्पत्ति का अधिकार, महिला शिक्षा, बाल विवाह, समाप्त करने आदि की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए थे। महर्षि दयानन्द सरस्वती ने 1875 ई. में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी। इस समाज ने उत्तर भारत में महिलाओं में शिक्षा का प्रसार कर बाल विवाह, पर्दा प्रथा समाप्त करने महत्वपूर्ण कार्य किए थे। ईश्वर चन्द विद्यासागर ने व्यक्तित्व के तौर पर महिलाओं की स्थिति में सुधार के कार्य किए। वे विधवा विवाह के पक्ष घर थें। उन्होने अपने पुत्र का विवाह एक विधवा से किया था। आपके प्रयत्नों से ही विधवा विवाह कानून पास हुआ था। आपका शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा। कार्वे ने पूना मे विधवा आश्रम खोलकर महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए प्रयास किए थे। महात्मा गांधी ने महिलाओं की स्थिति में सुधार करने हुते प्रस्ताव ब्रिटिश संसद को भेजा तथा महिलाओं को राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। सुधार आन्दोलनों का परिणाम यह हुआ कि महिलाओं की स्थिति ऊँची उठाने के लिए अनेक महिला संगठनों की स्थापना तथा सम्मेलनों का आयोजन हुआ जिनमे से मुख्य इस प्रकार है-

* भारतीय राष्ट्रीय महिला परिषद्- 1875
* अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, पूना 1929

* विश्वविद्यालय महिला संघ
* भारतीय ईसाई महिला मंडल
* अखिल भारतीय स्त्री शिक्षा संस्था
* कस्तूरबा गाँधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट, आदि।

स्वतंत्र भारत में महिलाओं की स्थिति-

स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त भारत वर्ष में महिलाओं को पुरूषों के समान सभी संवैधानिक अधिकार प्रदान किए गये परन्तु कुछ कट्टरपंथी सामंतवादी सोच के लोगों के कारण सामाजिक रूप से विषमता बनी रही। प्राचीनकाल से ही महिलाओं ने घरेलू कार्यो के साथ साथ अन्य क्षेत्रों ग्रामीण अंचलों में कृषि कार्य में पुरूषों के समान योगदान दिया, साथ ही पारिवारिक व्यवसाय, कुटीर उद्योग में महिलाओं का योगदान महत्वपूर्ण रहा है।

आधी जनशक्ति महिलाओं के आंकड़ों पर दृष्टि डाले तो राष्ट्रीय जनगणना एक मार्च 2011 के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या 121,07,26,982 (एक सौ एक्कीस करोड़ सात लाख छब्बीस हजार नौ सौ बयासी) है, जिसमें महिलाओं की संख्या 58,65,00,000 (अट्ठावन करोड़ पैसठ लाख) है, प्रति हजार पुरूष पर 940 महिलाएं हैं। महिलाओं की साक्षरता की दर 58.25% प्रतिशत, जिसमे से ग्रामीण 57% प्रतिशत एवं शहरी क्षेत्रों में 65% प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं।

वैश्विक परिदृश्य पर वर्तमान समय में शिक्षा के प्रभाव से महिलाएं सशक्त हुई हैं। साधारण स्तर पर, व्यवसायिक स्तर पर शिक्षा प्राप्त कर महिलाएं एक श्रम शक्ति के रूप में विकसित हुई हैं। महिलाओं में आत्मविश्वास और स्वाभिमान जागृत हुआ है। आज महिलाएं सशक्त होकर पुरूष प्रधान चुनौती पूर्ण क्षेत्रों में भी अपनी योग्यता प्रदर्शित की है। सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था में महिलाओं ने निरंतर अपनी स्थिति सुदृढ़ की है। भारत की प्राचीन संस्कृति, सांस्कृतिक विरासत, धर्म भौगोलिक विशेषताओं तथा पुरूष सत्तात्मक समाज में तादात्म स्थापित किया है। आज महिलाएं अपने कर्त्तव्यों ही नही अधिकार के प्रति भी जागरूक हुई हैं। कल की साधारण सी गृहिणी ने आज कुशल प्रबंधक एवं प्रशासन, राजनीतिक के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। नारी की इन भूमिकाओं में नवीनता, सृजनशीलता आभा है।

महिलाओं के हर क्षेत्र में आगे बढ़ जाने का प्रतिशत बहुत ही कम है। भारतीय महिलाओं की दुनिया बदलने हेतु करोड़ों उन- माँ बहनों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं स्वावलम्बन प्रदान कर आत्मसम्मान प्रदान करने की आवश्यकता है, जो आज भी मध्ययुग मे जी रही हैं पत्थर तोड़ने वाली, खेत

खलिहानों मे कार्य करने वाली महिलाएं आज भी शोषित है। घर की चार दीवारी तक ही सीमित है।

आज महिलाओं के संरक्षण के लिए सख्त कानून है फिर भी महिलाएं शोषण, घरेलू हिंसा, अत्याचार, बलात्कार की शिकार हो रही हैं, महिलाओं के विरूद्ध आपराधिक हिंसा के मामले गृह मंत्रालय पुलिस अन्वेषण ब्यूरों और सामाजिक प्रतिरक्षा राष्ट्रीय संस्थान द्वारा संकलित अभिलेखन के अनुसार प्रति वर्ष 12% वृद्धि मिलती है। जिसमें सबसे अधिक अपराध घरेलू हिंसा यातना के 31. 5%प्रतिशत, छेड़छाड़ के 23.6% प्रतिशत वृद्धि, अपहरण के 12.5% प्रतिशत बलात्कार के 11.4% प्रतिशत, देह व्यापार के 6.6% प्रतिशत, दहेज हत्या में 50% प्रतिशत वृद्धि मिलती है। मोटे रूप में कह सकते है। कि हर 33 मिनट में महिला के विरूद्ध एक अत्याचार अपराध का केस मिलता है। जो कानून के रखवालों के लिए, हमारे प्रजातांत्रिक व्यवस्था में सरकार के लिए, समाज के लिए चुनौती है।

हमारी भारतीय पारिवारिक सामाजिक व्यववस्थाएं नैतिकता एवं संस्कार से प्रेरित है, जिस पर वैश्वीकरण के वर्तमान समय में, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा अनेक निजी टीवी चैनलों के माध्यम से सांस्कृतिक, सामाजिक एवं पारिवारिक विघटन वाले धारावाहिक कार्यक्रमों को बड़ी रकम देकर प्रायोजित किया जाता है। जो परस्पर झगड़े, अलगाववाद, छल -कपट, मादक पदार्थो का उपयोग आदि असामाजिक एवं अनैतिक तत्वों की, विचारों की वृद्धि कर हमारे पारिवारिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्तर पर प्रहार कर रहे हैं। पश्चिमी देशों की संस्कृति जहॉ लिव इन रिलेशनशिप की अवधारणा भारत के महानगरों में स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रही है। जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने भी वैधानिक करार दिया है। महिलाओं में एड्स जैसी घातक बीमारी भी हमारे देश में पाव पसार रही है जो वैश्वीकरण का एक दुष्परिणाम है।

कहा जा सकता है। चिकित्सा - विज्ञान तकनीकि के क्षेत्र मे भी सरोगेट मदर की अवधारणा से भारतीय मॉ की भूमिका को वैश्वीकरण ने रेखांकित किया है।

भारतीय महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु दिशा-

* महिलाओं की समस्याओं के निदान के लिए प्रत्येक राज्य स्तर पर एक विशेष महिला न्यायालय की स्थापना की जानी चाहिए। जहॉ सिर्फ महिलाओं से संबंधित प्रकरणों का त्वरित निराकरण हो।
* महिला हित में बने कानूनों को शक्ति से क्रियान्वयन हो।
* महिलाओं के लिए ग्राम में विद्यालय, महाविद्यालयों में अनिवार्य रूप सें विधिक साक्षरता की कक्षाएं लगाई जाए।

* महिला शिक्षा को रोजगारोन्मुख तथा प्रशासनिक सेवा के पाठ्यक्रमानुसार किया जावे।
* महिला कल्याण एवं विकास के कार्यक्रमों का सही क्रियान्वयन हो।
* कौशल विकास के कार्यक्रमों का सही क्रियान्वयन हो।
* अंधेरी सुनसान जगहों पर लाईट की व्यवस्था हो।
* पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाई जाय जिससे महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध पर काबू पाया जा सकेगा।
* महिलाओं को आत्मरक्षा के गुण (कराटे) विद्यालय महाविद्यालयों में अनिवार्य रूप से सीखाया जाए जिससे महिलाएं अनहोनी परिस्थिति से मुकाबला कर सकेंगी।
* गाड़ियों में काले शीशे लगाने में पूर्णतः पाबंदी हो।
* प्राथमिक विद्यालयों से ही बालिकाओं को 'गुड टच एवं बेड टच' की शिक्षा दी जाए जिससे वे लैगिंक हिंसा, घरेलू हिंसा से बच सके।
* रैम्प पर, धारावाहिक, फैशन जगत, रियलीटी शो, विज्ञापन व संपूर्ण व्यापार जगत में नग्न देह प्रदर्शन प्रतिबंधित हो। इस हेतु कानून बने। हमारी संस्कृति के अनुसार सबका प्रदर्शन हो।
* मीडिया, विज्ञापन देश हित के समाज हित के लिए कार्य करें ऐसे कानूनों का प्रावधान हो। समाज को दिग्भ्रमित कर दिशा हिनता की ओर ले जाने वाले विज्ञापन कार्यक्रमो पर प्रतिबंध किये जावें।
* महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए विविध क्रियाकलापों में मन की पवित्रता, प्रखरता तथा विचारों में सदायता के भाव, भावसंवदेना के प्रकटीकरण हेतु जन समुदाय को साधु संतो के माध्यम से रिफ्रेशर, उन्मुखीकरण का प्रशिक्षण प्रदान किया जावे।
* परिवार संस्थानों में सहयोगात्मक, आदर्शवादी सदाशयता युक्त सामाजिक वातावरण निर्मित करने की आवश्यकता हैं जो कि महिलाओं को सशक्त बनाएं उनके आत्मबल को बढ़ाये।
* महिला सशक्तिकरण हेतु आज ग्रामोत्थान की बहुत आवश्यकता है जिससे मध्ययुग मे जी रही करोड़ो महिलाओं को सशक्त बनाया जा सकेगा।
* महिला की दशा सुधारने हेतु शिक्षा के साथ उनका स्वास्थ्य संरक्षण तथा नशा उन्मूलन आवश्यक है।
* खेत खलिहाने में कार्य करने वाली, सड़क निर्माण करने वाली श्रमिक महिलाओं को प्रौढ़ शिक्षा अभियान से जोड़कर शारीरिक मानसिक विकास आहार एवं पोषण तथा मातृत्व की शिक्षा प्रदान की जाए।

- बगैर पढ़ी लिखी महिलाओं के लिए चौपालों या पंचायत में शिक्षाप्रद वार्ता व्याख्यान देकर उनके ज्ञान को बढ़ाया जाए।
- स्वास्थ्य संरक्षण हेतु आहार एवं पोषण, योग की कार्यशालाओं में सम्मलित कर ग्रामीण महिलाओं तक जानकारी सम्प्रेषित करने की आवश्यकता है।
- परिवारिक सदस्य में आपसी सामंजस्य सहकार, त्याग, सेवाभाव के गुणों के विकास के लिए भागवत कथा, रामकथा, शिवकथा, आदि का आयोजन विविध सामाजिक संगठनों द्वारा किया जाए जिससे संस्कार युक्त वातावरण का निर्माण होने से महिला हिंसा अत्याचार, बलात्कार आदि घटनाओं को सद्विचार क्रांति अभियान से रोका जा सकेगा। जन मानस के विचारों में सदासयता के बीजों का रोपण किया जा सकेगा।

उपरोक्त वर्णित दिशा को अपनाया जाकर वैश्विक परिदृश्य पर महिलाओं को सशक्त बनाया जा सकता है। जिससे 21वीं सदीं में महिलाओं की विभूति एवं वैभव की धमक से परिवार संस्थान मे भी आनंद का भाव समाहित हो सकेगा।

==========

संदर्भ ग्रंथ सूची-

1. https.him.wikipedia.org
2. https//www.jagran.com
3. https//www.chauthiduniya.com2013
4. https//www. Pravakta.com
5. https//www.hindikidunia.com
6. https//www.airo.co.in
7. राजकुमार डॉ. नारी के बदलते आयाम, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस 2005
8. गुप्ता कमलेश कुमार, महिला सशक्तिकरण बुक इनक्लेव, जयपुर।
9. ब्यास, जयप्रकाश, नारी, शोषण ज्ञानदा प्रकाशन 2003
10. चेललग,वैश्वीकरण के दौर में नारी चेतना, कंचन प्रिंटर्स चांपा 2011
11. बघेल, डी.एस. समकालीन भारतीय समाज एवं संस्कृति, कैलाश पुस्तक सदन भोपाल।
12. विश्नोई सरोजबालाश्याग, शिक्षा तथा महिला सशक्तिकरण ऐतिहासिक परिपेक्ष्य वर्तमान दशा एवं भावी दिशा मंगलम् पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स दिल्ली, (भारत) 2012

घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2005 का समाजशास्त्रीय विश्लेषण

* डॉ. (श्रीमती) शाहेदा सिद्दीकी
** मोनिका श्रीवास्तव

भारतीय समाज में महिलाओं की सामाजिक प्रस्थिति पुरूषों की तुम्मना से निम्न होती है एवं लैंगिक आधार भेदभाव किया जाता है। घरेलू हिंसा परिवार में होने वाली हिंसा है जो कि एक सामाजिक समस्या है। घरेलू हिंसा विभिन्न स्वरूपों में व्याप्त है। जैसे शारीरिक, यौनाचार, आर्थिक, गाली गलौच आदि। भारतीय दण्ड संहिता व्यापक रूप से सभी प्रावधानो को सम्मलित नहीं करती है। अतः घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 भारत की संसद द्वारा पारित एक ऐसा अधिनियम है जो किसी दोषी द्वारा किसी भी रूप में दी जाने वाली हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा करती है। 21वीं सदी जो कि उत्तर आधुनिक समाज कहलाता है इसमें इस प्रकार के अधिनियम महिला सशक्तीकरण की दिशा में सकारात्मक प्रयास है एवं भारत देश में महिलाओं के विरूद्ध होने वाले सभी प्रकार के शोषण, अत्याचारों व दमन से सुरक्षा प्रदान करते है। कानून के साथ-साथ समाज की भी यह जिम्मेदारी है कि महिलाओं के विरूद्ध घरेलू हिंसा से सजग रहे एवं उनके सामाजिक अधिकार प्रदान कर महिलाओं का सशक्तीकरण करें।

प्रस्तावना– वर्तमान में समाज को उत्तर आधुनिक समाज कहा जाता है। छोटे-छोटे आन्दोलनों का उभरना उत्तर आधुनिक समाज की विशेषता है। सम्पूर्ण विश्व में 1970 के महिला आन्दोलनों का जन्म हुआ। हमारे देश का इतिहास बताता है कि मध्यकाल से महिलाओं की सामाजिक स्थिति में पतन हुआ है तथा हमारे देश में लैंगिक आधार पर सामाजिक भेदभाव की स्थिति उत्पन्न हुई है।

सामाजिक प्रस्थिति के आधार पर कहा जा सकता है कि हमारे देश में पुरूषों की तुलना में महिलाओं की प्रस्थिति निम्न होती है। लैंगिक भेदभाव के पीछे सामाजिक कारण उत्तरदायी होते है। घरेलू हिंसा एक प्रकार से परिवार में होने

==========

* सह प्राध्यापक, समाजशास्त्र विभाग, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा
** शोध छात्रा, समाजविज्ञान, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

वाली हिंसा है जिसका शिकार कोई भी परिवार का सदस्य जैसे वृद्धजन, बच्चे, पुरूष एवं महिलाऐं हो सकती है। लेकिन इस प्रकार की हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित महिलायें होती है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में सर्वप्रथम घरेलू हिंसा को इस तरह से परिभाषित किया गया जो कि आई.पी.सी. द्वारा पूर्व तरीके से सम्मलित नही थी एवं उनसे सम्बन्धित प्रावधानों को सम्मलित किया गया।

घरेलू हिंसा– घरेलू हिंसा का संबंध परिवार में होने वाली हिंसा से है चूंकि परिवार ही किसी समाज की मूलभूत इकाई होता है। एवं परिवार समाज की आधारभूत संस्था है इसीलिये घरेलू हिंसा पारिवारिक समस्या के साथ-साथ एक सामाजिक समस्या भी है।

घरेलू हिंसा अधिनियम सेक्सन 3 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया कि वह सभी शारीरिक एवं मानसिक दुर्व्यवहार जो महिलाओं के प्रति उनके पति रिश्तेदार या साथी (पुरूष एवं महिला) द्वारा किये जाते है वह इसमें सम्मलित माने जाते है।

अध्ययन का उद्देश्य–

1. महिलाओं में घरेलू हिंसा होने के कारणों का पता लगाना।
2. घरेलू हिंसा से महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने हेतु नियमों की जानकारी देना।
3. महिलाओं को घरेलू हिंसा के विरूद्ध अपने अधिकारों के प्रति सजग करना।

घरेलू हिंसा में वह सभी दुर्व्यवहार, व्यवहार सम्मलित होते है जो कि शारीरिक एवं मानसिक होते है। शारीरिक दुर्व्यवहार अर्थात शारीरिक पीड़ा अपहानि या जीवन या अंग या स्वास्थ्य को खतरा या लैंगिक दुर्व्यवहार अर्थात महिला की गरिमा का उल्लंघन अपमान या तिरस्कार करना अतिक्रमण करना मौखिक या भावनात्मक दुर्व्यवहार अर्थात अपमान, उपहास, गाली देना या आर्थिक दुर्व्यवहार अर्थात आर्थिक या वित्तीय संसाधनों जिसकी वह हकदार है से वंचित करना मानसिक रूप से परेशान करना में सभी घरेलू हिंसा कहलाते है।

शोध प्रविधि– शोध प्रविधि वर्णात्मक है।

घरेलू हिंसा और उसके विरूद्ध घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के बारे में विस्तृत व्याख्या-

घरेलू हिंसा अधिनियम की आवश्यकता– आवश्यक है महिलाओं से सम्बन्धित कानून जो कि आई.पी.सी. धारा 498 द्वारा पूर्ण से सम्मलित नही होते थे। उन प्रावधानों को इस अधिनियम में पहली बार विस्तार पूर्वक सम्मलित किया गया। इस कानून में सभी प्रकार के दुर्व्यवहार चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक एवं पति, रिश्तेदार या साथी (पुरूष एवं महिला) किसी के द्वारा दिये गये हो उन्हे

इस दायरे में शामिल करता है। समय को देखते हुए वास्तव में यह अधिनियम महिला सशक्तीकरण के लिए आवश्यक है।

घरेलू हिंसा अधिनियम का सामाजिक महत्व– सामाजिक प्रस्थिति एवं भूमिका में सुधार हेतु भारतीय समाज में महिलाओं की प्रस्थिति निम्न होती है एवं उनका शोषण किया जाता है। अतः यह अधिनियम महिलाओं की सामाजिक प्रस्थिति भूमिका में उत्थान हेतु सहायक होगा।

- **लैंगिक भेदभाव समाप्त करने में सहायक**– भारतीय समाज में लिंग के आधार पर महिलाओं को नीचा समझा जाता है अतः यह अधिनियम इस प्रकार के लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने में सहायक होगा।
- **मानवाधिकार रक्षा हेतु**– महिलाओं के जो मानवाधिकार है विशेषतः जीवन, समानता एवं स्वतंत्रता उन्हे संरक्षित करता है।
- **संवैधानिक अधिकारों की रक्षा हेतु**– संविधान में वर्णित आर्टिकल 14 व 15 के लिए मजबूती प्रदान करता है। यह अधिनियम विस्तृत रूप से किसी भी रूप में की गई हिंसा से सुरक्षा प्रदान करता है।

घरेलू हिंसा अधिनियम 2005– घरेलू हिंसा की जघन्यता को देखते हुए (2005) 13 सितम्बर 2005 में भारतीय संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसका उद्देश्य घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाना है। जम्मू कश्मीर को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में 26 अक्टूबर 2006 को यह कानून लागू किया गया। घरेलू हिंसा की परिभाषा में तय की गई हिंसा हो चुकी हो, की जा रही हो या की जाने वाली हो इससे संबंधित सूचना कोई भी व्यक्ति संरक्षण अधिकारी को दे सकता है। जिसके लिए सूचना देने वाले व्यक्ति पर किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी तय नही की जाएगी। यह भारत में पहला ऐसा कानून है जो महिलाओं को अपने घर में सम्मान से रहने का अधिकार देता है।

घरेलू हिंसा विरोधी कानून के तहत पत्नी या फिर बिना विवाह के किसी पुरूष के साथ रह रही महिला से मारपीट, यौन शोषण आर्थिक शोषण या फिर अपमान जनक भाषा के प्रयोग की परिस्थिति में कार्यवाही कर सकती है। इस प्रकार कानून के दायरे में मामला आने के वाद निपटाने की सीमा भी तय की गई है। जिसके अन्तर्गत मजिस्ट्रेट को 60 दिन के अन्तर्गत फैसला करना होता है तथा पीड़ित महिला को निःशुल्क कानूनी सहायता दी जायेगी इस अधिनियम में कुल 37 धारायें है 05 अध्याय है।

घरेलू हिंसा अधिनियम की आलोचना– कुछ पुरूष संघ जैसे सेव इण्डियन फैमिली फाउण्डेशन का मानना है कि कुछ महिलाओं के द्वारा इस तरह

के कानून का दुरूपयोग किया जाता है एवं पुरूषों के लिए इस तरह के कानून क्यों नही है। इनका मानना है कि अत्याचार या हिंसा महिलाओं व पुरूषों दोनों पर होती है।

* कुछ महिलाओं द्वारा लाभ के लिए गलत शिकायत की जा सकती है जैसे कि दहेज एवं अन्य मामलों में उजागर होता है।
* कुछ महिलाओं द्वारा पति या परिवार वालों को ब्लेकमेल किया जाता है।

निष्कर्ष एवं सुझाव–

1. भारत सरकार द्वारा पारित घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 वास्तव में महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक सार्थक एवं सराहनीय प्रयास है। यह महिलाओं को पारिवारिक व सामाजिक दमन एवं अत्याचारों से बचाता है।
2. यह कानून लैंगिक आधार पर किए जा रहे अत्याचारों एवं शोषण से महिलाओं को बचाने का कानूनी प्रयास है।
3. यह प्रावधान उन सभी दुव्यवहारों जैसे शारीरिक ,मानसिक, लैंगिक, आर्थिक व गाली गलौच आदि से महिलाओं को कानूनी संरक्षण देता है।
4. अतः कानूनी पहल के साथ-साथ समाज की भी यह जिम्मेदारी है कि महिलाओं को सामाजिक आधिकार प्रदान करें एवं महिलाओं के प्रति होने वाली किसी भी रूप में हिंसा के प्रति सजग रहे।

==========

संदर्भ ग्रंथ सूची–

1- http://aajtak.intoday.in/ crime / story / domestic - violence - act - provides - protection - to - women -1 - 851234.html (accessed on 28/04/09)
2- The protection of women from domestic voidance Act,2005 (news.nic.in) Accessed on 28/04/09
3. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 क्रमांक 43 सन् 2005
4. भारत का राजपत्र नयी दिल्ली सितम्बर, 14, 2005 (http://wed.nic.in) Accessed on 25/04/09
5- Madhu Mehta and Miles to go challenges facing women's human right jurnal of Indian law institute. vol no 1998, P 121-122
6- Overview of the protection of women from domestic violence Act 2005 (http://www.-ccrw.org)

महिलाओं मे बढ़ रहा डिप्रेशन-चिंतनीय विषय

* श्रीमती ज्योति बाला चौबे
** डॉ. श्रीमती रुपम अजीत यादव

हमारे समाज में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति बेहद चिंताजनक है। महिलायें चाहे घरेलू हों या कामकाजी हों उन्हें अपनी कार्य स्थिति एवं भूमिकाओं के अनुसार दायित्व निर्वहन करना ही होता है। परिवार में सभी की सेहत के प्रति सजग महिलायें आज तेजी से अवसाद ग्रस्तता की चपेट में आ रही हैं। इंडियन जरनल ऑफ सायकियाट्री में प्रकाशित एक शोध रिपोर्ट बताती है कि डिप्रेशन महिलाओं के जीवन की प्रत्येक अवस्था से जुड़ा हो सकता है चाहे उनका पारिवारिक जीवन हो, कैरियर से जुड़ा हुआ जीवन हो या फिर सामाजिक स्थितियों से जुड़ा हुआ। उपरोक्त सभी जीवन से जुड़े अतिशय दबाव, स्वयं से की गई अत्यधिक प्रत्याशायें, दोहरे उत्तरदायित्व महिलाओं में डिप्रेशन को तेजी से बढ़ा रहें हैं जो कि हमारी आगामी पीढ़ी के लिये भी एक चिंतनीय विषय है।

अत्यंत ही सार्थक परिभाषा जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा बताई गई है :- उसके अनुसार स्वास्थ्य का संबंध केवल व्यक्ति में रोगों की अनुपस्थिति का होना ही नहीं है, बल्कि व्यक्ति के शारीरिक के साथ साथ मानसिक एवं सामाजिक स्वास्थ्य की सकारात्मक स्थिति से भी है।

विश्व स्वास्थ्य संगंठन की ये परिभाषा बहुत ही सामयिक एवं महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे समाज में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति बेहद चिंताजनक है । एक सर्वे के अनुसार मेट्रो मे रहने वाले हर दस पेशेवर लोगों मे से 4 व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हैं।

प्रो. कैमरॉन के अनुसार डिप्रेशन व्यक्ति की ऐसी "भाव-जन्य अस्वस्थता है" जो व्यक्ति मे आत्म-अवमूल्यन, निराशा, चिंता, हीनता एवं स्वयं की निरर्थकता से संबंधित हो सकती है। "

==========

* सहायक प्राध्यापक, गृह विज्ञान मानव विकास, महिला महाविद्यालय से. 9 भिलाई
** सहायक प्राध्यापक, गृह विज्ञान आहार एवं पोषण, महिला महाविद्यालय से. 9 भिलाई

महिलायें चाहे कामकाजी हों या घरेलू, जीवन की अलग अलग अवस्थाओं मे उन्हें भूमिकाओं की विविधताओं का निर्वहन करना पड़ता है। परिवार के प्रत्येक सदस्य की सेहत का ध्यान रखने वाली माता एवं पत्नी के रुप में, मित्र एवं संरक्षिका के रुप में, व्यवसायी या उद्यमी के रुप में वे भूमिकाओं का निर्वहन कर रही हैं । एक महिला ना केवल पारिवारिक वरन सामाजिक रिश्तों की भी धुरी है। ये भूमिकायें प्रत्येक महिला को आत्म गौरव प्रदान करती है किंतु भावात्मक आघात उन्हें तब पहुंचता है जब वे स्वयं को भूमिकाओं की जटिलताओं में पाती हैं एवं स्वयं को छला हुआ महसूस करती हैं।

शारीरिक अस्वस्थताओं के साथ साथ महिलाओं में मानसिक अस्वस्थता संबंधी आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं, दोहरी जिम्मेदारियों के दरवाजे पर खड़ी महिला जब घरेलू स्तर पर उपेक्षित एवं दोयम दर्जे पर रखी जाती है तो उसका मानसिक रुप से विचलित होना स्वाभाविक है।

शहरों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की स्थिति अधिक शोचनीय है। मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरुकता में कमी के कारण प्रतिबंधों के साथ साथ आत्म अभिव्यक्ति की कमी के फलस्वरुप वे नीम हकीमों के जाल में उलझ जाती हैं। शोध अध्ययन बताते हैं कि पुरुषों की तुलना मे महिलाओं में शारीरिक के साथ साथ मानसिक बीमारियाँ कहीं अधिक पायी गई है वर्तमान में लगभग 55-57 प्रतिशत महिलायें मानसिक अस्वस्थता से ग्रस्त हैं।

डब्ल्यू. एच.ओ. की सन 2018 की रिपोर्ट के अनुसार इस समय देश में करीब 5 करोड़ 60 लाख लोग अवसाद से पीड़ित हैं, जबकी 3 करोड़ 80 लाख लोग चिंता संबंधी असामान्यता एवं असुरक्षा संबंधी अन्य विकारों से ग्रस्त हैं।

यूनाइटेड नेशन्स की एक रिपोर्ट के अनुसार- भारत में दो तिहाई घरेलू महिलायें हिंसा की शिकार हैं शोध आंकड़े बताते हैं कि अपनों से मिलने वाला कटुतापूर्ण व्यवहार उन्हें भावनात्मक रुप से तोड़ देता है । कामकाजी महिलायें ऐसे व्यवहार नही झेलतीं , ऐसा नहीं है, हकीकत बतलाती है कि नौकरी करने वाली महिलायें घर पर रहने वाली महिलाओं कि तुलना में पति की ज्यादतियों की शिकार अधिक होती हैं यही कारण है, महानगरों में रहने वाली कामकाजी महिलाओं में भी मानसिक अवसाद अधिक देखने को मिल रहा है।

इंडियन जरनल ऑफ सायकियट्री में प्रकाशित एक शोध रिपोर्ट नीना बोहरा, श्रुति श्रीवास्तव एवं एम.एस.भाटिया- अवसाद महिलाओं के जीवन की प्रत्येक अवस्था से जुड़ा हो सकता है चाहे वह उनका सामाजिक जीवन हो , कैरियर लाइफ हो या स्वयं के जीवन लक्ष्य एवं खुद से की गई प्रत्याशायें ही क्यों न हों। इन सामाजिक दबावों के साथ साथ महिलाओं के प्रजनन हार्मोन्स से जुड़े हुए सभी

कारक भी जिम्मेदार हो सकते हैं चार प्रकार के डिप्रेशन प्रमुखत: देखे जाते हैं -

1. Pre-Menstrual Dysphoric- मासिक धर्म के पूर्व उत्पन्न होने वाला अवसाद।
2. Parinatal Depression- प्रेग्नेंसी के दौरान उत्पन्न होने वाला अवसाद ।
3. Post Partum Depression- जो कि बेबी के जन्म के, एवं इसके पश्चात देखा जाता है।
4. Menopausal Depression - रजोनिवृत्ति के पश्चात होने वाला अवसाद।

उपरोक्त चारों ही प्रकार के डिप्रेशन मूड स्विंग्स,उदासी एवं असुरक्षा की भावना को जन्म देते हैं पेराइनेटल डिप्रेशन में महिला के शरीर की आकृति का बेडौल होना वजन बढ़ना-गर्भावस्था में इस कारण चिंताओं एवं आशंकाओ को जन्म देता है।

डिप्रेशन से पीड़ित महिला अपने कार्य पर जाना नहीं चाहती है ना तो वह अपने परिवार के दायित्वों के प्रति रुचि दिखाती है और ना ही व्यवस्थाओं के प्रति जागरुक व उत्साहित रहती है बल्कि अपनी कुशंकाओ, बेचैनी एवं निराशाजनक भावनाओं एवं व्यवहारों में ही बनी रहती है , यह अवसाद अपने गंभीर रुप में व्यक्ति को आत्म हत्या जैसे कदम भी उठाने को मजबूर कर सकता है।

डब्ल्यू. एच. ओ. के अनुसार गंभीर स्थितियां अवसाद के कारण बढ़ रही हैं 15 से 30 वर्ष की उम्र में मृत्यु के लिये सुसाइड दूसरा महत्वपूर्ण कारण बन गया है जिसका मूल अवसाद ही है।

एसोसियेटेड चेंबर्स ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा 21 से 50 वर्ष की कामकाजी महिलाओं पर उनके कार्य घंटे, उनके दबाव , संतुलन एवं समायोजन के संदर्भ में सर्वे किया गया था। सर्वे मे पाया गया कि 68% महिलाओं में अस्त -व्यस्त जीवन शैली के कारण उत्पन्न शारीरिक व्याधियाँ जैसे मोटापा, डायबिटीज़, थायराईड संबंधी समस्या एवं हाइपरटेंशन जैसी अस्वस्थतायें पाई गयीं ।

कार्य घंटो की लंबी अवधि में कार्य करना, अपने समय पर भोजन न करना, अति व्यस्तताओं के कारण जंक फूड लेना, कार्य का दबाव बने रहना ये सब कारण एक सीमा के बाद महिलाओं में अवसाद का कारण बन रहे हैं। यांत्रिकीकरण व औद्योगिकीकरण के साथ साथ भौतिकवादिता की होड़ में जब व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्ति में असफलतायें मिलती हैं तब वह स्वयं को तुलनात्मक रुप से हीन समझने लगता है, कभी कभी अति-प्रतिद्वंदिता की दौड़ में व्यक्ति अपने कर्तव्यों की भी अनदेखी कर देता है किंतु बाद में यही उसमे अपराध बोध का कारण बन जाता है ये सभी कारण मिलकर व्यक्ति में आत्म-अवमूल्यन (Self-Devaluation), की भावना को जन्म देते है यही भग्नाशा व्यक्ति को अवसाद

तक ले जाती है। संवेदन शीलता के कारण महिलायें इस स्थिति से शीघ्र ही प्रभावित हो रही हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगंठन के अनुसार सन 2020 तक भारत में अवसाद दुनिया की सबसे बडी मानसिक व्याधि होगा। अवसाद आज के समय का एक कॉमन मानसिक विकार है परन्तु इसे हमें गंभीर रुप लेने से पूर्व ही रोकना होगा। अतिचिंता, असुरक्षा, असहाय महसूस करना, घबराहट, कुशंकायें, अकारण संदेह, आत्म ग्लानी जैसी भावनाएं लंबे समय तक बने रहने के पूर्व ही, परिवार के सदस्यों से छिपाना गलत होगा।

डिप्रेशन का निदान एवं उपचार संभव है किन्तु उपचार की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि लक्षण कितने पुराने एवं गंभीर हैं। इस उपचार हेतु सह-मनोचिकित्सा Supportive Psychotherapy, अल्पावधि मनोचिकित्सा Short Term Psychotherapy, व्यवहार परिमार्जन विधि Behaviour Modification Techniques, के साथ साथ प्रशांतक औषधियाँ भी मनोरोग विशेषज्ञों के द्वारा उपचार हेतु दी जाती हैं। इस दिशा में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। संबंधित समस्या के निदान व परामर्श हेतु NIMH [National Institute of Mental Health , की वेबसाइट भी उपलब्ध है। इस हेतु त्वरित रुप से मनोविशेषज्ञ, काउंसलर या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से परामर्श लेना आवश्यक होगा। सही समय पर लक्षणों को पहचानते हुये उपचार प्रारंभ होने पर निश्चित रुप से महिला अपने सामान्य व्यवहार की ओर वापस आ सकती है एवं जीवन में चाहे वह पारिवारिक जीवन हो या व्यवसायिक अपने कार्य व्यवहार में संतुलन ला सकती है ।

महिलाओं में बढ़ते हुए तनाव व अवसाद से ना केवल घर, परिवार एवं कार्यस्थल वरन समाज भी प्रभावित हो रहा है अतः महिलाओं के स्वास्थ्य की इस दिशा मे विचार किया जाना अत्यंत आवश्यक होगा ताकि वे अपने कार्य दायित्वों को गुणात्मकता के साथ पूर्ण कर सकें एवं एक स्वस्थ दृष्टिकोण के साथ कार्य स्थल एवं परिवार के बीच में संतुलन कायम कर सकें।

==========

संदर्भ ग्रंथ सूची-

1. असामान्य मनोविज्ञान, लेखक डॉ. पी. के. तिवारी एवं डॉ. के. सी. वशिष्ठ, साहित्य प्रकाशन आगरा, पेज नं.-141, 64
2. https//www.nayimanzil.com
3. https//www.psycom.net
4. https//www.wedmd.com .web MD
5. https//www.ncbi.nlm.nih.gov

6. https//www.who.int
7. https//www.nimh.nih.gov
8. Abnormal Psychology [page no.- 254, 255]
Author- James Coleman,
Scott Foresman and company Oakland,
Library of Congress Cataloging in Publication Data.

बस्तर जिले में आदिवासी महिला उत्पीड़न का अध्ययन

* सियालाल नाग

बस्तर जिले में आदिवासी महिलाओं की स्थिति चिन्ताजनक व निराशाजनक का अनुमान, महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध, हिंसा व बलात्कार जैसी जघन्य घटनाओं से लगाया जा सकता है।

आज समाज में सभी स्वीकार करते हैं कि इन अत्याचारों को रोकने के लिए महिला सशक्तीकरण का अभियान तीव्रता से चलाना चाहिए। पहले यह विचार था कि जो महिला किसी उच्च पद पर है तो उसे कोई नहीं उत्पीड़त कर पाता है। लेकिन गरीब से अमीर, निरक्षर से लेकर साक्षर सभी महिलायें घरेलू हिंसा के सम्भावित भय से मुक्त नहीं है। विधायिका में प्रतिनिधित्व के अतिरिक्त जो जरूरी मुद्दे महिला सशक्तीकरण के हैं, उनमें बालिकाओं की शिक्षा के लिए विशेष योजनायें, शिशु-कन्या की हत्या या भ्रूण हत्या पर रोक, महिला के सम्पत्ति के अधिकार का क्रियान्वयन, नौकरियों में महिलाओं के लिए अलग से प्रावधान रखना, पुत्र पैदा न होने अथवा बांझ होने पर महिला उत्पीड़न से संरक्षण देना, बालश्रम की भांति महिला श्रम में भी मानदण्ड तय करना, महिलाओं को परिवार नियोजन की सुविधायें उपलब्ध करना, मुत माध्यमिक शिक्षा को बढ़ाकर उच्च शिक्षा तक करना आदि बातें शामिल हैं। 21वीं सदी में भी हम शिशु कन्याओं की हत्याओं को नहीं रोक पाये हैं। आदिवासी महिला उत्पीड़न को रोकने के लिए सरकार द्वारा शिक्षा को बढ़वा दे एवं समाज को सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है।

बस्तर– भारत सरकार के असाधारण राजपत्र भाग दो, अनुभाग तीन, उप अनुभाग (1) दिनॉक 20 फरवरी छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित अनुसूचित क्षेत्र परिभाषित किये गये है, बस्तर जिला सम्पूर्ण है।

अध्ययन क्षेत्र– अध्ययन क्षेत्र के रूप में मध्य बस्तर के बस्तर जिले का चयन किया गया, जहां आदिवासी महिला उत्पीड़न की समस्या है। जिसका समाधान करना आवश्यक है।

---

* अथिति प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान अध्ययनशाला, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर

बस्तर जिले की संक्षिप्त जानकारी–

बस्तर जिले में 07 तहसील है, जिसमें जगदलपुर, बस्तर, बकावण्ड़, बास्तानार, दरभा, लौहाण्ड़ीगुड़ा, तोकापाल है। विकासखण्ड़ 07 है जो इस प्रकार जगदलपुर, बस्तर, बकावण्ड़, बास्तानार, दरभा, लौहाण्ड़ीगुड़ा, तोकापाल, शहर जगदलपुर, कुल ग्राम 618, आबाद ग्राम 603, राजस्व ग्राम 572, ग्राम पंचायतों की संख्या 317, राजस्व निरीक्षक वृत्त 12, पटवारी हल्कों की संख्या 164, नगर निगम जगदलपुर, जनपद पंचायत 07 है। इसमें जगदलपुर, बस्तर, बकावण्ड़, बास्तानार, दरभा, लौहाण्ड़ीगुड़ा, तोकापाल इत्यादि है। जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या 1,411,644 (कोण्ड़ागॉव सम्मिलित) है, पुरूष जनसंख्या 697,359 (कोण्ड़ागॉव सम्मिलित) है, महिला जनसंख्या 714,285 (कोण्ड़ागॉव सम्मिलित) है। मुख्य डाकघर जगदलपुर, जनगणना 2011 के अनुसार साक्षर

पुरूष 387,907 (कोण्ड़ागॉव सम्मिलित), साक्षर महिलाए 270,680 (कोण्ड़ागॉव सम्मिलित) है। बस्तर जिले में आदिवासीयों की जनसंख्या महिला एवं पुरूष कुल 5,20779 है।

आदिवासी महिला उत्पीड़न–

भारत का एक नवोदित राज्य छत्तीसगढ़ मध्य दक्षिण पूर्व में स्थित है। इस छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में आदिवासी महिला उत्पीड़न के लिये आज समाज में महिलाओं की स्थिति सोचनीय हैं,। आदिवासी महिलाओं के साथ छेड़छाड़, अश्लीलता, बलात्कार, जैसी जघन्य उत्पीड़न का शिकार होते है। बस्तर जिले के अधिकांश पुलिस थानों एवं जेलों में महिला पुलिसकर्मी नहीं हैं। पुलिसिया व्यवहार से त्रस्त होकर पीड़िता को अपमानित करना या उनका शोषण करवाना उनके कार्यो में शामिल हो जाता है। स्त्री सुधार गृह, नारी निकेतन, महिला कल्याणार्थ खोला गया तथाकथित स्वंयसेवी संस्थाऍ आज नारी शोषण का केन्द्र बन चुकी है।

महिलाओं से संबंधित कानून–

संविधान के अनुच्छेद 14 में कानूनी समानता, अनुच्छेद 15 (3) में जाति, धर्म, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव न करना, अनुच्छेद 16 (1) में लोक सेवाओं में बिना भेदभाव के अवसर की समानता, अनुच्छेद 19 (1) में समान रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 में स्त्री एवं पुरूष दोनों को प्राण एवं दैहिक स्वाधीनता से वंचित न करना, अनुच्छेद 23-24 में शोषण के विरूद्ध अधिकार समान रूप से प्राप्त, अनुच्छेद 29-30 में शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 29 (घ) में पुरूषों एवं स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेंतन का अधिकार, अनुच्छेद 40 में पंचायती राज्य संस्थाओं में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से आरक्षण की व्यवस्था, अनुच्छेद 41 में बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और अन्य अनर्ह अभाव की दशाओं में सहायता पाने का अधिकार, अनुच्छेद 42 में महिलाओं हेतु प्रसुति सहायता प्राप्ति की व्यवस्था, अनुच्छेद 47 में पोषाहार, जीवन स्तर एवं लोक स्वास्थ्य में सुधार करना सरकार का दायित्व है, अनुच्छेद 51 (क) (ड) में भारत के सभी लोग ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरूद्ध हों, अनुच्छेद 33 (क) में प्रस्तावित 84वें संविधान संशोधन के जरिए लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था, अनुच्छेद 332 (क) में प्रस्तावित 84वें संविधान संशोधन के जरिए राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। गर्भावस्था में ही मादा भ्रूण को नष्ट करने के उद्देश्य से लिंग परीक्षण को रोकने हेतु प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994

निर्मित कर क्रियान्वित किया गया। इसका उल्लंघन करने वालों को 10-15 हजार रूपए का जुर्माना तथा 3-5 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। दहेज जैसे सामाजिक अभिशाप से महिला को बेचने के उद्धेश्य से 1961 में, दहेज निषेद अधिनियम, बनाकर क्रियान्वित किया गया। वर्ष 1986 में इसे भी संशोधित कर समयानुकूल बनाया गया।

विभिन्न संस्थाओं में कार्यरत महिलाओं के स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रसूति अवकाश की विशेष व्यवस्था, संविधान के अनुच्छेद 42 के अनुकूल करने के लिए 1961 में प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम पारित किया गया। इसके तहत पूर्व में 90 दिनों का प्रसूति अवकाश मिलता था। अब 135 दिनों का अवकाश मिलने लगा है।

अब जातिगत भेदभाव के केस में फंसने वालों की मुश्किलें और बढ़ने वाली है। संशोधित एसएसटी एक्ट के तहत अब दलित और आदिवासियों के खिलाफ होने वाले अपराध के मामले में आरोपी को ही साबित करना होगा, कि वो दोषी नहीं है। संशोधित एक्ट के मुताबिक, कोर्ट यह मानकर चलेगा कि आरोपी अगर पीड़ित या उसके घरवालों का परिचित है तो उसे पीड़ित की जाति के बारे में जानकारी थी, जब तक कि इसका उलट सबित न हो जाए। इससे पहले तक शिकायतकर्त्ता पर ही सबूत देने की जिम्मेदारी थी।

क्या है कानून में -

संशोधित एक्ट में 17 नए अपराधों को शामिल किया गया है, जिसके आधार पर छह महीने से लेकर पॉच साल तक की कैद हो सकती है। इनमें 'अनुसूचित जाति के लोगों या आदिवासियों के बीच उंचा आदर हासिल करने वाले' किसी मृत शख्स का अनादर भी शामिल है।

अध्ययन का महत्व-

छत्तीसगढ़ राज्य का एक वनवासी क्षेत्र बस्तर जिला जिसमें से अधिकांश जनसंख्या गहन वन, पहाड़ी क्षेत्र, दुर्गम या पहुंच विहीन क्षेत्रों में रहते है। बस्तर जिले में महिलाओं का सम्बन्ध घूमने-फिरने की आजादी, कानून के समक्ष समानता, निर्दोषिता की धारणा, विवेक तथा धर्म की आजादी, मत तथा अभिव्यक्ति, शान्तिपूर्वक संगठित होने की आजादी संगति की आजादी, सार्वजानिक मामलों और निर्वाचनों में भाग लेना तथा अल्पसंख्यकों के अधिकार से है। यह स्वेच्छाचारिता के जीवन से वंचित करने, उत्पीड़न या क्रुर अथवा निम्नस्तरीय व्यवहार या दण्ड़, दासता तथा बेगार, मनमानी गिरतारी या नजरबन्दी और एकान्तिकता में मनमाना व्यवधान, युद्ध प्रचार तथा भेदभाव या हिंसा को प्रोत्साहन देने वाली जाति या घृणा को समर्थित करने का निषेध करता है।

संविधान में आदिवासी महिलाओं के हितों की रक्षार्थ विभिन्न प्रावधान किये है लेकिन महज कानून किसी भी सामाजिक व्यवस्था के रूपांतरण में विशेष मदद नही कर सकते, जब तक कि उनकी सम्यक क्रियान्विति नही है और जिनके प्रति जन-जन में जागरूकता न हो। अपने में बदलाव लाने की व्यक्तिगत और समष्टिगत दृढ़ संकल्प शक्ति न हो। लैंगिक समानता का सिद्धांत भारतीय संविधान के प्रस्तावना, मूलभूत अधिकारों, मूलभूत कर्तव्यों और निर्देशक सिद्धांतों में स्पष्ट रूप में उल्लिखित है। संविधान न केवल आदिवासी महिला समानता की बात करता है, बल्कि राज्यों को आदिवासी महिलाओं के पक्ष में विभेदकारी नीतियॉ बनाने की शक्ति भी प्रदान करना है। हॉल के वर्षो में आदिवासी महिलाओं की स्थिति के निर्धारण में महिला सशक्तिकरण की पहचान केन्द्रीय मुद्धे के रूप में की गयी है। यह पर निवास करने वालों की समस्या भिन्न-भिन्न है। जिसमें से की आदिवासी महिलाओं की स्थिति दयनीय है। सरकार के द्वारा आदिवासी महिलाओं के लिए समय-समय पर योजनाओं का निर्माण किया जाता है, और बस्तर में महिलाओं की सुरक्षा, मानवीय अधिकारों, भ्रूण हत्या, बलात्कार, एवं मानसिक, शारीरिक शोषण की स्थिति कारण एवं अन्य पहलुओं को स्पष्ट करने में महत्पूर्ण भूमिका निर्वाह कर सकता है। इस अध्ययन के द्वारा आदिवासी महिला के संबंध में क्रियान्वयन शासकीय योजनाओं की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। अध्ययन में इनसे संबंधित समस्याओं की पहचान कर सुधार हेतु उचित सुझाव दिया जायेगा जो महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु महत्वपूर्ण सिद्ध होगा।

महिला उत्पीड़न की समस्या-

* महिला उत्पीड़न किसी भी समाज की अवनति का कारक है, एक सीमा से अधिक इसका प्रायोग सर्वथा नुकसानदेय होता है।
* बस्तर जिला की अधिकतर जनसंख्या अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग निवासरत है। जिसमें बाहरी लोगों का सम्पर्क प्रभावित करती है।
* बस्तर जिले के अधिकतर जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। जहां उनकी मूलभूत आवश्यकताएं उपलब्ध नहीं होती है।
* बस्तर जिले में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का सही क्रियान्वयन न होना है।
* बस्तर के नवयुवकों एवं युवतीयों को योग्यता के आधार पर रोजगार न मिलना, जिसके कारण पलायन पर मजबूर होते है।
* बस्तर में शिक्षा का अभाव है, चाहे वह प्राथामिक, माध्यमिक और हाई, हायर स्कूल हो सभी का दयनीय स्थिति है।

* बस्तर जिले की जनसंख्या बाहरी व्यक्तियों से शोषित हो रहा है और बस्तर का अन्दरूनी क्षेत्र भय, पीडा, विवशता एवं दुर्भाग्य का प्रतीक बन गया हैं। 'साल वनों का द्धीप 'बस्तर शनैः शनैः 'बारूद के द्धीप' में तब्दील होता जा रहा है और यहॉ का आम निवासी माओवादियों के 'लाल सलाम' और राजनेताओं' के मध्य अपने मौलिक जीवन की प्रतीक्षा में खून के ऑसू रो रहा है।

आदिवासी महिला उत्पीड़न की समस्या का समाधान–

प्रसिद्ध फ्रांसीसी दार्शनिक तथा लेखक जीन जैक्स रूसो ने आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व लिखा था ''मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है और हर जगह वह जंजीरों में जकड़ा हुआ है।'' अपनी इस सूक्ति में रूसों ने शोषण तथा असमानता के बन्धनों में जकड़े हुए जनसाधारण की स्वतंत्र होने की और स्वाधीनता, आजादी तथा समानता का बेहतर जीवन प्राप्त करने की आकांक्षा को व्यक्त किया था। वास्तव में अनेक सामाजिक विचारक तथा राजनीतिक आंदोलन बहुत समय से मनुष्य को उन जंजीरो से मुक्त कराने का, जिनमें वह जकड़ा रहा है। उन्हें उन अधिकारों का उपभोग करते हुए देखने का प्रयत्न करते रहे हैं, जिन्हें रूसों स्वाभाविक अभिन्न तथा अविभाज्य समझते थे।

छत्तीसगढ़ सरकार ने बस्तर सहित पूरे प्रदेश मे महिला आयोग का गठन किया है। जिससे आदिवासी महिला उत्पीड़न जैसी सामाजिक बुराई की त्रासदी है। जिसमें महिला एवं पुरूष दोनो सम्मिलित है। आदिवासी महिला उत्पीड़न अपसंस्कृति के कारण आम जीवन के शारीरिक एवं मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक एवं सामाजिक तथा बस्तर के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। समाज का महिला वर्ग उत्पीड़न के परिणाम स्वरूप होने वाली त्रासदी का भुक्तभोगी है। बस्तर जैसे जिले में राजस्व प्राप्ति के अनेक संसाधन है। बस्तर मे प्रचुर खनिज सम्पदाएं वनोपज बिजली उत्पादन एवं उद्योग व्यवसाय है। जिसके माध्यम से राजस्व प्राप्त किया जा सकता है, इन्ही तथ्यों के मद्देनजर बस्तर में क्रमबद्ध रूप में आदिवासी महिला उत्पीड़न तथा सामाजिक सहिष्णुता के लिए गंभीर चुनौती साबित होंगे। आदिवासी महिला उत्पीड़न की रोकथाम केवल सरकार, एवं शिक्षा के सहयोग पर ही संभव नही है। अपितु इस दिशा में सामूहिक जवाबदेही भी आवश्यक है।

निष्कर्ष–

सैद्धांतिक और व्यवहारिक तौर पर बस्तर में आदिवासी महिलाओं का उत्पीड़न घोर उल्लंघन देखा जा रहा है। वैसे-वैसे अपराध और उत्पीड़न के कारणों में वृद्वि होती जा रही है, वर्तमान समय में महिलाओं पर हो रहें अत्याचार व शोषण

की दास्तान किसी से छिपी नहीं है चाहे वह राजनीतिक हो या सामाजिक या विभिन्न क्षेत्रों में आदिवासी महिलाओं के साथ हो रहे शोषण व उनके अधिकारों का गहनता के साथ अध्ययन कर आदिवासी महिलाओं की सुरक्षा एवं रक्षा के लिए भारतीय संविधान में उनके विशेष संरक्षण के लिए प्रदान किये है। जिससे आदिवासी महिलाएँ अपने एवं अपने हितों के लिए संघर्ष कर सकें।

==========

संदर्भ ग्रंथ सूची–

1. डॉ. रचना जौहरी, 'महिला उत्पीड़न' अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, 2009
2. डॉ. पुखराज जैन, 'यूनिफाईड राजनीति विज्ञान, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा।
3. लाला जगदलपुरी, 'बस्तर लोक कला संस्कृति' विश्वभारती प्रकाशन, नागपुर 2011
4. सत्यप्रकाश सिंह, 'आमचो बस्तर, 'बस्तर सम्भाग शिक्षादूत ग्रन्थाकार प्रकाशन, रायपुर 2012
5. हीरालाल शुक्ल, 'आदिवासी बस्तर का बृहद इतिहास, बी. आर. पब्लिशिंग कॉरपोरेशन दिल्ली 2007
6. मृणाल पांड़े, स्त्री।
7. नंदिता हक्सर, 'कानून में महिलाओं के लिए दोहरी मान्यताये'।
8. वेरियर एलविन, 'मुरिया और उनका घोटुल' राजकमल प्रकाशन लिमिटेड़ ,नई दिल्ली 2008

पंचायती राज में महिलाओं की भूमिका

* डॉ. निशा सिंह

स्वायत्तशासी संस्थायें लोकतंत्र का मूल आधार हैं। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना तभी मानी जाती है जबकि देश के निचले स्तरों तक लोकतांत्रिकी संस्थाओं का प्रसार किया जाये एवं उन्हें स्थानीय विषयों का प्रशासन चलाने में स्वतंत्रता प्राप्त हो। वस्तुतः ये संस्थायें ही लोकतंत्र की सर्वश्रेष्ठ पाठशाला एवं लोकतंत्र की सर्वश्रेष्ठ प्रत्याभूति हैं। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। पंचायती राज, लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का एक रूप है, जिसमें लोगों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करके पूर्व-निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये प्रयास किये जाते हैं। अच्छी शासन-व्यवस्था के मुख्य लक्ष्यों के अंतर्गत व्यवस्था को अधिकाधिक क्षमतावान बनाने हेतु जन-आवश्यकताओं को पूर्ण करना, जन-समस्याओं का निराकरण, तीव्र आर्थिक प्रगति, सामाजिक सुधारों की निरंतरता, वितरणात्मक न्याय एवं मानवीय संसाधनों का विकास आदि शामिल हैं।

पंचायती राज की स्थापना के उद्देश्य एवं भारतीय संदर्भ में इसके विकास के संक्षिप्त विवरण के साथ-साथ पंचायती राज में महिलाओं की भूमिका के विश्लेषण का महत्वपूर्ण स्थान है। विश्व आज सहस्त्राब्दिक परिवर्तनों की ऐसी दहलीज पर खड़ा है, जहॉ उसे चयन और चुनौतियों की व्यूह-रचना का सामना करना पड़ रहा है। विश्व को आज मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही प्रकार के परिवर्तनों का सामना करना पड़ रहा है। मात्रात्मक परिवर्तनों का संबंध आर्थिक और तकनीकी विकास के साथ है, जबकि गुणात्मक परिवर्तनों का संबंध भिन्न मूल्यों और लोकाचार से अनुशासित नये समाज के प्रतिमान के साथ है। जहॉ मनुष्य 'परभक्षी, प्रदूषक और उपभोक्ता' की बजाय 'संरक्षक तथा उत्पादक' की भूमिका का निर्वाह करें। इन परिस्थितियों में, महिलाओं से इस शताब्दी के अंतिन दौर में एक विशेष प्रकार की भूमिका की अपेक्षा की जा रही है। महिलाओं के

==========

* जनभागीदारी शिक्षक, समाजशास्त्र विभाग, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

बारे में अध्ययनों और आंदोलनों का केन्द्र बिन्दु अब मानव हित में 'नारी-मुक्ति' से हटकर 'महिलाओं को अधिकार' देने पर केंद्रित हो गया है। विकास और आधुनिकीकरण के साथ-साथ लिंग समानता की अवधारणा को सामाजिक परिवर्तन का सर्वप्रमुख मुद्दा माना जा रहा है। महिलाओं को न केवल आर्थिक विकास में समान भागीदार बनाने पर बल दिया जा रहा है, अपितु उन्हें प्रत्येक मोर्चे पर 'समान' समझने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इसके साथ-साथ महिलाओं की पुरूषों के समान राजनीतिक सहभागिता का प्रश्न भी विश्व की आधुनिक सभ्यता का सर्वप्रिय चर्चित विषय है।

महिलाओं को अधिकार की अवधारणा विकासशील समुदायों में भी अधिक लोकप्रिय है। विकासशील देशों का नारी आंदोलन मुख्य रूप से सामाजिक-आर्थिक मुद्दों पर आधारित है। भारत भी इसका अपवाद नहीं है। भारत में संविधान लागू होते ही महिलाओं को समान राजनीतिक अधिकार एवं नागरिक स्वतंत्रता मिल गई। हमारे संविधान में न केवल 'कानून के सामने समानता' और 'समान कानूनी संरक्षण' की गारण्टी दी गई है, बल्कि राज्य को ऐसे अधिकार भी दिये गये हैं कि वह भारत में महिलाओं के हितों को बढ़ावा देने के लिये रचनात्मक उपाय करें। साथ ही प्रत्येक नागरिक का यह मूलभूत कर्त्तव्य बताया गया है कि वह महिलाओं की गरिमा के प्रतिकूल पद्धतियों का त्याग करे। संवैधानिक आदेश को पूरा करने के लिये भारतीय संसद ने अपने सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने, चिंतन, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और पूजा की स्वतंत्रता प्रदान करने, सामाजिक स्तर और अवसर की समानता देने और सभी नागरिकों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देने, व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने के लिये समय-समय पर विभिन्न कानून बनाये है। संसद में महिलाओं के साथ सामाजिक भेदभाव दूर करने और उन पर अत्याचार एवं हिंसा की रोकथाम के विरूद्ध विधायी प्रस्ताव भी पारित किये हैं। कानून के ढाँचे में महिलाओं और उनकी विशेषताओं, आवश्यकताओं का पर्याप्त ध्यान रखा गया है। इस प्रकार भारत का संविधान नारी हितों की दिशा में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है।

भारत में सरकार का बुनियादी दृष्टिकोण, सामाजिक क्षेत्र में कल्याण नीतियों के तहत महिलाओं को लक्ष्य बनाने का रहा है। 1974 तक की पंचवर्षीय योजनाओं में महिलाओं संबंधी मुद्दों में कल्याणोन्मुखी पहलू पर बल दिया गया। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महिलाओं के 'कल्याण' की बजाय उनके विकास पर बल दिया जाने लगा। छठी पंचवर्षीय योजना में, महिलाओं के विकास के बारे में पृथक् अध्याय जोड़ा गया, जिसमें उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार

के उपाय किये गये। सातवीं पंचवर्षीय योजना में महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक स्तर को ऊँचा उठाने तथा उन्हें राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया। आठवीं पंचवर्षीय योजना के तहत विशेष कार्यक्रम तैयार करने की आवश्यकता महसूस की गई ताकि विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे विकास के लाभ से महिलायें वंचित न रहें। इस प्रकार 'विकास' की बजाय महिलाओं को 'अधिकार' प्रदान करने पर बल दिया गया। सरकार द्वारा कई विशेष नीतियाँ महिलाओं के लिये अपनाई गई। योजनागत खर्च में भी उत्तरोत्तर बढ़ोतरी की गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना में महिलाओं के लिये चार करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया था जो आठवी पंचवर्षीय योजना में बढ़कर लगभग 20 अरब रूपये हो गया।

सरकार द्वारा नियोजन के अतिरिक्त किये गये प्रयासों द्वारा भी महिलाओं के उत्थान, विकास एवं समस्याओं के निस्तारण के प्रयास किये गये। भारत में प्रचलित सांस्कृतिक मूल्यों, संसाधन एवं अधिकार वितरण पद्धतियों और श्रेणीबद्ध समानीकरण की प्रक्रिया के बारे में कुछ बुनियादी मुद्दे उठाये। स्वतंत्र रूप से महिला और बाल विकास विभाग की स्थापना की गई। महिलाओं संबंधी राष्ट्रीय परिदृश्य योजना तैयार की गई। महिलाओं को प्रदत्त संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों से संबद्ध मामलों पर निगरानी रखने हेतु राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। वर्तमान दशक की सबसे शानदार उपलब्धि है 73वाँ एवं 74वाँ संविधान संशोधन विधेयक, जिनके माध्यम से सभी ग्रामीण और शहरी निकायों में महिलाओं के लिये एक तिहाई सीटें आरक्षित की गई हैं और चेयरमैन के एक तिहाई पद महिलाओं के लिये सुरक्षित कर दिये गये हैं।

संविधान का 73वाँ संशोधन एवं महिला सशक्तिकरण–

भारत में पंचायतों में महिला आरक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य महिलाओं को अधिकार प्रदान करना हैं। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार कम से कम एक तिहाई महिलायें सभी स्थानीय स्व-शासकीय निकायों तथा पंचायतों के स्तर पर निर्वाचित होंगी जिनमें पंच, सरपंच, प्रमुख जिला पंचायत-सभी स्तर शामिल है। इस आरक्षण में अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़े वर्ग की महिलाओं को भी आरक्षण दिया गया है। किसी पंचायती राज संस्था में जितने सदस्य इस वर्ग के होंगे उनका एक तिहाई महिलाओं के लिये आरक्षित किया गया है। इस प्रकार यह विधेयक पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था कर सत्ता में इस वर्ग की भागीदारी को सुनिश्चित करता है।

पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की सहभागिता न सिर्फ उनकी राजनीतिक सहभागिता को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सुनिश्चित करने की है बल्कि

उनके विकास सम्बंधी उद्देश्यों को कार्यान्वित करने की भी है। महिलाएँ पंचायती राज संस्थाओं में निम्न रूपों में सहभागी हो सकती हैं -

1. महिला मतदाता के रूप में,
2. राजनीतिक दलों के सदस्य के रूप में,
3. प्रत्याशियों के रूप में,
4. पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित सदस्य के रूप में और
5. महिला मंडलों के सदस्यों तथा स्वंयसेवी संस्थाओं के साथ साझेदारी के रूप में।

अत: 73वें संविधान संशोधन में महिलाओं को अधिकार प्रदान करने की घोषणा एक मील के पत्थर के समान है। इससे पंचायतों में महिलाओं की सहभागिता अनिवार्य हो गई है।

पंचायतों के चुनाव एवं महिलाओं का प्रतिनिधित्व-

73वें संविधान संशोधन में पंचायतों के चुनाव प्रत्येक पाँच वर्ष के बाद कराना अनिवार्य किया गया। अधिनियम में प्रावधान था कि जो पंचायतें इस अधिनियम के बनने से तुरंत पहले गठित हुई हैं वे अपना कार्यकाल पूरा कर सकती हैं। महिलाओं के लिये पंचायतों में आरक्षण की घोषणा की प्रारंभिक प्रतिक्रिया सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों ही थी। देश में पंचायतों के तीनों स्तरों पर सदस्य तथा अध्यक्ष के रूप में लगभग 10 लाख महिलायें चुन कर आई जिनमें से कुछ राज्यों में महिला सरपंचों का प्रतिशत राजस्थान में 33.36, पश्चिमी बंगाल में 35.23, त्रिपुरा में 33.37, हरियाणा में 33.33 तथा मध्यप्रदेश में 35.72 रहा। मध्यप्रदेश के साथ-साथ अन्य राज्यों में कई स्थितियों में चुनावी परिणाम महिलाओं की सहभागिता के संबंध में, बहुत आशाप्रद रहें हैं। आरक्षण ने स्थानीय स्तर पर राजनीतिक प्रक्रिया में महिलाओं की सहभागिता को प्रभावकारी बनाने में मदद की। महिलाओं ने न केवल आरक्षित चुनाव क्षेत्रों में, बल्कि आम चुनाव क्षेत्रों में भी बहुत विश्वास के साथ चुनाव लड़ा। बहुत से मामलों में तो निर्वाचित होकर आने वाली महिलाओं का प्रतिशत आरक्षित कोटे को पार कर गया।

देश में उड़ीसा पहला राज्य है जिसने पंचायत में महिलाओं के लिये 33 प्रतिशत सीटों पर आरक्षण उस समय लागू किया था जब केन्द्र सरकार इस विषय पर विचार-विमर्श कर रही थी। 11 से 25 जनवरी, 1977 को हुए उड़ीसा के पंचायत चुनावों में जो 5262 ग्राम पंचायतों, 314 पंचायत समितियाँ तथा 30 जिला परिषदों के लिये संपन्न कराये गये, महिलाओं के लिये आरक्षित सीटों पर बहुकोणीय मुकाबला दिखाई दिया। इस चुनाव के परिणामस्वरूप लगभग 30,000 महिलायें निर्वाचित हुईं। इस राज्य में महिलाओं के कम साक्षरता स्तर के बावजूद

यह उपलब्धि बहुत शानदार बन जाती है।

निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की उपलब्धियाँ-

पंचायत चुनावों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को आगे लाया गया है। अपने आपको मुख्य धारा में लाने के लिये इन्होंने पूर्ण परिपक्वता का परिचय दिया है। चुनाव लड़ने तथा निर्वाचित होने के अलावा महिलाओं ने दूसरे क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उदाहरणार्थ राजस्थान के अलवर जिले में नीमूचाना गाँव की पंचायत की सरपंच, 'कोयली देवी' ने अपने ही ससुर और पति को अधिसूचना जारी की कि वे बतायें कि पंचायत की जमीन हड़पने की वजह से उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों न की जाये? गोआ में महिलाओं को पौधों की नर्सरी के विकास तथा अच्छे तरीके के बीज तैयार करने का प्रशिक्षण दिया गया। कर्नाटक में भी उन्हें पुष्प कृषि प्रशिक्षण देने का प्रबंध किया गया ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। कम मजदूरी के खिलाफ महिलाओं को संघर्ष, आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले में काफी हद तक सफल रहा। निर्वाचित होने के तुरंत बाद हरियाणा की खांबी ग्राम पंचायत की महिला सरपंच ने सबसे पहले सार्वजनिक जमीन को दो वर्ष के लिये 60000 रूपये के ठेके पर दिया जबकि वही जमीन उससे पहले 20000 रूपये के पट्टे पर पाँच वर्ष के लिये दी गई थी। यह पंचायत के लिये एक बड़ी सहायता थी। रेवाड़ी ब्लॉक की एक महिला सरपंच ने अपने इलाके से शराब की दुकान हटवाई। एक दूसरी घटना में बेटा - पेट्टी ग्राम पंचायत की सरपंच ने वहाँ पानी की समस्या का समाधान कराया।

कुछ राज्यों में निर्वाचित महिलाओं ने कम वेतन तथा पीने के पानी की कमी के खिलाफ विरोध तथा प्रदर्शनों में भाग लिया था। अनेक महिलाओं ने सरकार की योजनाओं को ठीक तरह से लागू करने की मांग में भाग लिया और सरकार की योजनाओं की जानकारी उन लोगों को दी जिनके लिये वे बनी थीं। केरल के कोझीकोड़ जिले की महिलाओं ने जिले के पहाड़ी इलाके में पानी की समस्या हल करने का संगठित प्रयास किया।

अनेक आशंकाओं के बावजूद पंचायतों में महिलाओं की सहभागिता अधिक निराशाजनक नहीं रही है। उन्हें दिये गये आरक्षित स्थान न केवल भरे गये हैं बल्कि कई मामलों में लड़ाई जीवंत तथा उत्सुकतापूर्ण रही है। इन महिलाओं ने अनेक समस्याओं को उठाया है जैसे - पीने का पानी, स्वास्थ्य-सुविधायें, लाटरी, मदिरापान आदि परन्तु यह काफी नहीं है। उनसे प्रत्येक क्षेत्र में भाग लेना अभी अपेक्षित है।

आज महिलाएं पुरूषों के कन्धे से कन्धा मिलाकर चल रही हैं शहरी तथा

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं बढ़ चढ़कर चुनावों में हिस्सा ले रही हैं और अब ग्राम सरपंच, क्षेत्र समिति प्रमुख, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, महापौर आदि महत्वपूर्ण पदों पर निर्वाचित होकर अत्यंत कुशलतापूर्वक कामकाज चला रही हैं। यद्यपि यह सत्य है कि अधिकांश महिलाओं को कानूनी दांवपेच नहीं आते उन्हें तकनीकी रूप से बनाए गए नियमों के विषय में गम्भीर जानकारियाँ नहीं हैं, लेकिन वे भलीभाँति जानती हैं कि मितव्ययिता के साथ किस प्रकार धन खर्च किया जाए, गॉवों की गरीब महिलाएं किस प्रकार भोजन बनाने के लिए दूर दराज से ईंधन की व्यवस्था करती हैं, किस प्रकार पीने का पानी मीलों दूर से लाती हैं, गरीबी के कारण शिक्षा से वंचित महिलाओं का जीवन स्तर कितना कष्टमय हैं? इन तमाम समस्याओं का स्थायी समाधान करने के लिए यह महिलाएं तत्पर हैं। अनेकों प्रकार के विभागों में काम करने के तथा निर्णायक भूमिका निभाने के बाद गाँवों में रहने वाली महिलाओं की सामाजिक स्थिति में भी जो विभेद और विसंगति है उसमें भी धीरे-धीरे सुधार आ रहा है। पंचायती राज के शुरूआती दौर में पंचायतों के संचालन की बागडोर किसी-न-किसी पुरूष के हाथ में थी, लेकिन अब महिलाओं की मनः स्थिति बदल रही है। महिलाएं अब अपना पक्ष निर्भीकतापूर्वक बैठकों में रखने का साहस कर रही हैं।

इस प्रकार पंचायती राज व्यवस्था में जहाँ एक ओर महिलाओं की सक्रिय सहभागिता से समाज में उन्हें सम्मान मिला है जिसने विकास के द्वार खोले हैं, वहीं दूसरी ओर पुरूष तथा स्त्री के मध्य समाज में जो सामाजिक विषमता थी उसमें काफी कमी आई है। राजनीतिक सत्ता पर बढ़ती भागीदारी के साथ-साथ महिलाएं अब धीरे-धीरे स्वावलम्बी होती जा रही हैं। पंचायती राज व्यवस्था लागू होने के पहले यह प्रश्न उठता था कि क्या अधिकांश महिलाएं चुनाव में भाग लेने का साहस करेंगी? रूढ़िवादी परम्पराओं के तले दबी नारी एकाएक पंचायती मंचों पर कैसे उन्मुक्त भाषण देगी? अफसरशाही शासन के सामने किस प्रकार गॉवों की समस्याएं रखेंगी तथा कैसे समस्याओं का समाधान खोजेगी? लेकिन पिछले दो आम चुनावों में प्रत्येक जाति और वर्ग की महिलाओं में जबर्दस्त चुनावी प्रतिस्पर्धा देखी गई है। पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों में उनकी बढ़ती सक्रियता और भागीदारी से जो नया मार्ग प्रशस्त हुआ है वह अन्ततः संसद तथा विधान सभाओं में 33 प्रतिशत सुनिश्चित भागीदारी के साथ ही समाप्त होगा। भारत में सामाजिक और आर्थिक ढाँचे में शताब्दियों से कुछ वर्ग दलित तथा शोषित रहे। जिनका शोषण सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली वर्गों के लोगों द्वारा किया जाता रहा है। हरिजन तथा पिछड़ी कही जाने वाली जातियों के साथ-साथ भारतीय नारी को भी शोषितों के वर्ग में रखा जाना अधि

ाक तर्कसंगत प्रतीत होता है। आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक रूप से सशक्त लोगों ने यदि अनुसूचित जातियों/जनजातियों तथा पिछड़ी जाति के लोगों का शोषण किया है, तो सम्पूर्ण पुरूष वर्ग ने नारी को भोग की वस्तु समझकर एक सोची समझी रणनीति के तहत उन्हें अधिकारों से वंचित करके वे सारे रास्ते बन्द कर दिए जो बौद्धिक विकास का मार्ग प्रशस्त करके उन्हें आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से अधिक सजग एवं स्वावलम्बी बना सकते हैं।

महिलाओं के लिए स्थानीय स्वशासन में आरक्षण बहुत सोच समझकर उठाया गया कदम है। ग्रामीण समाज में आज भी महिलाओं की बहुत ही दयनीय स्थिति हैं। ये काफी पिछड़ी हुई दशा में हैं। पुरूष वर्ग महिलाओं पर हावी है। 1993 में पंचायती राज विधेयक के पारित हो जाने से इस असंगति में काफी कमी नजर आई है इससे महिलाओं में एक नई जागृति, अधिकारों के प्रति जागरूकता, शोषण के विरूद्ध आवाज उठाने की शक्ति एवं अत्याचार के विरोध में डटे रहने का साहस आया है।

नवीन पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका के समस्त पक्षों का अवलोकन करने के पश्चात् निष्कर्षात्मक प्रस्तुती में यह कहा जा सकता है कि स्त्री का मानव सृष्टि में ही नहीं, वरन् समाज-निर्माण में भी महत्वपूर्ण स्थान है। देश का समग्र विकास महिलाओं की भागीदारी के बिना संभव नहीं है, क्योंकि देश की आधी जनसंख्या महिलायें हैं। अतः यह आवश्यक है कि देश की राजनीति में भी महिलाओं की भागीदारी हो। इनकी अब तक की राजनीति में सक्रिय सहभागिता को नगण्य कहा जा सकता है। नवीन पंचायती राज व्यवस्था में जो नवीन महिला नेतृत्व उभरा है, उसकी यदि समीक्षा की जाये तो यह तथ्य स्पष्ट होता है कि धीरे-धीरे महिला जन प्रतिनिधि पंचायत के कार्यों का जिम्मेदारी के साथ निर्वहन कर रही हैं। इसकी झलक विभिन्न शोध अध्ययनों से स्पष्ट है जो कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में संचालित किये गये। प्रशिक्षण कार्यक्रम, जागरूकता, अभियान, राजनीतिक शिक्षा कार्यक्रम इत्यादि कई राज्यों में शुरू किये जा चुके हैं, जिनसे वास्तव में महिलाओं में जागरूकता पैदा करने में मदद मिलेगी। अतः यह आशा की जाती है कि अगले कुछ वर्षों में सामाजिक और राजनीतिक रूप में महिलायें पहले से अधिक शिक्षित और सशक्त हो जायेंगी और वे निर्णय लेने में प्रभावकारी भूमिका निभायेंगी। परिणामस्वरूप 21वीं सदी का भारत एक नई सामाजिक व्यवस्था के साथ एक विकासोन्मुख समाज होगा और विश्व समुदाय में आर्थिक दृष्टि से विशेष स्थान रखेगा।

==========

संदर्भ ग्रंथ सूची-

1. मोदी, अनीता (2009) - ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में महिलाओं का योगदान, कुरूक्षेत्र, मासिक पत्रिका, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली, अक्टूबर, पृ.- 28-32।
2. मल्लिक, शुभाशिष (2002) - नारी स्वातंत्रय : उच्छृंखलता या प्रगतिशीलता, प्रतियोगिता दर्पण, मासिक पत्रिका, मुद्रक एवं प्रकाशक महेन्द्र जैन आगरा, पृ. -1331-1332।
3. राघव, अरूण कुमार (2002) - आरक्षण की नीति एवं राजनीति, प्रतियोगिता दर्पण, मासिक पत्रिका, मुद्रक एवं प्रकाशक महेन्द्र जैन। पृ.- 1427-1429।
4. सिंह जय (2007) - महिला सशक्तीकरण : कामयाबी और चुनौतियॉ, योजना, मासिक पत्रिका, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, जुलाई पृ.- 64।
5. श्रीवास्तव, काशी गोपाल (2000) - पंचायती राज की सफलता, योजना, मासिक पत्रिका, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, दिसम्बर, पृ. 32-34।

इक्कीसवीं शताब्दी भारतीय नारी के लिए वरदान

* डॉ. चेतना दुबे

भारत में महिलाओं की स्थिति में पिछली कुछ सदियों से कई बड़े बदलावों का सामना किया है। भारत मे महिलाओं का इतिहास काफी गतिशील रहा है। प्राचीनकाल में स्त्रियाँ, पुरूषों के समकक्ष थी। मध्य काल में विदेशियों की प्रभुता के कारण भारतीय समाज में अव्यवस्था आने लगी उससे समाज का ढाँचा बहुत बदला। मुसलमानों के समय मे उनका प्रभाव स्त्रियों, पुरूषों पर पड़ा। फलतः पर्दा-प्रथा मे कठोरता आ गई तथा और भी अनेक प्रभाव पड़े। भारतीय समाज पर उनका गहरा प्रभाव पड़ा। साथ ही कई सुधारकों द्वारा समान अधिकार का बढ़ावा काफी गतिशील रहा है।

इक्कीसवीं सदी में महिलाएं वास्तव में सशक्त बन गई हैं। महिलाएँ निरंतर विकास करते हुयें हर क्षेत्रों में अपनी पहचान बना चुकी है। शिक्षा, चिकित्सक डॉक्टर, पायलट, अंतरिक्ष इंजीनियर, कानून, राजनीति, व्यापार, खेल आदि सभी में अपने नेतृत्व क्षमता साबित की है।

प्रस्तावना–

वर्तमान युग की नारी युग-युगान्तर को संधर्ष कर पार करते हुये, साथ ही अपने अस्तित्व को बनाये हुये, पुरूष द्वारा बनाई गई समाज व्यवस्था में पर्दापण बहुत ही खूबी से कर रही है।

आज की नारी का शिक्षा के विकास एंव प्रसार के बाद एक बार फिर विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है। स्त्रियों के संदर्भ में तस्लीमा नसरीन ने एक जगह लिखा है कि - ''वास्तव में स्त्रियाँ जन्म से ''अबला'' नहीं होती, उन्हें अबला बनाया जाता है। पेशे से डॉक्टर तस्लीमा नसरीन ने उदाहरण के साथ इस तथ्य को व्याख्या की है कि जन्म के समय एक स्त्री-शिशु की जीवनी शक्ति एक 'पुरूष-शिशु' की अपेक्षा अधिक प्रबल होती है, लेकिन समाज में संस्कृति (रीति, रीवाजों, प्रतिमानों, मूल्यों आदि) एवं जीवन शैली के द्वारा उसे सबला से अबला

==========

* असिस्टेंट प्रोफेसर, कला संकाय विभाग, सेंटपॉल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़, इन्दौर (म.प्र.)

बनाता है।''

महिला विकास हेतु शिक्षण-व्यवस्था-

जब एक महिला साक्षर होती है, तो वह परिवार को साक्षर करती है। यही से नारी के सशक्तिकरण का आरंभ होता है, जिससे महिलाओं की सामाजिक व आर्थिक स्थिति में सुधार उनके समग्र व संतुलित विकास सुनिश्चित करने व उनको कल्याणकारी योजनाओं एंव विकास कार्यक्रम को मूर्त रूप प्रदान किया। शिक्षा सशक्तिकरण के लिये प्रथम पायदान है। शिक्षा द्वारा व्यक्तित्व का विकास, बुद्धि का विकास होता है। आर्थिक-राजनैतिक व साँस्कृतिक कार्यों को ही अपने कार्य में कौशल-ज्ञान एंव क्षमताओं द्वारा उसकी भावी पीढ़ी भी लाभान्वित होती है। अगर महिला शिक्षित है, तो उसका आत्म-विश्वास बढ़ता है, सकारात्मक दृष्टिकोण वह रखती है, दक्षता, कौशल व विवेकपूर्ण दृष्टिकोण का विकास होता है। उसकी तर्कशीलता व निर्णय लेने की शक्ति बढ़ेगी। अन्याय व शोषण के खिलाफ केन्द्र सरकार ने भी महिलाओ के उत्थान हेतु बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित किया है। ''बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ'' का नारा दिया व आवश्यक कदम भी उठाया है।

महात्मा गाँधी के अनुसार- ''शिक्षा, बालक तथा व्यक्ति के शरीर, मन तथा आत्मा की सर्वोत्तिमता का सामान्य रूप प्रकटीकरण है। शिक्षा राष्ट्र विकास का आधार स्तंभ है। कोई भी राष्ट्र या समाज बिना शिक्षा के विकसित नहीं हो सकता । वस्तुतः शिक्षा का मूलभूत उद्देश्य व्यक्ति की ऐसी स्वतंत्रता है, जो उसके जीवन में पूर्णता की अनुभुति जगा सबके बीच समानता लाए, व्यक्तिगत और सामूहिक आत्मनिर्भरता लाए तथा राष्ट्रीय एकता पर बल दे। साथ ही बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देकर भूखमरी एंव भ्रष्टाचार से कुछ हद तक मुकाबला किया जाना संभव हो। शिक्षा के माध्यम से ही बालिकाओं में सही दृस्टिकोण, सही विचार और सही निर्णय लेने की क्षमता पैदा हो सकती है। इस आधार पर बालिका शिक्षा का परिवार समाज व देश के विकास की नींव कहा जाए तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी।

''स्वस्थ और उत्तम समाज निर्माण हेतु महिलाओं को शिक्षा देना आवश्यक है। महिलाओं को आगे बढ़ाने से सम्पूर्ण समाज और सम्पूर्ण देश आगे बढ़ता है।'' (पं. जवाहर लाल नेहरू)

स्वावलम्बी महिलाशक्ति- भारत देश के युग नायक एंव राष्ट्र निर्माता स्वामी विवेकानंद जी ने कहा- ''किसी भी राष्ट्र की प्रगति का सर्वोत्तम थर्मामीटर है, वहाँ की महिलाओं की स्थिति। हमें नारियों को ऐसी स्थिति में पहुँचा देना चाहिये, जहाँ वे अपनी समस्याओं को अपने ढंग से स्वंय सुलझा सकें। हमें नारी

शक्ति के उद्धारक नहीं, वरन् उनके सेवक और सहायक बनना चाहिये। भारतीय नारियाँ संसार की अन्य किन्हीं भी नारियों की भाँति अपनी समस्याओं को सुलझाने की क्षमता रखती है। आवश्यकता है उन्हें उपयुक्त अवसर देने की। इसी आधार पर भारत के उज्जवल भविष्य भी संभावनाएँ समाहित है।''

कहा गया है कि- ''कन्या पितृत्वं खलु नाम कष्टम'' अर्थात कन्या का पिता होना कष्ट का दूसरा नाम है। इस कथन को आज वर्तमान युग की नारी शक्ति निर्मूल साबित कर रही हैं। महिला सशक्तिकरण के तात्पर्य मानव अधिकारों से भी है, अर्थात क्षमताओं का विकास, मूलभूत आवश्यकतायें आर्थिक सुरक्षा एंव सम्मानजनक जीवनयापन आदि को भी सम्मिलित किया गया है। आज की नारी शक्ति को अधिक शक्ति या सआ प्रदान की गई है, जिससे वह शासन के नीति निर्माण व निरंतर प्रक्रिया से सम्बद्ध हो, अपनी क्षमताओं का निरंतर विकास कर रही है।

गोल्ड स्मिथ ने कहा है कि - ''स्त्री पुरूषों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होती है, क्योंकि वह जानती कम और समझती अधिक है।''

स्वंतत्रता के पश्चात सरकारों, महिला संगठनों महिला आयोगों आदि के प्रयासों से महिलाओं के द्वार खुले हैं, उनमें शिक्षा का प्रसार हुआ, प्रगति के पथ पर अग्रसर हुई हैं और आज वे राजनीतिक, समाज-सुधार, शिक्षा, पत्रकारिता, साहित्य, विज्ञान, उद्योग, व्यवसायिक प्रबंधन, शासन-प्रशासन, पुलिस, सेना, कला व साहित्य, आध्यात्म खेलकूद आदि के क्षेत्रों मे पुरूषों के साथ उपस्थित रही हैं।

उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। आज के युग में महिलाएँ हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं। जैसे भारतीय वायु-सेना के सबसे बड़े जहाज आई.पी. एल. 76 को उड़ाने वाली देश की प्रथम महिला पायलट वीणा सहारण ही है।

गणतंत्र दिवस 2012 के समारोह के अवसर पर दिल्ली के राजपथ पर आयोजित होने वाली परेड में भारतीय वायु सेना की टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली ''स्नेहा'' पहली महिला अधिकारी है। अग्नि मिसाइल की प्रोजेक्ट डायरेक्टर के सी थॉमस को मिसाइल वुमन और अग्निपुत्री के नाम से गौरांवित किया गया है। सापर शक्ति तिरंगा भारत में टेरिटोरियल आर्मी की पहली महिला है। व्यावसायिक संस्थानों में महिलाएँ रोल मॉडल का कार्य करने के स्वप्नों को अपने द्वारा आकार प्रदान कर रही है। बैकिंग, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार कार्पोरेट जगत, स्वंय सेवी संस्थाओं, तकनीकि क्षेत्र आदि मे दक्षता के साथ महिलाएँ आगे बढ़ रही है। यह सत्य है कि आज के युग में महिलाओं की स्थिति में बहुत सकारात्मक बदलाव

आया है। आवश्यकता है, उन्हें उचित अवसर प्रदान किये जाये।

==========

संदर्भ ग्रंथ सूची–

1. नेहरू जवाहर लाल 1965 सामुदायिक विकास।
2. सिहं करण बहादुर, महिला अधिकार व सशक्तिकरण।
3. श्रीमती कृष्णा तीरथ महिला सशक्तिकरण बच्चों का पोषण महिला एंव बाल विकास मंत्रालय की उपलब्धि स्वंतत्रता दिवस 2013
4. भारतीय महिलाएँ

राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण नीति

* डॉ. संध्या शुक्ला
** रश्मि पाण्डेय

भूमिका-

लिंग समानता का सिद्वांत भारतीय सविधान की प्रस्तावना, मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक सिद्वांतो मे प्रतिपादन किया गया है। संविधान महिलाओ को न केवल समानता का दर्जा प्रदान करता है अपितु राज्य को महिलाओ के पक्ष मे सकारात्मक भेद-भाव के उपाय करने की शक्ति भी प्रदान करता है।

लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के ढॉचे के अंतर्गत हमारे कानूनों विकास सबंधी नीतियो, योजनाओ और कार्यक्रमो मे विभिन्न क्षेत्रो मे महिलाओ की उन्नति को उदेश्यक बनाया गया है। पांचवी पंचवर्षीय योजना से महिलाओ से जुड़े मुददो के रूप मे माना गया है। महिलाओं के अधिकारो एवं कानूनी हको की रक्षा के लिए वर्ष 1990 मे संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई।

भारतीय संविधान मे 73वे और 74वे संशोधनों (1993) के माध्यम से महिलाओं के लिए पंचायतो और नगरपालिकाओ के स्थानीय स्तरो पर निर्णय लेने की प्रक्रिया मे उनकी भागीदारी के लिए एक मजबूत स्तंभ प्रदान करता है।

1. भारत मे महिलाओं के समान अधिकारो की रक्षा के लिए प्रतिबद्व विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयो और मानवाधिकार लिखितो की भी पुष्टि की है। इनमे से एक प्रमुख वर्ष 1993 मे महिलाओ के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव की समाप्ति पर अभिसमय की पुष्टि है।
2. मैक्सिको कार्य योजना (1975), नैरोबी नीतियां (1985), बीजिंग घोषणा और लिंग समानता तथा विकास और शांति पर संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र द्वारा 21 वीं शताब्दी के लिए स्वीकृति बीजिंग घोषणा प्लेटफार्म फॉर एक्शन को कार्यावित करने के लिए कार्यवाइयां एवं पहले नामक परिणाम

==========

* विभागाध्यक्ष, राजनीतिविज्ञान विभाग, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा
** जनभागीदारी शिक्षक, राजनीति विज्ञान, शासकीय ठाकुर रणमत सिह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

दस्ता्वेज को समुचित अनुवर्ती कार्यवाई के लिए भारत द्वारा पृष्टांकित किया गया है।

3. लिंग संबधी असमानता कई रूपों मे उभरकर सामने आती है। जिसमे से सबसे प्रमुख बीते कुछ दशको मे जनसख्यां मे महिलाओं के अनुपात मे निरंतर गिरावट हुई है। समाजिक रूढ़िवादी सोच और घरेलू तथा समाज के स्तर पर हिसां इसके कुछ अनेक रूप है। बालिकाओ किशोरियो तथा महिलाओ के प्रति भेदभाव भारत के कई भागो मे जारी है।
4. इस नीति मे नौवी पंचवर्षीय योजना की प्रतिबद्धताओ एवं महिलाओ के सशक्तीकरण से संबंधित अन्य नीतियो को भी ध्यान मे रखा गया है।
5. लिगं संबधी असमानता के कारण सामाजिक और आर्थिक ढाँचे से जुड़े है जो अनौपचारिक एवं औपचारिक मानको एवं प्रथाओ पर आधारित है।
6. महिला आंदोलन और गैर सरकारी संगठनो, जिनकी बुनियादी स्तर पर सशक्त उपस्थिति है एवं जिन्हे महिलाओ के सरोकारो की गहरा से समझ है।
7. एक ओर संविधान, विधानो, नीतियो योजनाओ कार्यक्रमो और सबद्व तंत्रो मे प्रतिपादित लक्ष्यो तथा दूसरी ओर भारत मे महिलाओं की स्थिति के संबंध मे परिस्थिति अन्य वास्तविकता के बीच अभी भी बहुत अंतर है।
8. परिणाम स्वरूप महिलाओं और खासकर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति। अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यको सहित कमजोर वर्गो की महिलाओ जो अधिकाशतः ग्रामीण क्षेत्रो मे और अनौपचारिक अंसगठित क्षेत्र मे है, अनाथो के अलावा शिक्षा स्वाथ्य और उत्पादक संसाधनो तक पहुंच अपर्याप्तं है अतः वे ज्यादातर गरीब और सामजिक रूप से वंचित रह जाती है।

उद्देश्य–

इस नीति का लक्ष्य महिलाओ की उन्नति, विकास और सशक्तीकरण करना है। इस नीति का व्यापक प्रसार किया गया ताकि इसके लक्ष्यो को प्राप्त करने के लिए सभी हितधारको की सक्रिय भागीदारी प्रोत्साहित की जा सके। विशेष रूप से इस नीति के उदेश्यों मे निम्नलिखित शामिल हैं।

1. भारतीय समाज मे महिलाओ के योगदान का अध्ययन करना।
2. महिलाओ की राजनीतिक सीमा बढ़ाते हुए योगदान का अध्ययन करना।
3. महिलाओ की सामाजिक न्यायिक क्षेत्र मे योगदान का बढ़ते हुए प्रभाव का अध्ययन करना।
4. महिला आरक्षण मे सक्रिय भूमिका।

5. राष्ट्रीय राजनीति, सामाजिक योगदान मे बढ़ते हुए प्रभाव का अध्ययन करना।

उपकल्पना–

वैज्ञानिक पद्वति के विभिन्न् चरण मे उपकल्पना का प्रथम स्थान आता है यह वैज्ञानिक मान्यता है कि उपकल्पना मे ही अध्ययन प्रारंभ होता है और इसके साथ ही तथ्यों का विश्लेषण होता है। अतः सामाजिक अनुसंधान मे उपकल्पना का अत्यधिक महत्व है।

(1) आर्थिक एवं सामाजिक नीतियो के माध्यम से महिलाओ के पूर्ण विकास के लिए वातावरण बनाना ताकि वे अपनी पूरी क्षमता को साकार करने मे समर्थ हो सकें।

(2) राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रो मे पुरूषो के साथ सम्यता के आधार पर महिलाओ द्वारा सभी मानवाधिकारो और मौलिक स्वतंत्रता की विधिक और वस्तुतः प्राप्ति।

(3) राष्ट् के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन मे भागीदारी करने और निर्णय लेने मे महिलाओ का योगदान।

(4) स्वास्थ्य देखभाल सभी स्तरो मे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैरियर और व्याव्सायिक मार्गदर्शन रोजगार, बराबर पारिश्रमिक व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और सरकारी कार्यालय आदि मे महिलाओ की भागीदारी।

(5) विकास की प्रकिया मे लिंग परिप्रेक्ष्य को शामिल करना।

(6) महिलाओ के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव की समाप्ति के लिए विधिक प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण।

(7) महिलाओ और बालिका के प्रति भेदभाव और सभी प्रकार की हिंसा को समाप्त करना।

(8) सभ्य समाज विशेष रूप से महिला संगठनो के साथ साझेदारी का निर्माण करना और उसे सुदृढ़ बनाना।

नीति निर्धारण–

न्यायिक विधिक प्रणालियाँ–

1. विधिक न्यायिक प्रणाली को महिलाओं की आवश्यकताओ विशेष रूप से घरेलू हिसां और वैयक्तिक हमले के मामलो मे अधिक अनुक्रियाशील तथा लिंग सुग्राही बनाया गया है।

2. सामुदायिक तथा धार्मिक नेताओ सहित सभी हितधारको की पहल पर और उनकी पूर्ण सहभागिता से इस नीति का उद्देश्य महिलाओ के प्रति भेदभाव को समाप्त करने के लिए विवाह, विवाह विच्छेद गुजारा भत्ता और अभिभावक से

संबधित व्यक्तिगत कानूनो मे परिवर्तन को प्रोत्साहित किया गया है।

3. पितृसत्तात्मक सामाजिक प्रणाली मे संम्पति संबधी अधिकारों के विकास ने महिलाओ के अधीनस्थ योगदान किया हैं। इस नीति का उद्देश्य सम्पति के स्वामित्व और उत्तराधिकार से संबधित कानूनो को लिंग की दृष्टि से न्यायपूर्ण बनाने के लिए आम सहमति बनाने से इन कानूनो मे परिवर्तनो को प्रोत्साहित करना है।

निर्णय लेना–

सशक्तिकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी स्तरो पर राजनीतिक प्रक्रिया मे निर्णय लेना सहित सत्ता की साझेदारी और निर्णय लेने मे महिलाओ की बराबर की भागीदारी सुनिश्चित की गयी है तथा विधायी, शासकीय, न्यायिक, संवैधानिक निकायो तथा सलाहकार आयोगो समितियों, वार्डों, न्यासो आदि सहित प्रत्येक स्तर नीति निर्धारण वाले निकायो मे महिलाओ की समान पहुँच एवं सहभागिता की गारंटी के लिए सभी उपाय किए गये हैं।

विकास प्रक्रिया मे लिंग परिपेक्ष्यन को शामिल करना–

उत्प्रेरक भागीदारी और प्राप्तकर्ता के रूप मे विकास की सभी प्रक्रियाओ में महिलाओ के परिप्रेक्ष्यो का समावेशन सुनिश्चित करने के लिए नीतिया कार्यक्रम और प्रणलिया बनाई गई है।

महिलाओ का आर्थिक सशक्तीकरण गरीबी उन्मूलन–

गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालो मे महिलाओ की जनसंख्या-बहुत ज्यादा है और वे ज्यादातर परिस्थितियो मे अत्यधिक गरीबी मे रहती हैं। घर और सामाजिक कड़वी सच्चा यो को समष्टि आर्थिक नीतिया और गरीबी उन्मूयलन कार्यक्रम ऐसी महिलाओ की आवश्यकतओ और समस्याओ का निकारण कर रहा है।

महिलाएं और अर्थव्यवस्था–

ऐसी प्रक्रियाओ में महिलाओ की भागीदारी को संस्थागत बनाकर बृहद आर्थिक और सामाजिक नीतियों के निर्माण एवं कार्यान्वयन मे महिलाओ के परिप्रेक्ष्य को शामिल किया गया है। उत्पादको तथा कामगारों के रूप मे सामाजिक, आर्थिक विकास मे उनके योगदान को औपचारिक और गैर औपचारिक घर मे काम करने वाले कामगार भी शामिल क्षेत्रो में मान्यता दी गयी है तथा रोजगार और उनकी कार्यदशाओ से संबधित समुचित नीतिया बनाई गयी है।

निष्कर्ष–

महिला अधिकारो के सभी क्षेत्रो मे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओ जैसे कि महिलाओ के विरूद्ध सभी रूपो के भेदभाव पर अभिसमय बाल अधिकारो पर अभिसमय अन्तर्राष्ट्रीय जनसंख्याओ एवं विकास सम्मेलन तथा इस तरह के अन्य

लिखितो का क्रियान्वयन करना है अनुभवो की हिस्सेदारी विचारो तथा प्रौद्योगिकी के आदान प्रदान संस्थाओं तथा संगठनो के साथ नेटवूकग के माध्यम से तथा द्विपक्षीय और बहुपक्षीय भागीदारियो के माध्यम से महिलाओ की अधिकारिता के लिए अन्तंर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करने का कार्य जारी है।

==========

संदर्भ ग्रंथ सूची–

1. एस अखिलेश, डॉ. संध्या शुक्ला, महिला सशक्तिकरण दशा एवं दिशा
2. एस अखिलेश, डॉ. संध्या शुक्ला, भारतीय नारी कल और आज
3. रमा शर्मा, ए.के. मिश्रा, महिलाओं के मौलिक अधिकार

समाचार पत्र–

- दैनिक जागरण
- दैनिक भास्कर
- प्रतियोगिता दर्पण
- इंडिया टूडे
- नेट

महिला सशक्तिकरण एवं ग्रामीण महिलाएँ

* डॉ. (श्रीमती) पूजा तिवारी

किसी भी समाज की सम्पन्नता का अनुमान इस बात से बेहतर तरीके से लगाया जा सकता है कि उस समाज में नारी की स्थिति कैसी है ,अर्थात जिस समाज में नारी की स्थिति जितनी सुदृढ़ होगी ,वह समाज उतना ही उन्नत होगा।

विश्व की कुल जनसंख्या में आधी जनसंख्या महिलाओं की है वे कार्यकारी घंटों में दो तिहाई का योगदान करती है किन्तु विश्व आय का केवल दसवाँ हिस्सा वे प्राप्त कर पाती है और उन्हें विश्व संपत्ति में सौवें से भी कम हिस्सा प्राप्त होता है। एक अरब से ज्यादा आबादी वाले इस देश में महज 4.7 करोड़ महिलाएं ही कामकाजी हैं। अगर हम इस संख्या को बढ़ा सके और वर्क फोर्स में स्त्री पुरूष के बीच एक संतुलन ला सकें तो देश की अर्थव्यवस्था में 27 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है। इस समय देश में लगभग 23.5 करोड़ महिलाएं ऐसी है जो बेहतर शिक्षा और प्रोफेशनल ट्रेनिंग के बावजूद वर्क फोर्स से बाहर है। डेलॉयट की 2018 ग्लोबल इंपैक्ट रिपोर्ट के अनुसार सन् 2005 में भारत के वर्क फोर्स में महिलाओं की भागीदारी 35 प्रतिशत थी जो सन् 2018 में घट कर महज 26 प्रतिशत रह गई है। राष्ट्र के आर्थिक विकास हेतु महिलाओं को वर्क फोर्स का हिस्सा बनाना जरूरी है। यद्यपि रोजगार में महिलाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है लेकिन उन्हें कम वेतन मिल रहा है तथा उनके कार्य की परिस्थितियाँ असंतोषजनक है।

ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण के प्रमुख चार आयाम हो सकते है।

1. महिलाएं एवं उनकी कार्य सहभागिता
2. महिलाएं एवं शिक्षा
3. महिलाएं एवं उनका स्वास्थ्य
4. महिलाएं एवं उनकी राजनैतिक सहभागिता

==========

* सह-प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग, शासकीय महाविद्यालय बिछुआ, जिला छिन्दवाड़ा

उद्देश्य–

1. ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण की स्थिति की जानकारी।
2. ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक स्थिति की जानकारीं।

सशक्तिकरण का अर्थ पुरूषों की बराबरी करना नहीं है वरन् ग्रामीण महिलाओं को भी जीवन की मुख्य धारा से जोड़ना है।

ग्रामीण महिला सशक्तिकरण मुख्यतः शिक्षा के प्रति जागरूकता, कार्यकुशलता एवं अधिकारों की जानकारी तथा सामाजिक क्षेत्र में सबलता के आधार पर आंका जा सकता है।

हमारे देश में लगभग 70 प्रतिशत महिलाएं गाँवों में निवास करती है ,उनके कंधों पर गृह कार्य ,कृषि कार्य तथा अन्य सामाजिक कार्यो का सारा भार होता है।

ग्रामीण स्त्रियों की भूमिका बहुआयामी होती है। वे घरेलू कार्य जैसे बर्तन, झाड़ू, पौंछा, साफ-सफाई, खाना बनाना, बच्चों की देख रेख, पशुओं की साफ सफाई आदि निपटा कर खेतों में काम करने जाती है एवं जरूरत पड़ने पर लघु उद्योग करके भी परिवार के लिए अर्थोपार्जन करती है। ग्रामीण महिलाएं लगभग सोलह से अठारह घंटे कार्य करती है।

इस तारतम्य में बिछुआ के ग्राम गोनी एवं ग्राम जाखावाड़ी की ग्रामीण महिलाओं से उनकी दिनचर्या की जानकारी लेने पर ज्ञात हुआ कि वे प्रातः 5 बजे से उठकर घरेलू कार्य, पशुओं की देखरेख, खेती के कार्य पानी भरना, चारा काटना आदि जैसे कार्यो को करते हुए लगभग रात्रि के 11 बजे सोती है।

ग्रामीण महिलाओं के अथक परिश्रम के पश्चात् भी उनका स्थान एवं सम्मान समाज में नगण्य है। इसका प्रमुख कारण शिक्षा का अभाव है एवं शिक्षा के प्रति जागरूकता की कमी के कारणों में मुख्य रूप से अभिभावकों की समझ में कमी, बेटी की शादी की चिंता जल्दी विवाह, घर के काम, तथा स्त्रियों द्वारा स्वयं की शिक्षा के प्रति अरूचि ही उन्हें शिक्षा से वंचित कर देती है।

हमारा देश गांवों में बसता है और ग्रामीण विकास से ही देश का विकास होगा। सरकार की योजनाओं का परिणाम ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक विकास में दिखाई पड़ने लगा है। ग्रामीण महिलाऐं कृषि के अलावा टोकरी बनाना, दोना पत्तल बनाना, कपड़ों की रंगाई करना, शहद बेचना आदि जैसे लघु कार्य कर रही है। ग्रामीण महिलाएं सब्जी बेचने से लेकर गृह निर्माण, पुल निर्माण में मजदूरी जैसे कार्यो में भी शामिल होती है।

भारत में नारी उत्थान हेतु विविध योजना एवं कानून बने है, परंतु व्यावहारिक रूप में इन कानूनों का पूर्णतः पालन नहीं हो पा रहा है। ग्रामीण महिला

सशक्तिकरण हेतु आज आवश्यकता है महिला के परिश्रम के सही मूल्यांकन की।

वर्तमान में ग्रामीण महिलाओं के रहन-सहन विचारों में भी परिवर्तन परिलक्षित हो रहे हैं। अब ग्रामीण महिलाएं स्वयं के लघु उद्योग प्रारंभ करने में सक्षम हो रही है। ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी बड़ी, पापड़, अचार तथा मसाले बनाने वाले लद्यु उद्योगों में निरंतर बढ़ रही हैं। ग्रामीण महिलाएं राजनैतिक क्षेत्र में भी सशक्त हो रही है, अनेक स्थानों पर महिलाएं सरपंच,जनपद सदस्य, ग्राम पंचायतों में सक्रिय भूमिका का निर्वहन कर रही है किंतु शिक्षा के अभाव में वह अपने पद का समुचित प्रयोग नहीं कर पा रही है।

इस प्रकार से कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता के पश्चात् महिलाओं के विकास ने गति पकड़ी है परन्तु ग्रामीण क्षेत्र में अभी बहुत कुछ करना शेष है। ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही अनेक योजनाओं के बाद भी ग्रामीण विकास में महिलाओं की संख्या काफी न्यून है। अतः ग्रामीण महिला सशक्तिकरण की सफलता हेतू आवश्यक है कि सशक्त कहीं जाने वाली महिलाएं अपने ज्ञान एवं शिक्षा का दीप प्रज्जवलित करें एवं उसके प्रकाश में समस्त ग्रामीण महिलाओं को समाहित कर ले। राष्ट्र के विकास तथा एक सशक्त महिला समाज की स्थापना हेतू आवश्यक है कि ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण हेतू मुख्य रूप से शासकीय योजनाओं का लाभ दिलवाना ,समान वेतन देना,शिक्षा देना तथा स्वयं निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना होगा तथा ग्रामीण महिलाओं द्वारा किए गए कार्यो एवं परिश्रम का बेहतर मूल्यांकन करके उन्हें प्रोत्साहित करना ही ग्रामीण महिला सशक्तिकरण की दिशा में सार्थक प्रयास सिद्ध होगा।

==========

संदर्भ ग्रंथ सूची-

1. आहूजा राम, भारतीय सामाजिक व्यवस्था
2. शर्मा सुभाष, भारतीय महिलाएं दशा एवं दिशा
3. कुमार मनीष, महिला सशक्तिकरण दशा एवं दिशा
4. स्मारिका, नारीत्व एवं नारी सशक्तिकरण
5. दैनिक भास्कर, अभिव्यक्ति अस्तित्व दिनांक 09.04.2019

महिला लेखन : स्त्री अस्मिता का साहित्य

* डॉ. अंबा शुक्ला

महिला लेखन समाज के सरोकार का एक ज्वलंत विषय है, नि:संदेह स्त्रियों ने लेखन के माध्यम से अपनी दासता को खत्म करने का प्रयास किया। महिला लेखिकाओं ने समकालीन परिवेश में न केवल स्त्री-समाज की त्रासदी और विडंबना, उसकी शोषित स्थिति, उसकी सामाजिक-आर्थिक पराधीनता, रूढ़ियों से चले आए स्त्री-संबंधो, सामंती मूल्यों, रूढ़िग्रस्त मान्यताओं और धारणाओं से जुड़े प्रश्नों को खुले, तीखे व साहसपूर्ण ढंग से अपने लेखन के माध्यम से समाज के सामने रखा है, बल्कि उसके केन्द्र में है स्त्री अस्मिता का संघर्ष, अदम्य जिजीविषा, स्त्री स्वतंत्रता, देह और यौन उत्पीड़न के प्रति विद्रोह और स्वयं की पहचान के प्रति जागरूकता के साथ सामाजिक पहलुओं से जुड़े यथार्थ। मानवीय संवेदना की गहरी पड़ताल करते हुए सभी वर्ग, वर्ण और जाति की स्त्रियों की अंतरात्मा का अवलोकन करके ये महिला रचनाएँ पाठकों को स्तब्ध और उद्वेलित कर देती है। यह महिला-लेखन, महिला-शोषण के विरूद्ध परिवर्तन और क्रांति के साथ समकालीन साहित्य में सशक्त हस्तक्षेप भी करता है। महिला लेखिकाओं के रचनात्मक प्रयत्न के केन्द्र में स्त्री-चेतना है। वह स्त्री-चेतना जिसके चलते उनकी रचनाओं की प्रमुख और प्रभावशाली पात्र स्त्री है। यह स्त्री अब एक रूमानी आदर्श नहीं रह गई है। वह हमारे समय की जीवंत वास्तविकता है, एक ठोस सच्चाई है। वह अपने वजूद को महसूस करती है। एक सहज इकाई के रूप में वह तमाम स्थितियों से प्रति.त होती वर्तमान सामाजिक परिवेश के अंतर्विरोधों व असंगतियों को अपनी व्यक्तिमत्ता, स्त्री-अस्मिता और मानवीय स्थिति के परिप्रेक्ष्य में जानना समझना चाहती है।

पिछले कुछ दशक में हिन्दी साहित्य में महिला लेखन का व्यापक प्रस्फुटन एक अनूठी और ऐतिहासिक घटना है। यहाँ महिला लेखन एक सामाजिक सच्चाई और ऐतिहासिक अस्मिता के संघर्ष की चुनौती के रूप में सामने आता है। यह स्त्री के अपने नजरिए से महिला लेखन का नया अध्याय है। यूँ तो स्त्री साहित्य का

---

* अतिथि व्याख्याता, शासकीय सुखराम नागे महाविद्यालय नगरी, जिला-धमतरी (छ.ग.)

विषय हमेशा से रही पर दूसरों की दृष्टि से आँकी गई। स्त्री ने जब अपने नजरिए से स्वयं की अभिव्यक्ति करना शुरू कर दिया तो यह महिला लेखन का नया पाठ बन गया।

यह एक अस्मिता आंदोलन है जो हाँशिए पर छोड़ दी गई स्त्री-अस्तित्व को फिर से केन्द्र में लाने और उसकी मानवीय गरिमा को प्रतिष्ठित करने का महा-अभियान है। यह पितृसत्तात्मक समाज में स्त्रियों को दोयम दर्जे का प्राणी मानने का विरोध करता है एवं स्त्री को एक जीवंत मानवीय ईकाई के रूप में स्थापित करने का प्रयास है।

भारत की सामाजिक संरचना इस प्रकार से निर्मित की गई है जिसमें आबादी का एक बड़ा हिस्सा अपने अधिकारों से हमेशा वंचित रहा है। पंडिता रमा बाई स्त्री अधिकारों के लिए बुनियाद रखने वाली समाज सुधारक एवं विदुषी चिंतक थी। उनके माता-पिता को समाज ने सिर्फ इसलिए बहिष्कृत कर दिया था कि उन्होने अपनी बेटी (पंडिता रमा बाई) को शिक्षा दिलाई थी। समाज का यह रूप देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय के समाज में स्त्रियों की क्या स्थिति रही होगी। समाज में सदियों पहले से यह स्थिति रही है, कि स्त्री हमेशा अपने आपको पुरूष द्वारा प्रदत्त पहचान से मुक्त नहीं कर पाई। स्त्री को पुरूषवादी समाज एक वस्तु समझ कर आवश्यकता के मुताबिक उसका उपयोग करता रहा। पुरूष समाज ने अपने दैनिक जीवन में उन्हें इतनी ही जगह प्रदान की, जिससे वह अपने आपको सुरक्षित महसूस करता है। स्त्रियों के लिए उसने कुछ ऐसी व्यवस्थाएँ बना रखी हैं, कि वह चाह कर भी अपने आपको पुरूष के साथ सामाजिक पहचान से अलग नहीं कर पाती।

सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आर्थिक व्यवस्था और मूल्यों, मर्यादाओं, आदर्शो और संस्कारों के विभिन्न रूपों के जरिए बड़े बारीक ढंग से इसे समाज की संरचना में बुना गया है। इसके माध्यम से पुरूष को स्त्री के तुलना में श्रेष्ठ स्थापित करने का जो षडयंत्र रचा गया उसमे स्त्री शोषण की सहज स्वाभाविक मान्यता के रूप में समाज के मन मस्तिष्क यहाँ तक की स्त्रियों की मस्तिष्क में भी बैठाने की कोशिश की गई। जहाँ पर स्वयं स्त्रियाँ ही स्त्रियों के शोषण और अत्याचार का कारण बनीं। समय-समय पर विभिन्न शक्तियों और आंदोलनों के कारण इसने अपना रूप बदला पर इसकी मौजूदगी सामंतवादी व्यवस्था से लेकर पूँजीवादी और बाजारवादी व्यवस्था की आंतरिक स्थिति में भी अनेक स्तरों पर भी बनी हुई है। जिसका उद्देश्य स्त्री के वास्तविक अस्तित्व और स्वप्नों को सदा के लिए दमन करना और पौरूषपूर्ण वर्चस्वादी समाज में स्त्री के लिए समानता और न्याय की संभावनाओं को समाप्त करना है।

स्त्री लेखन एक सतत् सामाजिक विचार यात्रा है जो इन सभी रूढ़िवादी व्यवस्थाओं और सदियों से चल रहे सुनियोजित शोषण के विरूद्ध विश्व भर के वैचारिक चिंतन में स्त्रीवादी विमर्श के लिए एक नया आयाम और परिक्षेत्र निर्मित करता है।

पश्चिम में सर्वप्रथम 1674 में मार्गरेट ब्रिटेन ने स्त्रियों के लिए मताधिकार की मांग की, जिसे ठुकरा दिया गया। 1830-1840 के बीच स्त्रियों के मताधिकार के लिए अनेकों आंदोलन चलाए गए। इन्हीं आंदोलनों के परिणाम स्वरूप अनेक देशों में स्त्री को मताधिकार प्राप्त हुआ। 8 मार्च 1857 का दिन अमेरिका के स्त्री इतिहास में प्रसिद्ध है। न्यूयार्क की कपड़ा मीलों में काम करने वाली स्त्रियों ने संगठित होकर संघर्ष किया। आशारानी व्होरा ने लिखा है - 'विश्व की महिलाओं का यह प्रथम प्रदर्शन था, जिसे उस समय की ट्रेड यूनियनो ने भी पसंद नहीं किया। किसी भी प्रकार के समर्थन के अभाव में यह आंदोलन पुलिस द्वारा कुचल दिया गया था पर महिला इतिहास में एक अमिट लकीर छोड़ गया था।'

1850 के आस-पास ही इंग्लैंड में कैरोलिन वार्टन आदि ने महिला समानाधिकार के लिए आंदोलन चलाए। अमरिका में 1865 में एलिजाबेथ मिलर, लुसी स्टोन आदि स्त्रियों ने महिला आंदोलन को आगे बढ़ाया। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद महिला आंदोलन में और गति आई और वह फैलता गया।

पश्चिम में स्त्रीवादी विचारधारा की शुरूआत जॉन स्टुअर्ट मिल की पुस्तक 'अ सब्जेक्शन ऑफ वुमैन' (1896) से हो चुकी थी। सन् 1942 में वर्जीनीया वुल्फ की 'अ रूम ऑफ वन्स ओन' तथा सन् 1943 में 'सीमोन द बोउवार' की पुस्तक जिसका मूल कथ्य था स्त्री पैदा नहीं होती, बल्कि बना दी जाती है। 'द सेकण्ड सेक्स' का प्रकाशन हुआ, इसमें स्त्री संबंधी संवेदनशील मुद्दों पर विचार करते हुए स्त्री को दूसरा दर्जा दिए जाने वाली विचारधारा का जोरदार खंडन किया गया। 'सीमोन-द-बोउवार' ने विश्व की स्त्रियों के लिए यही संदेश दिया कि स्त्री अमीर हो या गरीब, श्वेत हो या काली, उसे अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी होगी। 'सीमोन-द-बोउवार' के इस संदेश से स्त्रियाँ प्रभावित हुईं और स्त्रीवाद का मूल प्रश्न चर्चा का विषय बन गया। इसी कड़ी में मेरी एल्लन की 'थिकिंग अबाउट अ वुमैन' केट मिलेट की 'सेक्सुअल पॉलिटिक्स' तथा जर्मेन ग्रियर की 'द फीमेल युनक' इत्यादि पुस्तकों के माध्यम से स्त्रीवादी आंदोलन अधिक मुखर हुआ। अमेरिका, इंग्लैंड तथा फ्रांस इत्यादि पश्चिमी देशों में विस्तृत स्त्रीवादी दृष्टि ने पूरे विश्व ध्यान आकर्षित किया। स्त्री की पुरूष के समान भागीदारी, कामकाजी स्त्री का परिवार में दोहरा योगदान, कला-विज्ञान, तकनीक तथा खेल-जगत में स्त्री की अभूतपूर्व अनेक अपलब्धियों में स्त्री से जुड़े तमाम मुद्दों,

चिंताओं तथा समस्याओं के सार्थक समाधान ढूँढ़ने की एक नई आधार-भूमि तैयार की है।

पश्चिम में 1960 में अनेक सवालों को लेकर स्त्रीवाद की जो नई शुरूआत हुई, उसके फलस्वरूप महिला-मुक्ति को समर्पित कई नव-समूह बने। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद युरोप और अमेरिका की महिलाओं में एक तरह का आत्मविश्वास जगा। 50-60 के आस-पास जो आर्थिक विकास हुआ, उसके बाद महिलाओं के श्रम की माँग बढ़ी। धीरे-धीरे महिलाएँ कामकाज की, दुनिया और रोजगार के क्षेत्र तक सीमित नहीं रहीं। 20वीं सदी तक पहुँचते हुए घर के बाहर काम करने वाली औरतों की संख्या बहुत ज्यादा हो चुकी थी। जिन भागों में पुरूषों का वर्चस्व था, उनमें भी स्त्रियाँ हाँथ बंटाने लगीं। स्त्रियों में भी व्यावसायिक एवं शैक्षिक विकल्प का दायरा बढ़ रहा था, उधर उसी के समानांतर कार्य-क्षेत्र में महिलाओं के प्रति भेद-भावपूर्ण व्यवहार भी बढ़ा। स्त्रियों के समानाधिकार का एक हद तक समर्थन करते हुए भी उनके प्रति अनेक मौलिक विचारों में, दृष्टिकोणों में कोई अंतर नहीं आए। सीमोन-द-बोउवार के शब्दों में- 'औरतों में आज सबसे बड़ी जरूरत है, जागरूकता की। यही इस युग का मंत्र है। हम चाहते हैं कि औरत शक्तिशाली बने।'

स्त्री अस्तित्व और समाज के दमन चक्र में उसकी उपेक्षा, शोषण, उसकी स्वतंत्र मानसिकता पर पुरूष का अधिकार जिन नियमों और मान्यताओं के रूप में आरोपित किए गए, यह चिंतन उसके प्रति विद्रोह, मुक्ति का विमर्श और आंदोलन बनकर सामने आया। 1975 अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित हुआ। भारत के संदर्भ में भी इसे ऐतिहासिक काल कहा जा सकता है। स्त्री शिक्षा का सभी क्षेत्रों में विकास हुआ, अधिकारों की मांग बढ़ने लगी और स्वयं की अभिव्यक्ति के लिए हृदय ने साहित्य को चुना। समाज के विविध क्षेत्रों में जब महिला सशक्तिकरण का दौर शुरू हुआ तो साहित्य की दुनिया भी इससे अछूती न रही। आज के स्त्री की भागीदारी समाज के हर क्षेत्र में है। आजादी के बाद का स्त्री-परिदृश्य एक नई चेतना के साथ परिवर्तित परिदृश्य है। जिसमें स्त्री अपने जीवन का निर्णय स्वयं लेने में स्वतंत्र और सक्षम है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उसने अद्‌भुत कौशल और शक्ति का परिचय दिया है।

स्त्री लेखन समाज के सरोकार का एक ज्वलंत विषय है, नि:संदेह स्त्रियों ने लेखन के माध्यम से अपनी दासता को खत्म करने का प्रयास किया। महिला लेखिकाओं ने समकालीन परिवेश में न केवल स्त्री-समाज की त्रासदी और विडंबना, उसकी शोषित स्थिति, उसकी सामाजिक-आर्थिक पराधीनता, रूढ़ियों से चले आते स्त्री-संबंधो, सामंती मूल्यों, रूढ़िग्रस्त मान्यताओं और धारणाओं से जुड़े

प्रश्नों को खुले, तीखे व साहसपूर्ण ढंग से अपने लेखन के माध्यम से समाज के सामने रखा है, बल्कि उसके केन्द्र में है स्त्री अस्मिता का संघर्ष, अदम्य जिजीविषा, स्त्री स्वतंत्रता, देह और यौन उत्पीड़न के प्रति विद्रोह और स्वयं की पहचान के प्रति जागरूकता के साथ सामाजिक पहलुओं से जुड़े यथार्थ।

मानवीय संवेदना की गहरी पड़ताल करते हुए सभी वर्ग, वर्ण और जाति की स्त्रियों की अंतरात्मा का अवलोकन करके ये महिला रचनाएँ पाठकों को स्तब्ध और उद्वेलित कर देती है। यह महिला-लेखन, महिला-शोषण के विरूद्ध परिवर्तन और क्रांति के साथ समकालीन साहित्य में सशक्त हस्तक्षेप भी करता है। मृणाल पाण्डे समकालीन महिला लेखन के संदर्भ में कहती हैं-

'अल्का सरावगी या तेजी ग्रोवर या गगन गिल या कात्यायनी या गीतांजलि श्री की कृतियाँ स्त्री और उससे जुड़े संदर्भो को लेकर हमारी प्रत्यक्ष और परोक्ष चेतना, हमारे सोच और कल्पना पर कई तरह के दबाव डालती हैं, उनमें सिर्फ स्थूल शारीरिक सरोकार या चिंतन ही नहीं, व्यंग्य, सृजनात्मक असंतोष और विरोधाभाष भी उतनी ही मात्रा में है, जितने की हमारे जीवन में।' सीमोन द-बोउवार पुरूषों द्वारा महिलाओं के लिए लिखी गई रचनाओं पर जिस तरह प्रश्न चिन्ह लगाती है, ठीक उसी प्रकार भारतीय लेखिकाएं भी स्त्री के संदर्भ में लिखने वाले लेखकों पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए अनेक सवाल खड़ा करती हैं, कि जैनेन्द्र से लेकर फणीश्वर नाथ रेणु तक के लेखकों ने स्त्रियों को क्यूं इतना विवश, इतना हीन, इतना तुच्छ पेश किया है? स्त्री ही हर बार त्याग की मूर्ति क्यों होती है? वह हर बार क्यों पुरूष पर आश्रित होती है? उनके नारी पात्र विद्रोही क्यों नहीं है?

इस संबंध में आज का महिला लेखन पूरी तरह से बेबाक अभिव्यक्ति देने वाला लेखन है। रोहिणी अग्रवाल के शब्दों में - 'स्त्री-लेखन चूंकि पहले चरण में पितृसत्तात्मक समाज व्यवस्था के बुनियादी ढाँचे का तटस्थ विश्लेषण है अतः परिवार, विवाह, धर्म, कानून जैसी संस्थाओं के औचित्य पर व्यापक बहस का आह्वान करने से पूर्व वह विशेष बलाघात देकर इनके वर्तमान स्वरूप को वृहत्तर पाठक-समुदाय के समक्ष पुनर्प्रस्तुत कर देना चाहता है, क्योंकि चहुँ ओर की सुनिश्चित सच्चाइयों को देखने के लिए न केवल वांछित दूरी आपेक्षित है, बल्कि औरत को ज्योतित करने वाली तीसरी एजेंसी की भी।'

वर्तमान कथा-परिदृश्य में महिला-लेखिकाओं ने सक्रिय भागीदारी निभाते हुए अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज की है। उनके महत्वपूर्ण रचनात्मक प्रयत्न के केन्द्र में स्त्री-चेतना है। वह स्त्री-चेतना जिसके चलते उनकी रचनाओं की प्रमुख और प्रभावशाली पात्र स्त्री है। यह स्त्री अब एक रूमानी आदर्श नहीं रह गई है।

वह हमारे समय की जीवंत वास्तविकता है, एक ठोस सच्चाई है। वह अपने वजूद को महसूस करती है। एक सहज इकाई के रूप में वह तमाम स्थितियों से प्रतिकृत होती वर्तमान सामाजिक परिवेश के अंतर्विरोधों व असंगतियों को अपनी व्यक्तिमत्ता, स्त्री-अस्मिता और मानवीय स्थिति के परिप्रेक्ष्य में जानना समझना चाहती है।

महिला-लेखन में स्त्री संबंधी समस्याएँ एवं स्त्री मुक्ति के प्रश्न सर्वत्र दिखाई देते हैं। कृष्णा सोबती, गीतांजलि श्री, अलका सारावगी, मृणाल पाण्डे, ममता कालिया, मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, राजी सेठ, सुधा अरोड़ा, जया जादवानी आदि ऐसी लेखिकाएँ हैं, जो भारतीय स्त्री को एक नई छवि प्रदान करती हैं। इनकी रचनाओं में स्त्रियाँ स्वयं निर्णय लेती हैं, स्वतंत्र हैं, विद्रोह करती हैं और समाज में हर पक्ष पर पैनी दृष्टि भी रखती हैं। मृणाल पाण्डे कहती हैं- 'आज का बेहतर महिला लेखन पुरूषार्थवादी या पिटी- पिटाई समीक्षा का निरीह अनुगामी नहीं रहा। वह दूर नए और परती जमीन तोड़ने वाले लेखन जैसा आक्रमक और सतर्क है।'

स्त्री की अपनी पहचान स्थापित करते हुए इन महिला रचनाकारों ने यह सिद्ध किया है कि समाज को स्त्री के प्रति दोयम दर्जे का नजरिया हटाकर उसे मानवी रूप में ही स्थापित करना होगा। इन रचनाकारों की आवाज यह है कि स्त्री-चेतना को केवल भावनात्मक कसौटी पर नही, बल्कि बौद्धिकता के मानदंड पर परखना होगा। स्त्रियों का बौद्धिक विद्रोह स्त्री के प्रति पितृसत्तात्मक मानसिकता की संकीर्ण और क्षुद्र सोच के प्रखर विरोध पर आधारित है।

महिला लेखन समय के सरोकार का एक ज्वलंत विषय है, लेखन संवाद और अभिव्यक्ति का माध्यम है। नि:संदेह लेखन के माध्यम से अपनी दासता को समाप्त करने का प्रयास किया है। भारतीय स्त्रियाँ आज तमाम बनी बनाई नाशकारी रूढ़ियों को नकार कर अपनी अद्‌र्धमानव स्थिति को अस्वीकार कर संपूर्ण मानव बनने और चेतना को संघर्षरत रखने के लिए प्रयत्नशील है। वह समाज में अपनी अहम भूमिका के साथ गुलामी से मुक्त होकर, आत्मनिर्णायक स्वतंत्र व्यक्ति की अस्मिता के रूप में स्थापित होने का महत्वपूर्ण और सार्थक प्रयास कर रही हैं। जो आज के महिला लेखन का प्रमुख उद्‌देश्य है। समाज में इन नए मूल्यों का निर्माण करने से ही समाज का स्वस्थ निर्माण हो पाएगा।

==========

संदर्भ ग्रंथ सूची-

1. स्वाधीनता संग्राम हिन्दी प्रेस और स्त्री का वैकल्पिक क्षेत्र, सुधा सिंह, जगदीश्वर चतुर्वेदी. नई दिल्ली : अनामिका पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स 2006.
2. भारतीय नारी : दशा और दिशा, आशारानी व्होरा, नेशनल पब्लिशिंग हाउस,

1982

3. जहाँ औरतें गढ़ी जाती है : मृणाल पाण्डे, नई दिल्ली : राधाकृष्ण प्रकाशन, 2008.
4. समकालीन कथा साहित्य : सरहदें और सरोकार . रोहिणी अग्रवाल, हरियाणा : आधार प्रकाशन, 2007
5. स्त्री चिंतन की चुनौतियाँ, रेखा कस्तवार, नई दिल्ली : राजकमल प्रकाशन, 2013

महिला सशक्तिकरण का अर्थ व उद्देश्य

* डॉ. श्रीमती जे. श्याम

महिला सशक्तिकरण मुद्दे पर कई तरह की चर्चाएं और कई तरह की राय लोगों द्वारा दी जाती है, अक्सर कहा जाता है कि किसी भी देश की तरक्की तभी हो सकती है. जब उस देश की महिलाओं का विकास सही से किया जाए. वहीं इस वक्त महिलाओं के विकास के लिए पूरी दुनिया में कई तरह के कार्य भी किए जा रहे हैं. ताकि नारी शक्ति को हर क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन किया जा सके. वहीं इस सदी में भी महिला सशक्तिकरण करने के मुद्दे का जिक्र करना, इस बात को साबित करता है कि अभी भी महिलाओं का विकास पूरी तरह से नहीं किया जा सका है लोगों को ऐसा लगता है कि केवल भारत ही ऐसा देश है. जहां पर महिलाएं अभी भी केवल एक गृहणी के रूप में जानी जाती हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. भारत के अलावा अभी भी दुनिया के नक्शे में ऐसे कई देश मौजूद हैं. जहां पर महिलाओं का विकास ना के बराबर है।

महिला सशक्तिकरण में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका-

संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कई कार्यक्रमों का आयोजन दुनिया भर में हर साल किया जाता है. जिसके जरिए नारी शाक्ति को अपनी पहचान बनाने के लिए प्रेरित किया जा सके. वहीं ये काफी दुख की बात है कि अभी तक हम लोगों को महिलाओं और पुरुषों को समान पहचान और अधिकार देने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है।

भारत में महिलाओं की स्थिति-

हमारे देश में नारियों की क्या परिस्थिति है, इस बात का अंदाजा इस चीज से ही लगाया जा सकता है, कि अभी भी भारत में ऐसे कई गांव हैं. जहां की महिलाओं का जीवन घर की चार दीवारों तक ही सीमित है. इतना ही नहीं हमारे देश में काम (नौकरी) करने वाली महिलाओं की संख्या भी अन्य देशों के मुकाबले कम हैं. हमारे देश की ज्यादातर पढ़ी-लिखी महिलाएं भी इस वक्त अपने हक के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हैं. उनको ना चाहते हुए भी ऐसा जीवन जीना पड़

---

* प्राध्यापक-समाजशास्त्र, शासकीय महाविद्यालय पुष्पराजगढ़ जिला अनूपपुर मध्यप्रदेश

रहा है, जिसके वो विरूद्ध हैं.

भारत का महिला आरक्षण बिल–

किसी भी देश को चलाने के लिए सभी महत्वपूर्ण फैसले उसकी संसद में ही लिए जाते हैं. वहीं हमारी संसद में अगर महिला सांसदों की संख्या देखी जाए, तो वो ना के समान ही है. हमारे देश की महिलाओं की भूमिका देश को चलाने में ज्यादा खास नहीं है. वहीं संसद में महिलाओं की इतनी कम संख्या को देखते हुए भारत की सरकार ने साल 2010 में महिला आरक्षण बिल का संसद में सबके सामने प्रस्ताव रखा. इस बिल के मुताबिक संसद की 33% सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित करने के नियम का प्रस्ताव रखा गया था. लेकिन उस समय कांग्रेस सरकार केवल राज्यसभा से ही इस बिल को पास करवाने में कामयाब रही थी. लोकसभा में इस बिल को पूर्ण बहुमत न मिलने के कारण इसे पास नहीं किया जा सका था. वहीं साल 1993 में भारत सरकार ने एक संवैधानिक संशोधन पारित किया गया था. जिसमें ग्रामीण परिषद स्तर के होने वाले चुनावों में एक तिहाई सीटे महिलाओं के लिए आरक्षित थी. जिसकी वजह से आज हर गांव में होने वाले चुनाव में महिला चुनाव लड़ती हैं।

महिला सशक्तिकरण का महत्व–

लोगों के मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर क्यों महिला सशक्तिकरण के मुद्दे को विश्व के कई संगठनों द्वारा इतना महत्व दिया जाता है. वहीं इन सब सवालों के जवाब आपको नीचे दिए गए हैं।

समाज का विकास–

महिला सशक्तिकरण का मुख्य लाभ समाज से जुड़ा हुआ है. अगर हम लोगों को अपने देश को एक शक्तिशाली देश बनाना है, तो उसके लिए हम लोगों को समाज की महिला को भी शक्तिशाली बनाने की जरूरत है. महिलाओं के विकास का मतलब होता है कि आप एक परिवार का विकास का कार्य कर रहे हैं. अगर महिला शिक्षित होगी, तो वो अपने परिवार को भी पढ़ा-लिखा बनाने की कोशिश करेगी. जिसके चलते हमारे देश को पढ़े-लिखे नौजवान मिलेंगे. जो कि देश की तरक्की में अपनी योगदान दे सकेंगे

घरेलू हिंसा में कमी–

घरेलू हिंसा एक ऐसी चीज है, जो कि किसी भी महिला के साथ हो सकती है. ये जरूरी नहीं है कि घरेलू हिंसा केवल अनपढ़ महिलाओं के साथ ही होती है. शिक्षित महिलाएं भी इस तरह की हिंसा का शिकार होती हैं. बस फर्क इतना होता है कि जहां पढ़ी-लिखी महिलाएं इसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत रखती हैं. वहीं अनपढ महिलाएं ऐसी हिंसा के विरुद्ध अपनी आवाज उठाने से डरती हैं.

वहीं अगर महिलाओं का विकास किया जा सके तो हमारे देश में होने वाली घरेलू हिंसा में ना केवल कमी आएगी. बल्कि महिलाएं घरेलू हिंसा करने वाले आदमी को सजा भी दिलावाने के लिए आगे आएंगी.

आत्म निर्भर बनाना–

हमारे देश में लड़कियों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि उन्हें आगे जाकर केवल घर की ही देखभाल करनी हैं. अभी भी गांव में पढ़ाई करने से ज्यादा लड़कियों को घर के काम सिखाए जाते हैं. जो ना सिर्फ लड़कियों के भविष्य के लिए गलत हैं. बल्कि देश के लिए भी नुकसानदेह है. देश में अशिक्षित लड़कियां होने का मतलब है कि देश की करीब 40% आबादी का अशिक्षित होना. अगर हम अपने देश की लड़कियों को आत्म निर्भर नहीं बननें देंगे, तो हमारे देश की महिलाएं केवल रसोई तक ही समिति रह जाएंगी।

गरीबी कम करने–

महिला सशक्तिकरण का जो अगला सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है, वो गरीबी से जुड़ा हुआ है. अक्सर देखा गया है कि इतनी महंगाई के जमाने में कभी-कभी, परिवार के पुरुष सदस्य द्वारा अर्जित धन परिवार की मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होता है. वहीं महिलाओं की अतिरिक्त आय परिवार को गरीबी के रास्ते से बाहर आने में मदद करता है. इसलिए गरीबी को कम करने के लिए भी महिलाओं का शिक्षित होने के साथ-साथ कामकाजी होना भी जरूरी है।

प्रतिभाशाली–

कई ऐसी लड़कियां होती है, जिनमें कई प्रतिभा होती हैं. लेकिन सही मागर्दशन और शिक्षा ना मिल पाने के चलते वो अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल नहीं कर पाती हैं. इसलिए अगर महिलाओं का सहीं से सशक्तिकरण कर दिया जाए, तो महिला अपने हुनर की पहचान कर सकेंगी. जिससे देश को भी प्रतिभाशाली महिलाएं मिलेंगे. जो कि देश के विकास के लिए कार्य करेंगी।

समाज में समानता मिलना–

महिला सशक्तिकरण करने का जो सबसे बड़ा लक्ष्य है. वो महिलाओं को पुरुष के समान इस समाज में समानता देना है. अभी भी दुनिया में ऐसे कई देश हैं, जहां पर महिला को पुरुषों की तरह अधिकार नहीं दिए गए हैं. महिलाएं अभी भी केवल गुलामों की तरह कार्य करती हैं. उनको ना अपनी बात कहने की और ना कुछ निर्णय लेनी की आजादी दी गई है. वहीं महिला सशक्तिकरण के जरिए ऐसी महिलाओं का विकास करने पर ही जोर दिया जाता है. ताकि ये महिलाएं बोलने की आजादी का लाभ उठा सकेंगी. अपनी राय खुलकर समाज के सामने रख सकें।

भारत में महिलाओं के लिए चलाई गई योजना–

भारत सरकार ने देश की महिलाओं के विकास के लिए कई सारी योजनाएं चलाई हैं. इन योजनाओं की मदद से सरकार महिलाओं की मदद कर उनका सशक्तिकरण करना चाहती हैं. वही इन योजना का बारे में नीचे जानकारी दी गई है.

नेशनल मिशन फॉर इम्पॉवरमेंट ऑफ वूमन–

इस मिशन को महिलाओं का सशक्तिकरण करने के लक्ष्य से भारत सरकार ने शुरू किया था. 15 अगस्त 2011 को शुरू किए गए इस मिशन को राष्ट्रीय और राज्य दोनों लेवल पर शुरू किया गया था. इस मिशन की मदद से महिलाओं को आत्म निर्भर बनाया जा रहा है.

स्वाधार गृह योजना–

इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष के ऊपर की आयु वाली लड़कियों को रहने के लिए आवास दिए जाते हैं. ये योजना उन लड़कियों के लिए चलाई गई है, जो कि बेघर हो गई हैं. आवास के अलावा इस योजना के अंतर्गत भोजन, कपड़े, स्वास्थ्य सुविधाएं और उनकी आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाती है.

वन स्टॉप सेंटर योजना–

इस योजना की मदद से घरेलू हिंसा का सामना कर रही महिलाओं को सहायता प्रदान की जाती है. इतना ही नहीं इस हिंसा से ग्रस्त महिलाओं को चिकित्सा, कानूनी, मनोवैज्ञानिक और परामर्श सहित अन्य सहायता भी दी जाती हैं. ये योजना महिलाओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं है.

बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ योजना–

लड़कियों के कल्याण और उनकी पढ़ाई के प्रति लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के लक्ष्य से बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ योजना को शुरू करा गया था. साल 2015 में इस योजना की चलाया गया था. इस योजना के जरिए लड़कियों के परिवार वालों को उन्हें शिक्षित करने के लिए प्रोत्सहित किया जाता है।

कार्य महिला छात्रावास योजना–

जो महिलाएं अपने परिवार से दूर रहकर कार्य कर रही हैं, उन महिलाओं के लिए इस योजना को शुरू किया गया है. इस योजना के अंतर्गत कोई भी कामकाजी महिला को रहने की सुविधा सरकार द्वारा मुहैया कराई जाती है. महिला बिना किसी डर के सरकार द्वारा खोले गए इन छात्रावास में रहकर अपनी नौकरी जारी रख सकती हैं.

महिला हेल्पलाइन योजना–

साल 2015 में शुरू की गई इस योजना को हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए बनाया गया है. इस योजना की मदद से घरेलू हिंसा से प्रभावित कोई भी महिला 24 घंटे टोल-फ्री टेलीकाम सेवा पर फोन कर मदद मांग सकती है. कोई भी महिला कभी भी 181 नंबर पर फोन कर किसी भी प्रकार की सहायता पुलिस से ले सकती है।

राजीव गांधी राष्ट्रीय आंगनवाड़ी योजना–

ऑफिसों में काम करने वाली माताओं के लिए इस योजना को चलाया गया है. अक्सर कामकाजी महिलाएं अपने बच्चों को लेकर परेशान रहती हैं. इस योजना के जरिए कामकाजी महिलाएं अपने बच्चों को नर्सरी में छोड़ सकती हैं. जहां पर उनके बच्चों की देखभाल की जाएगी. वहीं शाम को अपना काम खत्म करके महिलाएं अपने बच्चों को वापस अपने साथ घर ले जा सकती हैं. देखभाल की सुविधा के अलावा इन नर्सरियों में बच्चों को बेहतर पोषण, प्रतिरक्षण सुविधाओं, सोने के लिए सुविधा और इत्यादि सुविधा प्रदान की जाती हैं।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस–

दुनियाभर में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत सारे कामों एवं योजनाओं को लागू किया जा रहा है. वहीं आठ मार्च के दिन को महिलाओं के लिए अर्पित किया हुआ है. इस दिन दुनिया के हर कोने में महिलाओं के लिए कई कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है. इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के नाम से मनाए जाता है. वहीं हर देश में विशेष रूप आयोजित किए जान वाले कार्यक्रमों के जरिए महिलाओं के विकास पर जोर दिया जाता है।

निष्कर्ष–

लोगों ने महिला आयोग और महिला की सहायता के लिए बनाए गए कई संगठनों के बारे में सुना होगा. लेकिन क्या आप ने कभी पुरुष के लिए बनाए गए किसी संगठन के बारे में सुना है। जो कि उनकी मदद के लिए बनाया गया हो। महिलाओं के लिए बनाए गए संगठनों की आखिर हमें क्यों जरूरत पड़ती है? क्यों हमारे देश की महिला इतनी ताकतवर नहीं है कि वो अपने आप ही हर चीज से निपट सकें.वहीं जब हमारे देश की महिलाएं शिक्षित हो जाएंगी. अभी हम कह सकते हैं कि हमारे देश में महिलाओं के हालात बेहतर होते जा रहे हैं. जिस तरह पुरुषों को किसी भी मदद की जरूरत नहीं होती है. ठीक उसी तरह एक ऐसा दिन भी आएगा जब महिलाओं को भी किसी भी चीज का हल निकालने के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना होगा। और उस दिन महिलाओं के सशक्तिकरण का देखा गया ये सपना सच हो सकेगा।

==========

संदर्भ ग्रंथ सूची–

1. डॉ. संजीव महाजन, भारतीय समाज।
2. प्रकाश नारायण नाटाणी, भारत में कन्या भ्रूण हत्या एवं महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा।
3. अल्वा मिर्डल व वायोला क्लयान, 'वीमेंस टू रोल्स'।
4. आचार्य रोहित, नारी और शिक्षा, दलित साहित्य प्रकाशन संस्था, नई दिल्ली।
5. प्रकाश नारायण नाटाणी - कन्या भ्रुण हत्या और महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा बुक एक्वल एस.एस. टावर, धामाणी स्टेट, चौडा रास्ता, जयपुर।
6. राम आहुजा, 2002, सामाजिक समस्याएं, रावत पब्लिकेशन, जयपुर
7. विमला मेहता 1979, एटीव्यय ऑफ एजुकेटेड वीमेन दुवर्डस सोश्य इशूय दिल्ली नेशनल
8. लिन्डसे मेकी एण्ड पाली पटुलो विमेन एट वर्क लन्दन ट्रा, विस्फोट1977